इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै-600 002

Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2011-2012

31.03.2012 तक निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS AS ON 31.03.2012

श्री एम.नरेंद्र
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

श्री ए के बंसल
कार्यपालक निदेशक

श्री ए.डी.एम.चावली
कार्यपालक निदेशक (दिनांक 28.12.2011 से)

डॉ.आलोक पाण्डे
भारत सरकार के नामिती निदेशक(दिनांक 22 07 2011 से)

श्री एस वी राघवन
भा रि बैंक के नामिती निदेशक

श्री श्रीधर लाल लखोटिया
कर्मकार कर्मचारी निदेशक

श्री के आनन्द कुमार
अधिकारी कर्मचारी निदेशक

श्री निरंजन कुमार अग्रवाल
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (दिनांक 01.11.2011 से)

श्री सूरज खत्री
अंशकालिक गैर सरकारी

श्री अजित वसंत सरदेसाई
शेयरधारक निदेशक (दिनांक 08.12.2011 से)

प्रोफसर एस. सडगोपन
शेयरधारक निदेशक (दिनांक 08.12.2011 से)

Shri M Narendra
Chairman and Managing Director

Shri A K Bansal
Executive Director

Shri A D M Chavali
Executive Director (from 28.12.2011)

Dr. Alok Pande
GOI Nominee Director (from 22.07.2011)

Shri S V Raghavan
RBI Nominee Director

Shri Sridhar Lal Lakhotia
Workmen Employee Director

Shri K Ananda Kumar
Officer Employee Director

Shri Niranjan Kumar Agarwal
Part time non official Director (from 01.11.2011)

Shri Sooraj Khatri
Part time non-official Director

Shri Ajit Vasant Sardesai
Shareholder Director (from 08.12.2011)

Prof. S Sadagopan
Shareholder Director (from 08.12.2011)

श्री ए पी सिंह
महा प्रबंधक एवं मंडल सचिव (29.02.2012 तक)

श्री जी आर गाँधी
महा प्रबंधक एवं मंडल सचिव (दिनांक 01.03.2012 से)

Shri A P Singh
General Manager & Board Secretary (Up to 29.02.2012)

Shri G R Gandhi
General Manager & Board Secretary (from 01.03.2012)

लेखा परीक्षकगण

1. एम. भास्कर राव ऐण्ड कं.,हैदराबाद
2. मित्तल गुप्ता ऐण्ड कं., कानपुर
3. एस.आर.मोहन ऐण्ड कं., हैदराबाद
4. बदरी, मधुसूधन ऐण्ड श्रीनिवासन, बैंगलोर
5. बी.त्यागराजन ऐण्ड कंपनी, चेन्नै
6. शंकर ऐण्ड मूर्ति, तिरुवनंतपुरम

AUDITORS

1. M Bhaskara Rao & Co., Hyderabad
2. Mittal Gupta & Co., Kanpur
3. S. R. Mohan & Co., Hyderabad
4. Badari, Madhusudhan & Srinivasan, Bangalore
5. B.Thiagarajan & Co., Chennai
6. Sankar & Moorthy, Thiruvananthapuram

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स कैमियो कार्पोरेट सर्विसेस लि.
(यूनिट - आइ ओ बी)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, पहली मंज़िल
न.1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै - 600 002
टेलिफोन - 044-28460390 (छह लाइनें),
28460084, 28460395
फैक्स- 044-28460129
ई-मेल : cameo@cameoindia.com

Registrar & Share Transfer agent

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building,
I Floor, No.1 Club House Road
Chennai-600 002
Tel: 044-28460390 (Six Lines),
28460084, 28460395
Fax: 044-28460129
e-mail:cameo@cameoindia.com

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै-600 002

Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2011-2012

विषय-वस्तु CONTENTS

विषय-वस्तु Contents	पृष्ठ सं Page No.
अध्यक्ष की डेस्क से	3
From the Chairman's desk	3
शेयरधारकों को सूचना	7
Notice to Shareholders	7
एक झलक में	15
At a Glance	15
निदेशकों की रिपोर्ट	16
Directors' Report	17
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण	24
Management Discussion and Analysis	25
वर्ष 2011-12 के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	46
Report of the Board of Directors onCorporate Governance for the Year 2011-12	47
कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	84
Auditors' Certificate on Corporate Governance	85
वार्षिक लेखे	86
Annual Accounts	87
नकद प्रवाह विवरण एवं लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र	134
Cash Flow Statement & Auditors' Certificate	135
लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट	158
Auditors' Report	159
प्रॉक्सी फार्म	161
Proxy Form	162
उपस्थिति पर्ची	161
Attendance Slip	162
ईसीएस अधिदेश फार्म	165
ECS Mandate Form	166

(यदि इस वार्षिक रिपोर्ट में हिन्दी रूपांतरण के तहत कोई विसंगति पायी जाती है तो अंग्रेजी रूपांतरण सही माना जायेगा)

(in this Annual Report in case of any discrepancy found in Hindi Version, English Version will prevail)

वित्तीय कैलेण्डर

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक के लिए

लेखा बंदी की तारीखें	23. 06.2012 (शनिवार) से 29.06.2012 (शुक्रवार) (दोनों दिन शामिल हैं)
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	30.05.2012 से 03.06.2012 तक
प्रॉक्सी फार्म की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि	23.06.2012 (शनिवार) 2.00 बजे अपराह्न
वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख	26.06.2012 (शुक्रवार) सुबह 10.00 बजे
लाभांश की घोषणा	29.06.2012 (शुक्रवार)
लाभांश अदायगी की तारीख	17.07.2012 को या उपरान्त
लाभांश अधिपत्र प्रेषण की संभाव्य तारीख	17.07.2012 को या उसके बाद

Financial Calendar

For the Financial year 1st April, 2011 to 31st March 2012

Book Closure Dates	23.06.2012 (Saturday) to 29.06.2012 (Friday) (both days inclusive)
Posting of Annual Report	30.05.2012 to 03.06.2012
Last date for Receipt of Proxy Forms	23.06.2012 (Saturday) 2.00 P.M.
Date of AGM	29.06.2012 (Friday) 10 00 A.M.
Declaration of dividend	29.06.2012 (Friday)
Dividend Payment Date	On or after 17.07.2012
Probable Date of Despatch of Dividend Warrants:	On or after 17.07.2012

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का संदेश

LETTER FROM THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

श्री एम.नरेंद्र
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Shri. M.NARENDRA
Chairman and Managing Director

प्रिय शेयरधारको,

वर्ष 2011-12 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट व वित्तीय विवरण आपके हाथ में सौंपते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं वर्ष के दौरान बैंक से संबंधित प्रमुख बातें व निष्पादन सूचकों की जानकारी आपके साथ बाँटना चाहता हूँ ।

आर्थिक परिदृश्य

हमें ऐसे वातावरण में काम करना पडा है जो त्वरित वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं था। पूरे वर्ष वैश्विक आर्थिक परिदृश्य प्रेरणादायक नहीं रहा। सितंबर 2011 में यूरो जोन में उथल-पुथल और यू.एस. अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले गये। इस उथल-पुथल के प्रति भारतीय अर्थ व्यवस्था में वृद्धि की संभावना व मूल्यों में स्थिरता काफी अच्छी बनी रही।

पिछले दो वर्षों के दौरान जहाँ भारतीय अर्थ व्यवस्था में वृद्धि की दर 8.4% प्रति वर्ष रही वहीं वर्ष 2011-12 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कम यानि 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया । कृषि व सेवा क्षेत्र में बेहतर निष्पादन जारी रहा परंतु कमजोर औद्योगिक वृद्धि , विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र के कारण भारतीय अर्थ व्यवस्था में मंदी देखी गयी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकांशत: थोक मूल्य सूचकांक (होलसेल प्राइज़ इंडेक्स) द्वारा आकलित मुद्रा स्फीति की दर उच्च थी ।

यूएसडी 489 बिलियन के मूल्य के आयात के प्रति यूएसडी 370 बिलियन से निर्यात के कारण उत्पन्न व्यापार असंतुलन के कारण विदेशी विनिमय आरक्षितियाँ 31 मार्च 2011 को यूएसडी 3.5 बिलियन से घटकर 31 मार्च 2012 को यूएसडी 294 बिलियन हो गयी यद्यपि निर्यात में वर्ष 2011-12 के दौरान डालर में 20.94% की वृद्धि दर्ज की गयी। उसी अवधि के दौरान आयात वृद्धि 32.15% डालर रही जो कम थी।

वर्ष 2011-12 के दौरान वैश्विक प्रभावों के अनुरूप ईक्विटी बाजार में एक एक कर सुधार के साथ उतार चढ़ाव रहा। बी एस ई सूचकांक 31.03.2011 को 19445.22 के मुकाबले 31.03.2012 को 17404.20 पर आ गया।

Dear Shareholders,

It gives me great pleasure to place the Bank's Annual Report and financial statements for the year 2011-12, in your hands. I would like to share with you, the highlights and performance indicators of the Bank during the year.

Economic Scenario

We had to operate in an environment which was not very conducive for an accelerated growth. The global economic scenario was hardly inspiring throughout the year. In September 2011, the turmoil in Eurozone and the outlook of US economy drew adverse inferences from the international rating agencies. Against this backdrop, the growth prospects and price stability in the Indian economy looked more promising.

After having grown at the rate of 8.4 % in each of the two preceding years, the Indian Economy is estimated to have grown at a lower rate of 6.9% in 2011-12. Agriculture and Services sectors are continuing to perform well but the weakening Industrial growth, particularly the Manufacturing Sector, has caused the slowdown of India's economy. Inflation as measured by the Wholesale Price Index (WPI) was high during most of the current fiscal year.

The trade imbalance arising out of exports of USD 370 billion as against imports of USD 489 billion, depleted the Foreign Exchange Reserves from USD 305 billion as on 31st March 2011 to USD 294 billion as on 31st March 2012. Even though the exports registered a growth of 20.94% in dollar terms, during the year 2011-12, it was outpaced by the import growth of 32.15%, in dollar terms, during the same period.

During 2011-12, equity markets fluctuated with intermittent corrections in line with the global trend. The BSE Sensex had come down from 19445.22 as on 31.03.2011 to 17404.20 as on 31.3.2012.

निष्पादन विशेषताएँ - 2011-12

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक की निष्पादन विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

कारोबार मानदंड *रु. करोडों में*

	31 मार्च 2011	31st मार्च 2012	वृद्धि 2011-12	
			राशि	%
वैश्विक कारोबार	2,59,020	3,21,707	62,687	24.20
वैश्विक जमाएँ	1,45,229	1,78,434	33,205	22.86
वैश्विक अग्रिम	1,13,791	1,43,273	29,482	25.91

- **सीडी अनुपात** 31.03.2011 को 78.35% के मुकाबले 31.03.2012 को 80.29% रहा।
- **निवल निवेश** 31.03.2012 को रु.55,566 करोड़ बढ़ गया जबकि 31.03.2011 को यह रु. 48610 करोड़ था।

लाभ

- **परिचालन लाभ** में वर्ष दर वर्ष आधार पर रु.673 करोड़ (23.54%) की वृद्धि दर्ज की गयी और यह 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 2861 करोड़ की तुलना में अधिक रहा क्योंकि 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए यह रु. 3,534 करोड़ है ।
- **निवल लाभ** - 31.03.2012 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक का निवल लाभ रु.1,050 करोड़ रहा।
- **बैंक की कुल आय -** बैंक की कुल आय में 31.03.2012 को समाप्त वर्ष को 46.91% की वृद्धि दर्ज की गयी। दिनांक 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए रु.13,326.56 करोड़ की तुलना में 31.03.2012 को समाप्त वर्ष को यह रु.19,578.13 करोड़ रहा।
- **निवल ब्याज आय** में वर्ष 2011-12 के लिए रु.5,016 करोड़ का सुधार हुआ जो कि पिछले वर्ष 2010-11 के लिए रु.4028 करोड़ की तुलना में 19.20%% की वृद्धि है।
- वर्ष 2011-12 के दौरान **अन्य आय** में बढोत्तरी हुई। वर्ष 2010-11 के रु.1,225 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 के लिए अन्य आय रु.1681 करोड़ रही जो कि 37.22% की वृद्धि है।
- **निवल ब्याज मार्जिन** 2011-12 के लिए 2.75% रहा।

शाखा नेटवर्क में विस्तार

- वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 447 शाखाएँ खोली जिससे अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति दर्ज़ की। इन नई शाखाओं में से 73.38% शाखाएँ ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं।
- आने वाले वर्षों में ये नई शाखाएँ तेजी से कारोबार वृद्धि करेंगी।
- 10 फरवरी 2012 को तमिलनाडु राज्य में 1000 शाखाओं के साथ बैंक ने एक अन्य कीर्तिमान स्थापित कर लिया। इस प्रकार करामा राज्य में 1000 शाखाओं वाला प्रथम बैंक बन गया।

अन्य विशेषताएँ

- भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदण्ड 40% के प्रति बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में समायोजित निवल बैंक उधार की प्रतिशतता 31.03.2012 को 41.50% रही।
- समीक्षाधीन वर्ष के यहरान बैंक ने कृषि उधार फोर्टफोलियो में रु.16,056 करोड से बढ़कर रु.19416 करोड़ (20.93%) की वृद्धि दर्ज की । कृषि अग्रिम और समायोजित निवल बैंक उधार का अनुपात 18 % मानक के प्रति 18.82 % रहा।
- 31.03.2012 को एसएमई क्षेत्र अग्रिम रु.16,600 करोड़ रहा जो 31.03.2011 तक रु.11,839 करोड़ की तुलना में 40.21 % की वृद्धि है।

Performance Highlights – 2011-12

The performance highlights of the Bank during the year under review:

Business parameters Amount in Rs. crores

	31st March 2011	31st March 2012	Growth 2011-12	
			Amount	%
Global Business	2,59,020	3,21,707	62,687	24.20
Global Deposits	1,45,229	1,78,434	33,205	22.86
Global Advances	1,13,791	1,43,273	29,482	25.91

- **The CD Ratio** stood at 80.29 % as on 31.3.2012 as against 78.35% as on 31.3.2011.
- **Net Investments** of the Bank as on 31.3.2012 had increased to Rs. 55,566 crore from Rs. 48,610 crore as on 31.3.2011.

Profits

- **Operating Profit** registered a y-o-y growth of Rs. 673 crore (23.54%) and was higher at Rs. 3,534 crore for year ended 31.3.2012 as against Rs. 2,861 crore for year ended 31.3.2011.
- **Net Profit** of the Bank for year ended 31.3.2012 stood at Rs 1,050 crore.
- **The Bank's total income** recorded a growth of 46.91 % during the year ended 31.3.2012 from Rs. 13,326.56 crore for the year ended 31.3.2011 to Rs. 19,578.13 crore for the year ended 31.3.2012.
- **Net Interest Income** improved to Rs. 5,016 crore for 2011-12 as compared to Rs. 4,028 crore for 2010-11, registering a growth of 19.20%.
- The **Other Income** during 2011-12 increased to Rs 1,681 crore from Rs. 1,225 crore for 2010-11, a growth rate of 37.22 %.
- **Net Interest Margin** stood at 2.75 % for 2011-12.

Branch network expansion

- During the year, your Bank opened 447 branches increasing its pan-India presence. 73.38% of these new branches are located in Rural and Semi Urban centres.
- These new branches will provide speedy growth of business in the years ahead.
- The Bank reached yet another milestone of crossing 1000 branches in the state of Tamil Nadu on 10th February 2012, thus becoming the first Bank to achieve the feat.

Other highlights

- Priority Sector advances as a percentage to Adjusted Net Bank Credit stood at 41.50 % as on 31.3.2012, as against the RBI norms of 40 %.
- Agricultural credit portfolio of the Bank registered a growth of Rs. 3,360 crore (20.93 %) from Rs. 16,056 crore to Rs. 19,416 crore in the year under review. The ratio of Agricultural advances to Adjusted Net Bank Credit at 18.82 % exceeded the 18 % norm.
- SME sector advances stood at Rs. 16,600 crore as on 31.3.2012, an increase of 40.21%, from Rs. 11,839 crore as on 31.3.2011.

- 31.03.2011 तक प्रति कर्मचारी कारोबार जहाँ रु.10.05 करोड़ रहा, वहीं वह बढ़कर 31.03.2012 तक रु.11.76 करोड़ हो गया।
- 31.03.2011 तक सकल एनपीए जहाँ 3090 करोड़ रहा वहीं 31.03.2012 तक वह 3920 करोड़ हो गया। प्रतिशतता के संदर्भ में 31.03.2011 तक सकल एनपीए अनुपात 2.72 % था वहीं 31.03.2012 तक वह 2.74 % हो गया (दो बेसिस अंकों की मार्जिनल वृद्धि) ।
- 31.03.2011 तक निवल एनपीए रु.1328 करोड़ था , वहीं 31.03.2012 तक यह रु.1907 करोड़ हो गया। प्रतिशतता के संदर्भ में 31.03.2011 तक निवल एनपीए अनुपात 1.19 % था वहीं 31.03.2012 तक वह 1.35 % हो गया ।
- 31.03.2012 तक बैंक ने 67.68 % का प्रावधान कवरेज अनुपात बनाये रखा।
- आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2008 से बैंक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज किये हुए हैं, ने नये पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल-।।)को अपना लिया है। 31.03.2012 तक बेसल ।। फ्रेमवर्क के अनुसार बैंक का सीआरएआर लगभग 13.32% है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9 % की अपेक्षा से अधिक है।

लाभांश

- वर्ष 2011-12 के लिए निदेशक मंडल ने 45 % के लाभांश की सिफारिश की है।

पैरा बैंकिंग

पैरा बैंकिंग क्षेत्र के तहत शाखाओं में स्वर्ण सिक्कों की बिक्री, बीमा उत्पादों तथा आइटी उन्मुख उत्पादों की मार्केटिंग पर जोर देते हुए सावधिक रूप से अभियान चलाये जाते हैं । इसका उद्देश्य शुल्क आधारित हमारी आय बढाने का है। गैर जीवन बीमा उत्पादों के संवितरण हेतु बैंक ने यूनिवर्सल सोंपो जनरल इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कार्पोरेट एजंसी करार किया है और इसे जारी रखे हुए है। (गैर जीवन बीमा के लिए आपका बैंक एक संयुक्त उद्यमी कंपनी का सदस्य है, जिसके अन्य सदस्य है इलाहाबाद बैंक, कर्नाटका बैंक, डाबर इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन और सोंपो जापान इंश्यूरेंस आइएनसी.)।

लाभप्रदता बढाने के लिए उपाय

मार्केट में अपनी हिस्सेदारी को और भी अधिक बढ़ाते हुए आपका बैंक आनेवाले वर्षों में भी अपने अच्छे विकास को जारी रखेगा। कासा अनुपात बढाने और गहन वसूली उपायों के ज़रिए अनर्जक आस्तियों में भारी कमी लाने पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। बेहतर एनआइएम दर्ज करते हुए और लागत नियंत्रण उपायों को अपनाते हुए लाभप्रदता बढाने के लिए सभी समुचित कदम उठाये जा रहे हैं।

विदेशी परिचालन

जहाँ तक हमारे विदेशी परिचालनों की बात है तो विदेशों में हमारी छ: पूर्ण रूपेण शाखाएँ हैं - दो हांगकाँग में और एक एक सिंगापुर , साउथ कोरिया, श्रीलंका और थाईलैंड में है। जहाँ बूनले और सेरंगून, सिंगापुर में विप्रेषण केंद्र कार्यरत हैं वहीं श्रीलंका में एक उप शाखा भी विद्यमान है।

गुआँग जू (चीन), कुआला लंपूर (मलेशिया), हो ची मिन सिटी (वियतनाम) और अल करामा (दुबई) में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय हैं और बैंक इन प्रतिनिधि कार्यालयों को पूर्णरूपेण शाखा का दर्जा प्रदान करने के लिए विनियामक से संबंधित प्रक्रिया जारी रखे हुए है।

हमारे बैंक ने बैंक ऑफ बडौदा और आन्ध्रा बैंक के साथ मलेशिया में "इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद " नामक बैंकिंग अनुषंगी खोलने के लिए एक संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किये हैं। 31.03.2012 तक इस संयुक्त उद्यम में हमारे बैंक की हिस्सेदारी 35 % (एमवाइआर 108.50

- Business per employee has increased from Rs 10.05 crore as on 31.3.2011 to Rs. 11.76 crore as on 31.3.2012.
- Gross NPA stood at Rs. 3,920 crore as on 31.3.2012 as against Rs. 3,090 crore as on 31.3.2011 and in percentage terms, the Gross NPA ratio was 2.74 % as on 31.3.2012 as against 2.72 % as on 31.3.2011 (marginal increase of two basis points).
- Net NPA stood at Rs. 1,907 crore as on 31.3.2012 as against Rs. 1,328 crore as on 31.3.2011. In percentage terms, the Net NPA ratio was 1.35 % as on 31.3.2012 as compared to 1.19 % as on 31.3.2011.
- The Bank maintained a Provision Coverage Ratio of 67.68 % as on 31.3.2012.
- The Bank with an international presence has already moved to the revised New Capital Adequacy Framework (BASEL II) from 31.3.2008 in line with RBI guidelines. CRAR as per BASEL-II framework as on 31.3.2012 works out to 13.32% which is well above the requirement of 9% prescribed by RBI.

Dividend

- A dividend of 45% has been recommended by the Board of Directors for the year 2011-12.

Para Banking

In the area of Para-banking, emphasis is laid on marketing of insurance products, sale of gold coins and IT enabled products through periodic campaigns conducted at the branches. This is to improve our fee based income. The Bank continues with its Corporate Agency arrangement entered into with Universal Sompo General Insurance Company Limited (the Non-Life Insurance Joint Venture Company of your Bank with Allahabad Bank, Karnataka Bank, Dabur Investment Corporation and Sompo Japan Insurance Inc.) for distribution of non-life insurance products.

Steps to improve profitability

Your Bank is poised to continue its good growth in the coming year as well, by further improving its market share. Greater stress is laid on improving the CASA ratio and steep reduction of NPAs through intensive recovery measures. We are also taking appropriate steps to improve profitability by posting better NIM and resorting to cost control measures.

Overseas Operations

As regards our overseas operations, we have six full-fledged overseas branches – two in Hong Kong and one each in Singapore, South Korea, Sri Lanka and Thailand. Remittance Centers function in Boon Lay and Serangoon, Singapore while an Extension Counter is located in Sri Lanka.

The Bank's Representative Offices are located in Guangzhou (China), Kuala Lumpur (Malaysia), Ho Chi Minh City (Vietnam) and Al Karama (Dubai) and Bank is in the process of taking up with Regulator for full-fledged status for these representative offices.

Our Bank has signed a joint venture agreement with Bank of Baroda and Andhra Bank to open a Banking subsidiary in Malaysia in the name of **"India International Bank (Malaysia) BHD".** Our Bank's share in the Joint–venture is 35% (MYR 108.50 Mio) and as of 31.3.2012, Bank has

मियो) है और बैंक ने प्रति शेयर एमवाइआर 10 के हिसाब से 819035 शेयरों के प्रति समेकित कुल एमवाइआर 8190350 में रु.12.96 करोड़ का निवेश किया है। यह संयुक्त उद्यम बहुत जल्दी अपना कार्य शुरू कर देगा।

प्लैटिनम जयंती

बैंक ने 10 फरवरी 2012 को बैंकिंग के 75 गौरवमयी वर्ष पूरे कर लिये हैं। वर्ष के दौरान देश भर के प्रमुख नगरों में समारोह व कार्यक्रम आयोजित किये गये। चेन्नै और हैदराबाद में प्रतिष्ठित एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्लैटिनम जुबली के इस अवसर पर संस्मरणीय अभिभाषण आयोजित किये गये । कई विशिष्ट प्लैटिनम जयंती कार्यक्रम भी आयोजित किये गये जिनमें लब्ध प्रतिष्ठ पेशेवर, चुनिंदा स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधिगण , कारोबार प्रतिसंवादीगण और फॉर्म स्कूलों के प्रतिनिधिगण का अभिनंदन किया गया। नये उत्पादों की शुरूआत की गयी। 4 से 6 नवंबर 2011 के दौरान वार्षिक बैंकर्स कान्फरेंस (बैंकॉन 2011) आयोजित किया गया जिसमें बैंकिंग , उद्योग , व्यापार और वित्तीय जगत के कई समकालीन अग्रजनों ने अपने विचार प्रस्तुत किये।

आइओबी द्वारा प्राप्त पुरस्कार

आपके बैंक ने अपने उत्कृष्ट निष्पादन के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किये:

- वर्ष 2010-11 के लिए एमएसई उधार में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत बैंक को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ और यह पुरस्कार भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा प्रदान किया गया।
- सूक्ष्म ऋण प्रवर्ग के तहत डन व ब्रैडस्ट्रीट तथा पोलारिस साफ्टवेयर बैंकिंग अवार्ड्स 2011 में बैंक को सर्वोत्तम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने का पुरस्कार मिला।
- बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका वाणी के लिए भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया और यह पुरस्कार भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा प्रदान किया गया।
- नीलगिरी जनजाति को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाने के लिए स्कॉच अवार्ड 2012 प्राप्त हुआ।
- भारतीय एसएमई चेंबर द्वारा सर्वोत्तम बैंकर 2012 का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- कार्पोरेट सामाजिक बाध्यता के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2012 प्राप्त हुआ।

हमारी प्रतिबद्धता

शाखाओं का व्यापक नेटवर्क, सक्षम ग्राहक सेवा और समर्पित मानव संसाधन हमारे बैंक के सुदृढ़ आधार है । ये आधार न केवल वर्तमान संबंधों को बनाये रखने में मदद करेंगे बल्कि नये अवसर भी प्रदान करेंगे। उद्योग में मौजूद चुनौतियाँ और स्पर्धा का सामना नवोन्मेषी कार्यनीतियों के ज़रिए किया जायेगा ताकि हम बाजार में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकें और विस्तारित कर सकें तथा मूल्य संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को अमल में लाते हुए अपने ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारियों को प्रतिलाभ दिला सकें।

आभारोक्ति

हमारे सभी हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और वर्ष दर वर्ष बेहतर नतीजे प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा हमे प्रदत्त मूल्यवान समर्थन तथा प्रबंधन में उनके विश्वास से हमें अप्रतिम प्रेरणा मिलेगी। आपकी प्रतिबद्धता और सदिच्छा का मैं ऋणी हूँ।

भवदीय

एम.नरेंद्र

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

invested Rs 12.96 Crores towards 819035 shares of MYR 10 each aggregating to MYR 8190350. The Joint Venture is expected to commence operations shortly.

Platinum Jubilee

The Bank completed its 75 glorious years of banking on 10th February 2012. During the year-long celebrations, functions were held in major cities of the country. Four Platinum Jubilee Commemorative lectures by distinguished personalities were organised in Chennai and Hyderabad. Special Platinum Jubilee celebration functions were held in which eminent professionals, representatives from select Self Help Groups, Business Correspondents and Farm Schools were felicitated. New products were launched. The Bank organised the annual Bankers Conference (BANCON 2011) during 4th to 6th November 2011, in which contemporary leaders in the fields of banking, industry, trade and finance presented their views.

Awards won by IOB

Your Bank has won the following awards for its excellent performance

- The First Prize for National Award for Excellence in MSE Lending during the year 2010-11 and the award was given by H.E. the President of India
- The Best Public Sector Bank under Micro Credit category for Dun & Bradstreet and Polaris Software Banking Awards 2011
- The First Prize by Government of India for the Hindi House Journal of the Bank 'Vani' and the award was given by H.E. the President of India
- Skoch Award 2012 for Financial Inclusion of Nilgiri Tribals
- The Best Banker Award 2012 given by SME Chamber of India
- Skoch Challenger Award 2012 for Corporate Social Responsibility

Our Commitment

The well spread network of branches, efficient customer service and the committed human resources, are the strong points of the Bank. These strengths would open up new opportunities apart from building the existing relationships. The challenges and competition in the Industry would be responded with strategic innovations so as to expand our market position and deliver our commitment to optimise value and returns to our customers, shareholders and employees.

Acknowledgments

The valuable support of our shareholders and the trust they reposed on the management will inspire us to turn out better results year after year to meet the aspirations of all our stakeholders. I am indebted for your commitment and goodwill.

Yours sincerely,

M. NARENDRA

Chairman and Managing Director

शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार 29 जून, 2012 को पूर्वाह्न 10.00 बजे नारद गान सभा, (सद्गुरु ज्ञानानंद हाल), 314, टीटीके रोड, चेन्नै - 600 018 में निम्नलिखित कार्यों हेतु आयोजित की जाएगी ।

1. 31 मार्च, 2012 की स्थिति अनुसार बैंक के तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते, लेखा अवधि के दौरान बैंक के क्रियाकलापों और कार्य-व्यवहार पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन और स्वीकार करना ।
2. वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए लाभांश घोषित करना ।
3. आगे शेयरों को जारी करने के लिए प्राधिकृत करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि सही समझा गया तो संशोधन रहित या फिर संशोधन सहित उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु :

"**संकल्प किया गया है कि** बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण व उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक **(आरबीआइ)**, भारत सरकार (जीओआइ), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(सेबी)** और / या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंज़ूरियों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंज़ूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिस पर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (आइ सी डी आर विनियम)/दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशानिर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं / परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, , वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग करार की शर्त पर वे आधारित हैं, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्द्वारा सहमति बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे **"बोर्ड"** कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में ईक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित)/ प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमन किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और / या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज /या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर होगा और किसी भी हालत में कुल शेयर 40,17,95,702 (चालीस करोड सत्रह लाख पंचानबे हजार सात सौ दो) की संख्या और रु. 401,79,57,020/- (रुपये चार सौ एक करोड उनासी लाख सत्तावन

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the Twelfth Annual General Meeting of the shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Friday, the 29th June 2012 at 10.00 A.M. at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnananda Hall) 314 TTK Road, Chennai 600 018, to transact the following business :

1. To discuss, approve and adopt the audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2012, Profit and Loss account of the Bank for the year ended 31st March 2012, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2011-12.
3. To Authorise further Issue of shares:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following Resolution as a Special Resolution.

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI(Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity / preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI, specifying the class of preference shares , the extent of issue of each class of such preference shares whether perpetual or redeemable or irredeemable and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding 40,17,95,702 (Forty Crore Seventeen Lac Ninety Five Thousand Seven Hundred and Two) and aggregating to not more than Rs.401,79,57,020/- (Rupees Four Hundred and One Crore Seventy Nine Lac Fifty Seven Thousand twenty Only) which together with the existing Paid-up Equity share capital of Rs 797.00 crore amounts to Rs.1198.80 crore within the total authorized

हजार और बीस मात्र) की राशि का अधिगमन नहीं होगा व यह राशि रु.797.00 करोड की विद्यमान प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी के साथ रु.3000 करोड की बैंक की कुल प्राधिकृत पूँजी में रु.1198.80 करोड की होगी, जो कि बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढाई गई प्राधिकृत पूँजी की हद तक, निर्धारित सीलिंग है, वह भी इस तरह कि केन्द्रीय सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी में धारण सभी समय 51% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर, जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों **(एनआरआइ)** , निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों **(क्यूआइबी)** जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक **(एफआइआइ),** बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूँजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी/वरीयता शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।"

"इस अनुक्रम में यह भी संकल्प किया गया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम, राइट निर्गम, वरीयता निर्गम के जरिए और / या निजी स्थान के आधार पर अति आबंटन विकल्प सहित या विकल्प रहित किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन और आबंटन बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970, सेबी **("आइसीडीआर विनियमन")** और आरबीआइ, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशें तथा लागू अनुसार किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो ।"

" यह भी संकल्प किया गया कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहॉ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों पर होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आइसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा ।"

"आगे यह भी संकल्प किया गया कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टिंग करार के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण व उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयरों और बैठकों) के विनियमन 2003 के प्रावधानों, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) विनियमन 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टाक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ), विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड (एफआइपीबी), औद्योगिक नीति व प्रवर्तन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआइपीपी) और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "समुचित प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और / या मंजूरियों, की शर्त पर और उन शर्तो पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति और / या मंजूरी प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये

capital of the bank Rs.3000 crore, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank , whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Institutional Investors ("**FIIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity / preference shares / securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (**"ICDR Regulations")** and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while

जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या किन्ही भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक भागों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोडकर जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते है या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्रीय सरकार का धारण बैंक की ईक्विटी पूंजी में 51% से कम न हो और यह स्थानन या आबंटन क्यूआइबियों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषित अनुसार) को, योग्यतागत संस्थात्मक स्थानन होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के तहत प्रावधानित किया गया है और जो स्थानन दस्तावेज और/या ऐसे अन्य दस्तावेजों / लेखनों / परिपत्रों / ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर, जो कि आइसीडीआर विनियमनों के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है, निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित ईक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो ।"

"इस अनुक्रम में यह भी संकल्प किया गया कि आइसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के क्रम में योग्यतागत संस्थात्मक स्थानन के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII की परिभाषा के भीतर ही योग्यतागत संस्थागत खरीददारों को किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूर्णत: प्रदत्त होंगी और इन प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तिथि से 12 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा ।"

यह भी संकल्प किया गया कि क्यूआइपी निर्गम के मामले में प्रतिभूतियों के शुरुआती मूल्य के निर्धारण की संबंधित तिथि को आइसीडीआर विनियमों के अनुसार रखा जाएगा । "

यह भी संकल्प किया गया कि बोर्ड के पास भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर लिस्ट किये गये हैं, ऐसे अन्य किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और निर्गमों से संबंधित मंजूरियों, आबंटन और तदनुसार लिस्टिंग , जैसा कि बोर्ड द्वारा सहमत हो, वांछित अथवा निर्देशित अनुसार प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार व अधिकार होगा ।"

इस अनुक्रम यह मे संकल्प किया गया कि अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और /या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये ईक्विटी शेयरों/ वरीयता शेयरों /प्रतिभूतियों, यदि कोई हों, को आबंटन और निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा ।"

यह भी संकल्प किया गया कि कथित नये ईक्विटी शेयर इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयरों और बैठकों) के विनियमन 2003 के संशोधित रूप में अनुसार जारी किये जाएंगे तथा ये शेयर सभी दृष्टि से ऐसी घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश , यदि कोई हो, सहित बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयरों के समरूप होंगे ।

"ईक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयरों/प्रतिभूतियों के आबंटन या निर्गम हेतु प्रभाव देने के लिए सार्वजनिक निर्गम के निबंधनों का निर्धारण करने, निवेशकों वह प्रवर्ग सहित जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानेवाली है, हर बार आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि आदि मंडल के विवेकाधिकार में जैसे उचित समझें उन कार्यों, मामलों और विषयों को करने और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वे आवश्यक,उचित या वांछनीय समझें और सार्वजनिक प्रस्ताव,निर्गम, आबंटन और निर्गम राशि की उपयोगिता के संबंध में कोई

granting any such approval, consent, permission and / or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at the time, provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to QIBs within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / preference shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / preference shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of

संदेह या प्रश्न हो तो उन्हें सुलझाने या अनुदेश देने या निदेश देने हेतु तथा निबंधनों व शर्तों के संबंध में किए जानेवाले ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, बदलावों, जोड, विलोपनों आदि पर बैंक के हित हेतु अपने विवेकाधिकार में कार्रवाई करने, जिसके लिए बैंक और मंडल को दिए गए सभी या किसी अधिकारों के अनुसार सदस्यों से और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और इस संकल्प पर मंडल द्वारा कार्य करने हेतु मंडल को प्राधिकृत किए जाने और एतद्द्वारा प्राधिकृत करने का भी संकल्प किया गया"।

" ईक्विटी /अधिमान्य शेयरों / प्रतिभूतियों के ऐसे निर्गम से संबंधित अग्रणी प्रबंधकों / बैकरों / अधोलेखकों / डिपाज़िटरीस और ऐसे सभी अभिकरणों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाएं निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं और अभिकरणों को कमीशन, दलाली, शुल्क के संबंध में ऐसे अभिकरणों के साथ ऐसे सभी प्रबंधन, करार, ज्ञापन, दस्तावेज़ आदि निष्पादित करने के लिए मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत करने का भी संकल्प किया गया"।

"उपर्युक्त विषय को प्रभावी करने के उद्देश्य से अग्रणी प्रबंधकों,हामीदारों, सलाहकारों और / या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों से परामर्श करके,निर्गम(ों) के निबंधनों व प्रकार निर्धारित करने, निवेशकों के संवर्ग सहित जिन्हें शेयर/ प्रतिभूति आबंटित किए जाने वाले हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग को आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (यदि प्रीमियम हो तो वह भी शामिल है), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि / प्रतिभूतियों का परिवर्तन / वारंट बदलना / प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि लेना, ब्याज दर, परिपक्वता आदि , प्रतिभूतियों का परिवर्तन या परिपक्वता या रद्दगी पर ईक्विटी शेयरों / अधिमान्य शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य,प्रतिभूतियों का निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम/बट्टा, ब्याज दर,परिवर्तन की अवधि, लेखा बंदी आदि संबंधित या विविध मामलों हेतु रिकार्ड तारीख का नियतन करने, भारत में और /या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज मे सूचीबद्ध करने,जैसे मंडल उचित समझे,के लिए मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत करने का भी संकल्प किया गया ''।

"शेयर / प्रतिभूति जिनको सबस्क्राइब नहीं किया गया है, उन्हें मंडल अपने विवेकाधिकार में जैसे उचित समझे और कानून द्वारा जैसे अनुमत है, उसके अनुसार निपटाने का भी संकल्प किया गया '।

"उपर्युक्त संकल्प को प्रभावित करने के उद्देश्य में,मंडल अपने विवेकाधिकार में जैसे उचित समझे वैसे उन कार्यों, मामलों और विषयों को करे और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और करारों को निष्पादित करने जिन्हें वह आवश्यक,उचित या वांछनीय समझे और शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में कोई संदेह, कठिनाई या प्रश्न हो तो संबंधित कार्यों, विषयों को समाप्त या निष्पादित करने के लिए आगे, बिना शेयरधारकों की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के, और ऐसा समझकर कि संकल्प के प्राधिकार के रूप में शेयरधारक ने अपना अनुमोदन दिया है, इनके निपटान के लिए मंडल को प्राधिकृत किए जाने और एतद्द्वारा प्राधिकृत करने का भी संकल्प किया गया '।

'उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावित करने के उद्देश्य से बोर्ड को दिए गए सभी अधिकारों या किसी भी अधिकार को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक(ों) को प्रदान करने के लिए मंडल को प्राधिकृत किए जाने और एतद्द्वारा प्राधिकृत करने का भी संकल्प किया गया ''।

निदेशक मंडल की ओर से

(एम नरेन्द्र)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

चेन्नै

05 05 2012

the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares / securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities / exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares / preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

(M NARENDRA)

Chairman and Managing Director

Chennai

05.05.2012

नोट

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक स्वयं अपने स्थान पर उपस्थित होने और वोट करने के लिए किसी प्राक्सी को नियुक्त करने के लिए पात्र है और प्राक्सी बैंक का शेयरधारक हो, यह ज़रूरी नहीं है।

बहरहाल प्रतिनिधि की नियुक्ति के संबंध में पत्र, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में बैठक प्रारंभ होने के चार दिन पहले अर्थात् शनिवार दिनांक 23 जून 2012 को अपराह्न 2.00 बजे तक या पहले जमा कर देना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे किसी कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की सत्य प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की हो,जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के केंद्रीय कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से चार दिन पहले अर्थात शनिवार दिनांक 23 जून 2012 को अपराह्न 2.00 बजे तक या पहले जमा नहीं की जाती है।

3. बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को किसी भी शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

4. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पर्ची :

शेयर धारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्चीसह प्रवेश पास इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयर धारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची में प्रदत्त जगह में अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थान में अभ्यर्पित करें । प्रॉक्सी /प्रतिनिधि धारकों को उपस्थिति सह प्रवेश पर्ची में "प्रॉक्सी/प्रतिनिधि धारक", जो भी लागू हो, अंकित कर देना है और उनके पास अपनी पहचान के प्रमाण स्वरूप शेयरधारक द्वारा उनके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित होने चाहिए ।

5. शेयर धारकों के रजिस्टर को बंद करना :

लाभांश के उद्देश्य के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए शेयरधारकों की रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ 22.06.2012 तक की कट ऑफ तारीख सहित, 23.06.2012 (शनिवार) से 29.06.2012 (शुक्रवार) तक बंद रहेंगी (दोनों दिन सम्मिलित)। लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से एक महीने के अंदर भेज दिया जाएगा।

6. लाभांश के लिए बैंक-अधिदेश या इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सर्विस (इसीएस) :

अ) लाभांश वारंटों के धोखाधड़ीपूर्ण नकदीकरण से बचने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे नकदीकरण के लिए लाभांश वारंटों को जिस बैंक शाखा में जमा करवाना चाहते हैं, उस बैंक का नाम और अपने खाते की संख्या का उल्लेख करें। ये ब्योरे, शेयरधारक के नाम के अलावा, लाभांश वारंट के चेक वाले हिस्से में मुद्रित किए जाएँगे ताकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन वारंटों का नकदीकरण न किया जा सके। उपर्युक्त ब्योरे प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा सीधे शेयर अन्तरण एजेंट/ डीपी को दिए जाने चाहिए जिसमें कि फोलियो संख्या अथवा डीपी आइडी संख्या एवं क्लाइंट आइडी

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 2.00 p.m. on Saturday, 23rd June 2012.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e., on or before 2.00 p.m. on Saturday, 23rd June 2012.

3. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders/proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy holders / representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as "proxy or representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

5. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 23.06.2012 (Saturday) to 29.06.2012 (Friday) (both days inclusive) with cut-off date as 22.06.2012 for determining eligibility of shareholders for the purpose of dividend. Dividend shall be mailed within one month from the date of Annual General Meeting.

6. BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR ELECTRONIC CLEARING SERVICE (ECS):

a) In order to get protection from fraudulent encashment of warrants, shareholders are requested to furnish their bank account number, the name of the bank and the branch where they would like to deposit the dividend warrants for encashment. These particulars along with the name of the shareholder will be printed on the cheque portion of the dividend warrants, so that these warrants cannot be encashed by anyone

संख्या और धारित शेयरों की संख्या 20.06.2012 तक या पहले दी जानी चाहिए। यदि शेयर धारक कोई आशोधन प्रस्तुत करने का चयन नहीं करता, ऐसी स्थिति में डीमैट शेयर धारकों के लिए 22.06.2012 को रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त पूर्व में बैंक के मेनडेट अथवा एनएसडीएल / सीडीएसएल से डाउनलोड किए गए आकडों पर आधारित वारंट मुद्रित किया जाएगा। यह सभी शेयर धारकों पर लागू होगा जिन्होंने इसीएस अधिदेश प्रस्तुत नहीं किया है ।

आ) बैंक निर्दिष्ट शहरों में रहने वाले शेयरधारकों के लिए ईसीएस प्रत्यक्ष जमा सुविधा प्रदान कर रहा है। लाभांश जमा के लिए बैंक अधिदेश प्रणाली के बजाए शेयरधारकों द्वारा इस सुविधा का प्रयोग किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के साथ ईसीएस विकल्प प्रारूप संलग्न है। शेयरधारक अपने निर्दिष्ट खाते में लाभांश अन्तरण की सुविधा के लिए अपने ई सी एस अधिदेश में अपना खाता सं. और अपनी बैंक शाखा की आई एफ एस कोड संख्या का विवरण दें।

7. अदावी लाभांश, यदि कोई हो

पिछले वर्षों जैसे 2000-2001 से जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वॉरण्ट को नहीं भुनाया/ लाभांश नहीं प्राप्त किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अनुलिपि जारी करने के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेण्ट से संपर्क करें।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी में हुए संशोधन के अनुसार अदावी लाभांश खाते में अन्तरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए भुगतान न किए गए या अदावी शेष लाभांश की रकम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) में अन्तरित करनी है एवं उक्त संदर्भ में **उसके बाद न तो बैंक और न ही आई ई पी एफ को भुगतान करने के लिए कोई दावा बनता है।**

8. पते में परिवर्तन और लाभांश अधिदेश :

जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक रूप में हैं, उन मामलों में, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पते में परिवर्तन, लाभांश अधिदेश और बैंक, शाखा और बैंक खाता संख्या के विवरण, जिसे शेयरधारक लाभांश वारंट पर उल्लिखित करना चाहते हैं, उन सब की जानकारी दिनांक 20.06.2012 तक या पहले निम्नलिखित पते पर, रजिस्ट्रार-व-शेयर-अंतरण एजेंट को भेज दें:

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.

(आइओबी-यूनिट)

पहला तल, सुब्रमणियन बिल्डिंग,

नं.1 - क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002

शेयर इलेक्ट्रानिक फार्म अर्थात डीमैट खाते के माध्यम से रखने वाले जो शेयरधारक, अपने लाभांश वारंट इत्यादि पर अपने पते में हुए परिवर्तन, लाभांश अधिदेश, बैंक शाखा के ब्योरों और बैंक खाता संख्या में कोई परिवर्तन करवाना चाहते हैं, वे इसकी सूचना अपने डिपाज़िटरी प्रतिभागी को दे दें क्योंकि लाभांश का वितरण और इसके भुगतान के लिए दिनांक 22.06.2012 को डिपाज़िटरी द्वारा उपलब्ध करवाई गई उपर्युक्त जानकारी पर ही विचार किया जाएगा ।

else. The above mentioned details should be furnished by the first / sole shareholder directly to the share transfer agent / DPs quoting the Folio No. or DP ID No. & Client ID No. and the number of shares held on or before 20.06.2012. If shareholders choose not to submit any modification, the warrants will be printed based on bank mandate earlier received by the Registrar or data downloaded from NSDL / CDSL as on 22.06.2012 for demat shareholders. **This is applicable for all shareholders who have not submitted ECS mandate(s).**

b) The Bank is also offering the facility of ECS for shareholders residing in specified cities. This facility could be used by the shareholder instead of the Bank Mandate system for receiving the credit of dividend. The ECS Option Form is annexed to this report. Shareholders are required to give details of IFS Code No. of their bank branch in their ECS Mandate to facilitate the transfer of dividend to their designated account.

7. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend from previous year's viz. 2000-2001 onwards are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate.

Pursuant to the amendment of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Section 10B provides that the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C of The Companies Act, 1956 and **thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF**.

8. CHANGE OF ADDRESS AND DIVIDEND MANDATE:

In case of shareholders holding shares in physical form, they are requested to intimate to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank any change in their address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant, on or before 20.06.2012 at the following address:

Cameo Corporate Services Ltd.

(IOB – unit)

1st floor, Subramanian Building,

No. 1, Club House Road, Chennai 600 002

In case of shareholders holding shares in Electronic form i.e. through Demat account, they are requested to intimate to their depository participant any change in their address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant etc., as the aforesaid information provided by the Depository as on 22.06.2012 would only be

9. फोलियो का समेकन :

यह पाया गया है कि कई शेयरधारक एक से अधिक फोलियो यानी विविध फोलियो रखते हैं । शेयरधारकों को कुशल सेवा प्रदान करने तथा ऐसे फोलियो का समेकन करने हेतु, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे फोलियो का समेकन करें और शेयर प्रमाण-पत्र को पंजीयक और शेयर अंतरण एजेण्ट को पंजीयक के रिकार्डों में आवश्यक सुधार हेतु भेजें ।

10. निदेशकों के संक्षिप्त विवरण :

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित लिस्टिंग करार के परिशोधित खण्ड 49 IV जी के तहत अपेक्षितानुसार कार्पोरेट गवर्नैन्स पर रिपोर्ट में निदेशकों के संक्षिप्त विवरण दिए गए हैं ।

11. शेयरधारकों से अनुरोध :

(क) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संलग्न वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियाँ साथ लेते आएँ।

(ख) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक-स्थल में किसी तरह के उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएँगे।

नोटिस की कार्यसूची मद सं.3 के व्याख्यात्मक विवरण

1. मार्च 2012 में, बैंक ने अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को प्रति शेयर रु 10 की दर पर रु 87.82 प्रीमियम पर 14,73,11,388 ईक्विटी शेयर और एलआइसी और उसकी विभिन्न योजनाओं को प्रति शेयर रु 10 की दर पर रु 87.82 प्रीमियम पर 3,09,37,467 ईक्विटी शेयर आबंटित किये हैं और इसके द्वारा रु.1743.63 करोड हासिल किए हैं ताकि प्रमुख रूप से सुदीर्घ संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सके और लगभग 8 प्रतिशत के टायर-। पूँजी पर्याप्तता अनुपात को बनाये रख सके।

2. बेसल II के अनुसार 31 मार्च 2012 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.32% है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% से ज़्यादा है । फिर भी, बैंक की कुछ विस्तार योजनाओं के कारण, बैसल ।।। मानदंड के कार्यान्वयन व तत्पश्चात पूंजी प्रभार के कारणपूंजी पर्याप्तता अनुपात को और सुदृढकरने हेतु पूंजी को बढाने की आवश्यकता है ।

3. प्रदत्त पूंजी बढाने के लिए बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण व अंतरण)अधिनियम 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के निबंधनों के अनुसार बैंक भारत सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा । तथापि, केन्द्रीय सरकार का धारण, बैंक की प्रदत्त पूंजी में किसी भी समय में इक्यावन प्रतिशत से कम नहीं होगा ।

4. सूची करार (बैंक व स्टॉक एक्सचेंज के बीच) के खण्ड 23 के उप-खण्ड (अ) के अनुसार बैंक द्वारा निर्गम या कोई नया निर्गम जारी किया जाता है और शेयरधारकों द्वारा सामान्य बैठक में किसी दूसरा निर्णय नहीं लिया गया है तो वर्तमान शेयरधारकों को भी समानुपातिक रूप से दिया जाना चाहिए । यह संकल्प यदि पारित हो तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक रूप से, प्रतिभूति आबंटित व जारी करने हेतु बैंक की ओर से मंडल को अनुमति है ।

5. संकल्प से यह अपेक्षित है कि बैंक यह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम और/या निजी तौर पर आबंटन के ज़रिए ईक्विटी शेयरों /अधिमान्य शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव, निर्गम

considered for the purpose of payment and distribution of dividend.

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS :

It has been found that many shareholders maintain more than one folio (i.e.) multiple folios. In order to provide efficient service, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to Registrar and Share Transfer Agents for necessary corrections in their records.

10. BRIEF PROFILE OF DIRECTORS:

As required under the revised Clause 49 IV G of the Listing Agreement executed with the Stock Exchanges, brief profiles of Directors are given in the Report on Corporate Governance.

11. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

(a) Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report enclosed herewith.

(b) Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the meeting.

EXPLANATORY STATEMENT to Agenda Item No. 3 of the Notice

1. In March 2012, the Bank has issued and allotted 14,73,11,388 equity shares of Rs.10 each at a premium of Rs. 87.82 each to Government of India and 3,09,37,467 equity shares of Rs.10/- each at a premium of Rs.87.82 each to LIC and its various schemes on a Preferential Basis and raised Rs. 1743.63 crore primarily to augment long term resources and maintain a Tier I capital adequacy ratio of around 8 percent.

2. The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2012, as per Basel II is 13.32%, and well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

3. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-one per cent of the paid – up equity capital of the Bank.

4. Sub-Clause (a) of Clause 23 of Listing Agreement (between Bank and stock exchanges) provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

5. The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares / preference shares / securities by way of public issue, rights issue, preferential issue

और आबंटन किया जाए । निर्गम राशि के कारण बैंक यह सुनिश्चित कर सकेगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएँ सुदृढहो जाए ।

6. संकल्प से यह अपेक्षित है कि आइसीडीआर विनियमन में उल्लिखितानुसार योग्य संस्थागत खरीदारों में से योग्य संस्थागत नियुक्ति करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकार दिया जाए । शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना, बैंक निधि हासिल करने के लिए निदेशक मंडल आइसीडीआर विनियमन के अध्यायVIII के तहत उल्लिखित इस तंत्र को अपने विवेकाधिकार में अपनाएं ।

क्यू आइ पी निर्गम के मामले में, आइसीडीआर विनियमन के अध्यायVIII के निबंधनों के अनुसार प्रतिभूतियों का निर्गम क्यू आइ पी के आधार पर उस मूल्य पर किया जा सकता है जो कि "संबंधित तारीख" के पूर्व दो सप्ताह के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में सूचित साप्ताहिक उच्च व निम्न अंतिम मूल्यों के आनुपातिक मूल्य से कम न हो ।

"संबंधित तारीख" का अर्थ है कि जिस तारीख को बैठक में बैंक क्यू आइ पी निर्गम खोलने के लिए बैंक का मंडल या समिति निर्णय लेता है ।

7. प्रस्ताव के विस्तृत निबंधन व शर्तें वर्तमान बाज़ार स्थितियों व अन्य नियंत्रक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबन्धकों और अधोलेखकों और ऐसे अन्य प्राधिकार या प्राधिकारों जैसे आवश्यक है, के साथ परामर्श करके निर्धारित किए जाएंगे ।

8. चूंकि प्रस्ताव के मूल्यांकन का निर्णय बाद की तारीखों के अलावा नहीं लिया जा सकता, अत: जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य बताना नामुमकिन है । तथापि यह आइसीडीआर विनियमन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रम का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2003 के प्रावधानों, जो समय समय पर संशोधित हैं या अन्य दिशानिर्देशों विनियमनों / सहमतियों जो लागू या आवश्यक हो, के अनुसार होगा ।

9. उक्त कारणों से, और एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है जिससे मंडल को निर्गम के निबंधन निर्धारित करने हेतु पर्याप्त अधिकार दिया जा सकेगा ।

10. आबंटित ईक्विटी बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के सभी प्रकार के समान हितों जिनमें लाभांश भी शामिल है, के पात्र होंगे ।

इस प्रयोजन के लिए बैंक से अपेक्षित है कि एक विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों की सहमति ली जाए । अत: उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति का अनुरोध है ।

नोटिस में उल्लिखित संकल्पों को पारित करने हेतु निदेशक मंडल सिफारिश करता है ।

बैंक के किसी भी निदेशक को बैंक की शेयरधारण सीमा के अलावा उक्त संकल्प(ों) में कोई हित या उनसे कोई संबंध नहीं है ।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

चेन्नै
05.05.2012

(एम. नरेंद्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

and / or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

6. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

In case of a QIP issue in terms of Chapter VIII of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made only at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date".

"Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

7. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

8. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

9. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

10. The equity shares allotted, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding in the Bank.

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Chennai
05.05.2012

(M NARENDRA)
Chairman and Managing Director

एक झलक में AT A GLANCE

	मार्च 2012	मार्च 2011	मार्च 2010	मार्च 2009	मार्च 2008
शाखाओं की संख्या	2,629	2,190	2,008	1,919	1,853
स्टाफ की संख्या	27,366	25,784	26,892	25,512	24,947
			(रु.करोड में)		
वैश्विक जमाएँ	1,78,434	1,45,229	1,10,795	1,00,116	84,326
देशी जमाएँ	1,72,219	1,40,381	1,05,434	95,434	80,842
वैश्विक निवल अग्रिम	1,40,724	1,11,833	79,003	75,810	61,058
देशी निवल अग्रिम	1,25,064	1,01,270	71,327	67,615	56,683
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	42,265	32,648	27,237	24,294	20,303
कृषि ऋण	19,416	16,056	12,597	10,817	8,689
निवल निवेश	54,386	48,610	37,651	31,215	28,475
सकल लाभ	3,534	2,861	1,845	2,524	2,002
निवल लाभ	1,050	1,073	707	1,326	1,202

	March 2012	March 2011	March 2010	March 2009	March 2008
No of Branches	2,629	2,190	2,008	1,919	1,853
Staff Strength	27,366	25,784	26,892	25,512	24,947
			(Rs. In Crore)		
Global Deposits	1,78,434	1,45,229	1,10,795	1,00,116	84,326
Domestic Deposits	1,72,219	1,40,381	1,05,434	95,434	80,842
Global Net Advances	1,40,724	1,11,833	79,003	75,810	61,058
Domestic Net Advances	1,25,064	1,01,270	71,327	67,615	56,683
Priority Sector Advances	42,265	32,648	27,237	24,294	20,303
Agricultural Credit	19,416	16,056	12,597	10,817	8,689
Net Investments	54,386	48,610	37,651	31,215	28,475
Gross Profit	3,534	2,861	1,845	2,524	2,002
Net Profit	1,050	1,073	707	1,326	1,202

निदेशकों की रिपोर्ट 2011-12

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते के साथ साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मण्डल को हर्ष का अनुभव हो रहा है।

बैंक को गर्व महसूस हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 10 फरवरी 2012 को बैंक ने अपने प्लैटिनम जूबिली वर्ष की ऐतिहासिक सुखद समारोह संपन्न कर रु 3,00,000 करोड़ का कारोबार पार कर लिया है । 2011-12 के दौरान, बैंक की जमाओं में 22.86% की वृद्धि हुई और अग्रिम में 25.91% की वृद्धि हुई जो बैंकिंग व्यवस्था की वृद्धि से बहुत आगे है ।

वैश्विक कारोबार निष्पादन

बैंक की वैश्विक जमाएँ जो 31 मार्च 2011 में रु.1,45,229 करोड़ थी, वह 31 मार्च 2012 में 22.86% बढ़कर रु.1,78,434 करोड़ हो गईं । सकल अग्रिम रु.1,13,791 करोड़ से 25.91% बढ़कर रु.1,43,273 करोड़ हो गया । अत: पिछले वर्ष की तुलना में 24.20% उत्कृष्ट विकास दर से कुल कारोबार रु.62,687 करोड़ बढकर रु.3,21,707 करोड़ तक बढ़ गया है।

विदेशी शाखाएँ

वर्ष के दौरान , बैंक आफ बडौदा व आंध्रा बैंक के साथ मिल कर मलेशिया में एक बैंकिंग अनुषंगी कार्यालय खोलने हेतु बैंक ने संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुषंगी कार्यालय का परिचालन शीघ्र ही शुरु होनेवाला है ।

अपनी विदेशी परिचालनों का विस्तार करने के लिए बैंक ने विदेश में 14 संभाव्य केन्द्रों की पहचान की है और इन विदेशी केन्द्रों के भौगोलिक मूल्यांकन काम को बाहरी सलाहकार मेसर्स डिलाइट टश तोहमट्सु इंडिया प्रा लि को सौंपा है । सलाहकारों ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में पहचाने गए देशों की प्राथमिकता के अनुसार उन्हें वेव 1, वेव 2 व वेव 3 के अधीन वर्गीकृत किया है । बैंक ने अपनी विदेशी विस्तार योजना पर केंद्रित करने के लिए शुरू में स्तर 1 के अधीन केन्या, साउथ अफ्रीकाफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए आदि देशों की पहचान की है ।

बैंक बैंकाक में और एक शाखा खोलने और दुबई और गुआंगज़ू में प्रतिनिधि कार्यालयों का उन्नयन करने के लिए अनुमोदन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आइ) से अनुवर्तन कर रहा है । सिंगापुर शाखा के लिए पूर्ण बैंक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु बैंक आर बी आइ के अनुमोदन की प्रतीक्षा में है ।

मार्च 2012 की समाप्ति तक बैंक के विदेश में 13 प्रतिष्ठान रहे, जिनमें से 6 पूर्ण रूपेण शाखाएँ, 4 प्रतिनिधि कार्यालय, 2 विप्रेषण केंद्र हैं और 1 उपशाखा है।

बैंक की हाँगकाँग में 2 शाखाएँ हैं और सिंगापुर , दक्षिण कोरिया , कोलंबो (श्रीलंका) और बैंकाक (थाइलैड) में एक-एक शाखा है । प्रतिनिधि कार्यालय चीन में गुआंगज़ू , मलेशिया में कुआलालंपूर, वियतनाम में हो ची मिन सिटी और दुबई में अल करामा में स्थित हैं । विप्रेषण केंद्र बूनले और सेरंगून , सिंगापुर में कार्यरत हैं और उप शाखा श्रीलंका में स्थित है ।

वित्तीय निष्पादन

बैंक का परिचालनगत लाभ जो कि 2010-11 में रु.2861करोड़ था वह बढकर 2011-12 में रु.3534 करोड़ हो गया, जहाँ यह वृद्धि 23.52% रही ।

प्रावधान

आपात स्थितियों एव प्रावधानों के प्रति बैंक ने रु.2484 करोड़ की रकम अलग से कर रखी है ।

निवल लाभ / लाभांश

बैंक का निवल लाभ जो कि 2010-11 में रु.1073 करोड़ था वह 2011-12 में रु.1050 करोड़ रहा । बैंक ने वर्ष 2011-12 के लिए 45% का लाभांश अदा करने का प्रस्ताव किया है।

आय व व्यय विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कारोबार में 24.20% की वृद्धि हुई जबकि प्रणाली की वृद्धि 16% थी । इसके फलस्वरूप बैंक का उधार जमा अनुपात 80.29% के स्तर तक पहुंचा जबकि पिछले वर्ष यह 78.35% था । सावधि जमाओं की कार्ड दरों में वृद्धि होने और साथ ही, बचत बैंक जमाओं की ब्याज दर 01.04.2011 से 4% हुई जो पहले 3.5% रही, जिसकी वजह से घरेलू जमाओं की लागत वर्ष 2010-11 के 7.40% की तुलना में वर्ष 2011-12 में 8.91% तक बढी । परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 के लिए घरेलू जमाओं की लागत 7.39% तक बढी । वर्ष के दौरान, रेपो दर में नियमित अंतरालों में वृद्धि होने की वजह से घरेलू उधार की लागत 2010-11 में 9.25% से 2011-12 में बढकर 9.86% रही । इसके कारण, घरेलू निधियों की लागत 2010-11 के 6.25% की तुलना में 2011-12 में 7.61% तक बढा । आगे, वित्तीय वर्ष के दौरान, पुन:संरचित अग्रिम / सिस्टम द्वारा सृजित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में किए गए प्रावधान में वृद्धि होने की वजह से एनआइएम में दबाव जारी रही । बेंचमार्क न्यूनतम उधार दर (बीपीएलआर) / मूल दर 15.50% / 10.75% स्तर तक बढाए जाने के बावज़ूद, बैंक के घरेलू अग्रिमों पर प्रतिलाभ 2010-11 में 10.43% की तुलना में 11.65% ही रहा । अत: वित्तीय वर्ष के दौरान, घरेलू ब्याज स्प्रेड 2010-11 के 4.48% की तुलना में 4.26% में घट गया । इसके फलस्वरूप घरेलू जमाओ पर ब्याज भुगतान पिछले वर्ष की तुलना में 67% बढा जबकि अग्रिमों पर ब्याज प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में 54% बढी ।

बाज़ार की अस्थिर परिस्थितियों के बावज़ूद, वर्ष के दौरान,घरेलू निवेशों पर आय पिछले वर्ष के 7.15% की तुलना में 7.39%(ऋण परिशोधन का निवल) तक बढ गई है । निवेश की बिक्री से लाभ, निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि जो रु 35 करोड़ है, को आंकने के पहले रु 171 करोड़ तक बढा । फारेक्स कारोबार से विनिमय पर लाभ पिछले वर्ष के रु 127 करोड़ की तुलना में रु 186 करोड़ तक बढा ।

व्यय के पक्ष में, घरेलू परिचालनगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 23% बढा और गैर-स्टाफ व्यय 30% बढा, जिसका प्रमुख कारण वित्तीय वर्ष के दौरान 447 नई शाखाएं खोलने और कारोबार विस्तार से ही हुआ है । फिर भी, बैंक का आय की लागत अनुपात अनुकूलतम रहा जो पिछले वर्ष के 47.35% की तुलना में 47.23% रहा है । वैश्विक आय में 47% वृद्धि होकर रु19578 करोड़ तक बढ गई जबकि कुल व्यय रु 16044 करोड़ रहा जिसके कारण पूरे 2011-12 वर्ष के लिए परिचालनगत लाभ में 23.52% वृद्धि होकर रु 3534 करोड़ रहा । बैंक की निवल ब्याज आय की वृद्धि (एनआइआइ) 19.20% रही जबकि वैश्विक एनआइएम पिछले वर्ष के 3.11% की तुलना में 2.75% रहा है ।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात

मार्च 2011 की समाप्ति पर बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.55% रहा जबकि 31.03.2012 को यह 13.32% हो गया (बेसल II मानदंडों के अनुसार)। 2011-12 के दौरान बैंक ने 30.03.2012 को भारत सरकार को रु 1441 करोड़ के समेकित मूल्य के 14,73,11,388 ईक्विटी शेयर, प्रति

DIRECTORS' REPORT 2011-12

The Board of Directors have great pleasure in presenting the Annual Report together with audited Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended March 31, 2012.

The Bank has the pride of completing its historic delightful event of Platinum Jubilee year on 10th February 2012 during the financial year 2011-12 and crossing the milestone of Rs.3,00,000 crore mark in business. The Bank's growth in deposits at 22.86% and advances at 25.91% during 2011-12 were much higher than the Banking system's growth.

Global Business Performance

The Bank's global deposits increased from ₹ 1,45,229 crore as on 31st March 2011 to ₹ 1,78, 434 crore as on 31st March 2012 registering a growth of 22.86%, while global gross advances improved from ₹ 1,13,791 crore to ₹ 1,43,273 crore with significant growth of 25.91 %. As a result, the total business improved significantly by ₹ 62,687 crore to ₹ 3,21,707 crore with a growth of 24.20% over last year.

Overseas Branches

During the year, the Bank has been actively pursuing setting up of the Banking subsidiary in Malaysia, under the joint venture agreement signed with Bank of Baroda and Andhra bank. The subsidiary is expected to become operational shortly.

With an intention to expand its overseas operations, the Bank had identified 14 prospective centres abroad and entrusted the job of geographical assessment of these overseas centres to external consultant M/s. Deloitte Touche Tohmatsu India Pvt. Ltd . The consultants had submitted their Final Report, prioritizing the countries identified, under Wave 1, Wave 2 and Wave 3. The Bank will be focusing its overseas expansion plan initially, in the countries identified under Wave 1 - Kenya, South Africa, Australia and U.S.A.

The Bank is following up with Reserve Bank of India (RBI) for approval of opening another Branch at Bangkok and for upgrading its representative offices at Dubai and Guangzhou. RBI's approval is awaited for obtaining Full Bank licence for Singapore Branch.

As at the end of March 2012, the Bank had 13 establishments abroad, including 6 full fledged branches, 4 Representative offices, 2 Remittance Centres and 1 Extension counter.

The Bank has two branches in Hong Kong and one each in Singapore, Seoul (South Korea), Colombo (Sri Lanka) and Bangkok (Thailand). Representative offices are located at Guangzhou (China), Ho Chi Minh City (Vietnam), Kuala Lumpur (Malaysia) and at Al Karama, Dubai (UAE). Remittance Centres operate at Boonlay and Serangoon, Singapore and the Extension Counter is located in Sri Lanka.

Financial Performance

The operating profit of the Bank went up from ₹ 2,861crore in 2010-11 to ₹ 3,534 crore in 2011-12 with a growth of 23.52%.

Provisions

The Bank has set apart a sum of ₹ 2,484 crore towards provisions and contingencies.

Net Profit / Dividend

The Bank's net profit stood at ₹ 1,050 crore in 2011-12 compared to ₹ 1073 crore in 2010-11. The Bank has proposed to pay a dividend of 45% for the year 2011-12.

Income and Expenditure Analysis

During the year 2011-12, the growth in business was significant at 24.20% at par with System's growth of around 16%. This resulted in the Bank's Credit Deposit ratio to reach the level of 80.29% , as compared to 78.35% last year. Due to increase in card rates on term deposits, the domestic cost of term deposits increased from 7.40% in 2010-11 to 8.91% in 2011-12 coupled with increase in interest rate on Savings Bank deposit from 3.5% earlier to 4% effective from 01.04.2011. As a result, domestic cost of deposits increased to 7.39% for the year 2011-12. Domestic cost of borrowings also increased from 9.25% in 2010-11 to 9.86% in 2011-12 mainly due to increase in repo rate from 6.75% to 8.50% at frequent intervals during the same period. As a result, domestic cost of funds increased to 7.61% in 2011-12 as against 6.25% in 2010-11. Further, the constraints on NIM continued during the financial year due to increase in provisions on certain restructured advances / system generated Non Performing Assets (NPAs). Despite increase in Benchmark Prime Lending Rate (BPLR) / Base rate to the level of 15.50% / 10.75%, the Bank's domestic yield on advances was only at 11.65% compared to 10.43% in 2010-11. Hence, the domestic interest spread decreased to 4.26% during the financial year as against 4.48% in 2010-11. This has resulted in Year on Year increase of 67% interest payments on domestic deposit over the last year as against 54% growth in interest receipts on advances.

Despite volatile market conditions, the Domestic Yield on Investments increased to 7.39% (Net of amortization) during the year compared to 7.15% in the last year. The profit on sale of investment was higher at ₹ 171 crore before accounting loss on revaluation of investments at ₹ 35 crore. The profit on exchange from forex business improved to ₹ 186 crore as against ₹ 127 crore in last year.

On the expenses side, the increase in domestic operating expenses was at 23% and the other non-staff expenditure showed an increase of 30% over the last year, mainly due to business expansion and opening of 447 new branches during the financial year. However, the Bank's cost to income ratio was favorable at 47.23% during the year 2011-12 compared to 47.35% in the last year. The global income increased to ₹ 19,578 crore with an increase of 47% whereas total expenses accounted for ₹16,044 crore, leaving an operating profit of ₹ 3,534 crore with a growth of 23.52% for the whole year 2011-12. The Bank's Net Interest Income (NII) growth was at 19.20% taking the global NIM to 2.75% compared to 3.11% in the last year.

Capital Adequacy Ratio

The Bank's Capital Adequacy Ratio as on 31.3.2012 stood at 13.32% compared to 14.55% as at the end of March 2011 (as per Basel II norms). During the year 2011-12, The Bank issued 14,73,11,388 equity shares of face value of Rs.10 each at ₹ 97.82 per equity share (including premium of

शेयर का मूल्य रु 97.82 (रु 87.82 प्रीमियम सहित) और अंकित मूल्य प्रति शेयर रु10/- पर और 24.03.2012 को भारतीय जीवन बीमा निगम व उनकी विभिन्न योजनाओं को रु 302.63 करोड़ के समेकित मूल्य के 3,09,37,467 ईक्विटी शेयर, प्रति शेयर का मूल्य रु 97.82 (रु 87.82 प्रीमियम सहित) और अंकित मूल्य प्रति शेयर रु10/- पर अधिमान्य आधार पर जारी किए ।

शाखा नेटवर्क

बैंक ने अपनी पहुंच का दायरा और भारत भर में अपनी उपस्थिति को बढाने के लिए बडे पैमाने पर शाखा विस्तार उपाय बढ़ाए । वर्ष के दौरान, बैंक ने देश भर में 447 शाखाएं खोली गयीं, जो बैंक के इतिहास में उच्चतम संख्या रही। बैंक ने तमिलनाडु क्षेत्र में 1000 शाखाओं की संख्या पार करके और एक उपलब्धि हासिल की । मिशन तामिलनाडु - प्लैटिनम 1000 के तहत तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री महोदया को दिए गए वचन के अनुसार बैंक ने यह उपलब्धि बैंक के प्लैटिनम जूबिली वर्ष के अंतिम दिवस अर्थात 10 फरवरी 2012 को हासिल की । इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए बैंक ने तमिलनाडु में सिर्फ 65 दिनों की अवधि के अंदर 147 शाखाएं खोली गयीं । एक ही राज्य में कुछ ही बैंकों की 1000 या उससे अधिक शाखाएं हैं, ऐसे बैंकों के समूह में हमारा बैंक भी शामिल हुआ ।

2011-12 के दौरान खोली गई 447 शाखाओं में से 73.38% शाखाएं ग्रामीण व अर्ध शहरी केन्द्रों में स्थित हैं । 31.03.2012 को बैंक की 2629 घरेलू शाखाएं हैं जिनमें 731 शाखाएं (कुल शाखाओं में से 27.81%) 738 अर्ध शहरी (28.07%), 599 शहरी (22.78%) और 561 महानगरीय शाखाएं (21.34%) हैं । इसके अलावा, मार्च 2012 की समाप्ति पर बैंक की 3 उप शाखाएं व 20 सैटेलाइट कार्यालय, 45 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 18 सिटी बैक ऑफीस एवं 6 निरीक्षणालय हैं । ये नई शाखाएं भावी वर्षों की कारोबार वृद्धि में तेज़ी लाएगी । नई शाखाओं का औसत कासा लगभग 50% है ।

अग्रिम पोर्टफोलियो वृद्धि में बढोत्तरी लाने के लिए, वर्ष 2011-12 के दौरान 3 विशिष्ट बृहद कार्पोरेट शाखाएं, 11 विशिष्ट मिड कार्पोरेट शाखाएं और 8 विशिष्ट एसएमई शाखाएं खोली गईं । इसके अलावा, 11 विशिष्ट आस्ति वसूली प्रबंधन (एआरएम) शाखाएं और 1 विशिष्ट बुलियन शाखा भी खोली गई ।

वर्तमान केन्द्रीय समाशोधन कार्यालयों को सिटी बैक ऑफीस के रूप में पुनर्नामित किया गया ताकि बैक ऑफीस कार्यों को सुदृढ किया जा सके और वर्ष के दौरान और एक सीबीओ पुणे में खोला गया । पूरे देश में बैंक का और 23 सिटी बैक ऑफीस खोलने का प्रस्ताव है ताकि हर क्षेत्र के अपने क्षेत्र / शहर में कम से कम एक सीबीओ हो ।

प्लैटिनम जूबिली समारोह

10 फरवरी 2011 को बैक का प्लैटिनम जूबिली वर्ष शुरु हुआ और देश व विदेश में साल भर इसे हर्ष से मनाया गया । इन उपायों से बैंक अपने कारोबार परिणाम में वृद्धि लाने का प्रयास कर रहा है। वर्ष भर के प्लैटिनम जूबिली समारोह के भाग के रूप में बैंक ने निम्नलिखित प्रतिष्ठित चार महानुभावों को बुलाकर चेन्नै और हैदराबाद में तर्कपूर्ण विषय पर व्याख्यानों का आयोजन किया ।

- श्री मान्टेक सिंह अहलूवालिया,उपाध्यक्ष,योजना आयोग द्वारा - चेन्नै में '12वीं पंच वर्षीय योजना - डिफाइनिंग डिकेड का गेटवे' ।
- डॉ सी रंगराजन, अध्यक्ष, प्रधान मंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा - चेन्नै में 'आर्थिक प्रगति व मुद्रास्फीती'
- डॉ एम वीरप्पा मोइली, माननीय मंत्री, कार्पोरेट मामले, भारत सरकार द्वारा - चेन्नै में 'बैंकिंग उद्योग के विशेष संदर्भ में कार्पोरेट गवर्नेन्स'
- डॉ वाइ वी रेड्डी, भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर द्वारा हैदराबाद में 'वित्तीय क्षेत्र के विकास व विनियमन'

चेन्नै में 6 जनवरी 2012 को बैंक द्वारा एक विशेष प्लैटिनम जूबिली समारोह आयोजित किया गया जिसमें माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया ।

- इस अवसर पर, चयनित स्व सहायता समूहों और फार्मर्स क्लबों के प्रतिनिधियों के सम्मानित किया गया ।
- समाज सेवा में योगदान देनेवाले सात प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया ।
- कार्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी पहलों पर बैंक की पुस्तिका माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा विमोचन किया गया ।

बैंकॉन 2011

बैंकॉन हर वर्ष संपन्न होने वाला बैकरों का सम्मेलन है जिसमें बैंकिंग उद्योग से संबंधित तत्कालीन प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाती है । यह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बैकों द्वारा प्रायोजित किया जाता है ।

वर्ष के दौरान इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन दक्षिणी क्षेत्र में लाया गया और आइओबी ने इसकी मेज़बानी की । बैंकॉन 2011 बैंक द्वारा प्लैटिनम जूबिली समारोह के रूप में 4, 5 व 6 नवंबर 2011 को चेन्नै में आयोजित किया गया । इस सम्मेलन में उच्च स्तर के बैंकरों, आर्थिक विश्लेषकों, उद्योगपतियों और वित्तीय क्षेत्र के सुप्रसिद्ध वक्ताओं ने भाग लिया ।

सम्मेलन का मुख्य विषय था 'भारतीय बैंकिंग हेतु निर्णयात्मक दशक में प्रतिस्पर्धा करना' । तीन दिनों के दौरान 23 सत्रों में 120 वक्ताओं ने व्याख्यान प्रस्तुत किया । सम्मेलन में 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया । बैंकॉन 2011 का उद्घाटन माननीय राज्य वित्त मंत्री श्री नमो नारायण मीना ने 4 नवंबर 2011 को किया । कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री आनंद सिन्हा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने संबोधित किया ।

वित्तीय समावेशन

गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना

हमारे बैंक ने बैंकरहित गाँवों में बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कारोबार संपर्की के माध्यम से स्मार्ट कार्ड बैंकिंग शुरू की । कारोबार संपर्की बयोमेट्रिक एवं हस्तचलित उपकरण के प्रयोग से सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं । हस्तचलित उपकरण में स्थानीय भाषा की सुविधा भी है और शिक्षितों के लिए भी प्रयोग सहज है । इससे सुदूर गावों के लोग भी अपने यहाँ बैंकिंग कारोबार का लेनदेन कर सकते हैं । प्रथम चरण में बैंक ने देशभर में स्मार्ट कार्ड बैंकिंग के तहत 2000 से अधिक जनसंख्यावाले 1294 आबंटित गाँवों को कवर किया । इसके अतिरिक्त बैंक ने स्मार्ट कार्ड बैंकिंग के तहत 115 अन्य गाँवों को भी कवर किया । स्मार्ट कार्ड बैंकिंग अब 42 क्षेत्रों में 20 राज्यों व 2 संघ शासित क्षेत्रों में लागू है ।

₹ 87.82 per equity share) to the Government of India on 30.03.2012 aggregating to ₹1441 crore, and 3,09,37,467 equity shares of face value of ₹10 each at ₹ 97.82 per equity share (including premium of ₹ 87.82 per share) to Life Insurance Corporation of India and its various schemes on 24.03.2012 on preferential basis aggregating to ₹ 302.63 crore.

Branch Network

The Bank has stepped up its branch expansion efforts towards its pan India presence. During the year, the Bank opened 447 branches across the country, highest in the history of the Bank. The Bank had reached yet another milestone of crossing 1000 branches in Tamil Nadu State as committed to the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu under MISSION TAMILNADU - PLATINUM 1000, on 10th February 2012 exactly on the concluding day of Platinum Jubilee year of the Bank. Towards reaching the said milestone, the Bank opened 147 branches in Tamil Nadu within the short span of 65 days. The Bank has joined the group of very few banks, having 1000 or more branches in a particular State.

Out of the 447 branches opened during 2011-12, 73.38% are located in Rural and Semi Urban centres. As on 31.03.2012, the Bank had 2,629 domestic branches comprising 731 Rural branches (27.81% of total branches), 738 Semi Urban (28.07%), 599 Urban (22.78%) and 561 Metropolitan branches (21.34%). Besides, the Bank had 3 Extension counters and 20 Satellite Offices, 45 Regional offices, 18 City Back Offices and 6 Inspectorates as at the end of the March 2012. These new branches will provide speedy growth of business in the years ahead. The average CASA in the new branches is about 50%.

To augment the vertical growth in advances portfolio, 3 specialised Large Corporate branches, 11 Specialised Mid Corporate branches and 8 Specialised SME branches were opened during the year 2011-12. Besides, 11 specialised Asset Recovery Management (ARM) branches and 1 Specialised Bullion Branch were also opened.

The existing Central Clearing Offices are renamed as City Back Offices (CBO) so as to strengthen the functions of back office jobs and one more CBO at Pune was opened during the year. The Bank intends to open 23 more City Back Offices across the country so that every Region of the Bank will have at least one CBO in their Region /city.

Platinum Jubilee year Celebrations

The Bank entered its Platinum Jubilee year on 10th February 2011 and celebrated this proud event by organizing a year long celebrations across the country and abroad. The Bank is translating those efforts into business results.

As a part of the year long Platinum Jubilee year celebrations, the Bank organized Four Platinum Jubilee Commemorative orations of the following eminent personalities in contemporary topics at Chennai and Hyderabad.

- By Shri Montek Singh Ahluwalia, Deputy Chairman, Planning Commission on '12th Five Year Plan – Gateway to a Defining Decade' at Chennai.
- By Dr C Rangarajan, Chairman, Economic Advisory Council to the Prime Minister on 'Economic Growth and Inflation' at Chennai.
- By Dr M Veerappa Moily, Hon'ble Minister of Corporate Affairs, Government of India on "Corporate Governance with special reference to Banking Industry" at Chennai.
- By Dr. Y.V. Reddy, former Governor of Reserve Bank of India on "Development & Regulation of Financial Sector" at Hyderabad.

A Special Platinum Jubilee function was organized by the Bank on 6th January 2012 in Chennai, in which the Hon'ble Finance Minister Shri Pranab Mukherjee participated as the Chief Guest.

- On the occasion, representatives from select Self Help Groups and Farmers Clubs were felicitated.
- Seven eminent personalities who had contributed to the society were honoured.
- The Bank's book on its Corporate Social Responsibility initiatives was launched by Hon'ble Finance Minister Shri Pranab Mukherjee.

Bancon 2011

BANCON is the Bankers' conference held every year to discuss and deliberate on a theme of paramount importance to the Banking Industry. It is hosted by different Banks at different Regions.

This prestigious event was brought to Southern Region during the year and hosted by Indian Overseas Bank BANCON 2011 was organised by the Bank, as a part of Platinum Jubilee Celebrations, on 4th, 5th and 6th November 2011 in Chennai. Top Bankers, Economists, Industrialists and renowned Speakers from the financial world participated in this Conference.

The theme of the Conference was "Competing in the Defining Decade for Indian Banking". 23 sessions involving more than 120 speakers were held during the three days. More than 600 delegates participated in the Conference. Hon'ble Union Minister of State for Finance Shri Namo Narain Meena inaugurated BANCON 2011 on 4th November 2011. Shri Anand Sinha, Deputy Governor, Reserve Bank of India delivered the valedictory address.

Financial Inclusion

Coverage of villages with banking outlet

Our Bank introduced Smart Card Banking through Business Correspondents as per the guidelines of Reserve Bank of India for providing Banking facilities in un-banked villages. Business Correspondents deliver the services at the front end by using bio-metric smart cards and Hand Held Devices. The devices are voice enabled in vernacular language and user friendly even for illiterates. This has enabled villagers even in remote locations to transact banking business at their own place. In the first phase, the Bank covered all the 1294 allotted villages with population above 2000 under Smart Card Banking across the country. In addition to the above, the Bank has also covered 115 other villages under Smart Card Banking. Smart Card Banking is now being implemented in 20 States and 2 Union Territories spread over 42 Regions.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने 7,62,268 नो फ्रिल बचत खाते खोले जिसमें इनकी संख्या 24,44,032 हो गयी । अब तक बैंक ने 1,66,237 स्मार्ट कार्ड जारी किए और स्मार्ट कार्ड टर्मिनलों में लेनदेनों की संख्या 5,60,248 हुई ।

अति लघु शाखा स्थापित करना

वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान 32 वित्तीय समावेशन गाँवों में अति लघु शाखाएँ खोलीं ।

अवार्ड

'शहरी व ग्रामीण भारत से गरीबी हटाने व समावेशित प्रगति को प्रोत्साहित करने हेतु बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं के माध्यम से सर्वोत्तम प्रयोग' करने हेतु वित्तीय समावेशन के लिए स्कॉच अवार्ड प्राप्त किया ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) यथा पांडियन ग्राम बैंक और नीलाचल ग्राम्या बैंक ने वर्ष के दौरान अच्छा निष्पादन किया है । पांडयन ग्राम बैंक ने कर की कटौती के बाद निवल लाभ हासिल किया है जो कि वह पिछले सोलह सालों से करता आ रहा है और उसने लगातार नौ वर्षों से शून्य निवल एनपीए दर्ज किया है । पांडयन ग्राम बैंक और नीलाचल ग्राम बैंक ने अपनी सभी शाखाओं में शत प्रतिशत कोर बैंकिंग सोल्यूशन स्थापित कर दिया है । नीलाचल ग्राम्य बैंक ने अपनी संचयित हानि को निर्धारण से दो साल पहले ही पूर्णत: समाप्त कर दिया है ।

ग्राहक सेवा

बैंक बैंकिंग कोड व स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इण्डिया (बीसीएसबीआइ) का सदस्य है और बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग कोड व स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इण्डिया (बीसीएसबीआइ) द्वारा ड्राफ्ट किए गए प्रतिबद्धता कोड को अपनाया है।

बैंक के ग्राहकोन्मुख उपाय के अंश के रूप में सभी शाखाओं मे नवंबर 2011 के दौरान ग्राहक पखवाडा मनाया गया और केन्द्रीय कार्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यपालकों ने शाखाओं का दौरा किया और ग्राहकों से मुलाकात की । पुन: 5 12 2011 से 10 12 2011 तक ग्राहक संपर्क सप्ताह मनाया गया । वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त ग्राहक शिकायतों और किए गए निवारणों के विवरण निम्नांकित हैं :

क्रम	विवरण	केंद्रीय सं. कार्यालय में	क्षेत्रीय कार्यालयों में
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	45	111
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1046	1542
3	वर्ष के दौरान निवारण किए गए शिकायतों की संख्या	1006	1588
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	85	65
	निपटारे की दर	92.20	96.06

बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय और बैंक द्वारा कार्यान्वित निर्णयों की संख्या निम्नवत हैं :

वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	1
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	0
वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	1
वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	0

चेन्नै नगर में बैंक ग्राहक सेवा केंद्र का संयोजक है और बैंक ने वर्ष के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का समावेशित किया ।

शिकायतें प्राप्त करने हेतु बाहरी एजेंसी की सेवाएँ लेकर ग्रहकों को टोल फ्री टेली सर्विसेज उपलब्ध करवायी गयी है। इन शिकायतों का निपटान 48 घंटों के भीतर किया जाता है।

शिकायतें सीधे केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों (पत्रों, ई-मेल और टेलीफोन के माध्यम से)को प्राप्त होती है। साथ ही अन्य माध्यम जैसे कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग लोकपाल , भारत सरकार आदि से प्राप्त की जाती है । निवारण प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए, ऑनलाइन शिकायत निवारण व प्रबोधन व्यवस्था (आइओबी ग्राम्स) शुरु की गयी जिससे क्षेत्रीय कार्यालय व शाखाएं शिकायतों को देखकर उन्हें तुरंत सुधार सकती हैं ।

एसएमएस><निवारण नामक दूसरी व्यवस्था शुरू की गयी जिससे ग्राहक एमएसएस के ज़रिए तुरंत अपनी शिकायत निवारण करा सकते हैं । संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा संदेश प्राप्त किया जाता है जो ग्राहक को संपर्क करके उनकी शिकायत निपटा सकते हैं ।

रिटेल बैंकिंग और विपणन

वर्ष 2011-2012 के दौरान रिटेल बैंकिंग क्षेत्र के तहत कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । वर्ष के दौरान शुल्क आधारित उत्पादों से प्राप्त कुल आय में 20.36% वृद्धि हुई ।

जीवन बीमा कारोबार में, बैंक ने प्रथम स्थान का कार्पोरेट एजेंट का दर्जा बनाए रखा और बैंकाशुरेन्स में रु 250 करोड़ प्रीमियम पार कर इतिहास रचा । इस प्रकार बैंक ने 2010-11 के प्रीमियम संग्रहण की तुलना में 49.80% की वृद्धि प्राप्त की । 2010-11 की तुलना में गैर जीवन बीमा पालिसियों के संग्रहण के ज़रिए आय में भी 34.48% की वृद्धि दर्ज की ।

स्वर्ण मुद्राओं की रिटेल बिक्री से आय रु 12.79 करोड़ रही जिसकी वृद्धि 2010-11 की तुलना में 44.92% है । मात्रा के रूप में, बैंक ने पिछले वर्ष के 1392 कि.ग्रा. की तुलना में 2011-12 के दौरान 1666 कि.ग्रा. स्वर्ण मुद्राएं बेची ।

इस संबंध में बैंक ने विभिन्न अभियान आयोजित किए :

1. स्वर्ण सिक्कों की बिक्री के लिए अक्षय तृतीय अभियान
2. नए बचत बैंक व चालू खातों के संग्रहण के लिए कासा फेस्ट
3. आवास ऋण अभियान - आवास ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि लाने के लिए
4. जीवन बीमा कारोबार के संग्रहण तथा शुल्क आधारित आय को बढाने के लिए आइ ओ बी इलाइट अभियान
5. गैर जीवन बीमा संग्रहण अभियान

रिटेल ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में 20.34% की वृद्धि प्राप्त हुई है जिसमें आवास ऋण व शिक्षा ऋण का प्रमुख योगदान रहा । लक्षित सेगमेण्टों में कारोबार का विस्तार करने के लिए नये उत्पाद विकसित किए गए जैसे - कैरियर ड्रीम - प्रोफेशनल प्रवेश परीक्षाओं हेतु भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों के कोचिंग / ट्यूशन शुल्क वित्तपोषण के लिए ऋण, आइओबी स्कॉलर - भारतीय बैंक संघ (आइबीए) मॉडेल योजना से वंचित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण । अधिक रिटेल उधारकर्ताओं को हमारे बैंक की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से सभी वर्तमान व नए रिटेल ऋणों की पुनर्भुगतान अवधि पुन:संरचित की गई है ।

राजभाषा नीति

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पूरे प्रयास किए। वर्ष के दौरान 141 स्टाफ सदस्यों को, जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, आइओबी प्रवीण तथा बैंकिंग प्राज्ञ पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त 1774 स्टाफ सदस्यों को सामान्य हिन्दी कार्यशालाओं में प्रशिक्षित किया गया। केंद्रीय कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को सुदृढ बनाने हेतु सभी विभाग प्रमुखों के लिए 10.09.2011 को राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

During the year under review, the Bank has opened 7,62,268 No-frills Savings Bank accounts taking the total number of such accounts to 24,44,032. So far, the Bank has issued 1,66,237 smart cards and the number of transactions undertaken in the smart card terminal is 5,60,248.

Setting up Ultra Small Branch

As per the guidelines of Ministry of Finance, the Bank has set up Ultra Small Branches in 32 Financial Inclusion villages during the year.

Award

The Bank bagged SKOCH AWARD for Financial Inclusion which was conferred to the Bank for "Best Practices through Banking & Financial Services for promoting Inclusive growth & Poverty Alleviation from across Urban and Rural India".

Regional Rural Banks

The two Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank, viz., Pandyan Grama Bank and Neelachal Gramya Bank performed well during the year. Pandyan Grama Bank has earned Net Profit after Tax consecutively for the past sixteen years and recorded NIL Net NPA continuously for the past nine years. Pandyan Grama Bank and Neelachal Gramya Bank have achieved 100% Core Banking Solution of all their branches. Neelachal Gramya Bank has completely wiped out the accumulated loss two years ahead of schedule.

Customer Service

The Bank is a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and has adopted the Code of Commitment to Bank's Customers drafted by BCSBI.

As a part of Bank's customer centric initiative, Customer Fortnight was observed in all branches during November 2011 and executives from the Central Office and Regional Offices have visited the branches and met the customers. Again, customers contact week was observed from 5.12.2011 to 10.12.2011.

The details of customer complaints received and redressed during the year 2011-12 are given below.

Sl. No.	Details	At Central Offices	At Regional Office
1.	No. of complaints pending at the beginning of the year	45	111
2.	No. of complaints received during the year	1046	1542
3.	No. of complaints redressed during the year	1006	1588
4.	No. of complaints pending at the end of the year	85	65
	Settlement Rate	92.20	96.06

Number of awards passed by the Banking Ombudsman and implemented by the Bank are as follows.

1. No. of complaints pending at the beginning of the year : 1
2. No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year : 0
3. No. of awards implemented during the year : 1
4. No. of unimplemented awards at the end of the year : 0

The Bank is the Convenor for Customer Service Centre in Chennai City and the Bank resolved all the complaints during this year.

Customers are provided with the facility of Toll Free Teleservices by engaging an outside agency for receiving complaints. These complaints are being resolved within 48 hours. The Complaints are being received directly by Central Office and Regional Office (through letters, e-mails and telephone) and also through other channels like Reserve Bank of India, Banking Ombudsman, and Government of India. To speed up the process of redressal, an online Grievance Redressal And Monitoring System (IOB GRAMS) was introduced which enables the Regional Offices and branches to view the complaints and resolve the same immediately.

Another system viz. SMS>< REDRESS was introduced to facilitate the customers wherein the grievances of customers received through SMS are resolved immediately. The message will be received by the Regional Manager concerned, who, in turn, will contact the customer to resolve the complaint.

Retail Banking and Marketing

The Business under Retail segment showed a remarkable improvement during the year 2011-2012. The total income generated on fee based products registered a growth of 20.36% during the year.

In Life Insurance Business, the Bank continued to achieve the status of No. 1 Corporate Agent and recorded history by crossing ₹ 250 crores premium collection mark in Bancassurance. Thus the Bank registered an increase of 49.80% over 2010-11 in Premium mobilization. The income through mobilization of Non Life Insurance Policies also registered a growth of 34.48% over 2010-11.

The Bank earned an income of ₹ 12.79 crore from sale of Gold coins with a growth of 44.92% over 2010-11. In quantum, the Bank sold Gold Coins of 1666 kgs during 2011-12 as against 1392 kgs sold during last year.

The Bank conducted various Campaigns viz.

1. Akshaya Tritya Campaign for sale of gold coins.
2. CASA Fest for mobilizing new Savings Bank and Current Accounts.
3. Housing Loan Campaign – To increase the Housing Loan portfolio.
4. IOB Elite Campaign to mobilize Life insurance Business and increase the fee based income.
5. Non Life Insurance Mobilization Campaign.

during the year 2011-12 towards improving the retail business.

Retail Loans improved by 20.34%over the previous year with Housing Loans and Educational Loans as major contributors. New product developments such as Career Dream - Loan for financing Coaching/ Tuition Fee of reputed institution in India to prepare for Professional Entrance examinations, IOB Scholar – Education Loan for the students who were kept outside the purview of Indian Banks Association (IBA) Model Scheme were developed to expand business across all segments. The Repayment periods of all the existing and new

बोर्ड स्तरीय सभी बैठकों के कार्यवृत्त का हिन्दी में अनुवाद किया गया। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बैंक ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी यूनिकोड फॉण्ट प्रतिष्ठापित किया और सभी शाखाओं में डाउनलोडिंग की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है। स्टाफ के प्रयोगार्थ बैंक ने ऑनलाइन पर बैंकिंग शब्दावली भी उपलब्ध करवाई है। बैंक ने 1386 स्टाफ सदस्यों को कंप्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया। बैंक ने सभी शाखाओं मे हिन्दी मे पास बुक, खाता विवरण, मांग ड्राफ्ट व जमा रसीदें जारी करने हेतु स्क्रिप्ट मैजिक पैकेज प्रतिष्ठापित करवाया । बैंक ने त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका "वाणी" के चार अंकों का समय पर प्रकाशन डिजिटल व मुद्रण के रूप में किया। बैंक की वेबसाइट हिन्दी में भी उपलब्ध करवा दी गई है।

बैक की हिन्दी गृह पत्रिका को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से वर्ष 2010-11 के लिए 'ग' क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ । 14 सितंबर 2011 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील से बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय श्री एम नरेंद्र ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की गृह-पत्रिकाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिता में वर्ष 2010-11 हेतु बैंक की गृह-पत्रिका "वाणी" को चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ। केंद्रीय कार्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित निरीक्षण किया गया और राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं को राजभाषा शील्ड प्रदान किए गए।

19 से 21 मई 2011 को क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति का जायजा लेने हेतु राजभाषा अधिकारियों के लिए वार्षिक राजभाषा समीक्षा बैठक एवं यूनिकोड प्रशिक्षण का आयोजन किया गया ।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, पुदुच्चेरी तथा मण्डी शाखा का निरीक्षण किया गया । समिति ने हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन पर संतुष्टि जतायी ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2010-11 हेतु चेन्नै नगर राजभाषा कार्यानवयन समिति के संयोजक के रूप में बैंक ने मैसूर में 08 दिसंबर 2011 को आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में श्री ए एन पी सिन्हा, सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। समिति की ओर से बैंक द्वारा सदस्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ सदस्यों के लिए दो सामान्य हिन्दी कार्यशालाओं, 12 अंतर-बैंक हिन्दी प्रतियोगिताओं, संयुक्त हिन्दी माह समारोह एवं हिन्दी यूनिकोड प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 13 मई 2011 को समिति के रजत जयंती समारोह एवं बैंक के प्लैटिनम जयंती समारोह के अवसर पर विशेष राजभाषा समारोह का आयोजन किया गया । इस अवसर पर समिति की गतिविधियों पर विशेष स्मारिका का विमोचन किया गया । कार्यपालकों एवं राजभाषा प्रभारियों के लिए बैंकिंग विषय पर हिन्दी मे दो संगोष्ठियों का आयोजन किया गया । 13 मार्च 2012 को संयुक्त हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया । इसके अलावा दो अर्ध वार्षिक बैठकें भी आयोजित की गईं। समिति द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्रिका 'चेन्नै भारती ' के वार्षिक अंक का प्रकाशन किया गया । वर्ष के दौरान हिन्दी मे नोटिंग का नवीन संस्करण प्रकाशित किया गया ।

कार्पोरेट गवर्नेन्स

कार्पोरेट गवर्नेन्स का तात्पर्य प्रणालियों, सिद्धांतों व प्रक्रियाओं से है जिससे कंपनी का गवर्नेन्स किया जाता है । इससे कंपनी के निदेशन या नियंत्रण में मार्गदर्शन मिलता है ताकि कंपनी अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को उस तरह से प्राप्त कर सके जो कंपनी के मूल्यों का संवर्धन कर सके और साथ ही दीर्घावधि में उसके सभी हकदारों को लाभदायक साबित हो । हकदारों का मतलब है कि निदेशक मंडल, प्रबंधन, शेयरधारक, ग्राहक, कर्मचारी व समाज आदि ।

पारदर्शिता और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए अपने कारोबार के आचरण में नीतिगत प्रक्रियाओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता के द्वारा बैंक अच्छे कार्पोरेट गवर्नेंस को सुनिश्चित करता है। उच्च प्रकटीकरण मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता का पालन करने के लिए बैंक प्रतिबद्ध है ताकि निवेशकों और शेयरधारकों को पर्याप्त रूप से सूचित किया जा सके। संगठन और उसके शेयरधारकों के बीच समुचित जवाबदेही के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।

कार्पोरेट गवर्नेंस जिन सिद्धांतों पर आधारित है उनमें ईमानदारी और सुचिता के साथ कारोबार का संचालन , सभी लेन देनों में पारदर्शिता , सभी आवश्यक प्रकटीकरण व निर्णयों को लेना , देश के सभी कानूनों का पालन करना , स्टेकधारकों के प्रति जवाबदेही व जिम्मेदारी और आचरणबद्ध तरीके से कारोबार करने की प्रतिबद्धता शामिल है ।

बैंक ने सुपरिभाषित आचरण संहिता बनाई है जिसमें ईमानदारी, बैंक हितों की रक्षा और गोपनीयता के बारे में उल्लेख है। साथ ही बैंक अच्छे आचरण की आवश्यकता पर बल देता है जो अच्छे गवर्नेंस का आधार है। यह आचरण संहिता मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन (यानी महा प्रबंधक) पर लागू होती है।

कार्पोरेट गवर्नेन्स के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक , भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड तथा अन्य विनियामक प्राधिकरणों के दिशानिर्देशों का बैंक ने अनुपालन किया है , जिसकी जाँच सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों ने की है। बैंक अच्छे गवर्नेन्स को उच्च प्राथमिकता देता है जो कि बैंक की पारदर्शी स्वामित्व की रूपरेखा , लेखांकन प्रक्रियाओं और प्रबंधन में परिलक्षित होता है। बैंक का निदेशक मंडल अच्छे गवर्नेन्स का प्रवर्तन करने में और बेहतरीन प्रक्रियाओं संसाधनों और आचार-नीति के मानकों का अनुपालन करने में और उनको अमल में लाने संबंधी नीतियों की रूपरेखा सृजित करने में अपनी भूमिका को पहचानता है।

बैंक अपने अपने कार्य-क्षेत्रों में विनियामक प्राधिकार द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का पालन कर रहा है । सेबी व स्टॉक एक्स्चेंज के विभिन्न प्रावधानों का पालन करने के लिए स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए सूचीबद्ध करार के खण्ड 47 के अनुसार एक अनुपालन अधिकारी अलग से नियुक्त हैं ।

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, कार्पोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट के साथ-साथ कार्पोरेट गवर्नेन्स के अधीन आनेवाली शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र भी इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

अच्छे कार्पोरेट गवर्नेन्स के अंश के रूप में बैंक सुनिश्चित करता है कि रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट द्वारा बनाए रखे जानेवाले रिकार्डों के अनुसार बैंक के

Retail Loans were extended and rephased in order to attract more retail borrowers to the Banks fold.

Official Language Policy

The Bank has taken all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the year 2011-12. During the year, 141 Staff members, who did not possess working knowledge of Hindi were trained in Prabodh, IOB Praveen and Banking Pragya Courses. 1,774 Staff members possessing working knowledge of Hindi were trained in General Hindi Workshops held during the year. Rajbhasha Sangoshti was held on 10.09.2011 for heads of Central Office departments to strengthen the Official Language Implementation in Central Office.

Miniutes of all meetings of all board level committees were translated in Hindi. As per the directives of Government of India, the Bank has enabled Hindi Unicode font in all Regional Offices and has provided the facility of downloading of the same on the intranet - IOB Online. The Bank has also provided the Banking terminology on IOB Online for the benefit of staff members. The Bank has given necessary training to 1,386 staff members for use of Hindi in computers. The Bank has provided Script Magic package in all branches for issuing passbooks, statement of account, Demand Draft and deposit receipts in Hindi. The Bank has published all the four issues of quarterly Hindi Magazine "VANI" in print as well as in digital form. The Bank's website has been made available in Hindi also.

The Bank's Hindi (In-house) Magazine "VANI" has been awarded First Prize by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi in "C" Region for the year 2010-11. The award was received by the Bank's Chairman & Managing Director Shri M Narendra from Honourbale President of India Smt. Pratibha Devisingh Patil on 14th September, 2011.

Reserve Bank of India has awarded Fourth Prize for the Bank's Hindi house magazine "VANI" for the year 2010-11 in the Inter-Bank Competition for Hindi house magazines of banks and financial institutions. Regional Offices were inspected on Official Language implementation by Official Language Department, Central Office. Rajbhasha Shields were awarded to Regional Offices and branches doing good work in official language implementation.

Annual Official Language Review Meeting and Unicode training for Official Language Officers was held from19th to 21st May 2011 to assess the progress made in the area of Official Language implementation in Regional Offices.

The Third Sub Committee of Parliamentary Committee on Official Language inspected the Bank's Regional Office at Puducherry and Mandi branch. The Committee expressed satisfaction over the performance of the Bank at these centres.

As convener of Chennai Town Official Language Implementation Committee, the Bank has received the Second Prize for its efforts in implementation of Official Language Policy during the year 2010-11 from Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government of India. The Prize was given by Shri A N P Sinha, Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi on 8th December 2011. On behalf of the Committee, the Bank conducted two General Hindi Workshops, 12 Inter-Bank Hindi competitions, Joint Hindi Month Celebration function and Hindi Unicode training programme for the staff members of member banks / Financial Institutions. A special Joint Rajbhasha Samaroh was held on 13th May 2011 on the occasion of Silver Jubilee year of the Committee and Platinum Jubilee year of Bank. In addition to this two half yearly meetings were also conducted. A Souvenir on the activities of the committee was released on the occasion. Two Seminars in Hindi on Banking subject were held for the Bank's Executives and Official Language Officers. A Joint Hindi Day Celebration function was held on 13th March 2012. Annual issue of magazine of "Chennai Bharathi" was brought out. A Revised booklet on Notings in Hindi was also published.

Corporate Governance

Corporate Governance refers to the set of systems, principles and processes by which a company is governed. They provide the guide as to how the company can be directed or controlled such that it can fulfill its goals and objectives in a manner that adds to the value of the company and is also beneficial to all its stakeholders in the long term. Stake holders would include everyone from the Board of Directors, Management, Shareholders, Customers, employees and society.

Corporate Governance is based on principles such as conducting the business with integrity and fairness, being transparent with regard to all transactions, making all necessary disclosures and decisions, complying with all the laws of the land, accountability and responsibility towards the stakeholders and commitment for conducting business in an ethical manner.

The Bank has laid down a well-defined Code of Conduct which addresses issues of integrity, conflict of interest and confidentiality and stresses the need of ethical conduct, which is the basis of good governance. This Code of Conduct is applicable to all the members of the Board and the Senior Management (i.e. General Manager) of the Bank.

The Bank has complied with the guidelines of Reserve Bank of India (RBI), Security Exchange Board of India (SEBI) and other regulatory authorities for Corporate Governance, which has been examined by the Statutory Central Auditor. The Bank gives high priority to good Governance, which reflects in transparent ownership structure, management and accounting practices of the Bank. The Board recognizes its role in promoting good governance and in creating a framework of best practices, processes, and ethics to observe and foster high ethical standards.

The Bank is complying with all the norms laid down by the Regulatory Authorities in all its functional areas. There is an exclusive compliance officer under Clause 47 of the listing agreement entered into with Stock Exchanges to comply with various provisions of SEBI and Stock Exchanges.

Pursuant to Clause 49 of the Listing Agreement, Management Discussion & Analysis Report, Report on Corporate Governance as well as certificate by the auditors regarding

विरुद्ध कोई भी निवेशक की शिकायत एक महीने से ज़्यादा समय तक लंबित नहीं रहती है ।

सूचनाबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार बैंक कार्पोरेट गवर्नेन्स पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट स्टॉक एक्स्चेंज को प्रस्तुत कर रहा है इसके साथ साथ मण्डल व मण्डल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) को भी सूचनार्थ प्रस्तुत कर रहा है ।

निदेशक मंडल

श्रीमती नूपुर मित्रा देना बैंक में सीएमडी के रूप में नियुक्त होने की वजह से 31.10. 2011 को कार्यमुक्त हुईं । श्री ए.डी.एम चावली ने 28.12. 2011 को कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया । डॉ. विनीता कुमार, सरकारी नामिती निदेशक 21.07. 2011 को अपने पद से सेवानिवृत्त हुईं । भारत सरकार (जीओआइ) ने डॉ. आलोक पाण्डे को 22.07.2011से भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में मनोनीत किया । श्री बी वी अप्पा राव 28.08.2011 को तीन वर्ष की अवधि-समाप्ति पर अपने पद से कार्यमुक्त हुए । भारत सरकार (जीओआइ) ने सनदी लेखाकार संवर्ग के तहत श्री निरंजन कुमार अग्रवाल को 01.11.2011 से मनोनीत किया । श्री ए. के. भार्गव व डॉ. चिरंजीब सेन दिनांक 07.12.2011 को शेयरधारक निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए । श्री अजित वसंत सरदेसाई व प्रो. एस सडगोपन को शेयरधारक निदेशक चुना गया जिन्होंने 08 दिसंबर 2011 को कार्यभार ग्रहण किया । श्री ए. वेल्लयन को शेयरधारक निदेशक के रूप में पुन: चुना गया और उन्होंने 08 दिसंबर 2011 को कार्यभार ग्रहण किया । भारत सरकार को 30.03.2012 को 14,73,11,388 ईक्विटी शेयर आबंटित, करने के चलते उनका शेयरधारण 69.62% तक बढ गया, जिसके फलस्वरूप श्री ए.वेल्लयन 30.03.2012 को शेयरधारक निदेशक के पद से कार्यमुक्त हुए ।

निदेशक मंडल ने भूतपूर्व निदेशकों द्वारा दिये गये बहुमूल्य योगदान को रिकार्ड किया और नए निदेशकों का हार्दिक स्वागत किया ।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल ने भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंजों, विभिन्न राज्य सरकारों एवं वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त मूल्यवान सहयोग को रिकॉर्ड किया। निदेशक मंडल ने हांगकांग मौद्रिक प्राधिकारी, सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकारी, वित्तीय पर्यवेक्षी सेवाएँ, कोरिया, श्रीलंका के केंद्रीय बैंक, चीन बैंकिंग रेग्यूलेटरी कमीशन, बैंक नेगारा, मलेशिया, बैंक ऑफ थाइलैंड और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम और सेन्ट्रल बैंक ऑफ यूएई के प्रति भी उनके सहयोग के लिए आभार प्रकट किया।

निदेशक मंडल, बैंक के बहुमूल्य ग्राहकों , शेयरधारकों, अन्य स्टेकधारकों और भारत में और विदेश में स्थित बैंक के संपर्ककर्ताओं को, उनकी सद्भावना व उनके संरक्षण को रिकार्ड करता है । निदेशकगण बहुत खुश हैं कि कर्मचारी संघ एवं अधिकारी संघ के सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण औद्योगिक संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण और आनंदपूर्ण हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

चेन्नै — एम.नरेन्द्र

05 मई 2012 — अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

प्रबंधन विचार - विमर्श व विश्लेषण

आर्थिक परिवेश

विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में अनिश्चितता के कारण वैश्विक अर्थ-व्यवस्था में बडे पैमाने में प्रभाव पडा। यूरो ऋण समस्या जारी रहने व वित्तीय संवेदनशक्ति का अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडा । भारतीय अर्थ-व्यवस्था ने इन मुसीबतों के बावज़ूद, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के पूर्वानुमान के अनुसार 6.9 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि हासिल किया । मूल प्रभाव के कारण, कृषि विकास सामान्य रहा और बाहरी मांग मंद होने, नीति अनिश्चितताओं व महंगी मुद्रा परिस्थितियों के कारण उद्योग के विकास में मंद गति आई । वर्ष 2012 के अंत में यद्यपि मुद्रास्फीती कम हुई, अभी भी भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए चिंताजनक ही है।

बैंकिंग परिवेश

मुदास्फीति को नियंत्रण रखने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिए गए नीति संबंधी मुद्रा उपायों के कारण मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अधिकांश अवधि के दौरान बैंकिंग प्रणाली ने महंगी मुद्रा परिस्थिति का अनुभव किया । मुद्रा को नियंत्रण रखने की कार्रवाई में वित्तीय वर्ष के दौरान नीति दरों में 175 बीपीएस बधया गया । तथापि, मुद्रास्फीती मंद होने की वजह से वर्ष 2011-12 की अंतिम तिमाही से भारतीय रिज़र्व बैंक ने तटस्थ मुद्रा नीति को अपनाया । उसके बाद, वित्तीय वर्ष 2011-12 की शेष अवधि में नीति दरों में मंद गति आई । जनवरी 2012 में नकद रिजर्व अनुपात (सीआरआर) में 50 बीपीएस और मार्च 2012 में 75 बीपीएस कम करके 4.75 प्रतिशत करने से बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढाई गई ताकि उधार विकास आगे बढ जाए ।

बैक के परिचालन

जमाएं

बैंक की समग्र देशी जमाएं मार्च 2011 में रु. 1,40,381करोड़ थी,जो बढकर मार्च 2012 अंत तक 1,72,219 करोड़ हो गयीं जो कि 22.68% की वृद्धि है । तथापि प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर वातावरण में देशी टर्मिनल कासा अनुपात घट कर 31 मार्च 2012 को 26.89% रहा जबकि यह 31मार्च 2011को 30.71% था ।

ऋण

भारत में सकल अग्रिम मार्च 2011 के अंत में रु. 1,03,087 करोड़ से बढ़कर मार्च 2012 के अंत में रु.1,27,419 करोड हो गया जो 23.60% की वृद्धि है । बैंक का देशी उधार जमा अनुपात 73.99% रहा ।

प्राथमिकता क्षेत्र उधार

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 -12 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्ति की गणना मार्च 2011 के समायोजित निवल बैंक ऋण को आधार मान कर किया गया है । मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम से समायोजित निवल बैंक ऋण 40.95% पर रहा । यह राशि रु.42,265 करोड़ रही । इस प्रकार बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के लिए निर्धारित लक्ष्य यानी 40% को पार किया ।

एम एस एम ई

मार्च 2012 के अंत तक बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र को रुपये 20075 करोड का ऋण दिया । इसमें सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिया गया अग्रिम रुपये 16600

Compliance of the conditions of Corporate Governance, form part of this Annual report.

As part of the good Corporate Governance, the Bank ensures that there is no investor grievance pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by Registrar and Share Transfer Agent.

The Bank is submitting a "Quarterly Compliance Report on Corporate Governance" as per Clause 49 of the listing agreement to Stock Exchanges besides putting up to Board and Audit Committee of the Board (ACB) for information.

Board of Directors

Smt.Nupur Mitra , demitted office on 31.10.2011 on her appointment as Chairman and Managing Director of Dena Bank. Shri..A.D.M.Chavali, assumed charge as Executive Director on 28.12.2011.Dr.Vinita Kumar , Govt Nominee director, demitted office on 21.07.2011.The Government of India (GOI) nominated Dr.Alok Pande as Government of India Nominee director with effect from 22.07.2011.Shri B.V.Appa Rao, demitted office on 28.08.2011, on completion of his tenure of three years. The Government of India (GOI) nominated Shri Niranjan Kumar Agarwal, under Chartered Accountant category, with effect from 01.11.2011.Shri.A.K.Bhargava and Dr.Chiranjib Sen demitted office as shareholder Directors on 07.12.2011. Shri.Ajit Vasant Sardesai and Prof.S.Sadagopan elected as Share Holders Director and assumed office on 08th December 2011. Shri.A.Vellayan reelected as Share holder Director and assumed office on 08th December 2011. Shri.A.Vellayan has demitted office as Shareholder Director on 30.03.2012, consequent to the allotment of 14,73,11,388 equity shares to the GOI which took place on 30.03.2012, whereby GOI shareholding has increased to 69.62%

The Board of Directors placed on record its appreciation for the valuable contributions made by the erstwhile Directors and extended a warm welcome to the new directors.

Acknowledgements

The Board of Director place on record the valuable guidance received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI) and support from Stock Exchanges, various State Governments and Financial Institutions. The Board expresses its gratitude to the Hong Kong Monetary Authority, Monetary Authority of Singapore, Financial Supervisory Services Korea, Central Bank of Sri Lanka, China Banking Regulatory Commission, Bank Negara, Malaysia, Bank of Thailand, State Bank of Vietnam and Central Bank of UAE for their support.

The Board of Directors records the continued patronage and goodwill of the valued customers, shareholders, other stakeholders and correspondents of the Bank in India and abroad. The Directors are happy that the industrial relations are very cordial on account of positive attitude on the part of Employees' Union and Officers' Association.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai **M. NARENDRA**

May 5 , 2012 Chairman and Managing Director

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Economic Environment

Global economy was impacted on large count by the uncertainty in the Advanced Economies. Continuing Euro debt crisis and fiscal vulnerability had adverse impact on the global economy. Indian economy, despite these odds managed to register GDP growth of 6.9 percent according to advance estimate of Central Statistical Organisation. Agriculture growth was moderate largely on account of base effect and there was slowdown in Industry growth due to slackening of external demand, policy uncertainties and tighter monetary conditions. Inflation, though moderated at the fag end of the fiscal 2012, still remains a cause of concern for the growth of Indian Economy.

Banking Environment

The Banking system witnessed tight monetary conditions during major part of the financial year ended March 2012 in the backdrop of policy stance and monetary measures by the Reserve Bank of India towards containing inflation. In the course of monetary tightening actions, policy rates were effectively raised by 175 bps during the financial year. However, there has been a shift towards neutral monetary policy stance by Reserve Bank of India since last quarter of the year 2011-12 as head line inflation started moderating. Since then, policy rates witnessed pause after the steep increase in rest of the financial year 2011-12. Successive reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) by 50 basis points in January 2012 and 75 basis points in March 2012 to 4.75 percent infused liquidity in the Banking system so as to pave way for higher credit growth.

The Bank's Operations

Deposits

The Bank's aggregate domestic deposits improved from ₹ 1,40,381 crore as at the end of March 2011 to ₹ 1,72,219 crore as at the end of March 2012 with a growth of 22.68%. However, domestic terminal CASA ratio came down to 26.89 % as on 31st March 2012 compared to 30.71 % as on 31st March 2011 in the competitive interest rate environment.

Credit

The gross advances in India witnessed growth of 23.60% to ₹ 1,27,419 crore as at the end of March 2012 from ₹ 1,03,087 crore as at the end of March 2011. The domestic Credit Deposit ratio of the Bank was higher at 73.99%.

Priority Sector Credit

As per the guidelines of Reserve Bank of India, attainment under Priority Sector for the year 2011-12 is computed taking the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) of March 2011 as the base. For the year ended March 2012, the Priority Sector advance to Adjusted Net Bank Credit was at 40.95%, the quantum being ₹ 42,265 crore. Thus the Bank exceeded the stipulated norm of 40% under Priority Sector Credit.

MSME

The Bank extended credit of ₹ 20,075 crore to MSME sector as at the end of March 2012. This includes advances to Micro and Small Enterprises to the tune of ₹ 16,600 crore, which forms part of the priority sector credit. The Bank

करोड भी शामिल है जो प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ही आता है । एम एस एम ई क्षेत्र को बैंक द्वारा दिया गया ऋण 37.29 % से बढ गया जो निर्दिष्ट लक्ष्य 20 % से अधिक है । वर्ष के दौरान बैंक ने लगभग 50000 नए सूक्ष्म क्षेत्र खातों के लिए रु 1000 करोड हेतु वित्तपोषण प्रदान किया ।

सूक्ष्म क्षेत्र को उधार बढाने के राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए बैक ने वर्ष के दौरान सूक्ष्म क्षेत्र हेतु नए उत्पाद शुरु किए हैं । बैंक में नए सूक्ष्म क्षेत्र उधारकर्ताओं को लाने के लिए आइ ओ बी माईक्रो वन शुरु किया गया । इस उत्पाद से नई माइक्रो क्षेत्र इकाइयां बैंक से संपार्श्विक के बिना रु 50 लाख तक मिश्रित उधार सुविधाएं प्राप्त कर सकती हैं । बैंक ने आइओबी इंजीनीयर योजना शुरु की है जिससे स्व रोज़गार के इच्छुक सिविल इंजीनीयर कार्यालय परिसर,उपस्कर व औजार आदि खरीदने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं ।

बैंक ने छोटे व बडे वाणिज्यिक वाहन की खरीद हेतु वित्तपोषण के लिए मेसर्स महीन्द्रा व महीन्द्रा लिमिटेड के साथ तथा निर्माण उपस्कर की खरीद हेतु वित्तपोषण के लिए मेसर्स अशोक लेलैण्ड जान-डीर कंपनी लिमिटेड के साथ गठजोड किया। बैंक ने त्रि-चक्र वाहन की खरीद हेतु वित्तपोषण के लिए मेसर्स अतुल ऑटो लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

बैंक ने एमएसएमई यूनिटों के लिए अनुसंधान व विकास व्यय, नया उत्पाद शुरु करना आदि और दीर्घावधि कार्यशील पूंजी व्यवस्था के लिए वित्तपोषण हेतु जोखिम पूंजी निधि के तहत रु 100 करोड के लिए सिडबी के साथ पुनर्वित्त व्यवस्था तय की है ।

सी जी टी एम एस ई गारंटी योजना के तहत संपार्श्विक रहित रु. 100 लाख तक का ऋण मंजूर करने पर जोर दिया गया । सी जी टी एम एस ई के तहत रु 1,136 करोड के लिए 202477 नए ऋण दिए गए ।

बैंक ने आइ बी ए द्वारा अनुमोदित सिडबी पुनसंरचना नीति माडल को अपनाकर सूक्ष्म लघू उद्यमों के लिए अपनी नीति को और उदार करके पुन:संरचना व पुनर्वास नीति का संशोधन किया । वर्ष के दौरान बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए अलग से एकमुश्त समझौता नीति बनाई ताकि एसएमई क्षेत्र की कमज़ोर इकाइयां बैंक को देय अपनी शेष को उदार शर्तों में दे सकें ।

केन्द्र सरकार द्वारा सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु बैंक को प्रथम पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,श्री एम.नरेन्द्र द्वारा माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त किया गया । बैंक को डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट द्वारा एमएसई क्षेत्र को ऋण देने के लिए सर्वोत्तम बैंक पुरस्कार भी प्रदान किया गया ।

कृषि

वर्ष के दौरान, कृषि ऋण पोर्टफोलियों में रु. 16056 करोड (31मार्च 2011को) से 31मार्च 2012 को रु. 19416 करोड़ हो गया जो रु. 3360 करोड़ की वृद्धि है । बैंक का कृषिगत अग्रिम और समायोजित निवल बैंक ऋण अनुपात अपेक्षित मानदण्ड 18% की तुलना में 18.82% अधिक था ।

वर्ष के दौरान रु. 21500 करोड़ के लक्ष्य के प्रति विशेष कृषि ऋण योजना (एस ए सी पी) के तहत बैंक ने रु. 22272 करोड़ का ऋण संवितरित किया ।

जून 2011 को समाप्त वर्ष के लिए कृषि अग्रिमों के तहत मांग की उगाही 78.31% रही जो संतोषजनक है ।

नए कृषि ऋण उत्पाद

बैंक ने पहचाने गए खण्डों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निम्नलिखित कस्टमाइज्ड कृषि ऋण प्रारंभ किए ।

आइ ओ बी सागरलक्ष्मी : यह महिला मछुआरों को निरंतर आय सृजन करने के उद्देश्य से वित्तपोषण करने के लिए अलग से एक ऋण उत्पाद है । कृषि अग्रिम के तहत रु 1.00 लाख तक ऋण दिया जाता है ।

आइ ओ बी भूमि शक्ति : खेतीदर भूमि अपने नाम पर रखनेवाली महिलाओं और किराएदार किसान यदि महिला हो तो उनके लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है । इस योजना के तहत रु 50000/- तक की सीमा के लिए 0.50% और रु 50000/- से अधिक सीमा के लिए 0.25% ब्याज में रियायत मिलती है ।

बचत बैक खातों में ओवरड्राफ्ट : बैंक ने ग्रामीण परिवारों, जिनके पास कोई भूमि नहीं है, उनके बचत व ओवरड्राफ्ट खातों के लिए प्रति परिवार हेतु रु 10000/- तक ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना बनाई है ।

आइ ओ बी ग्रीन क्रेडिट : अल्पकालिक उत्पादन ऋण या निवेश ऋण या दोनों की पूर्ति के लिए यह योजना बनाई गई है । योजना के तहत अधिकतम सीमा को रु 25 लाख तक बढाकर और आकर्षक बनाया गया ।

आइ ओ बी शहरी बागवानी : यह योजना किचेन गार्डेन, पुष्प गार्डेन , छोटे बगीचे या छत गार्डेन बनाने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए है । व्यक्तियों के लिए न्यूनतम सीमा रु 33000/- और अधिकतम सीमा रु 2.50 लाख तथा संस्थाओं हेतु रु 25.00 लाख तक बढाकर योजना में संशोधन किया गया । रु 1.00 लाख तक के ऋणों के लिए मार्जिन व संपार्श्विक प्रतिभूति पर छूट है ।

आइ ओ बी एग्री ट्रान्सपोर्ट : यह योजना कृषिगत उद्देश्यों के लिए प्रयोज्य दुपहिया तिपहिया और चार पहिया वाहन की खरीद के लिए है। रु 1.00 लाख तक के ऋणों के लिए मार्जिन पर छूट प्राप्त है । आगे, ऋण राशि में से किसी भी प्रकार के ऋण जिसकी 50% संपार्श्विक प्रतिभूति भी छूट दी गई है ।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (के सी सी)

बैंक ने वर्ष के दौरान 3,42,806 के सी सी जारी किये हैं । मार्च 2012 के अंत तक बैंक द्वारा जारी कुल कार्डों की संख्या 25,61,192 रही ।

सूक्ष्म वित्तपोषण

वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 713.93 करोड़ के ऋण के साथ 33,469 स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान किया । बैंक द्वारा 4,33,866 स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान किया गया और मार्च 2012 तक कुल संवितरित राशि रु 4203.74 करोड़ रही है ।

प्रत्यक्ष खण्ड के तहत एसएचजी लिंकेज को प्रोत्साहित करने हेतु 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 05 03 2012 से 10 03 2012 तक एसएचजी लिंकेज सप्ताह मनाया गया ।

महिलाओं को ऋण सहायता

31 मार्च 2012 तक बैंक द्वारा महिलाओं को प्रदत्त ऋण रु. 14059.65 करोड़ रहा जो बैंक के समायोजित निवल बैंक ऋण का 13.62% है जबकि मानदण्ड 5% है ।

अग्रणी बैंक योजना

बैंक तमिलनाडु के बारह जिलों और केरल के 1 जिले में अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है । बैंक तमिलनाडु में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक भी है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एस एल बी सी (तमिलनाडु)

increased advances to MSME sector by 37.29 % surpassing the mandatory requirement of 20 %. The Bank financed around 50, 000 new micro sector accounts totalling to about ₹ 1,000 crore during the year.

In consonance with national objective of increasing credit to Micro sector, the bank launched new products exclusively for Micro sector during the year. IOB Micro One was introduced to attract new Micro sector borrowers to the Bank. This product enables new Micro sector units to avail composite credit facilities from the Bank up to ₹ 50 lacs at attractive terms without collaterals. The Bank introduced IOB Engineer scheme exclusively to cater to civil engineers who desire to be self-employed for purchase of office premises, equipments, tools etc.

The Bank entered into tie-ups with M/s Mahindra and Mahindra Limited for financing of purchase of their Light and Heavy Commercial Vehicles and with M/s Ashok Leyland John-Deere Company Ltd for financing purchase of construction equipments. The Bank entered into a Memorandum of Understanding (MOU) with M/s Atul Auto Limited for financing purchase of three-wheelers.

The Bank also entered into a Refinance arrangement with SIDBI for ₹ 100 crore under their Risk Capital Fund for financing MSME units for Research & Development expenses, Product launch, etc., as also margin money for long term working capital arrangement.

Thrust was given for sanction of collateral free loans up to ₹ 100 lacs covered under CGTMSE guarantee scheme. The Bank covered 20,477 fresh accounts under CGTMSE scheme amounting to ₹ 1,136 crore.

The Bank revised the restructuring and rehabilitation policy, further liberalizing its policy for Micro and Small Enterprises adopting the model SIDBI restructuring policy as approved by IBA. The Bank framed a separate One Time Settlement policy for MSME sector during the year to enable stressed units in SME sector to settle their dues to the Bank on liberal terms.

The Bank was awarded First Prize in lending to Micro and Small enterprises by the Central Government and the award was received by Shri M. Narendra, Chairman & Managing Director from the Hon'ble President of India. The Bank was also awarded the Best Bank for lending to MSE sector by Dun & Bradstreet.

Agriculture

During the year, the agricultural credit portfolio of the Bank registered incremental growth of ₹ 3,360 crore from ₹ 16,056 crore as on 31st March 2011 to ₹ 19,416 crore as on 31st March 2012. The Bank's ratio of agricultural advances to Adjusted Net Bank Credit was 18.82% against the required norm of 18%.

The Bank disbursed ₹ 22,272 crore under Special Agricultural Credit Plan (SACP) as against the target of ₹ 21,500 crore during the year.

Recovery to demand under agricultural advances continued to be satisfactory at 78.31% for the year ended June 2011.

New Agriculture loan products

The Bank has introduced / customised the following Agricultural loan products to suit specific needs of identified segments:

IOB Sagarlakshmi: An exclusive loan product designed for financing fisherwomen empowering them with sustainable income generation. Loans up to ₹ 1.00 lac are granted under agricultural advances.

IOB Bhoomi Shakti: The scheme is formulated to provide financial assistance to women having farm land in their own name and tenant farmers if the tenant is a woman. The scheme provides for interest concession @ 0.50% for limits up to ₹ 50000/- and 0.25% for limits above ₹ 50,000/-.

Overdraft in SB accounts: The Bank has formulated a scheme for Savings-cum-OD accounts for rural families which do not have any land facilitating overdraft facilities up to ₹ 10000/- per family.

IOB Green Credit: A scheme for meeting the short term production credit or investment credit or both. The scheme was made more attractive by increasing maximum limit up to ₹ 25 lacs.

IOB Urban Horticulture: The Scheme is meant for individuals and institutions for raising kitchen garden, flower garden, small orchards or roof gardens. The scheme was modified by increasing minimum limit to ₹ 33,000/- and maximum limit to ₹ 2.50 lakhs to Individuals and to ₹ 25.00 lakhs to Institutions. Margin and collateral security is waived for loans up to ₹ 1.00 lac.

IOB Agri. Transport: This scheme is designed for purchase of two wheelers, three wheelers and four wheelers to be used for agriculture purpose. The scheme is liberalized by waiving margin for loans up to ₹ 1.00 lac. Further, collateral security valued at least 50% of the loan amount in any form is also waived.

Kisan Credit Card Scheme (KCC)

The Bank issued 3,42,806 KCCs during the year. The total number of cards cumulatively issued by the Bank as at the end of March 2012 stood at 25,61,192.

Microfinance

During the year, the Bank credit-linked 33,469 Self Help Groups (SHGs) with a credit outlay of ₹ 713.93 Crore. The cumulative number of SHGS credit linked by the Bank is 4,33,866 with a total disbursement of ₹ 4,203.74 Crore as of March 2012.

"SHG Credit Linkage Week" from 05.03.2012 to 10.03.2012 was observed coinciding with International Women's Day on 8th March to give fillip to SHG linkage under the direct segment.

Credit flow to Women

As on 31st March 2012, Bank's credit to women stood at ₹ 14,059.65 Crore constituting 13.62% of the Bank's Adjusted Net Bank Credit, as against the norm of 5%.

Lead Bank Scheme

The Bank has Lead Bank responsibility in twelve districts in Tamil Nadu and one district in Kerala. The Bank is also the Convenor of State Level Bankers' Committee of Tamil Nadu

का संयोजक होने के नाते बैंक ने चार एस एल बी सी बैठकें आयोजित की और एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया । इसके अलावा बैंक ने वर्ष के दौरान निम्न विशेष एसएलबीसी बैठकों का आयोजन किया ।

1) कृषि को वित्तीय सहायता पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर दो विशेष एसएलबीसी बैठकें
2) हथकरघा क्षेत्र के लिए भारत सरकार के पुनरारंभ, सुधार व पुन:संरचना पैकेज पर बैठक
3) तमिलनाडु सरकार की पेंशन योजना पर बैठक
4) शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज इमदाद पर बैठक
5) स्पिन्निंग, टेक्स्टाइल व निटवेयर उद्योग को राहत व छूट पर बैठक

एसएलबीसी के संयोजक होने के नाते,बैंक ने सरकार की विभिन्न योजनाओं, वित्तीय समावेशन और वार्षिक उधार योजना की समीक्षा करने के लिए तिरुच्चि में तामिलनाडु के सभी 31 अग्रणी जिला प्रबंधकों का सम्मेलन आयोजित किया । भारतीय रिज़र्व बैंक और नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया ।

एसएलबीसी के संयोजक होने के नाते, बैंक ने वित्तीय समावेशन के तहत बैकों द्वारा 4445 गांवों (जहां जनसंख्या 2000 से अधिक हो) में किए गए कवरेज की प्रगति का प्रबोधन किया और 100% कवरेज की उपलब्धि की ।

एस एल बी सी , तमिलनाडु के संयोजक के रूप मे बैंक ने राज्य के 31 जिल़ों में ग्रामीण स्व- रोजग़ार प्रशिक्षण संस्थानों (आर एस ई टी आइ)

व वित्तीय साक्षरता व उधार परामर्श केंद्रो की स्थापना की ।

एसएलबीसी के संयोजक होने के नाते, बैंक ने वार्षिक उधार योजना के तहत उपलब्धि की प्रगति का प्रबोधन किया जो 31 12 2011 तक 115% है और यह देश के दूसरे नंबर पर है ।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु दान व प्रायोजन प्रदान करते हुए कई कार्यकलापों में भाग लेकर बैंक कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करता रहता है । वर्ष 2011-12 के दौरान, बैक ने विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यकलापों के साथ साथ तमिलनाडु मुख्य मंत्री की राहत निधि थाने चक्रवात हेतु रु 1 करोड और विभिन्न सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए दान व स्पान्सरशिप के रूप में रु 50 लाख दिए ।

आइ ओ बी संपूर्ण परियोजना - संपूर्ण ग्रामीण विकास परियोजना

आइ ओ बी संपूर्ण एक नवोन्मेषी ग्रामीण विकास परियोजना है जो संपूर्ण ग्रामीण विकास पर लक्षित करता है । आइ ओ बी संपूर्ण एक अद्वितीय परियोजना है जिसमें गाँव में कई जीविकोपार्जक पहले शामिल है ताकि ग्रामीण जनसंख्या का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके ।

इसके अंतर्गत ऋण और गैर ऋण घटक जैसे वित्तीय समावेशन, सूचना प्रौद्योगिकी युक्त बैंकिंग परिचालन साथ ही कारोबारी संवादी मॉडल के तहत बायो मेट्रिक कार्ड, वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी, जल शोधन निकाय, स्वास्थ्य, कंप्यूटर में युवाओं का कौशल प्रशिक्षण, ग्रामीण कारोबार संसाधन आउटसोर्सिंग गैर पारंपरिक उर्जा प्रोत्साहन और ग्रामीण पर्यटन आदि आते हैं । यह योजना पिछले 5 वर्षों से कार्यान्वित है । इस वर्ष और 16 गांव जोडे गए हैं और पूरे भारत में कुल 91आइओबी संपूर्ण गांव हो गए हैं ।

ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर एस ई टी आई)

ग्रामीण विकास मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने तमिलनाडु के सभी अग्रणी जिलों में किसानों , एस एच जी के सदस्यों एस जी एस वाई के तहत लाभभोगियों , शिक्षित बेरोजगार युवकों , कारीगरों और गरीब वर्ग के लाभभोगियों को प्रशिक्षण देने के लिए आरएसईटीआइ की स्थापना की है। उक्त के अलावा, बैंक ने जनजाति के हित के लिए नीलगिरि जिले में एक आरएसईटीआइ की स्थापना की है ।

बैंक द्वारा (नाबार्ड तथा इण्डियन बैंक के साथ संयुक्त रूप से) कारैकुड़ी (शिवगंगा जिला, तमिलनाडु) में एक ग्रामीण केन्द्र की स्थापना की गई थी जहाँ बैंक अग्रणी बैंक की भूमिका में है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने इन प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 107 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर कुल 2848 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया।

वित्तीय साक्षरता और उधार परामर्श केन्द्र (एफ एल सी सी सी) जैसे स्नेहा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने जनजाति की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से तमिलनाडु राज्य के नीलगिरि जिले के कोथगिरि में एक एफएलसीसीसी जैसे स्नेहा की स्थापना की, इससे कुल एफएलसीसीसी 14 हो गए ।

इन केन्द्रों मे ग्रामीण और शहरी लोगों को विभिन्न वित्तीय उत्पादों/ औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी जाएगी, व्यक्तिगत रूप से जाकर वित्तीय काउंसिलिंग सेवा दी जाएगी और कर्जदारों को कर्ज काउंसिलिंग सेवा दी जाएगी। एफ एल सी सी सी द्वारा वित्तीय सेवाएं / उत्पाद के मद्देनजर प्रयोक्ता जनता को सूचित विकल्प प्रदान किया जाएगा ताकि वे अधिकतम लाभ उठा सकें ।

शक्ति इण्डियन ओवरसीज बैंक चिदम्बरम चेट्टियार मेमोरियल ट्रस्ट

श्री एम सी टी एम चिदंबरम चेट्टियार - बैंक के संस्थापक के स्मरण में बैंक के प्रबंधन , इण्डियन ओवरसीज बैंक अधिकारी संघ और अखिल भारतीय ओवरसीज बैंक कर्मचारी संघ द्वारा ट्रस्ट की स्थापना संयुक्त रूप से की गई जो महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक अधिकार प्रदान करने हेतु उनकी व्यावहारिक कुशलता में सुधार करने हेतु उन्हें उद्यमी विकास प्रशिक्षण दे रहा है। ट्रस्ट ने विशेषकर महिलाओं के लिए विभिन्न केन्द्रों पर 55 उद्यमी विकास कार्यक्रम (ई डी पी) आयोजित किए हैं, जिसमें 3136 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

जोखिम प्रबंधन

दिनांक 31 मार्च 2008 से बैंक ने नई पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) को अपना लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए अनुदेशों के अनुसार बैंक उधार जोखिम पूँजी के परिकलन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एस ए) और परिचालनात्मक जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) और बाजार जोखिम के लिए पूँजीगत अपेक्षाओं के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) को अपना रहा है। इस संबंध में बैंक विनियामक अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन कर रहा है।

आगे, बैंक बेसल-II फ्रेमवर्क के तहत उल्लिखित अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली उन्नत करने एवं अपनी कार्यप्रणालियों को उन्नत स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया में है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में भारत में बेसल III पूंजी विनियमन पर दिशानिर्देश, तरलता जोखिम प्रबंधन और तरलता मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क

(SLBC). During the year of review, as convenor of SLBC, Tamil Nadu, the Bank has conducted four meetings of the SLBC. In addition, the Bank convened the following special SLBC meetings during the year:

1) Two special SLBC meetings on the Guidelines on Lending to Agriculture issued by Ministry of Finance.
2) Meeting on Government of India's Revival, reform & restructuring package for Handloom sector.
3) Meeting on Tamil Nadu Government's Old Age pension scheme.
4) Meeting on Interest Subsidy for Housing Urban Poor (ISHUP).
5) Meeting on Relief & Concessions to spinning, Textile and Knitwear industry.

As Convenor of SLBC, the Bank organized a conference of all the 31 Lead District Managers of Tamil Nadu at Trichy to review the progress in various Government schemes, Financial Inclusion and Annual Credit Plan.Senior Officials from Reserve Bank of India and NABARD also participated.

As convenor of SLBC, the Bank monitored the progress in coverage of 4,445 villages (with population above 2000) by Banks under the Financial Inclusion Plan and achieved 100% coverage.

The Bank, as the Convenor of SLBC, Tamil Nadu organized establishment of Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) and Financial Literacy & Credit Counseling Centres in all the 31 districts of the State.

The Bank, as the convenor of SLBC monitored the progress of achievement under Annual Credit Plan, which stands at 115% as on 31.12.2011, the second highest in the country.

Corporate Social Responsibility

The Bank continues to meet its Corporate Social Responsibility by participating many of the activities towards socio-economic development by extending donations and sponsorship. During the year 2011-12, the Bank donated ₹ 1 crore to Tamil Nadu Chief Minister's Relief Fund and ₹ 50 lakhs to Tamil Nadu Chief Minister's Relief Fund – Thane Cyclone besides other donations and sponsorships to various socio welfare activities.

IOB-Sampoorna Project – A Total Village Development Project

IOB Sampoorna is an innovative rural development project aimed at Total Village Development. IOB-Sampoorna is a unique Project encompassing several livelihood initiatives in the villages to ensure all-inclusive growth of rural population. It comprises of credit and non-credit components such as Financial Inclusion, Information Technology enabled banking operations with Bio-metric Smart Cards under Business Correspondent model, Tree Planting and Social Forestry, Cleaning Water Bodies, Health Care, Skill Training for youth in computer, Rural Business Process Outsourcing, Promotion of non-conventional energy and Rural Tourism. The scheme is under implementation for last 5 years. This year 16 more villages were added taking the total IOB Sampoorna villages to 91 all over India.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)

In line with the guidelines issued by Ministry of Rural Development, Government of India (GOI), the Bank had set up RSETIs at all Lead Districts to provide training to farmers, members of SHGs, beneficiaries under SGSY, Educated Unemployed Youth, Artisans and beneficiaries belonging to weaker sections. In addition to the above, the Bank has set up one RSETI in the Nilgiris District for the benefit of the Tribals.

A Rural Training Centre was set up by the Bank (jointly with NABARD and Indian Bank) at Karaikudi , Sivaganga District, Tamil Nadu state. The Bank has Lead Bank responsibility in these Districts. During the year under review, through these Training Institutes, the Bank had conducted 107 training programmes benefiting 2,848 trainees.

Financial Literacy & Credit Counseling Centre (FLCCC) viz., SNEHA:

During the period under review, the Bank has set up one FLCCC viz. SNEHA at Kothagiri in the Nilgris District, Tamil Nadu State to cater to the needs of Tribals taking the total FLCCCs to 14 .

These centres will educate the people in rural and urban areas with regard to various financial products and services available from formal financial sector, provide face to face financial counseling services and offer debt counseling to indebted individuals. FLCCCs will enable the user public to make informed choices regarding financial services/ products to derive the maximum benefits.

Sakthi Indian Overseas Bank Chidambaram Chettyar Memorial Trust

The Trust, set up jointly by the Management of the Bank, Indian Overseas Bank Officers' Association and All India Overseas Bank Employees' Union to perpetuate the memory of the founder of the Bank Shri M. Ct. M. Chidambaram Chettyar, continued to provide Entrepreneurial Development Training to women, thereby empowering them socially and financially to meet the challenges. The Trust has so far conducted several skill based training programmes and 55 Entrepreneurship Development Programmes (EDP) exclusively for women at various centres all over India, benefiting 3,136 women.

Risk Management

The Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework (Basel II) with effect from March 31, 2008. In line with Reserve Bank of India guidelines, the Bank is adopting Standardised Approach (SA) for computation of Credit Risk Capital, Basic Indicator Approach (BIA) for calculating the capital for Operational Risk and Standardised Measurement Method (SMM) for Market Risk Capital computation.The Bank is in compliance with the regulatory requirement in this regard.

The Bank is also in the process of upgrading its Risk Management systems and practices for migrating to the advanced approaches envisaged under Basel II framework.

The Reserve Bank of India has issued draft guidelines recently on Basel III Capital Regulations in India and Liquidity Risk Management and Basel III frame work on Liquidity

जारी किए हैं । अंतिम दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जानेवाले हैं । बैंक उनके अनुपालन के लिए प्रणालियों व प्रक्रियाओं की व्यवस्था कर रहा है ।

अनुपालन कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक बैंक ने अनुपालन नीति बनाई है और अनुपालन जोखिम का प्रबंधन करने और उसका निवारण करने के लिए प्रणालियों व प्रक्रियाओं को लागू किया है । केवाइसी अनुपालन के लिए (अपने ग्राहक को जाने) आवश्यक उपयोगिता तरीके विभाग द्वारा दिए गए हैं । विभाग द्वारा नियमित अनुवर्ती व सुग्राहीकरण किया जा रहा है ।

ऋण प्रबोधन

समस्याओं की पहचान करके बैंक पोर्टफोलियो की गुणवत्ता का प्रबोधन करता है और कमियों को दूर करने के लिए उपाय किये जाते हैं । इसका उद्देश्य अर्जक आस्तियों के एन पी ए वर्ग मे फिसलन को कम करना है । खातों का दैनिक आधार पर सेगमेंटेशन और अनुवर्तन के द्वारा खातों की सूक्ष्म निगरानी करके बैंक को फिसलन कम करने में सहायता मिलेगी । बैंक ने संभाव्य एनपीए की पहचान करने व जोखिमवाले शेष की वसूली के लिए सिस्टम विकसित उपाय अपनाए । चिंताजनक खातों की समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है और देयों की वसूली, पुन:संरचना / गहरा संरचना, बढ़ोतरी आदि हेतु आवश्यक उपाय किए जाते हैं । पुन:संरचित खातों का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है और उन खातों की सख्त अनुवर्ती की जाती है ।

वसूली प्रबंधन

रु 5.00 करोड और उससे अधिक के उच्च मूल्य स्लिपेजस की समीक्षा निदेशक मण्डल द्वारा हर मण्डल की बैठक में की जा रही है और निदेशक मण्डल द्वारा दिए जानेवाले विशिष्ट निदेशों का अनुवर्तन किया जाता है ।

रु 1 करोड और उससे अधिक रकम के उच्च अनर्जक आस्ति (एनपीए) खातों का प्रबोधन कार्पोरेट कार्यालय से नियमित रूप से किया जाता है और जहां भी आवश्यक है वहां उधारकर्ताओं से महा प्रबंधक (विधि व वसूली) व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करते हैं ।

उच्च कार्यपालक, जिनमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक और महा प्रबंधक (विधि व वसूली) भी शामिल हैं, सभी उच्च मूल्यवाले एनपीए खातों की समीक्षा क्षेत्राधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से वीडियो कान्फ्रेन्स के ज़रिए नियमित रूप से करते हैं ।

सभी कार्पोरेट महा प्रबंधकों को एनपीए खातों के गहन अनुवर्तन के लिए क्षेत्र आबंटित किये गये हैं और उन्होंने चुकतान/निपटारा/वसूली हेतु उधारकर्ताओं के साथ विचारविमर्श करने के लिए इन क्षेत्रों का सावधिक रूप से दौरा किया ।

रु.1 करोड से कम की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया और शाखा प्रबंधकों को यह अधिकार दिया गया कि वे छोटे मूल्य के अनर्जक खातों में एकमुश्त निपटान को स्वीकार करें । इस अभियान के तहत रु.337.88 करोड़ की राशि वसूल की गई ।

चूँकि एकमुश्त निपटान (ओटीएस) एक निर्बाध वसूली प्रक्रिया है, क्षेत्रीय प्रधानों/शाखाओं को सूचित किया गया कि वे बैंक की वसूली नीति के अनुसार/ छोटे मूल्य के अनर्जक खातों के लिए शुरू की गई विशिष्ट योजना के अनुसार उधारकर्ताओं से संपर्क कर ओटीएस प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहें ।

सभी पात्र खातों में और बिक्री के लिए लायी गई संपत्तियों पर सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई । लोक अदालतें/वसूली कैंप बार-बार आयोजित किए गए विशेषकर छोटे मूल्य के अनर्जक खातों के संबंध में ।

क्षेत्रीय प्रधानों /शाखाओं को सूचित किया गया कि वे तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाल दिये गये खातों की वसूली पर ध्यान केन्द्रीकृत करें क्योंकि इस शीर्ष के तहत किसी भी रकम की वसूली बैंक के वित्तीय आधार को समृद्ध करेगी ।

वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सूचित किया है कि उन मामलों में वसूली कार्रवाई की शुरुआत की जाए, जहाँ वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये । बैंक ने विभिन्न केन्द्रों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की और उन्हें निर्देश दिये गये कि वे जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्र के सभी मामलों को फिर से उठायें और प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए कदम उठायें । बैंक विभिन्न ऋण वसूली अभिकरणों (डीआरटी) के पीठासीन / वसूली अधिकारियों के साथ समन्वय करता रहा है और इस प्रकार के मुखामुख विचार-विमर्श / चर्चाओं के चलते बैंक को मामलों की पहचान करने तथा वसूली को तेज़ करने में मदद मिली ।

30.09.2011 तक बैंक की 5 विशिष्ट आस्ति वसूली प्रबंधन शाखाएँ (एआरएमबी) रही हैं । वसूली में तेज़ी लाने के उद्देश्य से देश भर में 11 और एआरएमबी खोली गई हैं और इस प्रकार मार्च 2012 की समाप्ति तक बैंक की 16 एआरएमबा शाखाएँ हो गई हैं ।

वसूली की प्रक्रिया को तेज़ करने के उद्देश्य से लगभग 220 वसूली अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त किया गया है ताकि वसूली पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके । वसूली में सुधार लाने के लिए वसूली एजेंटों की सेवाएँ भी उपयोग में लायी गई हैं ।

वसूली के एकीकृत प्रयासों के कारण 31.03.2012 तक बैंक की सकल गैर-अर्जक आस्तियाँ रु.3920 करोड़ रहीं और सकल एनपीए अनुपात 2.74% रहा । 31.03.2012 तक निवल गैर-अर्जक आस्तियाँ रु.1907 करोड़ रहीं और निवल एनपीए अनुपात 1.35% रहा । प्रावधान कवरेज का अनुपात 67.68% रहा ।

सूचना के अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के तहत प्राप्त याचिकाओं का निपटारा

वर्ष 2011-12 के दौरान आरटीआइ अधिनियम के तहत सूचना की माँग करते हुए बैंक को कुल 2733 याचिकाएँ प्राप्त हुईं । सभी अनुरोधों का 30 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर-अंदर ही विधिवत उत्तर दे दिया गया । लगभग 85% याचिकाओं के सकारात्मक उत्तर दिये गये और शेष आवेदन माँगे गये विवरणों के लिए अपात्र पाए गए ।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 164 प्रथम अपीलें उन अपीलकर्ताओं से प्राप्त की गईं, जो केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। इन अपीलों का निपटान अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया।

माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग(सीआइसी) के समक्ष 45 अपील याचिकाओं को द्वितीय अपील के रूप में रखा गया। सभी 45 याचिकाओं को (सीआइसी) द्वारा निपटा दिया गया।

औद्योगिक पुनर्वास

औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण / वित्तीय पुनर्निर्माण हेतु अपीलीय प्राधिकारी (बीआइएफआर/ एएआइएफआर) के लिए बोर्ड के तहत प्रतिवेदित वर्ष के अंत तक कुल मामले 20 रहे, जिनका समग्र जोखिम रु.75.76 करोड़ रहा। इनमें से रु.9.64 करोड़ के 5 खाते मानक व अर्जक थे । एनपीए खातों में से रु. 27.16 करोड़ की राशि वाले 7 मामलों में वसूली की गई। वर्ष के दौरान रु.197.25 करोड़

Standards. The final guidelines are expected to be issued shortly. The bank is putting the systems and process in place for complying with the same.

Compliance Function

The Bank has well laid "Compliance Policy" as per Reserve Bank of India guidelines and has in place systems and procedures for managing the Compliance Risk and mitigating the same. The required utility tools for (Know Your Customer) KYC compliance has been provided by the department. Regular follow up and sensitization are undertaken by the department.

Credit Monitoring

The Bank monitors the quality of loan portfolio, by identifying the problems and takes proactive steps to correct deficiencies. The objective is to minimize slippages of performing assets to Non Performing Assets (NPA) category. Micro monitoring of the accounts by segmentation and follow up of the accounts on daily basis helps the Bank to minimize slippages. The Bank has introduced system-developed tools for identifying the potential NPAs along with the critical dues to be recovered. The problems in the stressed accounts are analyzed and necessary steps are taken for recovery of the dues, restructuring / deep restructuring, enhancement etc. The quality of restructured accounts are monitored on a continuous basis and the accounts are followed up closely.

Recovery Management

High value Slippages of ₹ 5.00 crore and above are being reviewed by the Board of Directors in each of the Board meetings and the specific directions given by the Board of Directors are carried out for follow up.

Top Non Performing Asset (NPA) accounts of ₹ 1 crore and above are monitored from the corporate office on a regular basis and the borrowers are personally met by the General Manager (Law & Recovery), wherever necessary.

Top Executives including the Chairman and Managing Director, the Executive Directors and the General Manager (Law & Recovery) reviews all high valued NPA accounts individually on a regular basis with field functionaries through video conference.

All Corporate General Managers are allotted regions for intensive follow up of NPA accounts and they periodically visited Regions to discuss with Borrowers for repayment / settlement / recovery.

For all NPAs of less than ₹ 1 crore, there was a special campaign and Branch Managers were also empowered to accept One Time Settlements in small value NPA accounts. An amount of ₹ 337.88 crore had been recovered under the campaign.

One Time Settlement (OTS) being a hassle free recovery process, Regional Heads / Branches were advised to contact the borrowers for submitting OTS proposals as per the recovery policy of the Bank/as per the special scheme launched for small value NPAs.

Action under SARFAESI act was initiated in all eligible accounts and properties brought for sale. Frequent Lok Adalats / Recovery camps were conducted especially in respect of small value NPA accounts.

Regional Heads/Branches have been advised to focus on recovery of Technical/Prudentially written-off accounts as any amount of recovery under this head will improve the bottom line of the Bank.

Ministry of Finance has advised the Banks to initiate recovery action in the matter of Recovery Certificate (RC) issued cases. The Bank has appointed Nodal Officers at various centres and they were directed to take up all RC issued cases and bring the securities for sale. The Bank has been co-ordinating with Presiding Officers / Recovery Officers of various Debt Recovery Tribunals (DRTs) and this kind of one-to-one discussion/deliberations helped the Bank to identify the issues and to speed up recovery.

As of 30.09.2011, the Bank had 5 specialised Asset Recovery Management Branches (ARMB). To improve the recovery, 11 more ARMBs were opened across the country making a total of 16 ARMBs as at the end of March 2012.

To expedite recovery , around 220 Recovery Officers were deputed to Regions to specifically focus on recovery. The services of Recovery Agents were also utilised to improve recovery.

With concerted recovery efforts, Gross Non Performing Assets of the Bank stood at Rs.3920 crore as on 31.03.2012 in absolute terms and Gross NPA ratio at 2.74% . Net Non Performing Assets as on 31.03.2012 stood at Rs. 1907 crore in absolute term and Net NPA ratio at 1.35%. The Provision coverage ratio stood at 67.68%.

Disposal of petitions received under Right To Information (RTI) Act

The Bank received 2,733 petitions seeking information under RTI Act during the year 2011-12. All the requests were duly replied within the specified period of 30 days. About 85% of the petitions were positively replied and the balance applications were found ineligible for the details requested.

Our First Appellate Authority received 164 first appeals from those who were not satisfied with the reply of Central Public Information Officer and the same was duly disposed as per the provisions of the Act.

45 petitions resulted as second appeals with the Hon'ble Central Information Commission (CIC). All 45 petitions were disposed by CIC.

Industrial Rehabilitation

Total cases under Board For Industrial Financial Reconstruction / Appellate Authority For Financial Reconstruction (BIFR/AAIFR) as at the end of reporting year were 20 with an exposure of ₹ 75.76 crore. Of this, 5 accounts aggregating to ₹ 9.64 crore were standard and performing.Out of NPA accounts, recovery in 7 cases amounting to ₹ 27.16 crore were made. During the year, 6 accounts with an aggregate exposure of ₹ 197.25 crore were brought out of Sick Industrial Companies (Special Provisions Act 1985 (SICA) purview, through abatement of reference due to SARFAESI action in three accounts, winding up order in one case and discharge on net worth turning positive in two cases.

के समेकित जोखिम वाले 6 खातों को बीमार औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान अधिनियम 1985(एसआइसीए)) के दायरे से बाहर ला लिया गया, क्योंकि 3 खातों में सरफेसी कर्रवाई के कारण संदर्भ का विलोपन किया गया, एक मामले में आदेश का निरसन किया गया और शेष 2 मामलों में निवल मूल्य पर डिस्चार्ज ने सकारात्मक रूप ले लिया ।

कॉर्पोरेट ऋण पुनः संरचना (सी डी आर)

31-03-2012 के अंत तक सीडीआर प्रणाली के तहत पुन:संरचित मामलों की कुल संख्या 32 रही जिनका कुल बकाया रु.2491.81 करोड़ था । यह 31.03.2011 के अंत में विद्यमान रु.595.96 करोड के बकाये वाले 15 मामलों की तुलना में था । वर्ष के दौरान रु.2039.99 करोड़ के जोखिम वाले 18 नये खाते सीडीआर प्रणाली में शामिल हो गये । सी डी आर प्रणाली के तहत विद्यमान 32 खातों में से रु.26.15 करोड के बकाये वाला एक खाता एवं रु.91.80 करोड़ के बकाये वाले 2 खाते क्रमश: अवमानक एवं संदिग्ध आस्ति प्रवर्ग के तहत रखे गये । शेष 29 खातों, जिनमें बकाया राशि रु.2,373.86 करोड़ है, को मानक प्रवर्ग के अंतर्गत रखा गया है । रु.30.12 करोड़ के जोखिम वाला एक खाता सीडीआर से बाहर हो गया क्योंकि वह सीडीआर निबंधनों और शर्तों का अनुपालन नहीं करता । अवमानक/संदिग्ध खातों की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

निवेश

वर्ष 2011-12 के दौरान निवेश में वृद्धि वस्तुत: सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) निवेशों में बढोतरी के कारण हुई है, जो कि, प्रमुखत: बैंक की जमाओं में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त एसएलआर अपेक्षाओं के कारण है ।

पिछले वर्ष की तुलना में 14.70% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31-03-2011 तक रु.47,720.54 करोड़ के मुकाबले दिनांक 31 मार्च 2012 तक सकल घरेलू निवेश रु.54,736.13 करोड़ रही। वर्ष के दौरान एसएलआर प्रवर्ग के तहत निवेश में रु.11938.26 करोड़ यानि 31.22% की वृद्धि दर्ज की गयी जबकि गैर-एसएलआर निवेश रु.4,922.67 करोड़ यानि 51.88% घट गया।

वर्ष 2011-2012 के दौरान, रु.2450.08 करोड़ की प्रतिभूतियाँ, बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) प्रवर्ग से परिपाक तक धारित (एचटीएम) प्रवर्ग में अंतरित की गईं और रु.737.11 करोड़ की राशि परिपाक तक धारित (एचटीएम) प्रवर्ग से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) प्रवर्ग में अंतरित की गयीं।

31 मार्च 2012 तक, परिपाक तक धारित के अंतर्गत रखी गयी एसएलआर प्रतिभूतियाँ 31.03.2012 तक 20.95% की तुलना में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 25% की सीमा के प्रति माँग व समय देयताओं (डीटीएल) का 22.54% रहीं।

वर्ष की अधिकांश अवधि के दौरान संप्रभु बॉण्डों की आय पर दबाव बना रहा क्योंकि मुद्रा स्फीति से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में कई बढ़ोतरियाँ की गईं । बैंक ने पूरे वर्ष में नियत आय प्रतिभूतियों और ईक्विटियों में अपना व्यापार जारी रखा। वर्ष 2010-11 में द्वितीयक बाजार में पण्यावर्त (बही मूल्य) जहाँ रु.78,035 करोड़ रहा वहीं वर्ष 2011-12 के दौरान यह रु.1,02,532 करोड़ तक पहुँच गया। वर्ष 2011-12 के दौरान प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त कुल लाभ रु.171.80 करोड़ रहा जब कि वर्ष 2010-11 के दौरान यह रु.108.57 करोड़ था । 2010-11 में परिशोधन के कुल निवेश निवल पर प्रतिलाभ जहाँ 7.15% था, वहीं यह बढ़कर 2011-12 में 7.54% हो गया।

रुपया व्युत्पन्न

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने रुपया ब्याज स्वैप में सक्रियता से कारोबार किया और किसी नये प्रतिरक्षा स्वैप में प्रविष्ट नहीं किया । परिपाक व असमापन के कारण ब्याज दर स्वैपों में बकाया 31.03.2012 को रु.1073 करोड़ तक गिर गया जबकि 31.03.2011 को यह रु.1748 करोड़ था ।

फ़ॉरेक्स परिचालन

टर्नओवर

पिछले वर्ष के रु.70,279.37 करोड़ के प्रति वर्ष 2011-12 के लिए कुल मर्चेन्ट (व्यापार) टर्नओवर प्राधिकृत डीलर शाखाओं सहित रु.87,541 करोड़ रहा जो कि 24.56% की वृद्धि है।

इसमें बैंक का बहुमूल्य धातु कारोबार भी शामिल है जो पिछले वर्ष के दौरान जहाँ रु.1014.34 करोड़ (5,354 किलो) रहा, वहीं वर्ष 2011-12 के लिए यह 2,241.53 करोड़ (8,832 किलो) हो गया यानि 120.98% की वृद्धि हुई।

विनिमय पर लाभ

2011-12 के लिए ट्रेज़री के फ़ारेक्स प्रभाग ने विनिमय पर रु.184.00 करोड़ का लाभ हासिल किया। 31-03-2011 को समाप्त पिछले वर्ष में यह लाभ रु.125.53 करोड़ था यानि विनिमय पर लाभ 46.58% बढ़गया।

अन्य आय

2011-12 के लिए ट्रेज़री के फ़ॉरेक्स प्रभाग ने रु.37.49 करोड़ की अन्य आय प्राप्त की । 31-03-2011 को समाप्त पिछले वर्ष की तुलना में अन्य आय 39.99% बढ़ गई। इसमें बहुमूल्य धातु कारोबार से प्राप्त रु.9.75 करोड़ (2010-11 में रु.3.90 करोड़) भी शामिल हैं। 2010-11 में अन्य आय रु.26.78 करोड़ थी।

लेन-देन बैंकिंग

लेन-देन बैंकिंग विभाग की स्थापना फरवरी 2011 में की गई, इस उद्देश्य से कि कम मार्जिन-उच्च प्रमात्रा बैंकिंग उत्पादों को बढ़ावा मिल सके ताकि काग़ज़रहित लेन-देनों में वृद्धि करते हुए बैंक की राजस्व में बढोत्तरी की जा सके।

साकल्यवादी व समेकित कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स के साथ बैंक अपने ग्राहकों को बहुविध डेलिवरी चैनल (ई-उत्पाद) प्रदान करता है, जैसे -

1. एटीएम
2. डेबिट कार्ड
3. क्रेडिट कार्ड
4. इंटरनेट बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग
5. आरटीजीएस / एनईएफ़टी
6. सीबीएस
7. पीओएस
8. ई-किओस्क

स्वचालित टेल्लर मशीनें (एटीएम)

मार्च 2011 के अंत तक बैंक का 1,043 एटीएमों का नेटवर्क था (719 ऑनसाइट, 324 ऑफसाइट - जिनमें से 43 रेलवे एटीएम रहे)। 31 मार्च 2012 तक बैंक का 1,443 एटीएम का नेटवर्क रहा (903 ऑनसाइट, 540 ऑफसाइट - जिनमें से 44 रेलवे एटीएम हैं)। भारत सरकार के 2 महीनों से अधिक की अवधि के प्रतिबंधन के बावजूद वर्ष के दौरान एटीएमों की संख्या में 400 की वृद्धि हुई।

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने हैदराबाद में एक और मोबाइल एटीएम शुरू किया व वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत तक बैंक के पास 2 मोबाइल एटीएम हैं (एक चेन्नै में व एक हैदराबाद में)।

डेबिट कार्ड

मार्च 2011 के अंत तक बैंक का कार्ड आधार 26.74 लाख रहा जब कि मार्च 2012 के अंत तक यह आधार 34.66 लाख तक बढ़ गया। वर्ष के दौरान 7.92 लाख कार्ड जारी किये गये।

बैंक ने 65,000 स्टूडेंट कार्ड भी जारी किये जिनमें से 1,500 बहुउद्देशीय कार्ड हैं जो बारकोड व फ़ोटो सहित शिक्षा संस्थाओं को जारी किये गये हैं जिनका प्रयोग लाब्रेरी व कैंटीन के लिए पहचान कार्ड व प्रवेश कार्ड के रूप में किया जा सकता है।

क्रेडिट कार्ड

वर्ष के दौरान बैंक ने 1,467 क्रेडिट कार्ड जारी किये और 31-03-2012 तक जारी किये गये कुल क्रेडिट कार्डों की संख्या 41,300 है।

Corporate Debt Restructuring (CDR)

As at the end of March 2012, the total number of cases restructured under CDR mechanism was 32 with an outstanding of ₹ 2491.81 crore as against 15 cases with an outstanding of ₹ 595.96 crore as at the end of 31.3.2011. 18 new accounts, entered CDR mechanism with an exposure of ₹ 2,039.99 crore during this year. Of the 32 accounts under CDR, one account with an outstanding of ₹ 26.15 crore and 2 accounts with an outstanding of ₹ 91.80 crore are under Sub-Standard and Doubtful Asset category respectively and the remaining 29 accounts with an outstanding of ₹ 2, 373.86 crore are under Standard category. One account with exposure of ₹ 30.12 crore has gone out of CDR as they do not comply with CDR terms and conditions. Efforts are on for recovery of sub-standard/doubtful accounts.

Investments

The growth in investments during the year 2011-2012 was driven by increase in (Statutory Liquidity Ratio) SLR investments mainly on account of additional SLR requirements consequent to Deposit Growth of the bank.

Gross domestic investments as of 31st March 2012 stood at ₹ 54,736.13 crore as against ₹ 47,720.54 crore as on 31st March 2011 registering a growth of 14.70% over the previous year. The investments in SLR segment registered a growth of ₹ 11,938.26 crore or 31.22% during the year while Non-SLR investments decreased by ₹ 4,922.67 crore or 51.88 %.

During the year 2011-12, securities for ₹ 2,450.08 crore were transferred from Available for Sale category (AFS) to Held to Maturity (HTM) segment, and ₹ 737.11 crore from Held to Maturity (HTM) to Available for Sale (AFS).

As on 31st March 2012, the extent of SLR securities held in HTM stood at 22.54% of Demand and Time Liabilities (DTL) against the limit of 25% prescribed by RBI compared to 20.95% as on 31.3.2011.

The yield of sovereign bonds continued to be under pressure during most part of the year, due to series of policy rate hikes by RBI to tackle inflation. The bank continued to trade both in fixed income securities and equities throughout the year. The turnover (book value) in the secondary market reached ₹ 1,02,532 crore during the year 2011-12 against ₹ 78,035 crore in 2010-11. Total profit on sale of securities amounted to ₹ 171.80 crore during the year 2011-12 as against ₹ 108.57 crore in 2010-11. The return on total investments net of amortization has increased from 7.15% in 2010-11 to 7.54% in 2011-12.

Rupee Derivatives

During the year 2011-12, the Bank has actively traded in Rupee interest swaps and had not entered into any fresh hedging swaps. Due to maturity and unwinding, the outstanding in interest rate swaps has come down to ₹ 1,073 crore as on 31.3.2012 as against ₹ 1,748 crore as on 31.3.2011.

Forex Operations

Turnover

The total merchant turnover for 2011-12 including AD branches is ₹ 87,541.84 crore as against ₹ 70,279.37 crore last year recording an increase of 24.56%.

This includes the precious metal business of the bank for 2011-12 to the tune of ₹ 2,241.53 crores (8,832 kgs) as against ₹ 1,014.34 crores (5,354 kgs) in the previous year, an increase of 120.98%.

Profit on Exchange

Forex division of Treasury has achieved Profit on Exchange of ₹ 184.00 crore for 2011-12. The Profit on Exchange has increased by 46.58% when compared ₹ 125.53 crore in the previous year ended 31.03.2011.

Other income

Forex Division of Treasury has achieved Other Income of ₹ 37.49 crore for 2011-12. The other income has increased by 39.99% when compared to previous year ended 31.03.2011. This includes ₹ 9.75 crore (₹ 3.90 crore in 2010-11) from precious metal business. Other Income for 2010-2011 was at ₹ 26.78 crore.

Transaction Banking

Transaction Banking Department was formed in February 2011 with the purpose of giving a boost to Low Margin - High Volume Banking Products in order to increase the revenue growth of the Bank by increasing the paperless transactions.

Along with holistic and integrated Core Banking Solutions, the Bank provides multiple DELIVERY CHANNELS (e-Products) to the customers like

1. ATMs
2. Debit Cards
3. Credit Cards
4. Internet Banking and Mobile Banking
5. RTGS / NEFT
6. CBS
7. PoS
8. E-Kiosks

Automated Teller Machines (ATMs)

As at the end of March 2011, the Bank had a network of 1,043 ATMs (719 onsite, 324 offsite out of which 43 Railway ATMs). As at 31 March 2012, the Bank had a network of 1,443 ATMs (903 onsite, 540 offsite out of which 44 are Railway ATMs). There has been an increase of 400 ATMs during the year under reference despite restrictions from the Government of India for a period extending beyond 2 months.

The Bank added one more Mobile ATM in Hyderabad during the year 2011-12 and as at the end of the financial year 2011-12, the Bank had 2 Mobile ATMs (one in Chennai and other in Hyderabad).

Debit Cards

The Bank had a card base of 26.74 lacs at the end of March 2011 and as at the end of March 2012 the Bank has increased the card base to 34.66 lacs. The cards issued during the year under reference are 7.92 lacs.

The Bank also issued 65, 000 student cards of which about 1,500 Multipurpose cards to Educational Institutions with barcodes and photo which could be used as identity cards and entry cards for the library and canteen.

Credit Cards

The Bank issued 1,467 credit cards during the year and the total credit cards issued stands at 41,300 as on 31.03.2012.

इंटरनेट बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग

संदर्भगत वर्ष के दौरान इंटरनेट बैंकिंग के लिए पंजीकरणों की संख्या 1.03 लाख बढ़ गई व मोबाइल बेंकिंग पंजीकरण 4,500 बढ़ गये।

बैंक इस तथ्य को सहर्ष दर्ज करता है कि तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) समाहरण में बैंक नं.1 स्थान पर रहा व वह इस क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इण्डियन बैंक, ऐक्सिस बैंक आदि जैसे अन्य प्रतिस्पर्धियों से काफ़ी आगे है।

रियल टाइल ग्रॉस सेटलमेंट / नैशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्राँस्फ़र पेमेंट सिस्टम (आरटीजीएस / एनईएफ़टी)

रु.30.00 लाख के अपेक्षित लक्ष्य के प्रति वर्ष के दौरान रु.35.00 लाख की प्रमात्रा के आरटीजीएस व एनईएफ़टी लेन-देन सम्पन्न हुए व रु.6.75 करोड़ के अपेक्षित लक्ष्य के प्रति आरटीजीएस व एनईएफ़टी लेन-देनों से रु.7.08 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ। दोनों ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एनईएफ़टी अमल में लाया जा चुका है।

कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स (सीबीएस)

बैंक ने जनवरी 2005 में सीबीएस का शुभारंभ किया। 31 मार्च 2012 तक 2629 शाखाओं, 3 उपशाखाओं व 104 कार्यालयों में सीबीएस को कार्यान्वित कर लिया है और बैंक का 100% घरेलू कारोबार सीबएस के तहत आ गया है (जमाओं और अग्रिमों के संबंध में)।

सीबीएस परियोजना में बैंक को बहुविध चौबीस घण्टों के डेलिवरी चैनलों के जरिये बैंकिंग उत्पाद और सेवायें प्रदान की है जैसे नेटवर्क के तहत एटीएम, एसएमएस बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग ताकि ग्राहकों को बैंकिंग सेवायें "कहीं भी कभी भी" प्रदान की जा सकें।

हाल ही में खोली गई 48 शाखाओं को छोड़कर सभी शाखाओं में बयो-मेट्रिक प्राधिकरण को अमल में लाया गया है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यथा पांडियन ग्राम बैंक व नीलाचल बैंक में 100% सीबीएस हासिल कर लिया गया है।

संदर्भगत वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन या काग़ज़-रहित लेन-देनों का प्रतिशत 16.21% से बढ़कर 26% से भी अधिक हो गया।

12 क्षेत्रों के लिए खाता खोलने की केन्द्रीकृत प्रणाली के साथ सिटी बैक आफिस (सीबीओ) चेन्नै में शुरू किया गया । चेन्नै में ही चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) की शुरुआत की गई ।

पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें

31-03-2012 तक बैंक ने विभिन्न व्यापारी प्रतिष्ठानों में 618 पीओएस मशीनें प्रतिष्ठापित की हैं।

ई-किओस्क

विभिन्न शाखाओं में 102 ई-किओस्क प्रतिष्ठापित किये गये हैं जिनका प्रयोग फ़िलहाल ग्राहकों द्वारा चेकों की वसूली हेतु प्रस्तुति के लिए किया जा रहा है और बैंक अपने ग्राहकों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग के लिए इन किओस्कों का प्रभावी रूप से प्रयोग किये जाने की दिशा में तथा खातों के स्टेटमेंट मुद्रण व यूटिलिटी भुगतानों को अंजाम देने की प्रक्रिया में है।

व्यापार (मर्चेन्ट) बैंकिंग

अग्रणी प्रबंधक गतिविधि

वर्ष के दौरान बेंक ने को-बुक-रनिंग अग्रणी प्रबंधक के रूप में आइपीओ (प्रारम्भिक पब्लिक ऑफ़र) का सफ़लतापूर्वक प्रबंधन किया। बीएसई के एसएमई एक्स्चेंज में एक और आइपीओ की जिम्मेदारी के लिए को-बुक-रनिंग अग्रिम प्रबंधक के रूप में बैंक को मैण्डेट प्राप्त हुआ है। संबंधित आइपीओ के लिए विधिवत कर्मिष्ठता व अन्य प्रक्रियायें अति शीघ्र शुरू कर दी जायेंगी।

असबा (इश्यू गतिविधि के लिए बैंकर)

वर्ष के दौरान, असबा आवेदन (आइपीओ / एफ़पीओ / राइट्स अप्लिकेंट्स) स्वीकार करने वाली शाखाओं की संख्या 15 से बढ़ाकर 421 कर दी गई । सेबी द्वारा निर्धारित 12 केन्द्रों पर 16 शाखाओं में ब्रोकरों से आइपीओ / एफ़पीओ / राइट्स आवेदन स्वीकार करने के लिए बैंक एक सिंडिकेट असबा बैंक भी बन गया है।

व्यापार बैंकिंग के तहत अन्य गतिविधियाँ

डिबेंचर न्यासी, गैर अस्बा निर्गमों के लिए समाहरण बैंकर, लाभांश / ब्याज अदाकर्ता बैंकर शेयर आदि के लिए उचित मूल्यन प्रमाण-पत्र जारीकर्ता के रूप में बैंक अपनी जिम्मेदारी जारी रखे हुए है। इन सभी गतिविधियों में बैंक ने कई ग्राहक जोड़े हैं।

डिपॉज़िटरी परिचालन

बैंक एनएसडीएल का डिपॉज़िटरी प्रतिभागी (डीपी) है व अपनी 56 सेवा केन्द्र शाखाओं के ज़रिये डिपॉज़िटरी सम्बन्धी सेवायें प्रदान कर रहा है। (इनमें चेन्नै की नियंत्रक डिपॉज़िटरी शाखा भी शामिल है)। इनमें से 14 शाखायें चेन्नै में, 25 मुम्बई में और शेष अन्य शहरों में हैं। बैंक को कुछ ही दिन पहले केन्द्रीय डिपॉज़िटरी सेवायें लि. (सीएसडीएल) के डीपी के रूप में डी-मैट सेवायें प्रदान करने के लिये सेबी से अनुमोदन मिल गया है । सीडीएसएल सेवाओं की मार्केटिंग और एनएसडीएल सेवाओं के तहत विद्यमान कवरेज को बढ़ने के लिए प्रयास जारी हैं ।

नई गतिविधियाँ

बैंक ने मुम्बई में पूँजी बाजार सेवायें (सीएमएस) शाखा स्थापित की है ताकि व्यापार बैंकिंग संबंधी विभिन्न गतिविधियों को निष्पादित किया जा सके। अभियान चला जा सके और स्टॉक एक्सचेंजों के लिए समाशोधन व सेटलमेंट बैंक के रूप में काम कर सके। भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति, परिसर आदि सहित सीएमएस शाखा के लिए सभी वाँछित इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिये गये हैं और सीएमएस शाखा बहुत जल्दी परिचालन शुरू कर देगी।

बैंक ई-ट्रेडिंग गतिविधि को शुरू करने की प्रक्रिया के अंतिम दौर में है और यह गतिविधि अब कभी भी शुरू हो सकती है।

सरकारी कारोबार

प्रत्यक्ष कर समाहरण

बैंक 354 शाखाओं के जरिए ऑन लाइन टैक्स अकाउन्टिंग सिस्टम (ओएलटीएएस) से भौतिक चालानों की स्वीकृति द्वारा आयकर और अन्य प्रत्यक्ष कर की वसूली के लिए प्राधिकृत है। बैंक को प्रत्यक्ष करों का ई-भुगतान करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है जिसके लिए चेन्नै स्थित जेमिनि सर्किल शाखा ई-फोकल प्वाइंट शाखा है । डाटा प्रस्तुति शत प्रतिशत रही । 31.03.2012 तक टैन संबंधी डाटा की गुणवत्ता 99.02% रही और पैन संबंधी डाटा की गुणवत्ता 99.37% रही ।

लेनदेनों की संख्या	:	8,52,570
पण्यावर्त (रकम)	:	रु.7,415.27 करोड़
एजेंसी कमीशन	:	रु.3.67 करोड़

अप्रत्यक्ष कर समाहरण

बैंक को 217 शाखाओं के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक लेखांकन प्रणाली में उत्पाद शुल्क और सेवा कर (ईएएसआईईएसटी) रूपी अप्रत्यक्ष कर प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। बैंक को उत्पाद शुल्क और सेवा कर का ई-भुगतान प्राप्त करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है । केन्द्रीय उत्पाद

Internet Banking and Mobile Banking

The number of registrations for internet banking have increased by 1.03 lacs during the year under reference and the Mobile Banking Registrations have increased by 4,500.

The Bank is happy to place on record that the Bank has stood at No.1 Bank in Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) collection and is way ahead of other players which include State Bank of India, ICICI Bank, City Union Bank, Indian Bank, Axis Bank etc.

Real Time Gross Settlement/National Electronic Funds Transfer Payment Systems (RTGS / NEFT)

RTGS and NEFT transactions have been done to the volume of 35 lacs during the year against the expected target of 30.00 lacs and the Income from RTGS and NEFT transactions were placed at ₹ 7.08 crore against the expected target of ₹ 6.75 crore. NEFT has been implemented in both of the two Regional Rural Banks.

Core Banking Solutions (CBS)

The Bank launched CBS in January 2005. As on 31 March 2012, CBS had been implemented in 2,629 branches, 3 Extension Counters and 104 offices and accounted for 100.00 per cent of the Bank's domestic business (in terms of deposits and advances).

The CBS project has enabled the Bank to deliver banking products and services over multiple 24-hour delivery channels such as networked ATMs, SMS Banking and Internet Banking with a view to providing "Anywhere Anytime" banking services to customers.

Bio-Metric authorization has been implemented in all the branches except the recently opened 48 branches.100% CBS achieved in respect of the sponsored Regional Rural Banks viz. Pandyan Grama Bank and Neelachal Gramya Bank.

Electronic transactions or paperless transactions have reached from 16.21% to more than 26 % during the year under reference.

City Back Office (CBO) with centralized account opening system for 12 regions was introduced in Chennai. Cheque Truncation System (CTS) have been introduced in Chennai.

Point of Sale (PoS) Machines

The Bank has installed 618 PoS machines as on 31.03.2012 in various merchant establishments.

e-Kiosks

There are 102 e-kiosks installed in various branches which presently used for lodgement of clearing cheques by the customers and the Bank is in the process of using these e-kiosks more effectively for internet banking by customers and also for printing statement of accounts and utility payments.

Merchant Banking

Lead Manager Activity

The Bank successfully managed an (Initial Public Offer) IPO during the year by acting as Co-Book-Running Lead Manager. The Bank has now received a mandate to act as Co-Book Running Lead Manager for another IPO assignment in the SME Exchange of BSE. Due diligence and other processes for the said IPO are expected to commence shortly.

Applications Supported by Blocked Amount (Banker to Issue activity)

During the year, the Bank increased the number of branches for accepting ASBA applications (IPO/FPO/Rights applicants) from 15 to 421. The Bank has also become a Syndicate ASBA bank to accept IPO/FPO/Rights applications from Brokers at 16 branches in the SEBI specified 12 centres.

Other activities under merchant banking

The Bank continues to act as Debenture Trustee, Collecting Bankers to Non ASBA Issues, Dividend/Interest Paying Banker, Fair valuation certificate for shares, etc. In all these activities, the Bank has added number of customers.

Depository Operations

The Bank is a Depository Participant (DP) of NSDL and is extending depository related services through 56 service centre branches (including the controlling Chennai Depository branch). Of these, 14 branches are in Chennai, 25 in Mumbai and the remaining in other cities. The Bank has just received the clearance from SEBI for offering demat services as DP of Central Depository Services Ltd. (CDSL) also. Efforts are on for marketing of CDSL services and also improving the existing coverage under NSDL services.

New Activities

The Bank has set up a Capital Market Services (CMS) Branch at Mumbai for canvassing / performing various Merchant Banking related activities and acting as Clearing & Settlement Bank for Stock Exchanges. All required infrastructure for the CMS branch including Reserve Bank of India permission, premises, etc. are in place and the branch would be commencing CMS Branch operations shortly.

The Bank is in the final stage of commencement of E – Trading activity and the same is expected to start any time now.

Government Business

Direct Tax Collections

The Bank is authorized to collect Income Tax and other Direct Taxes in physical mode through On Line Tax Accounting System (OLTAS) by 354 branches all over India. The Bank is also authorized to receive e-payment of Direct taxes for which Gemini Circle branch (Chennai) is the e-Focal Point branch. Data submission is 100%. TAN data quality is 99.02% and PAN data quality is 99.37% as on 31.03.2012.

No. of txns	:	8,52,570
Turnover (Amount)	:	₹ 7,415.27 crore
Agency Commission	:	₹ 3.67 crore

Indirect Tax Collections

The Bank is authorized to collect indirect taxes through Electronic Accounting System in Excise and Service Tax (EASIEST) by 217 branches authorized by Central Board of Excise and Customs (CBEC). The Bank is also authorized to receive e-payment of Excise and Service Tax. Haddows Road branch (Chennai) is the e-Focal Point branch for Central Excise and Nariman Point branch (Mumbai) is the e-Focal

शुल्क के लिए हैडोस रोड शाखा (चेन्नै) ई-फोकल प्वाइंट शाखा है और सेवा कर के लिए नरीमन प्वाइंट शाखा ई-फोकल प्वाइंट शाखा है । सीमा शुल्क के ई-भुगतान तथा ई-प्रतिपूर्ति की ड्यूटी पुनर्निकासी की प्रक्रिया मार्च 2011 से शुरू हो गयी है । वर्ष के दौरान निम्नलिखित कारोबार किए गए :

लेनदेनों की संख्या	:	1,56,270
पण्यावर्त (रकम)	:	रु.5,992.13 करोड़
भुगतान / प्रतिपूर्ति (रकम)	:	रु.1,292.88 करोड़
एजेंसी कमीशन	:	रु.1.87 करोड़

डाटा प्रस्तुति शत प्रतिशत रही । 31.03.2012 तक मास्टर में मूल्यांकक कोड डाटा अद्यतन 98.20 % है और डाटा की गुणवत्ता 100% है ।

राज्य सरकार के राजस्वों का समाहरण

बैंक ने वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश राज्यों में इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए वाणिज्यिक करों (वैट) का ई-समाहरण प्रारंभ किया है । इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और कोलकाता के चुनिंदा स्थानों पर भौतिक समाहरण भी बैंक कर रहा है बार साथ-साथ तमिलनाडु और महाराष्ट्र में वाणिज्यिक करों के ऑनलाइन समाहरण का कार्य भी बैंक कर रहा है । इसके अंतर्गत बैंक ने रु.582 करोड की रकमयुक्त लगभग 56000 लेनदेन किये हैं ।

पेंशन का भुगतान

इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवाओं (ईसीएस) द्वारा जमा के अलावा केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे, दूर संचार, राज्य सिविल ,कर्मचारी पेंशन निधि संगठन(ईपीएफओ) , कोयला खनक भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ), तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी), चेन्नै पत्तन न्यास, चेन्नै डॉक श्रम बोर्ड, तमिलनाडु की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, मलेशियन सरकार की पेंशन के 2.54 लाख पेंशनकर्ताओं की बैंक सेवा कर रहा है ।

बैंक ने केन्द्रीय पेंशन संसाधन केन्द्र (सीपीपीसी) की स्थापना की है एवं जनवरी 2009 से केन्द्रीय सिविल पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। 31.03.2012 तक बैंक ने लगभग 54000 केन्द्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे व टेलीकॉम पेंशनों के भुगतानों को केन्द्रीयकृत करने का काम पूरा कर लिया है । केन्द्रीय सिविल एवं रक्षा पेंशनों के लिए अखिल भारतीय प्राधिकरण हेतु बैंक को चुना गया है , जो अपने दायरे को विद्यमान राज्यों यथा तमिलनाडु, केरल, उडीशा, पंजाब, पुदुचेरी व नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगलूरु, हैदराबाद और लखनऊ जैसे शहरों से परे विस्तारित करेगा ।

ट्रेजरी कारोबार

बैंक तमिलनाडु सरकार की 11 सब-ट्रेजरियों व उडीशा सरकार की 3 सब-ट्रेजरियों के लेनदेन संभालता है । इस संबंध में टर्न-ओवर रु.96.12 करोड के लिए 69,093 प्राप्ति लेनदेनों तथा रु.640 करोड के लिए 10,227 भुगतान लेनदेनों की हद तक रहा ।

केन्द्रीय मंत्रालयों के खाते

बैंक योजना आयोग व राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के खातों की देखरेख करता है और वर्ष के दौरान रु.144.47 करोड के भुगतानों को बैंक ने अंजाम दिया है ।

डाक कार्यालय समाहरण खाता

तमिलनाडु कीं 43 शाखाओं में डाकघर समाहरण(आहरण और जमा) खाता अनुरक्षित है । वर्ष के दौरान कुल 11517 प्राप्तियां और रु.736 करोड़ के भुगतानों को संभाला गया ।

अन्य सरकारी कारोबार

बैंक भारत सरकार की बचत योजनाओं, जैसे वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004, भारतीय रिज़र्व बैंक बचत/राहत बॉण्डों, लोक भविष्य निधि में सक्रियतापूर्वक भाग लेता है ।

अंतर शाखा समंजन (आइबीआर)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतर शाखा प्रविष्टियों के निरसन के लिए 6 महीनों का समय तय कर रखा है । बैंक के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार 3 महीनों से अधिक की सभी जमा प्रविष्टियों का कम्पास (पूर्णत: स्वचालित निपटान प्रणाली) के तहत निरसन कर दिया गया है यानि 31.12.2011 तक की प्रविष्टियों को 31.03.2012 तक निरस्त कर दिया गया है और 'शून्य' स्थिति तक ला लिया गया है ।

31-03-2012 तक माँग ड्राफ्ट समंजन खातें के तहत सभी नामें प्रविष्ठियों को निरस्त किया जा चुका है। निधि अंतरण / टीटी प्रदत्त प्रतिपूरणीय खाता / मल्टी सिटी चेक प्रदत्त प्रतिपूरणीय खाता / इंटरसिटी लेन-देन उचत खाता आदि के तहत कोई भी नामे प्रविष्टि एक महीने से ज्यादा के लिए बकाया नहीं है जब कि इस बारे में आरबीआइ के मानदंड 6 महीनों के लिए हैं।

निरीक्षण

वर्ष 2011-12 के दौरान, इलेक्ट्रानिक डाटा संसाधन (ईडीपी) लेखा-परीक्षा तथा गैर-औद्योगिक प्राथमिकता क्षेत्र उधार (निपसा) सहित केन्द्रीय कार्यालय का निरीक्षण 1715 शाखाओं में किया गया । चूँकि सभी शाखाएँ सीबीएस में परिवर्तित हो गई हैं, अत: सभी शाखाओं का ऑनलाइन निरीक्षण किया गया। निरीक्षित शाखाओं में से 462 शाखाओं को ''अच्छा '' पाया गया ।

इस अवधि के दौरान प्रतिनिधि कार्यालयों सहित हांग कांग, सिंगापुर,सियोल, बैंकॉक व कोलंबो शाखाओं का निरीक्षण किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालयों ने शाखाओं का सावधिक रूप से लघु निरीक्षण किया। इस अवधि के दौरान सभी 44 क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के 33 विभागों की प्रबंधन लेखा परीक्षा पूरी की गई। बैंक के कारोबार के कम से कम 50% को कवर करने के भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को पार करते हुए जमाओं के 63.68% व अग्रिमों के 74.16% को कवर करते हुए कुल 417 शाखाओं को समवर्ती लेखा-परीक्षा के अधीन लाया गया । 1,548 शाखाओं में राजस्व लेखा-परीक्षा और 417 शाखाओं में नमूना परीक्षण लेखा-परीक्षा संपन्न हुई । चुनिंदा आधार पर 1126 खातों के लिए स्टॉक लेखा-परीक्षा पूरी की गई।

1715 शाखाओं में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआइए) संपन्न की गई, जहाँ केंद्रीय कार्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया। क्षेत्रों के जोखिम प्रोफाइल को तैयार करते हुए जोखिम आधारित आंतरित लेखा परीक्षा के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रबंधन लेखा-परीक्षा भी की गई।

सभी 44 क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों, 423 शाखाओं, जिनमें 7 अपवादस्वरूप बृहत शाखाएँ, 125 अपवादस्वरूप बड़ी शाखाएँ और 291 बहुत बड़ी शाखाएँ शामिल हैं, में सूचना प्रणाली (आइएस) लेखा परीक्षा पूरी की गई। वर्ष के दौरान योग्य बाहरी लेखा-परीक्षकों की सेवाएँ लेते हुए केन्द्रीय कार्यालय के विभागों की सूचना प्रणाली समीक्षा/लेखा परीक्षा की गई जिसमें डाटा केन्द्र व डीआर साइट, नेटवर्क, कोर बैंकिंग सॅल्यूशन, एटीएम/डेबिट कार्ड परिचालन, आरटीजीएस/एनईएफटी परिचालन, आइटी विभाग द्वारा संभाली गई इन्टरनेट बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड परिचालन, ट्रे ज़री परिचालन शामिल हैं ।

लेखा-परीक्षा उप समिति (एएससी)

26 अगस्त 2008 को संपन्न बैठक में निदेश मंडल ने लेखा परीक्षा उप समिति (एएससी) के गठन के लिए अनुमोदन दिया । वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान एएससी की 4 बैठकें आयोजित की गई। क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रबंधन लेखा परीक्षा , स्टॉक लेखा परीक्षा/समवर्ती लेखा परीक्षा/परीक्षण जाँच लेखा

Point branch for Service Tax. E-payment of Customs Duty and e-refunds of Duty draw back have started in March 2011. Following is the business handled during the year:

No. of txns	:	1,56,270
Turnover (Amount)	:	₹ 5,992.13 crore
Payments / Refunds (Amount)	:	₹ 1,292.88 crore
Agency Commission	:	₹ 1.87 crore

Data submission is 100%. Assessee code data updation in master is 98.20% and data quality is 100% as on 31.03.2012.

Collection of State Government revenues:

The Bank launched e-collection of Commercial Taxes (VAT) through internet banking in the states of Andhra Pradesh, Delhi, Karnataka, Puducherry and Uttar Pradesh in this year. The bank is also handling physical collections in selected locations in Gujarat, Maharashtra and Kolkata as well as online collections of Commercial Taxes in Tamil Nadu and Maharashtra. The transactions were about 56,000, aggregating to ₹ 582 crore.

Payment of Pension

The Bank is servicing 2.54 lac pensioners belonging to Central Civil, Defence, Railways, Telecom, State Civil, Employees' Pension Fund Organisation (EPFO), Coal Miners' Provident Fund Organisation (CMPFO), Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) , Chennai Port Trust, Chennai Dock Labour Board, Local Fund Audit of Tamil Nadu, Malaysian Government Pension apart from credit through Electronic Clearing Services (ECS).

The Bank has established Centralised Pension Processing Center (CPPC) and commenced payment of Central Civil Pension from January 2009. As on 31.03.2012, the Bank completed centralising payments about 54,000 Central Civil Defence, Railways and Telecom pensions. The Bank has been considered for All India Authorisation for Central Civil and Defence Pensions which will expand coverage beyond the states covered now viz. Tamil Nadu, Kerala, Odisha, Punjab, Puducherry and the cities of New Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangaluru, Hyderabad and Lucknow.

Treasury Business

The Bank handles transactions of 11 Sub-Treasuries of the Government of Tamil Nadu 3 Sub -Treasuries of Government of Odisha. The turnover was 69,093 receipt transactions for ₹ 96.12 crores and 10,227 payment transactions for ₹ 640 crores.

Accounts of Central Ministries

The Bank services the account of Planning Commission and National Informatics Centre and handled payments for ₹ 144.47 crore.

Post Office Collection Account

Post Office Collection (Drawing and Deposit) Account is maintained at 43 branches in Tamil Nadu. In total, 11,517 receipts and payments of ₹ 736 crore were handled.

Other government business

The Bank actively participates in the Government of India Savings Schemes like Senior Citizens Savings Scheme 2004, Reserve Bank of India Savings / Relief Bonds, Public Provident Fund.

Inter Branch Reconciliation (IBR)

Reserve Bank of India has fixed 6 months time for elimination of inter branch entries. Under COMPASS (Completely Automated Settlement System) all credit entries aged more than 3 months as per the Bank Policy Guidelines i.e. entries originated up-to 31.12.2011 are eliminated by 31.03.2012 and brought to 'NIL' Status.

All the debit entries under Demand Draft Reconciliation account upto 31.03.2012 are eliminated. No debit entries are outstanding for more than one month under Funds Transfer / TTs Paid Reimbursement Account / Multicity Cheque Paid Reimbursement Account / Intercity Transactions Suspense Account as against RBI norms of 6 months.

Inspection

Central Office Inspection, along with Electronic Data Processing (EDP) Audit and Non Industrial Priority Sector Advances (NIPSA), was carried out in 1,715 branches during the year 2011-12. Since all branches were converted to Core Banking Solutions (CBS), inspection was conducted in all the branches on-line. Out of the branches inspected, 462 were branches were rated as "Good".

Inspection of Hong Kong, Singapore, Seoul, Bangkok and Colombo branches including Representative Offices were also conducted during the period.

Regional Offices carried out periodical Short Inspection of Branches. Management Audit of all 44 Regional offices and 33 Central Office Departments was also conducted during this period.Total of 417 branches were brought under Concurrent Audit covering 63.68% of Deposits and 74.16% of Advances, thereby exceeding RBI guidelines of covering atleast 50% of Bank's Business. Revenue Audit was carried out in 1,548 branches and Test Check audit in 417 branches. Stock Audit was conducted for 1,126 accounts on selective basis.

Risk Based Internal Audit(RBIA) was conducted in the 1,715 branches, where Central Office Inspection was carried out. Management Audit of Regional Offices was also conducted under Risk Based Internal Audit (RBIA) by preparing Risk Profile of the Regions.

Information Systems (IS) Audit was conducted in all the 44 Regional Computer Centres, 423 branches, consisting of 7 Exceptionally Extra Large, 125 Exceptionally Large and 291 Very Large branches. Information Systems Review / Audit of Central Office Departments, Viz. Data Centres and DR Site, Network, Core Banking Solution, ATM/ Debit Card operations, RTGS/NEFT Operations, Internet Banking and Mobile Banking handled by Information Technology Department, Credit Card Operations, Treasury operations were conducted by engaging Qualified External Auditors during the year.

Audit Sub Committee (ASC)

Board of Directors in the meeting held on August 26, 2008 approved the formation of Audit Sub Committee (ASC). During the financial year 2011-12, 4 ASC Meetings were held. The Review of Central Office Inspection (COIR) reports of Extra Large Branches (ELB), Exceptionally Extra Large Branches (EELB) / Specialised Branches / Overseas

परीक्षा/राजस्व लेखा परीक्षा सहित अति बडी शाखाओं, अपवादस्वरूप बृहत शाखाओं / विशिष्ट शाखाओं /विदेशी शाखाओं से संबंधित केन्द्रीय कार्यालय निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा पर एएसई बैठकों में चर्चा की गई ।

सतर्कता

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक द्वारा लंबित सतर्कता अनुशासनिक मामलों को केन्द्रीय सर्तकता विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर निपटाने के लिए कारगर कदम उठाए गए। वर्ष के दौरान 145 सतर्कता अनुशासनिक मामलों को निपटाया गया। मुख्य सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति व परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति के सम्मुख धोखाधड़ियों के विवरण रखे गये ताकि बहुत बड़े मूल्य की धोखाधड़ियों का प्रबोधन किया जा सके । इस संबंध में की गई टिप्पणियों/बताए गए सुझाओं पर बैंक द्वारा कार्रवाई की गई ।

निवारक सतर्कता के तहत बैंक की प्रक्रिया निरंतर रूप से जारी है और केन्द्रीय कार्यालय के सतर्कता विभाग को रिपोर्ट की गयी धोखाधडियों के आधार पर "निवारक सर्तकता - मुख्य सतर्कता अधिकारी के विशिष्ट परिपत्र" शृंखला के तहत तेरह परिपत्र जारी किय गये हैं ताकि परिचालन स्टाफ को इस प्रकार की धोखाधडियों को पनरावृत्ति के प्रति आगाह किया जा सके। दिये गये दंडों के विवरणों को प्रस्तुति के अलावा कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर बैंक परिचालनीय व प्रशासनीय अनुदेशों के पूर्णतया अनुपालन को आवश्यकता को दुहराया जाता है जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में धोखाधडी विशिष्ठ जाँच सूची तथा "क्या करें व क्या न करें" संबंधी सूची भी प्रदान की जाती है।

बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा शाखाओं के सावधिक निरीक्षण के ज़रिये प्रतिभागीय व पूर्वाकलित उपायों पर अधिक ध्यान केन्द्रीकृत करते हुए निवारक सतर्कता के प्रति बैंक निरंतर ज़ोर बनाये रखे हुए है व साथ ही इस कार्य को क्षेत्रीय कार्यालयों के सतर्कता कक्ष से जुड़े सतर्कता अधिकारियों द्वारा भी अमल में लाया जा रहा है। ऐसे दौरों के दौरान परिचालन स्टाफ़ को धोखाधड़ी की सम्भावना युक्त कार्य क्षेत्रों के बारे में सजग किया जाता है और प्रभावी प्रणालियों व प्रक्रियाओं का अनुपालन करने पर ज़ोर दिया जाता है जैसे कि केवाइसी मानदण्ड, शाखा के कंप्यूटर परिवेश में ई-अनुशासन, ऋण-अनुशासन आदि।

वर्ष के दौरान, अप्राधिकृत प्रयोक्ताओं द्वारा पासवर्ड के दुरुपयोग के ज़रिये होनेवाली धोखाधड़ियों को बैंक ने प्रभावी ढंग से रोका है। हमारी सभी शाखाओं में परिचालन स्टाफ़ के लिए प्रणाली का संचालन करने हेतु बयो-मेट्रिक उपस्थिति की शुरुआत की गई है। इस प्रयास की केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अलावा वित्त मंत्रालय ने भी सराहना की है। साथ ही, सतर्कता विभाग द्वारा संस्तुत अनुसार वाउचरों की इलेक्ट्रॉनिक जाँच का प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यालय स्थित बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में परीक्षणाधीन है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता संबंधी मामलों को सम्भालने के लिए सतर्कता अधिकारी तैनात किये गये हैं। मार्च 2012 के दौरान चेन्नै के स्टाफ कॉलेज में सीवीओ द्वारा सभी क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारियों व पाण्ड्यन ग्राम बैंक व नीलाचल बैंक के पदाधिकारियों के लिए तीन दिवस का एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। प्रतिभागियों को निवारक सतर्कता उपायों तथा धोखाधड़ी होने पर अनुवर्तन कार्रवाई सम्बन्धी विभिन्न मामलों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया (यथा फ्लैश रिपोर्ट की प्रस्तुति, प्राथमिक जाँच, रिपोर्ट-लेखन, प्रणाली के फ़ेल होने की पहचान, यदि हो, आदि)। सभी शाखाओं में सतर्कता समितियाँ बनाई गई हैं ताकि शाखा परिचालन में पायी जाने वाली खामियों की जाँच की जा सके व धोखाधड़ियों को रोका जा सके तथा केन्द्रीय कार्यालय द्वारा निर्धारित निवारक सतर्कता उपायों को कार्यान्वित किया जा सके।

बैंक ने केवल स्थानांतरण संबंधी मामलों, जहाँ कुछ उल्लंघन हुए हैं, को छोडकर सतर्कता के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोज के दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित किया है । बैंक द्वारा अक्तूबर-नवम्बर 2011 के दौरान यानि 31 अक्तूबर 2011 से 5 नवम्बर 2011 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

अनुशासनिक कार्यवाहियाँ

30-09-2011 तक सुदीर्घ रूप से लम्बित (6 महीनों से अधिक) उन सभी सतर्कता अनुशासनिक मामलों, जिनमें घरेलू जाँच-पड़ताल जारी थी, को 31-03-2012 से पहले निपटा लिया गया। अनुशासनिक कार्रवाई प्रक्रिया को निर्धारित समय मानदण्डों के भीतर पूरा करने के सभी सम्भव प्रयास किये जाते हैं। सतर्कता अनुशासनिक मामलों के औसत लम्बन समय में काफ़ी कमी आयी है। सभी गैर-सतर्कता मामलों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही निपटा लिया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी

शाखा कम्प्यूटरीकरण

वर्ष के दौरान (अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक) खोली गई सभी शाखाएँ कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के तहत सीधे-सीधे ला ली गई और 31 मार्च 2012 तक देश की सभी 2629 शाखाएँ व 3 उप शाखाएँ इन-हाउस विकसित कोर बैंकिंग प्रणाली-"क्राउन" के तहत आ गई हैं । इसके अतिरिक्त 18 सिटी बैक कार्यालयों, 45 क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय के 37 विभागों एवं 6 निरीक्षणालयों को सीबीएस के अंतर्गत ला लिया गया है।

स्वचालित टेल्लर मशीन (एटीएम) प्रयोजन

इससे पूर्व सभी एटीएम लेनदेन एक अंतरित लेखांकन शीर्ष (इलेक्ट्रानिक उत्पाद समंजन - ईपीआर खाता) के ज़रिए संचालित किये जाते थे । 100% कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) की प्राप्ति के बाद, एटीएम लेनदेनों सीबीएस पर ही सीधे-सीधे संसाधित किया जाता है जिससे कि दैंनंदिन समंजन सरल हो गया है । (प्रक्रिया में सुधार हुआ है)

इंटरनेट बैंकिंग

बैंक के इंटरनेट बैंकिंग साइट का सृजन इन-हाउस हुआ है और इसकी विशिष्टताओं और कार्यप्रणालियों की तुलना बाजार में उपलब्ध किसी भी कॉट्स मॉडल से की जा सकती है । इस साइट के जरिए विभिन्न एवं व्यापक सेवाएँ जैसे शेष की जानकारी, अंतिम कुछ लेनदेन, प्रदत्त चेक की जानकारी, खाते का विवरण, अंतर-बैंक व अंत:-बैंक निधि अंतरण, एकमुश्त विप्रेषण, यूटिलिटी बिलों जैसे टीएनईबी बिलों का भुगतान और ऑनलाइन कर भुगतान प्रदान की जाती हैं । अपने स्थाई खाता संख्या यानी पैन का उपयोग करते हुए कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट यदि वे पंजीकृत इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक हैं, तो वे राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपाज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) साइट से आय कर विवरण देख/जान सकता है । ये सुविधा सुरक्षित है और पीकेआइ टोकन के उपयोग के जरिए द्विविध प्रमाणीकरण प्रदान करती है । अतिरिक्त सुविधाएँ जैसे बचत बैंक/जमा खाता खोलना, करों का समाहरण, स्कूल/कॉलेज शुल्क की अदायगी आदि भी अमल में लायी चुकी है ।

मोबाइल बैंकिंग

बैंकिंग गतिविधियों से जुडी अनगिनत सेवाओं के अतिरिक्त एम-कॉमर्स सेवाएँ जैसे हवाई/सिनेमा टिकट की बुकिंग, डी-मैट सेवाएँ, एटीएम/डेबिट कार्ड को सस्पेंड करने की सुविधा, एटीएम के स्थान को पता करने, शाखा के स्थान को पता करने की सुविधा आदि भी प्रदान की गई हैं । मोबाइल बैंकिंग सेवा 3-जी मोबाइल व 3-जी सिम आधार पर कार्य करती है । वर्ष के दौरान आइएमपीएस (इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सिस्टम) को शुरू किया गया ।

Branches including Management Audit of Regional Offices, Review of Stock Audit / Concurrent Audit / Test Check Audit / Revenue audits were taken up for discussion in the ASC Meetings. The major findings of ASC with Action Taken Report was placed to ACB once in a quarter.

Vigilance

During the year 2011-12, the Bank has taken effective steps for disposal of pending Vigilance disciplinary cases within the time schedule prescribed by Central Vigilance Commission (CVC). During the year 145 Vigilance Disciplinary cases were disposed. In compliance to the CVC guidelines, details of frauds were placed to Operational Risk Management Committee and Audit Committee of the Board to monitor large value frauds and the observations / suggestions received have been acted upon by the Bank.

In continuation of Bank's on-going exercise under Preventive Vigilance, thirteen circulars have been issued under the series "Preventive Vigilance – CVO's Special Circulars" based on the frauds reported to the Vigilance Department, Central Office, to enable operational staff to guard against recurrence.

Besides furnishing the details of punishments awarded, the need for absolute compliance to the instructions of the Bank by the employees at all levels of operations and administration is being reiterated with fraud-specific check-lists and 'Dos and Don'ts' in various areas.

Emphasis is continued to be given by the Bank towards Preventive Vigilance with more focus on Participative and Predictive measures through periodical branch Inspection by CVO of Bank and also by the Vigilance Officers attached to Vigilance Cell at Regional Offices. During such visits the operational staff are made aware of fraud-prone functional areas and prevailed upon for adhering to the Systems and Procedures in force which includes KYC norms, e-Discipline in computer environment of branch, Credit-Discipline etc.

During the year, the frauds through misuse of passwords by unauthorized users have been effectively checked in by the Bank through the introduction of bio-metric attendance to operate the System for operational staff at all our branches.This effort was appreciated by the Central Vigilance Commissioner (CVC) and also by the Ministry of Financial Services. Moreover the proposal for electronic verification of vouchers recommended by Vigilance Department is under test-check at the Bank's Informational Technology Department, Central Office.

All Regional Offices have been posted with Vigilance Officers to handle vigilance matters. An intensive three day Training Programme for all Regional Vigilance Officers and Officials from Pandyan Grama Bank and Neelachal Gramya Bank was conducted by CVO at the Bank's Staff College, Chennai in March 2012. The participants had hands-on Training on various issues relating to Preventive Vigilance measures and follow-up action on occurrence of fraud (viz. submission of Flash Report, Preliminary Investigation, Report-writing, Identification of Systemic failure, if any etc.).

Vigilance Committees have been formed in all the branches to examine and check deficiencies noticed in branch functioning and to prevent frauds and to activate the Preventive vigilance measures put in place by CentralOffice.

The Bank has also ensured compliance to the directives and guidelines of Central Vigilance Commission in vigilance related matters except transfers where some violations are there. Vigilance Awareness week was observed by the Bank in October – November 2011 i.e. from 31st October 2011 to 5th November 2011.

Disciplinary Proceedings

All long outstanding Vigilance disciplinary cases {> 6 months} where domestic enquiry was still in progress, as on 30.09.2011 have been completed before 31.03.2012. All out efforts are made to complete the disciplinary action process within the stipulated time norms. The average pendency of Vigilance disciplinary cases has been considerably reduced. All non-vigilance cases are being disposed off well within the time norms stipulated.

Information Technology

Branch Computerisation

All the branches opened during the year (April 2011 – March 2012) were directly brought under Core Banking Solution (CBS) and as on 31st March, 2012, all the 2,629 domestic branches and 3 Extension Counters are under in-house developed Core Banking System "CROWN". In addition, 18 City Back Offices (CBOs), 45 Regional Offices and 37 Central Office Departments and 6 Inspectorates have been brought under CBS.

Automated Teller Machine (ATM) Application

Hitherto ATM transactions were routed through an interim accounting head (Electronic Products Reconciliation-EPR account). With 100% Core Banking Solution (CBS) achievement, ATM transactions are directly processed at CBS, simplifying day to day reconciliation (Process Improvement).

Internet Banking

The Bank's Internet Banking Suite is developed in-house and the features and functionalities offered in it are comparable with any of the COTS models available in the market. A wide gamut of services like Balance enquiry, last few transactions, search for cheque Paid, statement of account, inter-bank and intra-bank funds transfer, bulk remittance, utility bill payments like Tamil Nadu Electricity Board (TNEB) bill payments and online tax payments is offered. Viewing of income tax particulars from National Securities Depository Limited (NSDL) site by the registered internet banking customers, using their Permanent Account Number (PAN) is now available for individuals and corporates. The facility is secure and provides for two factor authentication through the use of Public Key Infrastructure (PKI) tokens. Additional facilities like Savings Bank / Deposit account opening, Collection of taxes, school / college fees, etc have been implemented.

Mobile Banking

In addition to a bouquet of services for banking activities, M-Commerce services like air / movie ticketing, demat services, facility to suspend ATM / debit card, ATM locator, Branch locator etc. are offered. Mobile Banking service is 3G Mobile and 3G SIM compliant. IMPS (Interbank Mobile Payment System) was launched during the year.

पेमेंट गेटवे

बैंक न केवल अपने ग्राहकों बल्कि अन्य ग्राहकों को भी पेमेंट गेटवे सेवाएँ प्रदान करता है । बैंक ने अनेक व्यापारी प्रतिष्ठानों के साथ ई-कॉमर्स व एम-कॉमर्स लेनदेनों के लिए अनुबंध किया है । मोबाइल भुगतान, बीमा प्रीमियम, अन्य बैंक क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन बिलों का भुगतान आदि जैसी सेवाओं का उपयोग पेमेंट गेटवे के जरिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हुए करने की सुविधा प्रदान की है ।

आपदा प्रबंधन और कारोबार निरंतरता

बैंक ने 3 आपदा प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना की है जिनमें से प्राइमरी डेटा केन्द्र (पीडीसी) व कमान्ड सेन्टर (सीसी) चेन्नै में हैं और आपदा प्रबंधन साइट (डिफ़रेन्ट सीसमिक ज़ोन) हैदराबाद में है । जहाँ सीसी डेटाबेस को वास्तविक समय में सिंक्रोनस मोड पर अद्यतन करता है जिसके कारण डेटा का कुछ भी नुकसान नहीं होता यानि ज़ीरो लॉस को वह सुनिश्चित करता है, वहीं डीआर साइट मार्जिनल टाइम लैग के साथ असिंक्रोनस मोड पर अद्यतन होता है ।

नेटवर्क

हमारे सीबीएस को एक अतिसुदृढ एमपीएलएस - वीपीएन नेटवर्क आधार प्रदान करता है जिसमें डिवाइस स्तर, मीडिया स्तर व सेवा प्रदाता स्तर पर व्यर्थता को निरस्त करने की प्रचुर आंतरिक क्षमता है ।

सभी क्षेत्रीय नेटवर्क और 3 डेटा केन्द्रों को दोहरी एमपीएलएस-वीपीएन कनेक्टिविटी प्रदान की गई है और इनका स्रोत दो विभिन्न सेवा प्रदाता हैं ।

स्थान विशिष्ट की परिहार्यता के आधार पर वायर, आरएफ और वी-सैट मीडिया के जरिए कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है ।

सभी शाखाओं/आफसाइट एटीएमों/अन्य कार्यालयों को संबंधित रीजनल नेटवर्क के साथ या तो प्वाइंट टु प्वाइंट आधार पर लीज़लाइन कनैक्शन के जरिए जोडा जाता है या प्राथमिक एमपीएलएस-वीपीएन क्लाउड के अंतर्गत सीधे-सीधे । लगभग 1586 शाखाओं को प्रचुर मात्रा में एमपीएलएस-वीपीएन लिंक वैकल्पिक सेवा प्रदाता के जरिए प्रदान किये गये हैं । ये सभी लिंक कार्यरत हैं और नेटवर्क डाउन टाइम का ध्यान रखते हैं तथा कारोबार की निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं । नेटवर्क का अप-टाइम 99.96% रहा है ।

विदेशी शाखाओं में कंप्यूटरीकरण

मानकीकरण की आवश्यकता तथा सभी शाखाओं में एकरूपता लाने के उद्देश्य से सभी विदेशी शाखाओं को एक ही साफ्टवेयर प्लैटफार्म के अंतर्गत लाने का निश्चय किया गया । यह प्रक्रिया हब और स्पोक्स मॉडल के अधीन अपनायी गई, जहाँ हब सिंगापुर में है और आपदा प्रबंधन साइट बैंकाक में है ।

सिंगापुर, बैंकाक व कोलंबो शाखाओं को पहले ही एक कामन साफ्टवेयर प्लैटफार्म के अंतर्गत ला लिया गया है जबकि सियोल, हाँगकाँग और टीएसटी, हाँगकाँग शाखा में यह पैकेज प्रक्रियाधीन है और ये शाखाएँ फिलहाल स्टैंड अलोन पैकेज पर काम कर रही हैं तथा इन्हें बहुत जल्दी कामन प्लैटफार्म के तहत ला लिया जाएगा ।

एमआइएस व निर्णय समर्थित प्रणाली (डेसिशन सप्पोर्ट सिस्टम)

हमारे सीबीएस तथा उसके प्रयोजनों के अंतर्गत रियल टाइम आधार पर बहुविध प्लैटफार्मों में ओरेकल का बिज़नस इन्टीग्रेटड अप्लिकेशन पूर्णत: समाहित है ।और यह एकडवांस्ड विज़ुवलाइज़ेशन एफेक्टस के साथ इन्टीग्रेटड इन्टरऐक्टिव डैश बोर्डों के जरिए आकलनों को प्रदान करता है । बैंक के शाखा प्रबंधकों व कई उच्च कार्यपालकों जैसे विभिन्न स्तरों पर शाखा / क्षेत्र / देश / वैश्विक स्तर के प्रमुख निष्पादन वाले सभी क्षेत्रों पर ट्रेंड अनालिसिस , ड्रिल अनालिसिस , पेरोटो अनालिसिस सहित अनेक रिपोर्टें पहले ही सृजित कर प्रदान की जा चुकी हैं । लीनियर रिग्रेशन और एक्सपोनेंशियल पद्धतियों आदि का उपयोग कर फोरकास्टिंग मॉडल्स को विकसित किया जा चुका है । पहले ही 300 अनालिटिकों को विकसित कर पोर्ट किया जा चुका है । हमारे उच्च प्रबंधन और क्षेत्रीय प्रदानों को इंटरनेट के जरिए यह सुविधा व्यू रूप में विस्तारित भी की गई है ।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली

दिल्ली में बैंक द्वारा चेक ट्रंकेशन प्रणाली को कार्यान्वित किया जा चुका है जिसका संचालन हमारा खुद का स्टाफ करता है । चेन्नै में यह प्रणाली आउटसोर्स की गई है जबकि पाइलट आधार पर इसे कोयम्बत्तूर में लागू किया जा चुका है । भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) द्वारा वांछितानुसार इस प्रणाली को शाखाओं व अन्य क्षेत्रों को भी विस्तारित किया जाएगा ।

सिटी बैक आफिस

18 केन्द्रों में सिटी बैक कार्यालय (सीबीओ) खोले गए जिनमें से 17 केन्द्रों में आवक समाशोधन के केन्द्रीकृत संसाधन की व्यवस्था प्रदान की गई है । इसके अतिरिक्त शाखाओं के एक क्लस्टर के लिए समाशोधन केन्द्रों के रूप में कार्यरत 34 अन्य मुख्य शाखाओं में केन्द्रीकृत समाशोधन संसाधन की व्यवस्था प्रदान की गई है ।

एसएपी-ईआरपी समाधान

ईआरपी-एसएपी समाधान को प्रयोगमूलक रूप में कार्यान्वित किया गया है ताकि बिल भुगतानों जैसे लेनदेनों के संसाधन के जरिए कार्पोरेट ग्राहक बैंक के नेटवर्क से सीधे-सीधे जुड सकें । अन्य सेवाएँ जैसे एलजी/एलसी अनुरोध, यूटिलिटी भुगतान आदि प्रक्रियाधीन हैं ।

अनोखी पहचान संख्या

बैंक में प्रयोजनमूलक रूप से "आधार" योजना को सफलतापूर्व कार्यान्वित किया जा चुका है । और यह योजना शाखाओं को भी विस्तारित की जा रही है ताकि वे अपने सभी ग्राहकों को "आधार" योजना के अंतर्गत ला लें । हमारी शाखाओं के जरिए पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जा चुकी है ।

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) का बयोमेट्रिक प्रमाणीकरण

सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से बयोमेट्रिक समाधान हासिल कर हमारी सभी शाखाओं में लागू किये जा चुके हैं जिसके चलते सभी शाखाओं में त्रृटिरहित एवं सुरक्षायुक्त परिचालन पूरे किये जा रहे हैं । इस समाधान के तहत सीबीएस शाखा के प्रयोक्ताओं बयोमेट्रिक सूचना इकट्ठी की जाती है और उसे डेटाबेस में स्टोर करके रखा जाता है । जिससे प्रयोक्ता जब कभी सीबीएस में लॉग-इन करता है, तो उसका प्रमाणीकरण किया जाता है । बयोमेट्रिक प्रमाणीकरण को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करनेवाले प्रथम बैंकों में से एक हमारा बैंक भी है ।

सीबीएस स्क्रीनों का द्विभाषीकरण

लिप्यांतरण सॉफ्टवेयर को खरीदकर हमारी सभी शाखाओं में कार्यान्वित किया गया है । यह समाधान (व्यवस्था), पीसी में बना रहता है और लिप्यांतरण इंजन का प्रयोग करके अंग्रज़ी स्क्रीन को हिन्दी में रूपांतरित करता है । यह कंप्यूटर की / माउस का उपयोग करते हुए प्रयोक्ता को सीबीएस स्क्रीन हिन्दी में देखने की सुविधा प्रदान करता है और साथ ही खातों के विवरण / रिपोर्टों , पासबुक की प्रिन्टिंग, मांग ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक की प्रिन्टिंग हिन्दी में करने की सुविधा प्रदान करता है । इसके अलावा कोई चूक हो जाने पर लाभभोगी के नाम को बदलने /उसमें संशोधन करने की अनुमति भी प्रदान

Payment Gateway

The Bank also offers Payment Gateway services for both its own customers as well as for other customers. The Bank has tied up with a number of merchant establishments which facilitates both E-commerce and M-commerce transactions. Payment of utility bills like mobile payment, insurance Premium, other banks' credit cards, telephone bill payments etc., using the debit cards is also enabled using the Payment Gateway.

Disaster Recovery And Business Continuity

The Bank has established three way Disaster recovery setup with Primary data Centre (PDC) and the Command Centre (CC) located in Chennai and the Disaster Recovery Site in Hyderabad (different seismic zone). The CC database is updated real-time on a Synchronous mode which ensures zero data loss, while the DR site is updated on an Asynchronous mode with marginal time lag.

Network

A robust MPLS-VPN network supports our CBS with redundancies built in at device level, media level and service provider level.

All the Regional network nodes and three data centres are provided with dual MPLS VPN Connectivity sourced from two different service providers.

Connectivity is provided through wired, RF and VSAT media depending upon the feasibility at a particular location.

All the branches/Offsite ATMs/other offices are connected either by point to point leased line connection to the respective regional network node or directly under primary MPLS-VPN Cloud. Redundant MPLS-VPN links from alternate service provider has been sourced for about 1,586 branches. These links are functional and take care of network downtime and ensure business continuity. The network uptime has been more than 99.96 %.

Overseas Branches Computerisation

To address the need for standardization and for ensuring uniformity it was decided to bring all the overseas branches under a common software platform, under HUB and SPOKES Model, with the HUB at Singapore and Disaster Recovery Site at Bangkok.

Singapore, Bangkok and Colombo branches have already been brought under the common software platform, while implementation of the package is underway at Seoul. Hong Kong and TST, Hong Kong branch are running on a stand-alone packages and will also be brought under the common platform.

MIS and Decision Support Systems

Oracle Business Intelligence application is fully integrated into our CBS and other applications across multiple platforms on a real time basis and present the analytics through integrated interactive dashboards with advanced visualization effects. A number of reports have already been developed and provided to various layers like Branch Managers, and other Top executives of the Bank including Trend Analysis, Drill Analysis, Pareto Analysis on all Key Performance Areas at Branch / Region / Country / Global level. Forecasting models using Linear Regression and Exponential methods etc have already been developed. As many as 300 analytics have been developed and ported. It is also extended as view facility through internet to our Top Management and Regional Heads.

Cheque Truncation System

Cheque Truncation System has been implemented by the Bank in Delhi which is handled by our own Staff. In Chennai it has been outsourced and it has also been implemented in Coimbatore on a pilot basis. The same solution will be extended to branches as desired by National Payments Corporation of India (NPCI) to other areas.

City Back Offices

City Back Offices (CBOs) have been opened in 18 centres. Of which, Centralized Processing of inward clearing has been enabled in 17 centres. In addition to this, 34 other main branches operating as Clearing Centres for a cluster of branches have been enabled for Centralized clearing processing.

SAP-ERP Solution

Pilot run of ERP-SAP solution has been implemented enabling corporate customers to connect to the Bank's network directly for straight through processing of transactions like bill payments. Other services like LG / LC requests, utility payments etc. are under process.

Unique Identification Number

Pilot run for Aadhaar has been successfully implemented in the bank and is being rolled out to the branches for bringing all its customers under the Aadhaar scheme. Registration through our branches has already been enabled.

Biometric Authentication of Core Banking Solution (CBS)

With a view to increase Security, Biometric solutions was procured and implemented across all our branches facilitating foolproof operational safety at all the branches. The solution envisages capturing biometric information of all the CBS branch users storing the same in a database and authenticating the user every time he logs into the CBS. The Bank is one of the first banks to implement biometric authentication successfully.

Bilingualisation of CBS Screens

Transliteration software has been procured and the same is implemented across all our branches. The solution will reside in the PC and convert the English screens to Hindi using the transliteration engine. It enables the user to use the toggle key/mouse to view the CBS screens in Hindi, take Print outs of statement of Accounts/ reports, Passbook printing, Printing of Demand Draft /Bankers Cheque in Hindi. It also permits editing of Beneficiary name fields in case of any error. On editing the changes made will be stored in the local Personal Computer only.

Implementation of GUI for CBS

The Bank's existing CBS application originally developed in APT has been migrated to Graphical User Interface (GUI) for SB, cdcc, clearing, cash, cheque, sundry creditors, IBSA, DDR, GL, deposits , security, batch, IBP, advances, ICB, AWB modules.

करता है । परिवर्तनों को पूरा करने के बाद उन्हें केवल लोकल पीसी में ही स्टोर किया जा सकता है ।

सीबीएस के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस (जीयूआइ) का कार्यान्वयन

मूल रूप से एपीटी में विकसित बैंक के विद्यमान सीबीएस प्रयोजन को एसबी, जीडीसीसी, समाशोधन, नकद, चेक, विविध लेनदार, इब्सा, डीडीआर, जीएल, जमाएँ, सुरक्षा, बैच, आइबीपी, अग्रिम, आइसीबी, एडब्ल्युबी माड्यूलों, के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस (जीयूआइ) में बदल दिया गया है ।

चेन्नै I और चेन्नै II क्षेत्रों में 256 केबीपीएस की स्पीड पर 83 शाखाओं में सीबीएस-जीयूआइ को शुरू किया गया है । जीयूआइ प्रयोजन को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय के कुछ विभागों के लिए उपलब्ध करवाया गया है । (फारेक्स के दैनिक दरों का प्रयोजन, काल्पनिक दरों का अनुरक्षण और लिबॉर दरों का अनुरक्षण आदि ट्रेज़री विदेशी विभाग को उपलब्ध करवाया गया है)

सीबीएस नेटवर्क के तहत आइओबी द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

पांडियन ग्राम बैंक और नीलाचल ग्राम्य बैंक की सभी शाखाओं को हमारे सीबीएस नेटवर्क के तहत ला लिया गया है । एनईएफटी के जरिए निधियों के विप्रेषण की सुविधा भी इन दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदान की गई है ।

विप्रेषण उपयोगिताएँ

सभी शाखाओं में एनईएफटी / आरटीजीएस विप्रेषण की सुविधा मौजूद है । चेन्नै स्थित बैंक की लॉयला कॉलेज शाखा को नेट बैंकिंग , डेबिट व क्रेडिट कार्ड और अन्य विज़ा कार्डों के द्वारा कॉलेज शुल्क की अदायगी के लिए पेमेंट गेटवे के तहत ला लिया गया । मोबाइल भुगतान, बीमा प्रीमियन भुगतान, अन्य बैंकों के क्रेडिट कार्डों के बिलों का भुगतान, टेलीफोन बिलों का भुगतान आदि जैसे यूटिलिटी भुगतानों को डेबिट कार्डो के ज़रिए करने हेतु पेमेंट गेटवे की सुविधा प्रदान की गई है । विदेशी शाखाओं को भारतीय शाखाओं के ग्राहकों के खाते में निधियों के सीधे विप्रेषण की सुविधा भी अमल में लायी गई है ।

ऑन लाइन संसाधन

क्रिसिल रैम रेटिंग साफ्टवेयर को अद्यतन किया गया है ताकि वह बेसल II मानदंडों को पूरा कर सके । ऋण उद्भव सह उधार प्रस्ताव संबंधी कार्यप्रवाह को विकसित कर रेटिंग मॉडल के साथ जोड दिया गया है ताकि डेटा प्रविष्टि कार्यों के दोहराव और किसी भी प्रकार के विलंब को रोका जा सके । हासिल कर कार्यान्वित किये गये इस साफ्टवेयर से कार्पोरेट ऋण संसाधन के समय में कमी आती है क्योंकि रेटिंग मॉडल और कार्यप्रवाह के साथ इसका एकीकरण हुआ है । इसकी वजह से रिटैल प्रवर्ग का भी ध्यान रखा जा सकता है और रिटेल ऋण का स्वत: संसाधन भी संभव है और यह हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप ही पूरी तरह तैयार किया गया है ।

जेन-नेक्स्ट शाखाओं की शुरुआत

चेन्नै स्थित वेलचेरी , बैंगलूर और मणिपाल में पासबुक के स्वत: मुद्रण वाले किओस्क, इंटरनेट बेंकिग सुविधा, नकद वेंडिंग मशीन, स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम), मांग ड्राफ्ट निर्गमन आदि सुविधाओं के साथ पूर्णत: कंप्यूटरीकृत जेन-नेक्स्ट शाखाएँ स्थापित की गई हैं ।

वित्तीय समावेशन परियोजना

हमारी वित्तीय समावेशन परियोजना के एक हिस्से के रूप में यह साफ्टवेयर अब निधि अंतरण, जमाओं व ऋणों के विप्रेषण की सुविधा प्रदान करता है ।

केन्द्रीय प्रायोजन संबंधी योजनाओं की प्रबोधन प्रणाली (सीपीएसएमएस)

बैंक ने भारत सरकार द्वारा तैयार सीपीएसएमएस प्रणाली को अपनाया है । अत: लाभभोगियों को इमदाद, सहायता, वित्तीय सहायता के रूप में सरकार से मिलनेवाली सभी निधियों के प्रवाह का बैंक के सीपीएसएमएस समाधानों के जरिए प्रबोधन किया जा सकता है ।

ज्ञानार्जन पोर्टल (नॉलेज पोर्टल)

बैंक के इंट्रानेट में सभी कर्मचारियों के लिए ज्ञान प्रबंधन किट प्रदान की गई है ताकि कर्मचारी आरबीआइ के सभी नवीनतम दिशानिर्देशों/परिपत्रों, महत्वपूर्ण कार्रवाइयों,न्यायालय के फैसलों आदि के बारे में सीधे संपर्क कर जान सकें । कई सार्वजनिक वेबसाइटों को भी इस पोर्टल के साथ जोड दिया गया है ।

हरित पहल

माइक्रोसाफ्ट शेयर प्वाइंट को कार्यान्वित किया गया है ताकि निदेशक मंडल के सदस्य वाइ-फाइ संप्रेषण चैनलों का प्रयोग करते हुए कार्यसूची से संबंधित कागज़ातों को अपने लैपटॉप में डाल सकते हैं ।

अपने विभिन्न विक्रेताओं को बैंक द्वारा किये जानेवाले सभी भुगतान इलेक्ट्रानिक रूप में किये जाते हैं । 240 शाखाओं को मुक्त संप्रेषण प्रणाली (ओसीएस) के तहत ला लिया गया है जिसके चलते वे प्रत्यक्ष रूप से इंटर-ऐक्ट कर सकते हैं । केन्द्रीय कार्यालय के उच्च प्रबंधन और क्षेत्रीय प्रधानों के बीच संप्रेषण के लिए वीडियो कांफ्रेंसिग की सुविधा व्यापक रूप से प्रयुक्त की जा रही है । अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशकगण द्वारा अभिभाषणों का प्रत्यक्ष वेबकास्ट सभी शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रसारित किया जाता है ।

सभी स्टाफ सदस्यों को अपनी आस्ति देयता से संबंधित विवरण बैंक इंट्रानेट में प्रदत्त पंजीकृत लॉग-इन यूज़र के रूप में प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है । केन्द्रीय कार्यालय में टेलीफोन बिलों की प्रतिपूर्ति बैंक के इंट्रानेट पोर्ट किये गये ऑनलाइन आवेदन यूटिलिटि के ज़रिए की जाती है ।

परिचालन की लागत

बैंक के साथ-साथ क्षेत्रों के निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) के प्रबोधन सहित लाभप्रदता का संवेदनशील आकलन, लाभ के लिए योजना व लक्ष्यों के प्रक्षेपन में केन्द्रीय कार्यालय के लागत एवं प्रायोजना कार्यकलाप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जारी रखे हुए हैं । वर्ष के दौरान लागत कक्ष ने उधार सामर्थ्य, प्रवर्गवार आकलन, तुलन पत्रों का आकलन करते हुए अन्य बैंकों के साथ बैंक के विकास की तुलना , गैर-स्टाफ खर्चों का नियंत्रण, अधिकाधिक लाभ के तहत मॉडल की तैयारी से जुडे विभिन्न लागतों का लागत कक्ष ने अध्ययन किया है । आस्ति देयता समिति की बैठकों में इन अध्ययनों के नतीजों / संवेदनशील टिप्पणियों को रखा गया, जिसके चलते सम्यक रूप से बैंक की लाभप्रदता बधने के लिए बेहतर निर्णय लेने में उच्च प्रबंधन को मदद मिली ।

सुरक्षा

अनिवार्य व संस्तुत सुरक्षा उपायों का सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में ठीक से व सख्ती से अमल किया गया और स्थानीय कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन उपायों की सावधिक समीक्षा भी की गई तथा बैंक के स्टाफ व ग्राहकों के लिए सुरक्षित वातावरण सृजित करने हेतु व सुरक्षा उपायों को सुदृढ करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कदम उठाये गये । बैंक ने सुरक्षा और अग्नि शमन व्यवस्था के लिए निवारक उपायों पर अपना जोर बनाये रखा है और जान व माल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ के बीच सुरक्षा संबंधी जागरूपता उत्पन्न की है । काँचीपुरम क्षेत्र की कीलकट्टलै शाखा में डकैती के बाद, बैंक ने सुरक्षा सजगता के बारे में स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाया है और सभी शाखाओं में सीसीटीवी के प्रतिष्ठापन को मंजूरी भी दी ।

मानव संसाधन विकास

स्टाफ संख्या

31 मार्च 2012 तक भारत में बैंक के कुल स्टाफ की संख्या है 27,201, जिसमें से 11,083 अधिकारीगण हैं, 11,559 लिपिकगण और 4,559 अधीनस्थ स्टाफ हैं ।

कुल स्टाफ संख्या में से, 6,231 सदस्य अनुसूचित जाति के हैं , 1,590 अनुसूचित जनजाति के हैं और 2,738 सदस्य अन्य पिछडे वर्गों से हैं । स्टाफ की संख्या में 6,196 महिला कर्मचारी, 641 पूर्व सैनिकगण व 546 शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य हैं ।

भर्ती

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने 314 विशिष्ट अधिकारियों (57 वित्तीय

CBS-GUI has been introduced at 83 branches with 256 kbps in Chennai I and II regions. GUI application has been made available to all Regional Offices and some of the Central Office Departments (Forex daily rates application, Notional rates maintenance and Libor rates maintenance made available to Treasury Foreign Department).

IOB Sponsored Regional Rural Banks Under CBS Network

All branches of Pandyan Grama Bank and Neelachal Gramya Bank have been brought under our CBS network. Funds remittance facilities through NEFT enabled for both these RRBs.

Remittance Utilities

All branches are having NEFT / RTGS remittance facility. The Bank's Loyola college, Chennai branch has been brought under Payment Gateway with net banking, Debit and Credit cards and other VISA Cards for payment of college fees. Payment Gateway for Payment of utility bills like mobile payment, insurance Premium, other banks' credit cards, telephone bills, etc using debit cards are enabled. Utility for Overseas branches to directly remit the funds to the customers' accounts in all the Indian branches has been implemented.

Online Loan Processing

CRISIL RAM rating software has been upgraded to support Basel II norms. A Loan origination cum credit Proposal work flow is developed to integrate the same with the rating models to avoid any delay and duplication of data entry jobs. This software procured and implemented, reduces corporate loan processing time because of its integration with rating models and workflows. This also takes care of the retail segment and aims at automating the retail loan processing and it is fully customized to our requirements.

Launching Of Gen Next Branches

Fully computerised Gen Next branch with self passbook printing kiosks, Internet banking facility, cash vending machines, Automated Teller Machine (ATM), Demand Draft issue etc has been commissioned at Velachery, Chennai, Bangalore and Manipal.

Financial Inclusion Project

The software now facilitates funds transfer, deposits, and loan remittances as a part of our Financial Inclusion project.

Central Plan Schemes Monitoring System (CPSMS)

The Bank has adopted the CPSMS devised by Government of India. Hence, all funds flow from Government in the form of subsidy, assistance and financial aid to beneficiaries will be monitored through the Bank's CPSMS solutions.

Knowledge Portal

A Knowledge Management Kit is deployed in the bank's intranet which facilitates all employees to have direct access to all latest RBI guidelines / Circulars, Important enactments, Court Judgements, etc. Many public websites are also linked to through this portal.

Green Initiatives

Microsoft SharePoint has been implemented wherein Board members have access to the Agenda papers in their laptops using wi-fi communication channels.

All payments made by the Bank to its various vendors are effected electronically. As many as 240 branches are brought under Open Communication System (OCS) which would enable them to interact live.

Video Conferencing facility is widely used for communication between Top Management at Central Office and Regional Managers. Live webcast of speech by Chairman and Managing Director / Executive Directors is streamed across to all branches and Regional offices.

All staff members can submit Asset Liability Statement through as registered login users provided in the Bank's intranet. Telephone bills at Central office are reimbursed through online application utility ported in the Bank's intranet.

Costing of Operations

The Costing /Planning function at Central Office continued to play a vital role in critical analysis of profitability, profit planning & projection of goals with monitoring of Net Interest Margin (NIM) of the Bank as well Regions. During the year, Costing Cell under took various cost studies pertaining to efficacy of lending , segment wise analysis, comparison of Bank's growth with other banks by Balance Sheet analysis, control of non-staff expenditure, preparation of model under profit optimization etc. The studies conducted/critical notes placed in the Asset Liability Committee Meetings facilitated the top management for a better decision making so as to improve the overall profitability.

Security

Security measures, mandatory and recommendatory, are correctly and strictly implemented at all the branches and administrative offices are reviewed periodically keeping in view the local law and order situation and additional steps as necessary are taken to strengthen the security measures to create a safe environment for customers and the Bank's staff. The Bank continued to stress on preventive measures for security and fire fighting arrangements and inculcation of security consciousness among staff to ensure safety to life and property. Post dacoity at Keelkattalai branch of Kancheepuram Region, the bank has sensitised staff members regarding security awareness and sanctioned installation of CCTV in all branches.

Human Resources Development

Staff Strength

The Bank's staff strength in India stood at 27,201 comprising 11,083 Officers, 11,559 Clerks and 4,559 Sub-staff as of 31st March, 2012.

Of the total staff strength, 6,231 members belonged to Scheduled Caste (SC) category, 1,590 to Scheduled Tribe (ST) Category, and 2,738 to Other Backward Class (OBC) Category. Staff Strength includes 6,196 Women employees, 641 ex-servicemen and 546 physically challenged members.

Recruitment

During the year 2011-2012 the Bank recruited 314 Specialist Officers (57 Financial Analysts, 89 Marketing Managers, 5 HR/IR Officers & 163 Rural Development Officers). The Bank recruited 1398 Probationary Officers and 1200 Clerks.

विश्लेषक, 89 मार्केटिंग प्रबंधक, 5 एचआर/आइआर अधिकारी व 163 ग्रामीण विकास अधिकारी) की भर्ती की है । इस दौरान बैंक ने 1398 परिवीक्षाधीन अधिकारियों और 1,200 लिपिकों की भर्ती भी की है ।

अभिप्रेरण

महा नवरत्न / नवरत्न / मिनी नवरत्न नामक अभिप्रेरण योजनाओं को शुरू किया गया है ताकि अच्छा निष्पादन करनेवाले क्षेत्रीय कार्यालयों की पहचान की जा सके । भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान (आइआइबी व एफ) मुंबई द्वारा आयोजित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु योजना शुरू की गई है, ताकि कर्मचारियों के ज्ञान/अभिप्रेरण स्तर बधया जा सके ।

स्टाफ अभिप्रेरण के तहत ही बैंक द्वारा अधिकारियों और पंचाट स्टाफ सदस्यों के लिए क्विज़ कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

स्टाफ अभिप्रेरण व स्व-विकास के प्रति विभिन्न मानवीय विकास पहलुओं पर मानव संसाधन अभिप्रेरण शृंख्या को सभी स्टाफ सदस्यों के बीच परिचालित किया गया ।

प्रशिक्षण

बैंक को ग्राहक उन्मुख बनाने के कार्पोरेट उद्देश्य के मद्दे नज़र आंतरित व बाहरी माध्यम से बैंकिंग के मूलभूत क्षेत्रों के अतिरिक्त बैंकिंग के समकालीन विषयों पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

जोखिम प्रबंधन और कंप्यूटर जागरुकता के साथ साथ ऋण मूल्यांकन / उधार प्रबोधन, गैर-अनर्जक आस्ति प्रबंधन और वसूली पर भी फोकस किया गया । इसके अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों को विदेशी विनिमय, प्राथमिकता उधार, अपने ग्राहक को जाने/धन शोधन निवारण, बैंकिंग कोड, लघु व मध्यम उद्यम/सूक्ष्म वित्त एवं ग्रामीण उधार, आइटी उत्पाद व निवारक सतर्कता के क्षेत्रों में नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया गया । साथ ही, कर्मकार प्रभाविता और टीम निर्माण पर भी स्टाफ कॉलेज व विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों में स्टाफ के लिए कार्यक्रम चलाये गये ।

वर्ष के दौरान नेतृत्व संगठन विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, बेहत्तर ग्राहक सेवा के लिए संवेदनशीलता विषयक कार्यशाला, विजयी शाखा का सृजन करने विषयक कार्यशाला, समेकित ट्रेज़री प्रबंधन और बोर्स प्रशिक्षण, संकाय विकास कार्यक्रम चलाये गये ।

भर्ती किये गये नये परिवीक्षाधीन अधिकारियों, विशिष्ट अधिकारियों के लिए प्रवेश पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम आयोजित किये गये । इसके अलावा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए ओरियन्टेशन कार्यक्रम और पुष्टीपूर्व कार्यक्रम भी चलाये गये । विभिन्न स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों में अधीनस्थ स्टाफ से लिपिकीय प्रवर्ग के लिए पदोन्नति के वास्ते अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के सदस्यों हेतु पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गया ।

वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों और पंचाट स्टाफ सदस्यों के लिए सेवानिवृत्तिपूर्व परामर्शी कार्यक्रम आयोजित किया गया । बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में सेवानिवृत्त कार्यपालकों के अनुभव, ज्ञान, दक्षता का लाभ उठाने के उद्देश्य से उनकी सेवाओं का बैंक द्वारा उपयोग किया गया ।

बैंकिंग और तकनॉलजी पर अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी हासिल करने तथा अन्य सहभागियों के साथ अपनी दक्षता और अनुभव को बाँटने के लिए कार्यपालकों/अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया । ई-शिक्षण के ज़रिए ज्ञानार्जन हेतु स्टाफ कॉलेज द्वारा एक पोर्टल की शुरुआत की गई जो बैंकिंग परिचालनों के विभिन्न क्षेत्रों पर ई-पाठ प्रदान करने के माध्यम के रूप में कार्य करता है ।

आंतरिक प्रशिक्षण

आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत एक स्टाफ कॉलेज, दस स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र और एक ग्रामीण बैंकिंग प्रशिक्षण केन्द्र विद्यमान हैं । 7,431 अधिकारियों, 4,011 लिपिकों और 666 अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों सहित कुल 12,108 स्टाफ सदस्यों को 966 कार्यक्रमों के जरिए आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया । कुल प्रशिक्षित स्टाफ में से 2,603 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और 902 अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं ।

बाहरी प्रशिक्षण व विदेशी प्रशिक्षण

बैंक ने प्रतिष्ठित बाहरी संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 299 कार्यपालकों और 1,216 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया । इसके अतिरिक्त 30 कार्यपालकों और 8 अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण के प्रतिनियुक्त किया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ के लिए प्रशिक्षण

बैंक ने 151 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए नीलाचल ग्राम्य बैंक और पाण्डियन ग्राम बैंक के 269 स्टाफ सदस्यों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया है । प्रशिक्षित कुल स्टाफ में से 110 अनुसूचित जाति के हैं और 63 अनुसूचित जनजाति के हैं ।

औद्योगिक संबंध

हमारे बैंक में औद्योगिक संबंध हमेशा की तरह अत्यंत सौहार्दपूर्ण है । कर्मचारी ट्रेड यूनियन, अधिकारी संगठन अथवा एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण संगठनों से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं रहा । औद्योगिक संबंध की दृष्टि से अनुशासनिक मामलों में भारी गिरावट आयी है ।

ग्राहक सेवा को और भी बेहतर बनाने के लिए सभी क्षेत्रों द्वारा सिंगल विन्डो प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा है और यह मामला केन्द्रीय कार्यालय के सक्रिय अनुवर्तन के तहत है ।

31.03.2011 तक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी चल, अचल व मूल्यवान संपत्तियों की विवरणियों की ऑनलाइन प्रस्तुति अब तक के सबसे बडे रिकार्ड 99% के रूप में रही है ।

संसदीय समितियों का दौरा

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निम्नलिखित संसदीय समितियों ने अपना दौरा किया :

- उद्योग विषयक संसदीय समिति - मई 7 - 20, 2011
- अधीनस्थ विधान विषयक संसदीय समिति - फरवरी 28, 2012

2012-13 के लिए दृष्टिकोण

2012-13 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दृष्टिकोण सकारात्मक नजर आता है । मुद्रा स्फीति कम होती जा रही है और भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी दृष्टि विकास की ओर साधी है । विकास को तेज करने के लिए ब्याज दर को कम करके जो संकेत दिये गये हैं उनसे उत्साहित होकर नीतिगत दरों को कम करते हुए विकास हेतु नीतिगत उपाय पहले ही शुरू किये जा चुके हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले वर्ष के 6.9 प्रतिशत के पूर्व अनुमान के प्रति वर्ष 2012-13 के लिए 7.3% के जीडीपी विकास का प्रक्षेपण किया है । मार्च 2013 के लिए मुद्रा स्फीति की दर को 6.5% पर प्रक्षेपित किया गया है ।

जनवरी 1, 2013 से चरणबद्ध रूप में बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बेसल-III पूँजी विनियमों के कार्यान्वयन विषय दिशानिर्देशों का पालन करना होगा । जहाँ बैंकों को आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए उत्पादन क्षेत्र को ऋण सुविधाएँ प्रदान करते हुए विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है, वहीं अपनी समवेत लाभप्रदता को बधने के लिए आस्ति की गुणवत्ता और ब्याज मार्जिन का प्रभावी रूप से प्रबंधन करना होगा । साथ ही बेसल-III पूँजी विनियमों को पूरा करने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा ।

Motivation

Rolled Out Motivational Scheme - Mahanavratna / Navratna / Mininavratna to identify performing Regional Offices. Scheme for reimbursement of exam fee for identified courses conducted by Indian Insttitue of Banking and Finance (IIB&F), Mumbai to upgrade the Knowledge / Motivational levels of employees has been put in place.

As a part of staff motivation, Quiz Programme was conducted by Bank both for Officers and Award Staff members.

Towards staff motivation and self-development, HR Motivation series on various Human Developmental aspects is circulated to all Staff Members.

Training

Keeping in view the corporate goal of making the bank a customer centric, one training has been imparted on contemporary issues of banking apart from basic areas of banking through the internal and external mode.

The focus continued to be on Credit Appraisal / Credit Monitoring, Non Performing Asset Management and Recovery in addition to Risk Management and Computer awareness. Apart from the above, regular training on Banking topics have been imparted to officers, clerks in the field of Foreign Exchange, Priority Credit, Know Your Customer / Anti Money Laundering, Banking Codes, Small & Medium Enterprises / Micro Finance & Rural Credit, IT Products & Preventive Vigilance. Also Programme of Personnel Effectiveness and Team Building were conducted to all staff members at Staff College and various Staff Training Centres.

Training Programme on Leadership & Organisational Development, Workshop on Sensitization for better Customer Service, Creating the Winning Branch, Integrated Treasury Management & Bourse Training, Faculty Development Programme were conducted during the year.

Induction programme for newly recruited probationary officers, specialist officers were conducted apart from Orientation programme & pre confirmation programme for Probationary Officers. Pre Promotion Training for SC / ST members who are eligible for promotion from Sub Staff to Clerical cadre was conducted at various Staff Training Centres.

The Pre Retirement counseling programme was conducted for Officers and Award Staff Members who retired during the year. The Bank has engaged the services of retired executives on contract basis to derive the benefit of their experience, knowledge and expertise in various facets of banking.

Executives / Officers were nominated for overseas training to acquire international perspective on banking & technology and share their expertise and experience with other participants. As a part of E-Learning a portal was launched by Staff College, to serve as a vehicle for providing e-lessons on the different areas of banking operations.

Internal Training

The internal training system comprises of One Staff College, Ten Staff Training Centres and One Rural Banking Training Centre. Internal training was imparted to 12,108 staff comprising of 7,431 Officers, 4,011 Clerical and 666 Sub-staff by conducting 966 programmes. Of the total staff trained 2,603 belonged to Scheduled Caste (SC) and 902 belonged to Scheduled Tribe (ST).

External Training and Overseas Training

The bank has deputed 299 Executives and 1,216 Officers for training programmes conducted by reputed external institutes. Apart from these 30 executives and 8 Officers were deputed for training abroad.

Training for Staff of RRB's

The Bank has also trained 269 staff members of Neelachal Gramya Bank and Pandyan Grama Bank through 151 Training Programmes. Of the total staff trained 110 belonged to SC and 63 belonged to ST.

Industrial Relations

The industrial relations climate in our bank is most cordial as usual. There were no conflicts with any of the employees' trade unions, officers' association or SC/ST/OBC welfare associations. There is drastic reduction in Disciplinary cases under IR angle.

Single Window System is being implemented by all regions vigorously to enhance customer service and the matter is under active follow up by Central Office.

Online submission of Return of Movable, Immovable and valuable properties by officer employees as on 31.03.2011 has reached an all-time record of 99% submission.

Visit of Parliamentary Committees

The following Parliamentary Committees visited during the financial year 2011-12:

- Parliamentary Committee on Industry – May 7 -20, 2011
- Parliamentary Committee on Subordinate Legislation – February 28, 2012

Outlook for 2012-13

The growth outlook of the Indian economy for 2012-13 seems to be positive. Inflation started moderating and Reserve Bank of India shifted its stance towards growth. Enabling policy measures for growth have already been initiated by lowering the policy rates signaling lower interest rate regime to facilitate growth. Reserve Bank of India projected a GDP growth of 7.3 percent for 2012-13 as against the advance estimate of 6.9 percent for the last year and the inflation is projected at 6.5 percent for March 2013.

Banks have to follow the guidelines on Implementation of Basel III Capital Regulations by Reserve Bank of India effective from January 1, 2013 in a phased manner. While banks have larger role to play in growth of the economy by extending credit to productive sector for easing the supply constraints, asset quality and interest margin have to be effectively managed for enhancing their overall profitability besides preparing themselves for meeting the Base III capital regulations .

वर्ष 2011-12 के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

क. अधिदेशात्मक आवश्यकताएँ

1. गवर्नेन्स कोड पर बैंक का दर्शन

कार्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली , सिद्धांतों व प्रक्रियाओं का ऐसा समुच्चय है जिसके द्वारा संगठनों को शासित किया जाता है । यह व्यवस्था संगठनों को एक रूपरेखा प्रदान करती है जिसकी मदद से संस्था (बैंकों सहित)सुदीर्घ समय में अपने स्टेकधारकों के महत्तम लाभ हेतु सम्यक आचरणों का पालन करते हुए कार्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपना परिचालन कर सकें । स्टेकधारकों के तहत निदेशक मंडल , प्रबंधन , शेयरधारक से ग्राहक तक , कर्मचारी व समाज भी शामिल हैं ।

कार्पोरेट गवर्नेन्स ईमानदारी और सुचिता से कारोबार करने, सभी बैंकिंग लेन देनों में पारदर्शी रहने , सभी आवश्यक प्रकटन और निर्णय करने, देश के कानूनों का पालन करने, स्टेकधारकों के प्रति जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने और नीतिगत रूप से कारोबार करने की प्रतिबद्धता में निहित है ।

इस दिशा में बैंक अपने सभी परिचालन क्षेत्रों में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन कर रहा है। बैंक की कोशिश है कि कार्पोरेट गवर्नेन्स में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से बेहतरीन आचार-नीति प्रक्रियाओं के अमल को सुनिश्चित किया जाए और बदले में शेयरधारकों के हितों को इससे लाभ मिल सके।

बैंक की कार्पोरेट गवर्नेन्स नीतियाँ निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है।

- कानून और विनियमों का अक्षरश: अनुपालन हो ।
- पारदर्शी रहना और उच्च प्रकटीकरण स्तर बनाए रखना ।
- परिचालनों में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग के सभी आयामों में आचार नीति का पालन करने की प्रतिबद्धता ताकि सभी स्टेकधारकों को मूल्य व लाभ प्राप्त हो सके ।
- परिचालनों में पारदर्शिता की दिशा में बैंक अपनी वेबसाइट www.iob.in में सभी मुख्य विवरण सभी स्टेकधारकों को उपलब्ध कराता है ।
- जिन देशों में बैंक काम कर रहा है उन सभी देशों के कानून का अनुपालन करना।
- नीति सम्मत बैंकिंग मानदण्डों व दैनिक बैंकिंग परिचालन के आचरण मूल्यों का सख्त अनुपालन ।

बैंक की कार्पोरेट दृष्टि

बैंक का उद्देश्य है कि ग्राहकों को मूल्य वर्द्धित उत्पाद और सेवाओं को प्रदान करते समय अपना ध्यान,संसाधन, प्राबल्य और रणनीति को स्टेक धारको के मूल्य और लाभ को बढ़ाने पर केन्द्रित करके बैंकिंग में बेहतरीन कार्पोरेट कामकाज का सख्ती से पालन करना ताकि बैंक नए शिखर स्पर्श कर सके ।

2. निदेशक मंडल

क. संरचना

बैंक के कारोबार का कार्यभार निदेशक मंडल पर है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा दो कार्यपालक निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में काम करते हैं। निदेशक मंडल में 31.03.2012 तक ग्यारह सदस्य रहे, जिनमें तीन कार्यपालक पूर्ण कालिक निदेशक हैं व आठ गैर कार्यपालक निदेशक हैं जिसमें दो निदेशक शेयर धारकों द्वारा उनके हितों के विधिवत प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए हैं।

ख. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कार्यरत निदेशकों के विवरण

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशकता का स्वरूप	नियुक्ति की तारीख	वर्ष के दौरान सेवा निवृत्त / कार्यकाल की समिति
01	श्री एम.नरेंद्र	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	01.11.2010	
02	श्रीमती नूपुर मित्रा	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	07.12.2010	31.10.2011
03	श्री ए.के.बंसल	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	01.09.2010	
04	श्री ए डी एम चावली	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	28.12.2011	
05	डॉ.विनीता कुमार	सरकारी नामिती निदेशक	सरकारी - गैर कार्यपालक	10.06.2008	21.07.2011
06	डॉ. आलोक पाण्डे	सरकारी नामिती निदेशक	सरकारी - गैर कार्यपालक	22.07.2011	
07	श्री एस.वी.राघवन	भा.रि.बैं के नामिती निदेशक	गैर कार्यपालक	30.07.2010	
08	श्री श्रीधर लाल लखोटिया	कर्मकार कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	09.08.2010	
09	श्री के.आनंद कुमार	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	26.03.2010	
10	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	सनदी लेखाकार निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	01.11.2011	
11	श्री बी.वी.अप्पाराव	निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	29.08.2008	28.08.2011
12	श्री सूरज खत्री	निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	26.10.2009	
13	श्री ए.के.भार्गव	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2008	07.12.2011
14	डॉ.चिरंजीब सेन	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2008	07.12.2011
15	श्री ए.वेल्लयन	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2008	30.03.2012*
16	श्री अजित वसंत सरदेसाई	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2011	
17	प्रो. एस सडगोपन	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08.12.2011	

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2011-12

A. MANDATORY REQUIREMENTS

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

Corporate Governance refers to a set of systems, principles and processes by which any organization is governed. It defines the broad contour of how an Institution (including Banks) can conduct their operations by following ethical practices so as to reach the corporate objectives in such a way that it results in maximization of benefits to all its stakeholders in the long run. Stakeholders would include everyone from the Board of Directors, Management, Shareholders to Customers, employees and society.

Corporate Governance is based on principles such as conducting the business with integrity and fairness, being transparent with regard to all banking transactions, making all necessary disclosures and decisions, complying with all the laws of the land, ensuring accountability and responsibility towards the stakeholders and commitment to conducting business in an ethical manner.

Bank is complying with all the norms laid down by Regulatory Authorities, in all its functional areas. Bank takes every effort to implement the best ethical practices for the benefit of all the stakeholders by following effective Corporate Governance.

Bank's Corporate Governance policies are based on the following principles:

- Adhere to the Laws and Regulations both in letter and spirit.
- Be transparent and maintain a high degree of disclosure levels.
- Total commitment to follow ethical practices in all facets of banking to ensure efficiency in operations so as to maximise value and benefit to all stakeholders.
- Towards transparency in operations, bank provides vital details to all the stakeholders in the Bank's website www.iob.in.
- Adhere to the laws and regulations of the Countries where bank carries on operations.
- Strict adherence to prudent banking norms and values in the conduct of day-to-day banking operations.

Bank's Corporate Vision

Bank aims at complying strictly with the best corporate practices in banking while providing value added products and services to customers by focusing its attention, resources, strength and strategies for maximizing value and benefits to all stakeholders so as to take the bank to new heights.

2. BOARD OF DIRECTORS

a. Composition

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The CMD and two EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2012 is eleven directors comprising three whole time Directors and eight non-executive Directors, which includes two directors elected by the shareholders to duly represent their interest.

b. Particulars of directors who held office during the financial year 2011- 2012

Sl. No.	Name of the Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment	Retirement / demission of office during the year
1	Shri.M.Narendra	Chairman & Managing Director	Executive / Whole Time	01.11.2010	
2	Smt. Nupur Mitra	Executive Director	Executive / Whole Time	07.12.2009	31.10.2011
3	Shri A.K.Bansal	Executive Director	Executive / Whole Time	01.09.2010	
4	Shri.A.D.M. Chavali	Executive Director	Executive / Whole Time	28.12.2011	
5	Dr. Vinita Kumar	Govt. Nominee Director	Official – Non Executive	10.06.2008	21.07.2011
6	Dr. Alok Pande	Govt.Nominee Director	Official – Non Executive	22.07.2011	
7	Shri.S.V. Raghavan	RBI Nominee Director	Non Executive	30.07.2010	
8	Shri. Sridhar Lal Lakhotia	Workmen Employee Director	Non Executive	09.08.2010	
9	Shri K. Ananda Kumar	Officer Employee Director	Non Executive	26.03.2010	
10	Shri.Niranjan Kumar Agarwal	Chartered Accountant Director / Part time Non-official	Non Executive	01.11.2011	
11	Shri B.V.Appa Rao	Director / Part time Non official	Non Executive	29.08.2008	28.08.2011
12	Shri Sooraj Khatri	Director / Part time Non-official	Non Executive	26.10.2009	
13	Shri A.K. Bhargava	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2008	07.12.2011
14	Dr. Chiranjib Sen	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2008	07.12.2011
15	Shri A Vellayan	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2011	30.03.2012*
16	Shri Ajit Vasant Sardesai	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2011	
17	Prof.S. Sadagopan	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2011	

* भारत सरकार को दिनांक 30.03.2012 को शेयरों के आबंटन के परिणामस्वरूप भारत सरकार की शेयरधारिता बढ़कर 69.62% हो गयी और सार्वजनिक शेयरधारिता घटकर 32% हो गयी और श्री ए वेल्लयन, शेयरधारक निदेशक दिनांक 30.03.2012 को बैंक के निदेशक मंडल से कार्यमुक्त हो गए ।

बैंक के निदेशकों का प्रोफाइल अनुबंध में दिया गया है ।

यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं या बैंक के किसी कर्मचारी के रिश्तेदार नहीं हैं ।

मंडल ने निदेशकों और सभी महाप्रबंधकों के लिए आचरण संहिता अपनाई है और अ.व.प्र.नि से इस आशय की घोषणा प्राप्त की गई है जिसमें संहिता अनुपालन की पुष्टि की गई है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

बोर्ड सेवा विभाग से जुड़े श्री जी आर गाँधी, महा प्रबंधक बोर्ड के भी सचिव हैं।

ग. निदेशक मंडल की बैठकें

बैठक की तारीख व स्थान और कार्यसूची सभी निदेशकों को समय रहते सूचित की जाती है। निदेशकों को कार्यसूची के सभी मदों पर अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। बैंक के कार्यपालकों को भी निदेशक मंडल की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है ताकि वे आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकें। समीक्षा वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की कम-से-कम तिमाही में एक बैठक के हिसाब से, वर्ष में न्यूतम छ: बार आयोजित किए जाने की तुलना में, 14 बैठकें हुई ।

- वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निम्नलिखित तारीखों एवं स्थानों में 14 बार मंडल की बैठकें आयोजित की गईं :

क्र.सं.	बैठक की तारीख	स्थान
01	21-04-2011	चेन्नै
02	02-05-2011	चेन्नै
03	30-05-2011	चेन्नै
04	27-06-2011	चेन्नै
05	11-07-2010	चेन्नै
06	28-07-2011	चेन्नै
07	08-09-2011	चेन्नै
08	04.10-2011	चेन्नै
09	29-10-2011	चेन्नै
10	03.12.2011	दिल्ली
11	21-12-2011	चेन्नै
12	28-01-2011	चेन्नै
13	25-02-2011	मंगलोर
14	21-03-2011	चेन्नै

- सभी बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बिना आयोजित की गईं।
- मंडल की उक्त बैठकों और दिनांक 12.07.2011 को आयोजित पिछली एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गयी है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति	पिछली एजीएम में उपस्थिति
01	श्री एम.नरेंद्र	14/14	हाँ
02	श्रीमती नूपुर मित्रा	09/09	हाँ
03	श्री ए.के.बंसल	13/14	हाँ
04	श्री ए डी एम चावली	02/03	एजीएम की तारीख के बाद नियुक्त
05	डॉ.विनीता कुमार	01/05	नहीं
06	डॉ. आलोक पाण्डे	06/09	एजीएम की तारीख के बाद नियुक्त
07	श्री एस.वी.राघवन	13/14	हाँ
08	श्री श्रीधर लाल लखोटिया	14/14	हाँ
09	श्री के.आनंद कुमार	14/14	हाँ
10	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	04/05	एजीएम की तारीख के बाद नियुक्त
11	श्री बी.वी.अप्पाराव	06/06	हाँ
12	श्री सूरज खत्री	14/14	हाँ
13	श्री ए.के.भार्गव	09/10	हाँ
14	डॉ.चिरंजीब सेन	08/10	नहीं
15	श्री ए.वेल्लयन	02/14	नहीं
16	श्री अजित वसंत सरदेसाई	04/04	एजीएम की तारीख के बाद नियुक्त
17	प्रो. एस सडगोपन	02/04	एजीएम की तारीख के बाद नियुक्त

* Consequent to the allotment of shares on 30.03.2012 to the Government of India, GoI Shareholding has increased to 69.62% and Public Share holding has come down below 32% and Shri.A.Vellayan, Shareholder Director, has demitted office as a Director on the Board of the Bank with effect from 30.03.2012.

Profile of Directors of the Bank is enclosed as an Annexure.

It is declared that none of the directors are related to each other.

The Board has adopted a Code of Conduct for Directors and all the General Managers and a declaration has been obtained from the CMD confirming their compliance with the Code of Conduct and is attached to this report.

Shri G.R. Gandhi, General Manager, attached to Board Services Department, is also the Secretary to the Board.

c. Meetings of the Board

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are advised to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications. During the year under review, the meetings of the Board were held 14 times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

- During the financial year 2011-12, the Board meetings were held 14 Times on the following dates and places:

SL No.	DATE OF MEETING	PLACE HELD
1	21-04-2011	CHENNAI
2	02-05-2011	CHENNAI
3	30-05-2011	CHENNAI
4	27-06-2011	CHENNAI
5	11-07-2011	CHENNAI
6	28-07-2011	CHENNAI
7	08-09-2011	CHENNAI
8	04-10-2011	DELHI
9	29-10-2011	CHENNAI
10	03-12-2011	DELHI
11	21-12-2011	CHENNAI
12	28-01-2012	CHENNAI
13	25-02-2012	MANGALORE
14	21-03-2012	CHENNAI

- All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.
- Attendance of the directors at the above Board meetings and last AGM held on 12.07.2011 are furnished below:

Sl. No.	Name of Director	Number of Board Meetings Attended	Attendance in the Last AGM
01	Shri.M.Narendra	14/14	Yes
02	Smt. Nupur Mitra	09/09	Yes
03	Shri A.K.Bansal	13/14	Yes
04	Shri.A.D.M.Chavali	02/03	Appointed after the date of AGM
05	Dr. Vinita Kumar	01/05	No
06	Dr.Alok Pande	06/09	Appointed after the date of AGM
07	Shri. S.V.Raghavan	13/14	Yes
08	Shri. Sridhar Lal Lakhotia	14/14	Yes
09	Shri K. Ananda Kumar	14/14	Yes
10	Shri.Niranjan Kumar Agarwal	04/05	Appointed after the date of AGM
11	Shri B.V.Appa Rao	06/06	Yes
12	Shri Sooraj Khatri	14/14	Yes
13	Shri A.K. Bhargava	09/10	Yes
14	Dr. Chiranjib Sen	08/10	No
15	Shri A Vellayan	02/14	No
16	Shri Ajit Vasant Sardesai	04/04	Appointed after the date of AGM
17	Prof. S.Sadagopan	02/04	Appointed after the date of AGM

घ. अन्य मण्डल या मण्डल समितियों की संख्या जिनमें निदेशक एक सदस्य / अध्यक्ष हैं

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों और आइ ओ बी को छोड कर) जिनमें वे सदस्य / बोर्ड के अध्यक्ष हैं (वैकल्पिक नामित निदेशक को छोडकर)	समितियों की संख्या जिसमें सदस्य हैं (आइओबी को छोड कर)
प्रो. एस सडगोपन	1) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 2) नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया 3) क्योनिक्स - पदेन निदेशक आइ आइ टी - बैंगलोर	शून्य

ड. समितियों में सदस्यता:

मंडल के निदेशकों में से कोई भी 10 समितियों से अधिक में सदस्य नहीं हैं या सभी कंपनियों में, जिसमें वे निदेशक हैं पाँच समितियों से अधिक में अध्यक्ष के रूप में पदस्थ नहीं हैं । (सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(1) (सी) की शर्तों के अनुसार सीमा की गणना के उद्देश्य से, लेखा-परीक्षा तथा शेयर धारक शिकायत समिति की अध्यक्षता/ सदस्यता पर ही विचार किया गया है ।

3. मंडल की समितियाँ:

निर्णय प्रक्रिया में सुविधा तेजी लाने के लिए मंडल ने निम्नलिखित समितियां गठित की हैं और उन्हें विशेष अधिकार भी दिए हैं । हर बैठक के कार्यवृत्त समिति की अगली बैठक के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं तथा अनुमोदन किए गये कार्यवृत्त को निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ मंडल बैठक में प्रस्तुत किया जाता है ।

3.1 मंडल की प्रबंधन समिति (एम सी बी) :

मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। एमसीबी के कार्य एवं कर्तव्य निम्नानुसार हैं :

क. उधार प्रस्तावों को स्वीकृत करना (निधि आधारित और गैर निधि आधारित)

ख. ऋण और ब्याज समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव

ग. पूंजी एवं राजस्व व्यय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव

घ. परिसर किराए पर लेने और अधिग्रहण के संबंध में प्रस्ताव, परिसर के किराये के लिए व अधिग्रहण के लिए मानदण्डों के व्यतिक्रम सहित

च. वाद/अपील दायर करना, उन पर प्रतिवाद करना इत्यादि

छ. सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों में हामीदारी सहित निवेश करना

ज. दान

झ. अन्य कोई विषय जो बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को सौंपा गया हो

मद (क) से (ज), अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के विवेकाधिकार के परे प्रस्तावों के संबंध में है।

समिति वर्ष के दौरान 32 बार मिली। सभी बैठकें उचित फोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं।

दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि		बैठकों में उपस्थिति
			से	तक	
01	श्री एम.नरेंद्र	अध्यक्ष	01.11.2010		30/32
02	श्रीमती नूपुर मित्रा	सदस्य	07.12.2009	31.10.2011	18/21
03	श्री ए.के.बंसल	सदस्य	01.09.2010		30/32
04	श्री ए डी एम चावली	सदस्य	28.12.2011		05/07
05	श्री एस.वी.राघवन	सदस्य	13.09.2010		29/32
06	श्री श्रीधर लाल लखोटिया	सदस्य	29.10.2010 29.10.2011	28.04.2011	12/13
07	श्री के.आनंद कुमार	सदस्य	29.04.2011	28.10.2011	19/19
08	श्री बी.वी.अप्पाराव	सदस्य	01.06.2010	28.08.2011	07/08
09	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	सदस्य	01.11.2011		10/11
10	श्री सूरज खत्री	सदस्य	28.06.2011	07.12.2011	17/18
11	श्री ए.के.भार्गव	सदस्य	01.12.2010 29.08.2011	31.05.2011 07.12.2011	16/16
12	डॉ.चिरंजीब सेन	सदस्य	08.12.2010	07.06.2011	05/06
13	श्री अजित वसंत सरदेसाई	सदस्य	08.12.2011		07/08
14	प्रो. एस सडगोपन	सदस्य	08.12.2011		04/08

d. Number of other Boards or Board committees in which the Director is a member/ Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies and IOB) in which he / she is a member / Chairperson of the Board (excluding alternate nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
Prof.S.Sadagopan	1) Bharat Earth Movers Limited. 2) National Payment Corporation of India. 3) "Keonics" ex officio Director of IIT-B.	NIL

e. Membership in Committees:

None of the directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as a Chairman of more than five committees across all companies in which he is a director. (For the purpose of reckoning the limit in terms of clause 49(1)(C) of the listing agreement, the chairmanship/ membership of the Audit Committee and the Shareholders' Grievance Committee alone have been considered).

3. COMMITTEES OF THE BOARD:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation and the minutes thus approved, are placed before the Board Meeting for their information.

3.1 Management Committee of the Board (MCB):

MCB is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The functions and duties of the MCB are as under:

a. Sanctioning of credit proposals (funded and non funded)
b. Loan and Interest Compromise / Write off proposals.
c. Proposals for approval of capital and revenue expenditure.
d. Proposals relating to acquisition and hiring of premises, including deviation from norms for acquisition and hiring of premises.
e. Filing of suits / appeals, defending them etc.
f. Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting.
g. Donations
h. Any other matter referred to the Management Committee by the Board. Items (a) to (g) will be in respect of proposals beyond the discretionary powers of CMD / Powers of Credit Approval committee as may be applicable.

The committee met 32 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The Members who held office during the period 01.04.2011 to 31.03.2012 and the details of number of meetings attended during their tenure by each committee member are as under:

Sl. No	Name of Director	Position	Tenure of Membership From	To	Number of Meetings Attended
1.	Shri. M.Narendra, CMD	Chairman	01.11.2010		30/32
2.	Smt. Nupur Mitra	Member	07.12.2009	31.10.2011	18/21
3.	Shri. A.K.Bansal	Member	01.09.2010		30/32
4.	Shri. A.D.M.Chavali	Member	28.12.2011		05/07
5.	Shri. S.V.Raghavan	Member	13.09.2010		29/32
6.	Shri. Sridhar Lal Lakhotia	Member	29.10.2010 29.10.2011	28.04.2011	12/13
7.	Shri. K. Ananda Kumar	Member	29.04.2011	28.10.2011	19/19
8.	Shri. B.V.Appa Rao	Member	01.06.2010	28.08.2011	07/08
9.	Shri. Niranjan Kumar Agarwal	Member	01.11.2011		10/11
10.	Shri Sooraj Khatri	Member	28.06.2011	07.12.2011	17/18
11.	Shri. A. K. Bhargava	Member	01.12.2010 29.08.2011	31.05.2011 07.12.2011	16/16
12.	Dr. Chiranjib Sen	Member	08.12.2010	07.06.2011	05/06
13.	Shri. A.V.Sardesai	Member	08.12.2011		07/08
14.	Prof. S.Sadagopan	Member	08.12.2011		04/08

3.2 मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सी ए सी)

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के संशोधन के अनुसार अधिसूचना सं एस ओ 2736 (ई) दिनांकित 5 दिसंबर 2011 के द्वारा निदेशक मंडल ने दिनांक 25.02.2012 को मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया । समिति को ऋण प्रस्तावों की मंजूरी व ऋण समझौतों / बट्टे खाते में डालने संबंधी विशिष्ट वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं ।

समिति के अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं । 25.02.2012 से 31.03.2012 के दौरान समिति की बैठकें 5 बार आयोजित की गयीं । अवधि के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नवत हैं :

निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि से	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम.नरेंद्र	अध्यक्ष	25.02.2012	05/05
श्री ए.के.बंसल	सदस्य	25.02.2012	04/05
श्री ए डी एम चावली	सदस्य	25.02.2012	04/05
म प्र - वृहद कार्पोरेट विभाग	सदस्य	25.02.2012	05/05
म प्र - मध्य कार्पोरेट विभाग	सदस्य	25.02.2012	05/05
म प्र - एम एस एम ई	सदस्य	25.02.2012	04/05
म प्र - तुलन पत्र प्रबंधन (सी एफ ओ)	सदस्य	25.02.2012	04/05
म प्र जोखिम प्रबंधन विभाग	सदस्य	25.02.2012	05/05

3.3 मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

मंडल की लेखा परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक /भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित की गयी है। समिति में छ: सदस्य हैं- दो कार्यपालक निदेशक, सरकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक, दो गैर सरकारी निदेशक जिनमें से एक सनदी लेखाकार है और भारत सरकार के परिपत्र, दिनांक 18.02.2008 की शर्तों के अनुसार बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3) (जी) के तहत नामित सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मंडल की लेखा परीक्षा समिति में गैर-सरकारी सनदी लेखाकार को शामिल करने हेतु सूचितानुसार एक गैर आधिकारिक सनदी लेखाकार है।

मंडल लेखा परीक्षा समिति के कार्य व कर्तव्य निम्नानुसार हैं

- बैंक में समग्र लेखा परीक्षा कार्य के परिचालन की देख-रेख करना और मार्गदर्शन देना। समग्र लेखा परीक्षा क्रियाकलापों में बैंक का आंतरिक निरीक्षण व लेखा परीक्षा का संगठन, गुणवत्ता नियंत्रण व परिचालन करना और बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के सांविधिक /बाहरी लेखापरीक्षा का अनुवर्तन करना
- बैंक में होनेवाले आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा की समीक्षा करना अनुवर्तन के संदर्भ में प्रणाली, उसकी गुणवत्ता तथा प्रभावात्मकता की समीक्षा करना और विशिष्ट तथा बहुत बडी शाखाओं और असंतोषजनक रेटिंगवाली सभी शाखाओं की समीक्षा करना
- कार्यकारी क्षेत्रों के अनुपालन अधिकारियों से अर्ध वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करना है और उसकी समीक्षा करना
- सांविधिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तथा लाँग फार्म लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (एलएफ़एआर) में उठाए गए सभी मदों पर अनुवर्तन तथा समीक्षा करना और वार्षिक/वित्तीय विवरणों तथा रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श करना
- भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों / चिंताजनक विषयों की समीक्षा एवं अनुवर्तन करना

यह समिति विशेषकर निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देती है

- अन्तर - शाखा समंजन खाते
- अन्तर-बैंक तथा नोस्ट्रो खातों में लंबी अवधि से असमंजित लंबित प्रविष्टियाँ
- विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान में बकाये का समंजन
- धोखाधडियों एवं व्यवस्था संबंधी अन्य सभी प्रमुख क्षेत्र

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सेबी समिति की शर्तों के अनुसार कार्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों पर मंडल की लेखा-परीक्षा समिति को निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य /शक्तियाँ सौंपे गए :

- समिति के अधीन किसी भी गतिविधि की जाँच पड़ताल करना।
- किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना ।
- बाहर से विधिक या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना ।
- जरुरत पड़ने पर संबंधित विषय में विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों को आमंत्रित करना।

लेखा-परीक्षा समिति के कार्यों में भी विद्यमान कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं:

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर दृष्टि रखना तथा उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है ।
- लेखाकरण नीतियों व आचरणों पर जोर देते हुए, लेखाकरण मानकों का अनुपालन और अन्य कानूनी जरूरतों को पूरा करते हुए वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करने के साथ वित्तीय विवरणों के प्रबंधन की समीक्षा ।
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा प्रबंधन, बाहरी एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ करना ।
- महत्वपूर्ण स्वरूप के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता या अनियमितता या धोखाधड़ी संबंधी संदेहात्मक मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई आंतरिक जाँच के परिणामों का पुनरीक्षण कर मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना।
- लेखा-परीक्षा शुरु होने से पहले लेखा-परीक्षा का स्वरूप और विस्तार के बारे में बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करने के साथ-साथ लेखा-परीक्षा के बाद किसी चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा करना ।
- कंपनी की वित्तीय तथा जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना ।

वर्ष के दौरान समिति दिनांक 08.04.11, 02.05.11,28.06.11,28.0711, 20.08.11, 29.10.11,12.11.11, 16.12.11, 28.01.12,11. 02.12, एवं 20.03.12 को 11 बार मिली।

सभी बैठकें उचित फोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं।

दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है।

3.2 Credit Approval Committee of the Board (CAC):

The Credit Approval Committee of the Board has been constituted on 25.02.2012 by the Board of Directors in terms of the amendment of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 vide Notification No.S.O.2736(E) dated December 5, 2011. The committee is empowered with specific financial powers for sanctioning of credit proposals and for settlement for loan compromise/write off.

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The Committee met 5 times during the period 25.02.2012 to 31.03.2012. Number of meetings attended by each committee member during the period are as under:

Name of the Director	Position	Tenure of membership From	Meeting Attended
Shri. M.Narendra	Chairman	25.02.2012	05/05
Shri. A.K.Bansal	Member	25.02.2012	04/05
Shri. A.D.M.Chavali	Member	25.02.2012	04/05
GM - Large Corporate Department	Member	25.02.2012	05/05
GM - Mid Corporate	Member	25.02.2012	05/05
GM - MSME	Member	25.02.2012	04/05
GM - Balance Sheet Management (CFO)	Member	25.02.2012	04/05
GM - Risk Management Department	Member	25.02.2012	05/05

3.3 Audit Committee of the Board (ACB):

The Audit Committee of the Board has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India/GOI and consists of six members comprising of two EDs, Government director, RBI director, two non-official directors of which one is a Chartered Accountant and non-official Chartered Accountant director nominated under section 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 in terms of GOI Circular dated 18.02.2008 advising Public Sector Banks to include such Director in the Audit Committee of the Board.

The delegated functions and duties of the ACB are as under:

- To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalization and quality control of the internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory / external audit of the Bank and inspections of RBI.
- To review the internal inspection / audit function in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up and also the inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings
- To obtain and review half – yearly reports from the Compliance Officers of the functional areas.
- To review and follow up on the report of the statutory audits and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual / quarterly financial statements and reports.
- To review and follow up all the issues / concerns raised in the Inspection reports of RBI.

This committee specially focuses on the follow-up of:

- Inter – Branch Adjustment Accounts.
- Unreconciled long outstanding entries in Inter – Bank Accounts and Nostro Accounts.
- Arrears in balancing of books at various branches.
- Frauds and all other major areas of house – keeping.

The following additional role functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges:

- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.
- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it is necessary.

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.
- Reviewing the company's Financial and Risk Management Policies.

The committee met 11 times during the year on 08.04.11, 02.05.11, 28.06.11, 28.07.11, 20.08.11, 29.10.11, 12.11.11, 16.12.11, 28.01.12, 11.02.12 and 20.03.12.

All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The members who held office during the period 01.04.2011 to 31.03.2012 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्रीमती नुपुर मित्रा	सदस्य	07.12.2009	31.10.2011	05/06
2	श्री ए.के.बंसल	सदस्य	01.09.2010		11/11
3	श्री ए डी एम चावली	सदस्य	28.12.2011		02/03
4	डॉ.विनीता कुमार	सदस्य	10.06.2008	21.07.2011	01/03
5	डॉ. आलोक पाण्डे	सदस्य	22.07.2011		04/08
6	श्री एस.वी.राघवन	सदस्य	30.07.2010		10/11
7	श्री बी.वी.अप्पाराव	01.04.2011 से 28.08.2011 तक एसीबी की प्रत्येक बैठक में निर्वाचित सदस्य / अध्यक्ष	11.10.2009	28.08.2011	05/05
8	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	03.12.2011 से प्रभावी सदस्य /अध्यक्ष	01.011.2011		05/05
9	श्री सूरज खत्री	सदस्य	08.12.2011		04/04
10	श्री ए.के.भार्गव	01.04.2011 से 28.08.2011 तक एसीबी की प्रत्येक बैठक में निर्वाचित सदस्य / अध्यक्ष	29.05.2010	07.12.2011	05/07
11	डॉ.चिरंजीब सेन	सदस्य	04.10.2011	31.10.2011	01/01

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

इस समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि हैं। समिति 01.04.2011 से 31.3.2012 के बीच 9 बार मिली। प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एम.नरेंद्र	01.11.2010		08/09
2	श्रीमती नूपुर मित्रा	07.12.2009	31.10.2011	05/05
3	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010		08/09
4	श्री ए डी एम चावली	28.12.2011		03/03
5	श्री ए.के.भार्गव	29.05.2010	07.12.2011	06/06
6	डॉ.चिरंजीब सेन	08.09.2011	07.12.2011	02/03
7	श्री अजित वसंत सरदेसाई	21.12.2011		03/03
8	प्रो. एस सडगोपन	21.12.2011		01/03
9	श्री बी.वी.अप्पाराव	08.12.2008	28.08.2011	03/03

3.5 बड़ी मूल्यवाली धोखाधडियों के लिए प्रबोधन संबंधी समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। समिति 01.04.2011 से 31.03.2012 की अवधि के दौरान छह बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या ।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एम.नरेंद्र	01.11.2010		05/06
2	श्रीमती नूपुर मित्रा	07.12.2009	31.10.2011	02/02
3	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010		05/06
4	श्री ए डी एम चावली	28.12.2011		02/02
5	डॉ.विनीता कुमार	10.06.2008	21.07.2011	00/01
6	डॉ. आलोक पाण्डे	22.07.2011		04/05
7	श्री निरंजन कुमार अग्रवाल	03.12.2011		01/02
8	श्री सूरज खत्री	29.05.2010		06/06
9	श्री ए.के.भार्गव	29.11.2009	07.12.2011	03/04

3.6 ग्राहक सेवा समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। 01.04.2011 से 31.03.212 की अवधि के दौरान समिति 4 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या :

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1	Smt Nupur Mitra	Member	07.12.2009	31.10.2011	05/06
2.	Shri A.K.Bansal	Member	01.09.2010		11/11
3.	Shri A.D.M.Chavali	Member	28.12.2011		02/03
4.	Dr. Vinita Kumar	Member	10.06.2008	21.07.2011	01/03
5	Dr. Alok Pande	Member	22.07.2011		04/08
6.	Shri V.Raghavan	Member	30.07.2010		10/11
7.	Shri B.V.Appa Rao	Member/Chairman Elect at each meeting of ACB from 01.04.2011 to 28.08.2011	11.10.2009	28.08.2011	05/05
8	Shri Niranjan Kumar Agarwal	Member/Chairman W.e.f. 03.12.2011	01.11.2011		05/05
9	Shri Sooraj Khatri	Member	08.12.2011		04/04
10	Shri A.K.Bhargava	Member/Chairman elect at each meeting of ACB from 29.08.2011 to 12.11.2011	29.05.2010	07.12.2011	05/07
11	Shri Chiranjib Sen	Member	04.10.2011	31.10.2011	01/01

3.4 Risk Management Committee:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 9 times during the period 01.04.2011 to 31.03.2012. Number of Meetings attended by each Committee Member during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership From	To	Number of Meetings Attended
1.	Shri. M. Narendra	01.11.2010		08/09
2.	Smt. Nupur Mitra	07.12.2009	31.10.2011	05/05
3.	Shri. A.K.Bansal	01.09.2010		08/09
4.	Shri. A.D.M.Chavali	28.12.2011		03/03
5.	Shri. A.K.Bhargava	29.05.2010	07.12.2011	06/06
6.	Dr.Chiranjib Sen	08.09.2011	07.12.2011	02/03
7.	Shri.A.V.Sardesai	21.12.2011		03/03
8.	Prof.S.Sadagopan	21.12.2011		01/03
9.	Shri B V Appa Rao	08.12.2008	28.08.2011	03/03

3.5 Committee For Monitoring Large Value Frauds:

The Chairman of the Committee is the CMD of the Bank. The committee met 6 times during the period 01.04.2011 to 31.03.2012. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri.M.Narendra	01.11.2010		05/06
2.	Smt.Nupur Mitra	07.12.2009	31.10.2011	02/02
3.	Shri. A.K.Bansal	01.09.2010		05/06
4.	Shri. A.D.M.Chavali	28.12.2011		02/02
5.	Dr. Vinita Kumar	10.06.2008	21.07.2011	00/01
6.	Dr. Alok Pande	22.07.2011		04/05
7.	Shri. Niranjan Kumar Agarwal	03.12.2011		01/02
8.	Shri. Sooraj Khatri	29.05.2010		06/06
9.	Shri. A.K.Bhargava	29.11.2009	07.12.2011	03/04

3.6 Customer Service Committee:

The Chairman of the Committee is the CMD of the Bank. The committee met 4 times during the period 01.04.2011 to 31.03.2012. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एम.नरेंद्र	01.11.2010		04/04
2	श्रीमती नूपुर मित्रा	07.12.2009	31.10.2011	02/02
3	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010		03/04
4	श्री ए डी एम चावली	28.12.2011		01/01
5	डॉ.विनीता कुमार	10.06.2008	21.07.2011	00/01
6	डॉ. आलोक पाण्डे	22.07.2011		02/03
7	श्री श्रीधर लाल लखोटिया	09.08.2010		04/04
8	श्री के. आनंद कुमार	26.03.2010		04/04
9	श्री सूरज खत्री	29.05.2010		04/04

3.7 अनुशासनिक मामलों की समीक्षा हेतु समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। 01.04.2011 से 31.03.2012 की अवधि के दौरान समिति 4 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एम.नरेंद्र	01.11.2010		03/04
2	श्रीमती नूपुर मित्रा	07.12.2009	31.10.2011	02/02
3	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010		03/04
4	श्री ए डी एम चावली	28.12.2011		01/01
5	डॉ.विनीता कुमार	10.06.2008	21.07.2011	00/01
6	डॉ. आलोक पाण्डे	22.07.2011		03/03
7	श्री एस.वी.राघवन	30.07.2010		04/04

3.8 संपर्ककर्ता खातों की स्थापना के लिए समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। 01.04.2011 से 31.03.2012 की अवधि के दौरान समिति 2 बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एम.नरेंद्र	01.11.2010		02/02
2	श्रीमती नूपुर मित्रा	07.12.2009	31.10.2011	01/01
3	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010		02/02
4	श्री बी.वी.अप्पाराव	09.12.2008	28.08.2011	01/01
5	श्री सूरज खत्री	29.05.2010		02/02
6	श्री ए के भार्गव	29.05.2011	07.12.2011	01/01

समिति को दिनांक 21.12.2011 से प्रभावी रूप से समाप्त बंद कर दिया गया और समिति के दायरे में आने वाले किसी भी मामले को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है ।

3.9 पारिश्रमिक समिति

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक (कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को छोड़कर) के बारे में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। बैंक के अन्य निदेशकों को केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक बैंठक के शुल्क के अलावा बैंक द्वारा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) पत्र एफ.सं.20/01/2005-बीओ-I, दिनांकित 09.03.2007 के अनुसार भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार बैंक के पूर्ण कालिक निदेशकों को सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पादन का मूल्यांकन एवं कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान करने की सिफारिश करने हेतु निदेशक मंडल की उप समिति- पारिश्रमिक समिति -गठित की गई है।

31.05.2011 को आयोजित समिति के सदस्य निम्न प्रकार हैं :

1. डॉ.विनीता कुमार
2. श्री एस.वी.राघवन
3. श्री ए. के. भार्गव
4. श्री सूरज खत्री

समिति के सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया ।

3.10 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संदर्भ डीबीओडी सं. बी सी सं.47 / 29.39.001 / 2007-08 दिनांकित 01.11.2007 में दिनांक 16.10.2006 से प्रभावी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में हुए संशोधन के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करते समय " योग्य तथा उचित " हैसियत आदि निर्णय लेने के प्राधिकार, पद्धति / कार्यविधि तथा मानदण्ड-के निर्धारण के लिए आवश्यक दिशनिर्देश दिए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब निदेश दिया है कि "योग्य तथा उचित" मानदण्ड को अब से चुने गए निदेशकों (शेयरधारक निदेशक) - दोनों वर्तमान तथा भविष्य में भी लागू किया जाए।

समिति के सदस्य निम्नवत हैं :

1. डॉ. आलोक पाण्डे
2. श्री निरंजन कुमार अग्रवाल
3. श्री सूरज खत्री

समिति की बैठक दिनांक 17.11.2011 को आयोजित हुई और समिति के सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया ।

3.11 सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र सं आर बी आइ / 2010-11 / 494 डी बी एस . सी ओ . आइ टी सी . बी सी सं 6 / 31 .02 . 008 / 2010-11

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1	Shri.M.Narendra	01.11.2010		04/04
2	Smt. Nupur Mitra	07.12.2009	31.10.2011	02/02
3	Shri A.K.Bansal	01.09.2010		03/04
4	Shri.A.D.M.Chavali	28.12.2011		01/01
5	Dr.Vinita Kumar	10.06.2008	21.07.2011	00/01
6	Dr.Alok Pande	22.07.2011		02/03
7	Shri Sridhar Lal Lakhotia	09.08.2010		04/04
8	Shri.K. Ananda Kumar	26.03.2010		04/04
9	Shri. Sooraj Khatri	29.05.2010		04/04

3.7 Committee For Review Of Disciplinary Cases:

The Chairman of the Committee is the CMD of the Bank. The committee met 4 times during the period 01.04.2011 to 31.03.2012. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1	Shri. M. Narendra	01.11.2010		03/04
2	Smt. Nupur Mitra	07.12.2009	31.10.2011	02/02
3	Shri A.K.Bansal	01.09.2010		03/04
4	Shri.A.D.M.Chavali	28.12.2011		01/01
5	Dr.Vinita Kumar	10.06.2008	21.07.2011	00/01
6	Dr.Alok Pande	22.07.2011		03/03
7	Shri. S.V.Raghavan	30.07.2010		04/04

3.8 Committee For Establishment Of Correspondent Accounts:

The Chairman of the Committee is the CMD of the Bank. The committee met 2 times during the period 01.04.2011 to 31.03.2012. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1	Shri. M.Narendra	01.11.2010		02/02
2	Smt. Nupur Mitra	07.12.2009	31.10.2011	01/01
3	Shri. A.K.Bansal	01.09.2010		02/02
4	Shri. B.V. Appa Rao	09.12.2008	28.08.2011	01/01
5	Shri. Sooraj Khatri	29.05.2010		02/02
6	Shri. A.K.Bhargava	29.05.2011	07.12.2011	01/01

Committee has been discontinued w.e.f 21.12.2011 and thereafter any issues falling within the scope of the committee are to be placed to the Board.

3.9 REMUNERATION COMMITTEE:

Remuneration (excluding performance linked incentive) payable to the whole time directors is decided by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per directives of Central Government.

A Remuneration Committee, a Sub-Committee of the Board of Directors, has been constituted for evaluating the performance in terms of government guidelines and to recommend payment of performance-linked incentives to the whole time directors of the Bank, in terms of Government of India, Ministry of Finance (Banking Division) letter F. No. 20 / 1 / 2005 – BO-I dated 09.03.2007.

The members of the Committee that met on 31.05.2011 are:-

1. Dr. Vinita Kumar
2. Shri S.V.Raghavan
3. Shri A.K. Bhargava
4. Shri Sooraj Khatri

All members of the Committee have attended the meeting.

3.10 NOMINATION COMMITTEE :

RBI, vide circular ref: DBOD. No. BC. No.47 / 29.39.001 / 2007-08 dated 01.11.2007, pursuant to the amendment in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 effective 16.10.2006, has issued necessary guidelines for determining the authority, manner/ procedure and criteria for deciding the 'Fit and Proper' status etc., while appointing the Directors.

RBI has directed that the "Fit and Proper" criteria, as of now, be made applicable to the elected directors (Shareholder directors) – both present and future.

The members of the Committee are:

1. Dr. Alok Pande
2. Shri .Niranjan Kumar Agarwal
3. Shri. Sooraj Khatri

The Committee met once on 17.11.2011 and all the members of the Committee have attended the meeting.

3.11. INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE

RBI vide their Circular No.RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC.BC.No.6/31.02.008/2010-11 dated 29.04.2011

दिनांकित 29.04.2011 के द्वारा सभी बैंकों को सूचित किया है कि सभी बैंकों को मण्डल स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति का गठन करना है ताकि सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस प्रभावी हो सके । समिति का गठन दिनांक 30 मई 2011 को किया गया और श्रीमती नूपुर मित्रा इसकी अध्यक्षा थीं । 01.04.2011 से 31.03.2012 की अवधि के दौरान समिति की बैठक एक बार आयोजित की गयी । 07.12.2011 को शेयरधारक निदेशकों का कार्यकाल पूर्ण होने के परिणामस्वरूप दिनांक 28.01.2012 को समिति का पुनर्गठन किया गया । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य की बैठक में उपस्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्रीमती नूपुर मित्रा	30.05.2011	31.10.2011	01/01
2	श्री ए.के.बंसल	30.05.2011		01/01
3	श्री ए. के. भार्गव	30.05.2011	07.12.2011	01/01
4	डॉ.चिरंजीब सेन	30.05.2011	07.12.2011	00/01
5	डॉ. आलोक पाण्डे	28.01.2012		00/00
6	प्रो. एस सडगोपन	28.01.2012		00/00

3.12 मानव संसाधन पर मंडल की स्टियरिंग समिति

खंडेलवाल समिति की संस्तुतियों के अनुसार व भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के अनुसार दिनांक 21.12.2011 को मानव संसाधन पर मंडल की स्टियरिंग समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य निम्नवत हैं :

1. श्री एम नरेन्द्र - अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
2. श्री ए के बंसल - कार्यपालक निदेशक
3. श्री ए डी एम चावली - कार्यपालक निदेशक
4. डॉ. आलोक पाण्डे - सरकारी नामिती निदेशक

दो विशिष्ट मानव संसाधन कार्मिक भी समिति के सदस्य हैं । दिनांक 31 मार्च 2012 को समाप्त अवधि तक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी ।

4. शेयरधारकों की समितियाँ

क.शेयरधारक शिकायत समिति

अप्रैल 2001 को गठित शेयरधारकों की शिकायत समिति का अंतिम बार पुनर्गठन निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिनांक 03.12.2011 को किया। अभी समिति के अध्यक्ष श्री ए.वेल्लयन हैं और अन्य सदस्य निदेशक मंडल द्वारा नामित दो निदेशक हैं । 01.04.2011 से 31.03.2012 तक की अवधि के दौरान समिति 4 बार मिली। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं। समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री ए.वेल्लयन	08.12.2008	30.03.2012	00/04
2	श्रीमती नूपुर मित्रा	07.12.2009	31.10.2011	02/02
3	श्री ए.के.बंसल	01.09.2010		02/02
4	श्री ए.डी एम चावली **	28.12.2011		
5	डॉ.चिरंजीब सेन	08.12.2008	07.12.2011	03/03
6	श्री ए . वी सरदेसाई	08.12.2011		

** श्री ए के बंसल , कार्यपालक निदेशक द्वारा शेयरधारकों की शिकायत समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर समिति के सदस्य के रूप में भाग लेने हेतु नियुक्त किया गया।

शेयरधारक शिकायत व उनके निवारण संबंधी प्रणाली आदि में रजिस्ट्रार के कार्यालय में अपनाई जानेवाली पद्धति का आवधिक अंतरालों में जाँच करने के लिए साचिविक लेखा परीक्षा करने के लिए शेयरधारक शिकायत समिति ने श्री वी. सुरेश, कार्यरत कंपनी सचिव की नियुक्ति की। समिति की प्रत्येक बैठक में उनकी तिमाही रिपोर्टों पर विचार किया गया है।

ख. शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, शेयरधारक निदेशक और मंडल द्वारा नामित एक निदेशक हैं। समिति शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन, डूप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्रों को निर्गत करने, ट्रांसपोसिशन, डी मेट/ रीमेट आदि को संभालती है। समिति वर्ष के दौरान 22 बार मिली और बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गई।

वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	बैठकों में उपस्थिति
1	श्रीमती नूपुर मित्रा*	07.12.2009	31.10.2011	10/10
2	श्री ए.के.बंसल * *	01.09.2010		11/11
3	श्री ए. डी. एम . चावली ***	28.12.2011		01/01
4	श्री के.आनंद कुमार	30.03.2010		21/22
5	डॉ.चिरंजीब सेन	04.05.2009	07.12.2011	09/15
6	श्री ए वी सरदेसाई	08.12.2011		05/07

has advised that all banks should have a Board Level Information Technology Strategy Committee for effective IT Governance. The Committee was constituted on 30th May 2011. Smt. Nupur Mitra was the Chairperson of the Committee. The Committee met once during the period 01.04.2011 to 31.03.2012. The Committee was reconstituted on 28.01.2012 consequent to the expiry of the term of the Shareholder directors on 07.12.2011. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1	Smt. Nupur Mitra	30.05.2011	31.10.2011	01/01
2	Shri A.K.Bansal	30.05.2011		01/01
3	Shri. A.K.Bhargava	30.05.2011	07.12.2011	01/01
4	Dr.Chiranjib Sen	30.05.2011	07.12.2011	00/01
5	Dr.Alok Pande	28.01.2012		00/00
6	Prof.S.Sadagopan	28.01.2012		00/00

3.12 STEERING COMMITTEE OF BOARD ON HUMAN RESOURCES:

In line with the recommendations of the Khandelwal Committee as approved by the Government of India, the Steering Committee of Board on Human Resources was constituted on 21.12.2011 with the following members:

1. Shri.M.Narendra - Chairman and Managing Director
2. Shri. A.K.Bansal - Executive Director
3. Shri.A.D.M.Chavali - Executive Director
4. Dr.Alok Pande - Government Nominee Director

Two outstanding Human Resources Professionals are also to be members of the committee. No meeting was held during the period ending 31st March 2012.

4. SHAREHOLDERS' COMMITTEES:

(a) Shareholders Grievance Committee:

The Shareholders Grievance Committee, constituted in April 2001, was last reconstituted by the Board on 03.12.2011.

At present, the Chairman of the Committee is Shri A Vellayan and the other members are two directors nominated by the Board. The committee met 4 times during the period 01.04.2011 to 31.03.2012. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments. The number of meetings attended by each committee member during the year is as follows:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri A.Vellayan	08.12.2008	30.03.2012	00/04
2.	Smt. Nupur Mitra	07.12.2009	31.10.2011	02/02
3.	Shri A.K.Bansal	01.09.2010		02/02
4.	Shri A.D.M.Chavali**	28.12.2011		
5.	Dr.Chiranjib Sen	08.12.2008	07.12.2011	03/03
6.	Shri.A.V.Sardesai	08.12.2011		01/01

** Appointed to attend meetings as a member of the Shareholders Grievance Committee in the absence or inability of Shri. A.K.Bansal, ED to attend meetings.

The Shareholders' Grievance Committee appointed a Practicing Company Secretary, Shri. V. Suresh, to undertake the Secretarial Audit in the office of the Registrar, at periodical intervals to verify the methodology followed by them involving Shareholders Grievances & Redressal system etc. The committee considers his quarterly reports at every meeting.

(b) Share Transfer Committee:

Share Transfer Committee consists of the Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director, one shareholder Director and one Director nominated by the Board. The committee deals with all matters connected with share transfers, transmission, issue of duplicate share certificates, transposition, demat / remat etc. The committee met 22 times during the year and all the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments. The number of meetings attended by each committee member during the year is as under:

Sl. No.	Name of the Directors	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1	Smt. Nupur Mitra*	07.12.2009	31.10.2011	10/10
2	Shri A.K.Bansal * *	01.09.2010		11/11
3	Shri.A.D.M. Chavali ***	28.12.2011		01/01
4	Shri.K.Ananda Kumar	30.03.2010		21/22
5	Dr. Chiranjib Sen	04.05.2009	07.12.2011	09/15
6	Shri.A.V.Sardesai	08.12.2011		05/07

* अ. व. प्र. नि. या श्री वाई.एल.मदान, कार्यपालक निदेशक द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर शेयर अंतरण समिति की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त किया गया।

** अ. व. प्र. नि. या श्रीमती नूपुर मित्रा , कार्यपालक निदेशक द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर शेयर अंतरण समिति की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त किया गया।

***अ. व. प्र. नि. या श्री ए. के. बंसल , कार्यपालक निदेशक द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने या भाग लेने में असमर्थ होने पर शेयर अंतरण समिति की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त किया गया।

शेयर अंतरण समिति ने शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन, समेकन, स्प्लिट, डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना आदि के संबंध में अपनाई गई पद्धति की जाँच करने के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय में साचिविक लेखापरीक्षा करने के लिए कार्यरत कंपनी सचिव श्री वी. सुरेश को नियुक्त किया। उनका कार्य 01.01.2005 से आरंभ हुआ और उनकी पाक्षिक रिपोर्ट पर समिति की हर बैठक में विचार किया गया । अंतरण का कोई भी अनुरोध एक माह से अधिक लंबित नहीं है।

ग. शेयर आबंटन समिति :

भारत सरकार को वरीयता आधार पर ईक्विटी शेयरों के आबंटन के लिए एक शेयर आबंटन समिति का गठन किया गया है और दिनांक 28.01.2012 को आयोजित बैठक में बैंक के निदेशक मंडल ने निम्नलिखित निदेशक युक्त समिति को भारत सरकार और एल आइ सी ऑफ इण्डिया व इसकी विभिन्न योजनाओं को अधिमानी आधार पर शेयरों को जारी करने , आबंटित करने के लिए प्राधिकृत किया है :

1.	श्री एम.नरेंद्र, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक		
2.	श्री ए. के. बंसल	-	कार्यपालक निदेशक या श्री ए.डी एम चावली - कार्यपालक निदेशक को श्री ए. के. बंसल - कार्यपालक निदेशक को उपस्थित रहने में उनकी असमर्थता के समय ।
3.	श्री के.आनंद कुमार	-	निदेशक
4.	श्री ए वी सरदेसाई	-	निदेशक

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं और भारत सरकार और एल आइ सी ऑफ इण्डिया व इसकी विभिन्न योजनाओं को अधिमानी आधार पर शेयरों के आबंटन पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने के लिए समिति ने 3 बार बैठकें आयोजित की।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एम . नरेन्द्र	28.01.2012	01/03
2	श्री ए.के.बंसल	28.01.2012	01/01
3	श्री ए. डी. एम . चावली	28.01.2012	02/02
4	श्री के.आनंद कुमार	28.01.2012	03/03
5	श्री ए वी सरदेसाई	28.01.2012	02/03

घ. अनुपालन अधिकारी :

सूचीबद्ध अनुबंध के खण्ड 47 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज आदि के विभिन्न प्रावधानों का पालन करने के उद्देश्य से 01.04.2011 से 28.02.2012 तक श्री ए.पी.सिंह, महा प्रबंधक कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी हैं तथा 01.03.2012 से सुश्री दीपा चेल्लम कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी हैं ।

घ. शेयरधारकों की शिकायतें

वर्ष के दौरान प्राप्त व दूर की गई तथा विचाराधीन शिकायतों की संख्या

क्रम सं.	शिकायत की प्रकृति	01.04.2011 तक लंबित	प्राप्त	निपटाई गई	31.03.2012 तक लंबित
01	वापसी आदेश और शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त न होना	शून्य	5	5	शून्य
02	लाभांश प्राप्त न होना	शून्य	839	839	शून्य
03	सेबी / स्टॉक एक्सचेंजों ओर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की शिकायतें	शून्य	30	30	शून्य
04	विविध (पते में परिवर्तन , बैंक अधिदेश, डीमैट अनुरोध आदि से संबंधित शिकायतें	शून्य	26	26	शून्य
	कुल	शून्य	900	900	शून्य

ड़ सूचीबद्ध करार के खण्ड 47(एफ) के अनुसार हमने शेयरधारकों को सूचित किया है कि अन्य ई मेल आइ डी **investorcomp@iobnet.co.in** दी गई है और 28.02.2012 तक हमारे महाप्रबंधक और कंपनी सचिव श्री ए.पी.सिंह तथा 01.03.2012 से सुश्री दीपा चेल्लम को निवेशकों द्वारा शिकायतों को दर्ज करने और निवारण करने के लिए विशेष रूप से अनुपालन अधिकारी के रूप मे भी नामित किया गया है । हमने यह ई मेल आई डी और अन्य संबंधित ब्यौरे प्रमुखता से अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए हैं। सहायक महा प्रबंधक जो निवेशक संपर्क कक्ष के प्रमुख हैं निवेशक संबंधी शिकायतों का निवारण करते हैं।

5. अन्य समितियां

विभिन्न अन्य समितियां जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति , निवेश पुनरीक्षण समिति , उच्च प्रबंधन समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कार्यपालक निदेशक महाप्रबंधकों के साथ विभाग कार्यपालक शामिल हैं , जिसे दैनिक कार्यों तथा कारोबार के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा निगरानी तथा प्रबोधन करने के लिए गठित किया गया हैं।

6. सामान्य सभा की बैठकें क. स्थान व समय जहाँ पिछली तीन बैठकें आयोजित की गई :

क्रम सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख,दिन व समय	स्थान
01	9वीं एजीएम	04 07 2009 शनिवार 11.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
02	10वीं एजीएम	20.07.2010 मंगलवार 11.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
03	11वीं एजीएम	12.07.2011 मंगलवार 10.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018

*Appointed to act as Chairman of the Share Transfer Committee in the absence or inability of CMD to attend Meetings.

**Appointed to act as Chairman of the Share Transfer Committee in the absence or inability of CMD or Smt. Nupur Mitra, ED to attend Meetings.

*** Appointed to act as Chairman of the Share Transfer Committee in the absence or inability of CMD or Shri. A.K. Bansal, ED to attend Meetings.

The Share Transfer Committee appointed a Practicing Company Secretary, Shri V. Suresh, to undertake the Secretarial Audit in the office of the Registrar, to verify the methodology followed by them involving share transfer, transmission, consolidation, split, issue of duplicate certificates etc., His assignment commenced on 01.01.2005 and his fortnightly reports are considered at every meeting of the Committee. No request for transfer is pending for more than one month.

(c) Share Allotment Committee

Share Allotment Committee has been constituted for allotment of Equity shares to Government of India on Preferential basis and the Board of Directors of the Bank at their meeting held on 28.01.2012 had authorized a committee of the following Directors to take necessary and incidental steps (including fixing of price) in connection with issue, allotment of shares to GoI and LIC of India and its various schemes on preferential basis.

1)	Shri. M.Narendra	–	Chairman and Managing Director
2)	Shri. A.K.Bansal	–	Executive Director or Shri. A.D.M.Chavali Executive Director in the absence or inability of Shri. A.K.Bansal, Executive Director to attend the meeting
3)	Shri.K.Ananda Kumar	–	Director
4)	Shri. A.V.Sardesai	–	Director

The Chairman of the Committee is the CMD of the Bank and the committee met 3 times to consider and approve allotment of shares to Government of India and LIC of India and its various schemes on preferential basis.

S.No.	Name of the Directors	Tenure of Membership	Number of Meetings Attended
1.	Shri. M.Narendra	28.01.2012	01/03
2.	Shri. A.K.Bansal	28.01.2012	01/01
3.	Shri. A.D.M.Chavali	28.01.2012	02/02
4.	Shri. K. Ananda Kumar	28.01.2012	03/03
5.	Shri.A.V.Sardesai	28.01.2012	02/03

(d) Compliance Officer:

In terms of clause 47 of the listing agreement, Shri A P Singh, General Manager and Company Secretary is the Compliance Officer from 01.04.2011 to 28.02.2012 and Ms.Deepa Chellam is the Company Secretary and the Compliance Officer from 01.03.2012 for the purpose of complying with the various provisions of SEBI, Stock Exchanges etc.

(e) Shareholders Complaints:

Number of complaints received, resolved and pending during the year:

Sl. No.	Nature of Complaint	Pending As On 01.04.2011	Received	Redressed	Pending As On 31.03.2012
1	Non receipt of refund order and Share certificates	Nil	5	5	Nil
2	Non receipt of Dividend	Nil	839	839	Nil
3	Complaints to SEBI / Stock Exchanges and Consumer Redressal Forum	Nil	30	30	Nil
4	Miscellaneous (complaints reg. change of address, bank mandate, demat requests etc.)	Nil	26	26	Nil
	Total	Nil	900	900	Nil

In terms of clause 47(f) of the listing agreement we have advised the shareholders that an exclusive e-mail ID - **investorcomp@iobnet.co.in** has been allotted and our Company Secretary Sri. A.P.Singh up to 28.02.2012 was the Compliance Officer and from 01.03.2012 Ms. Deepa Chellam, Company Secretary is the Compliance Officer for the purpose of registering and redressal of complaints by investors. We have displayed this email ID and other relevant details prominently on our website. The Investor Relations Cell headed by an Assistant General Manager handles the redressal of investor complaints.

5. Other Committees:

There are various other committees such as Asset Liability Management Committee, Investment Review Committee, and Top Management Committee comprising CMD, ED and GMs along with Department executives, which have been constituted for the day to day functioning, review and monitoring of various aspects of business.

6. GENERAL BODY MEETING: a. Location and time where last three General Body Meetings were held:

Sl.No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	9th AGM	04 07 2009, Saturday, 11.00 A.M.	Narada Gana Sabha, 314 TTK Road, Chennai 600 018
2	10th AGM	20.07.2010, Tuesday, 11.00 A.M.	Narada Gana Sabha, 314 TTK Road, Chennai 600 018
3	11th AGM	12.07.2011, Tuesday, 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha, 314 TTK Road, Chennai 600 018

ख. पिछले तीन ए जी एम मे कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किए गए ।
ग. कोई डाक मतदान नहीं था ।
घ. स्थान व समय जहाँ असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित हुईं :

क्रम सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
01	ईजीएम	07.12.2002 शनिवार11.00 बजे, सुबह	राणी सीतैय्या हॉल 603, अणा सालै , चेन्नै - 600 006
02	ईजीएम	30.11.2005 बुधवार 11.00 बजे , सुबह	राणी सीतय्या हॉल 603, अणा सालै , चेन्नै - 600 006
03	ईजीएम	25.11.2008 मंगलवार 11.00 बजे, सुबह	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
04	ईजीएम	22.03.2011 मंगलवार 11.00 बजे, सुबह	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड,चेन्नै 600 018
05	ईजीएम	21.03.2012 बुधवार 10.30 बजे , सुबह	कामराज मेमोरियल हाल , न्यू नं 492 , अण्णा सालै , चेन्नै , 600006

7. प्रकटीकरण

क. ाध्यक्ष व प्रबंध निदेशक व कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक केन्द्र सरकार द्वारा नियत किया जाता है। वर्ष 2011-12 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण निम्नवत हैं :

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक का विवरण	रकम (रु.)
1.	श्री एम .नरेन्द्र	अ व प्र नि	वेतन व भत्ते पी एफ, पुरस्कार व प्रोत्साहन	20,27,181
2.	श्री एस.ए.भट	अ व प्र नि (सेवानिवृत्त)	प्रोत्साहन	4,08,333
3.	श्रीमती नूपुर मित्रा	का.नि (देना बैंक में अ व प्र नि के रूप में स्थानांतरित)	वेतन व भत्ते पी एफ, पुरस्कार व प्रोत्साहन	14,39,141
4.	श्री ए. के. बंसल	का नि	वेतन व भत्ते पी एफ , पुरस्कार व प्रोत्साहन	18,19,600
5.	श्री ए डी एम चावली	का नि	वेतन व भत्ते पी एफ, पुरस्कार व प्रोत्साहन	3,85,298
6	श्री वाई एल मदान	का नि (सेवानिवृत्त)	प्रोत्साहन	2,29,167

बैंक स्वतंत्र निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं देता , भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल प्रतिभागिता शुल्क दिया जाता है यथा बोर्ड की बैंठकों के लिए प्रति बैठक रु. 1000/- और समिति की बैठकों के लिए प्रति बैठक रु. 5000/- दिया जाता है ।

ख. प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों यानी पूर्णकालिक निदेशक से संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटन की अर्द्धवार्षिक आधार पर समीक्षा मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है ।

ग. बैंक के निदेशकों , प्रबंधन उनकी अनुषंगी इकाइयों या संबंधियों आदि के साथ बैंक के ऐसे कोई महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन नहीं हैं जिनसे बैंक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

घ. स्टाक एक्सचेंजों /सेबी / किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा 31.03.2012 को समाप्त पिछले तीन वर्षो के दौरान पूंजी बाजार संबंधी किसी भी विषय पर बैंक पर न तो दण्ड लगाया गया और न ही आलोचना की गई है ।

च. वर्तमान में बैंक की चेतावनी नीति है ।

छ. बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी सांविधिक / दिशानिर्देशों / निदेशों में दी गई सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है ।

ज. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं को संबंधित मदों के सामने रिपोर्ट में दिए अनुसार अपनाया गया है।

झ. बैंक के निदेशक मंडल को सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के तहत सीइओ तथा सीएफओ का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और इस रिपोर्ट में एक प्रति संलग्न है।

ट. सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए बैंक में कारपोरेट गवर्नेंस पर सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

8. संप्रेषण के माध्यम

क. बैंक के तिमाही अलेखा वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और इसे नियत समय के अन्दर उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं । बैंक सभी शेयर धारकों को छमाही परिणाम भेजता रहा है ।

ख. सूचीबद्ध करार के खण्ड 41 के मुताबिक तिमाही वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और क्षेत्रीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए गये हैं तथा प्रकाशन करने की तारीख व विवरण निम्नानुसार हैं :

समाप्त तिमाही	अंग्रेजी दैनिक	क्षेत्रीय दैनिक	प्रकाशन की तिथि
31.03.2011	द हिंदु - बिजनेस लाइन	दिनमलर (तमिल)	03.05.2011
30.06.2011	द हिंदु - बिजनेस लाइन	दिनमलर (तमिल)	29.07.2011
30.09.2011	द हिंदु - बिजनेस लाइन	दिनमलर (तमिल)	30.10.2011
31.12. 2011	द हिंदु - बिजनेस लाइन	दिनमलर (तमिल)	29.01.2012

ग. तिमाही परिणाम बैंक के वेबसाइट **www.iob.co.in** में भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

b. No special resolutions were put through in the last three AGMs.

c. There was no postal ballot exercise.

d. Location and time where Extra Ordinary General Body Meetings were held:

Sl.No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
1	EGM	07.12.2002, Saturday, 11.00 A.M.	Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai,Chennai – 600 006
2	EGM	30.11.2005, Wednesday, 11.00 A.M.	Rani Seethai Hall, 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
3	EGM	25.11.2008, Tuesday, 11.00 A.M.	Narada Gana Sabha, 314, TTK Road,Chennai 600 018
4	EGM	22.03.2011, Tuesday, 11.00 AM	Narada Gana Sabha, 314, TTK Road, Chennai 600 018
5	EGM	21.03.2012, Wednesday, 10.30A.M	Kamaraj Memorial Hall, New No. 492, Anna Salai, Chennai – 600 006

7. DISCLOSURES:

a. The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Directors is fixed by the Central Government. Details of remuneration paid to Whole Time Directors during the year 2011-12 are as follows :

Sl. No.	Name	Designation	Details of Remuneration	Amount (Rs.)
1	Shri M Narendra	CMD	Salary & Allowances, PF, Perquisites and Incentives	20,27,181
2.	Shri S A Bhat	CMD(Retired)	Incentive	4,08,333
3.	Smt. Nupur Mitra	ED (transferred as CMD to Dena Bank)	Salary & Allowances, PF, Perquisites and Incentives	14,39,141
4	Shri A K Bansal	ED	Salary & Allowances, PF, Perquisites and Incentives	18,19,600
5	Shri.A.D.M.Chavali	ED	Salary & Allowances, PF, Perquisites	3,85,298
6.	Shri.Y.L.Madan	ED (Retired)	Incentive	2,29,167

The Bank does not pay any remuneration to the Independent Directors excepting sitting fees as per the Govt. of India guidelines, for Board Meetings – Rs. 10000/- per meeting and for Committee Meetings – Rs. 5000/- per meeting.

b. Disclosures as to Related Party Transactions of Key Managerial Personnel i.e. Whole Time Directors are being reviewed on a half yearly basis by the Audit Committee of the Board.

c. There are no significant related party transactions of the Bank with its subsidiaries, directors, management or their relatives etc that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

d. No penalties were imposed or strictures passed on us by Stock Exchanges/SEBI /any statutory authority on any matter related to capital markets during the last three years ended 31.03.2012.

e. Presently the Bank has a Whistle Blower Policy.

f. The Bank has complied with all the mandatory requirements to the extent provided for in the statutes/guidelines/directives issued from time to time by the RBI/Government of India to the nationalized banks.

g. The Non Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.

h. The Certificate of CEO and CFO under clause 49 of the listing agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this report.

i. In terms of clause 49 of the listing agreement, a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on Corporate Governance in the Bank for the year 2011-12 and the same is annexed to this report.

8. MEANS OF COMMUNICATION:

a. The quarterly un-audited financial results of the Bank are approved by the Board of Directors and the same are submitted within the stipulated period to all the stock exchanges where the Bank's shares are listed. The Bank has been sending half yearly results to all the shareholders.

b. The quarterly financial results are published in a national daily and a regional vernacular daily in terms of Clause 41 of the listing agreement. The details and dates of publication are as under:

Quarter ended	English Daily	Regional Daily	Date of publication
31.03.2011	The Hindu – Business Line	Dinamalar (Tamil)	03.05.2011
30.06.2011	The Hindu – Business Line	Dinamalar (Tamil)	29.07.2011
30.09.2011	The Hindu – Business Line	Dinamani (Tamil)	30.10.2011
31.12. 2011	The Hindu – Business Line	Dinamani (Tamil)	29.01.2012

c. The quarterly results are also being displayed on the Bank's web-site **www.iob.co.in.**

9. सामान्य शेयरधारक सूचना

क. एजीएमः तारीख, समय और स्थानः

दिनांक	29.06.2012
समय	सुबह 10.00 बजे
स्थान	चेन्नै

ख. वित्तीय वर्ष : 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012

ग. बही बंद करने की तारीख : लाभांश के प्रयोजन हेतु पात्रता निर्धारित करने के लिए 23.06. 2012 से 29.06.2012(दोनों दिन शामिल हैं)

घ. लाभांश भुगतान तारीख : 17.07.2012 को या उसके बाद शेयरधारकों द्वारा लाभांश की घोषणा की शर्त पर

ङ अदत्त लाभांश :

16 10 2006 से प्रभावी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में 10 (बी) नामक एक नई धारा जोड़ दी गई है जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान है:

- घोषणा की तारीख से 30 दिनों के बाद 7 दिनों के अंदर, यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश का नकदीकरण / दावा नहीं किया हो, ऐसी रकम जो बैंक के चालू खाते में पड़ी है, उसे .....वर्ष के लिए आइ ओ बी के अदत्त लाभांश खाते नामक अलग खाते में अंतरित किया जाना है।
- अदत्त लाभांश खाते को अंतरित कोई भी रकम जो इस प्रकार के अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त या अदावी पड़ी हैं, तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 के 205(1) (सी) के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि को अंतरित कर देना है।

तद्नुसार पिछले वर्षों के अदत्त लाभांशों को आइओबी के अदत्त लाभांश खातों को अंतरित कर दिया गया हैं और अत: इस प्रकार की अंतरण राशि को जो अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि तक अदत्त या अदावी हैं, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा :

लाभांश वर्ष	अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख
2000-01	08.12.2006
2001-02	05.12.2006
2002-03	05.12.2006
2003-04 ((आइ)	04.12.2006
2003-04 (एफ)	04.12.2006
2004-05 ((आइ)	09.12.2006
2004-05 (एफ)	05.12.2006
2005-06	04.12.2006
2006-07	13.07.2007
2007-08	19.07.2008
2008-09	11.08.2009
2009-10	26.10.2010
2010-11	02.09.2011

च. बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूची बद्ध किए गए हैं:

स्टाक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लि.**	आइओबी
बांबे स्टॉक एक्सचेंज लि.	532388
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. .	आइओबी ईक्यू एई बीई बीटी

** दिनांक 14 जून 2008 को आयोजित 8वीं वार्षिक सामान्य बैठक में बैंक के शेयरधारकों ने बैंक के शेयरों को मद्रास स्टॉक एकस्चेंज लिमिटेड की सूचीबद्धता से हटा लेने के संबंध में सर्वसम्मत संकल्प पारित किया। तदनुसार बैंक शेयरों को हटा देने के लिए एमएसई को 2008 में आवेदन दिया गया है और हमारे शेयर उसके बाद एम एस ई से सूची से हटा दिए गए हैं ।

स्टाक एक्सचेंजों को वर्ष 2011-12 के लिए सूचीबद्ध करने हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारित देय तारीखों के अंदर दिया गया है।

प्राधिकृत पूँजी

वर्तमान में बैंक का प्राधिकृत पूँजी रु. 3000 करोड़ है ।

प्रदत्त पूँजी में बढ़ोतरी

बैंक ने वरीयता आधार पर भारत सरकार को रु.1441 करोड़(रुपये एक हजार चार सौ इकतालीस करोड़ मात्र) के समेकित मूल्य के रु.97.82 प्रति ईक्विटी शेयर (रु.87.82 प्रति ईक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) की दर पर 14,73,11,388 ईक्विटी शेयर और रु.302.63 करोड़(रुपये तीन सौ दो करोड़ और तिरसठ लाख मात्र) के समेकित मूल्य के रु.97.82 प्रति ईक्विटी शेयर (रु.87.82 प्रति ईक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) की दर पर 3,09,37,467 ईक्विटी शेयर जारी किये हैं जिनका कि प्रत्यक्ष मूल्य प्रति शेयर रु.10 है। अत: बैंक की प्रदत्त पूँजी रु.618.75 करोड़ से बढ कर रु.797 करोड़ हो गयी है और बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता रु.407.55 करोड़ (65.87%) से बध कर रु.554.86 करोड़ (69.62%) हो गयी है।

छ. बाजार मूल्यों के आँकडे

अवधि -माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		बांबे स्टॉक एक्सचेंज	
	उच्च(रु)	*निम्न (रु)*	*उच्च(रु)*	*निम्न (रु)*
अप्रैल 2011	159.75	141.10	160.00	141.10
मई 2011	164.30	140.20	164.20	140.45
जून 2011	154.00	138.25	152.30	138.15
जुलाई 2011	148.85	129.60	149.00	129.55
अगस्त 2011	140.70	106.00	139.90	106.10
सितंबर 2011	115.30	92.00	115.45	92.00
अक्तूबर 2011	103.25	86.05	103.25	86.30
नवंबर 2011	108.30	88.60	104.95	89.00
दिसंबर 2011	98.00	73.05	96.20	73.30
जनवरी 2012	94.95	72.75	95.00	72.85
फरवरी 2012	111.75	85.70	119.00	85.70
मार्च 2012	107.00	91.50	107.90	89.30

2011-12 के दौरान संबंधित स्टॉक एक्स्चेजों में बैंक के शेयरों का उच्च / निम्न कीमतों के आँकडे स्पष्ट अक्षरों में दिए गए हैं ।

9. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

a) AGM: Date, Time and Venue:-

Date	29.06.2012
Time	10.00 A.M.
Venue	Chennai

b) Financial Year : 01st April 2011 to 31st March 2012.

c) Date of Book Closure : 23.06.2012 to 29.06.2012 (Both days inclusive) for determining eligibility for the purpose of dividend.

d) Dividend Payment Date : On or after 17.07.2012 subject to declaration of dividend by shareholders.

e) Unpaid Dividend:-

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 which has come into force on 16.10.2006, has inserted a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 which provides as under:

- Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend Account of IOB for the year _____".
- Any money transferred to the Unpaid Dividend account which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund established under Sec 205(1)(C) of the Companies Act 1956.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB as follows and hence such monies, which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, and thereafter shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund:

Dividend for	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c
2000-01	08.12.2006
2001-02	05.12.2006
2002-03	05.12.2006
2003-04 (I)	04.12.2006
2003-04 (F)	04.12.2006
2004-05 (I)	09.12.2006
2004-05 (F)	05.12.2006
2005-06	04.12.2006
2006-07	13.07.2007
2007-08	19.07.2008
2008-09	11.08.2009
2009-10	26.10.2010
2010-11	02.09.2011

f. The Bank's shares are listed on the following stock exchanges:

Name of the Stock Exchange	Stock Code
Madras Stock Exchange Ltd.**	I O B
Bombay Stock Exchange Ltd.	532388
National Stock Exchange of India Ltd.	IOB EQ AE BE BT

** The shareholders of our Bank at the 8th Annual General Meeting held on 14th June, 2008 had unanimously passed a resolution approving the delisting of the Bank's shares from Madras Stock Exchange Limited. An application for delisting of the Bank's shares had accordingly been submitted to MSE in 2008 and our shares have since been delisted from MSE.

Annual listing fee for the year 2011-12 has been paid to the stock exchanges within the prescribed due dates.

Authorised Capital

At present, the Authorised Capital of the Bank is Rs. 3000 crore.

Increase in Paid-up Capital:

The Bank has issued 14,73,11,388 Equity Shares, of face value Rs. 10/- each, at the rate of Rs. 97.82 per equity share (including premium of Rs. 87.82 per equity share) aggregating to Rs. 1441.00 crores (Rupees One Thousand four hundred and Forty one Crore Only) to Government of India and 3,09,37,467 Equity Shares, of face value Rs. 10/- each, at the rate of Rs. 97.82 per equity share (including premium of Rs. 87.82 per equity share) aggregating to Rs. 302.63 (Rs. Three hundred and two crore and sixty three Lakhs only) on Preferential Basis. Hence, the Paid-up Capital of the bank has increased from Rs. 618.75 crore to Rs. 797 crores and Government of India's shareholding has increased from Rs. 407.55 crores (65.87%) to Rs. 554.86 crores (69.62%).

g) Market Price Data:-

Period - Month	National Stock Exchange		Bombay Stock Exchange	
	High (Rs)	Low (Rs)	High (Rs)	Low (Rs)
Apr 2011	159.75	141.10	160.00	141.10
May 2011	**164.30**	140.20	**164.20**	140.45
Jun 2011	154.00	138.25	152.30	138.15
Jul 2011	148.85	129.60	149.00	129.55
Aug 2011	140.70	106.00	139.90	106.10
Sep 2011	115.30	92.00	115.45	92.00
Oct 2011	103.25	86.05	103.25	86.30
Nov 2011	108.30	88.60	104.95	89.00
Dec 2011	98.00	73.05	96.20	73.30
Jan 2012	94.95	**72.75**	95.00	**72.85**
Feb 2012	111.75	85.70	119.00	85.70
Mar 2012	107.00	91.50	107.90	89.30

Figures in bold represent the high / low price of the Bank's shares during the year 2011-12 on the respective Stock Exchanges.

01-04-2011 से 31-03-2012 के दौरान बीएसई सेंसेकस की तुलना में ईक्विटी निष्पादन

h. Equity performance in comparison to BSE Sensex during 01.04.2011 to 31.03.2012

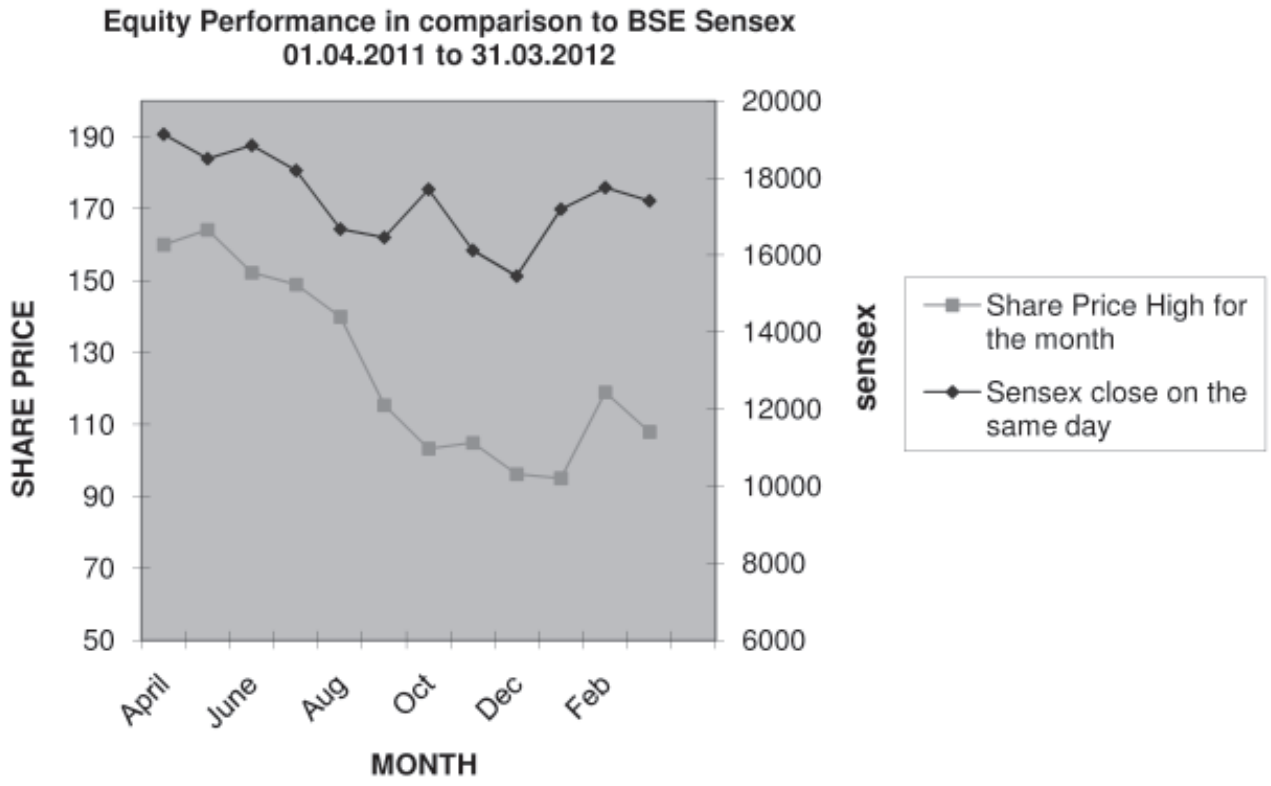

झ. रजिस्ट्रार और अंतरण एजेण्ट:

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि.

(यूनिट - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पहली मंज़िल

न.1, क्लब हाउस रोड़ चेन्नइ - 600 002

टेलिफोन - 28460395, 28460084, फैक्स- 28460129

ई.मेल : cameo@cameoindia.com

ञ. शेयर अंतरण प्रणाली:

अंतरण, प्रेषण, स्थानांतरण, डूप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना, विभाजन, समेकन, रीमेट, नाम परिवर्तन आदि के लिए शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के लिए हमारे बैंक में बोर्ड की एक उप समिति है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी गैर हाज़िरी में कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष होंगे। शेयरधारक निदेशक (श्री ए वी सरदेसाई) और बोर्ड द्वारा नामित निदेशक (श्री के आनंद कुमार) समिति के अन्य सदस्य हैं।

01-04-2011 से 31-03-2012 के दौरान एनएसई निफ़्टी का तुलना में ईक्विटी निष्पादन

Equity performance in comparison to NSE Nifty during 01.04.2011 to 31.03.2012

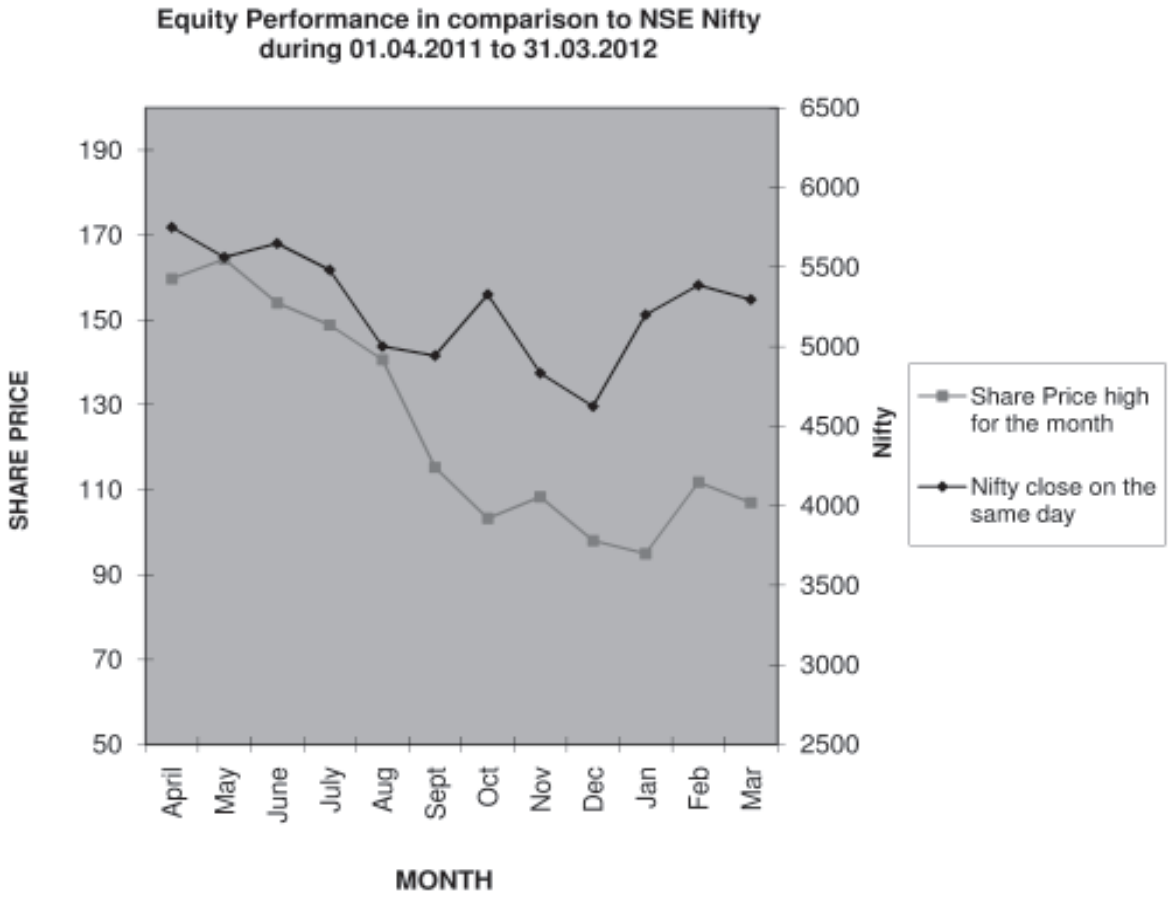

i. Registrar & Transfer agent:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.

(Unit-IOB) Subramanian Building, I Floor

No.1 Club House Road

Chennai-600 002

Tel: 044-28460395; 28460084 Fax: 28460129

e-mail:cameo@cameoindia.com

j. Share Transfer System:

Our bank has a Sub-Committee of the Board for considering the requests received from shareholders for transfer, transmission, transposition, issuance of duplicate share certificates, splitting, consolidation, remat, name change etc. The Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director is Chairman of the Committee. The other members of the committee are: a Shareholder Director (Shri. A.V.Sardesai) and a Director nominated by the Board (Shri K Ananda Kumar).

ट. 31.03.20012 तक शेयरधारण का वितरण

क्रम. संख्या	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
	प्रवर्तकों की धारिता		
1.	भारत सरकार		
	उप योग	**554860731**	**69.62**
	गैर-प्रवर्तक का धारण	**554860731**	**69.62**
2.	संस्थागत निवेशक		
	क. म्यूचुअल फण्डस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया	9163768	1.15
	ख. बैंक व वित्तीय संस्थाएँ, बीमा कंपनियाँ आदि	105179489	13.20
	ग. बीमा कंपनियाँ	4425712	0.55
	घ. विदेशी संस्थागत निवेशक	29774484	3.73
	उप योग	**148543453**	**18.63**
3.	**अन्य**		
	क. निजी कंपनी निकाय	14400315	1.81
	ख. वैयक्तिक	75040168	9.42
	ग. अन्य	4153531	0.52
	उप योग	**93594014**	**11.75**
	कुल योग	**796998198**	**100.00**

ठ. 31.03.2012 तक वितरण अनुसूची :

शेयर धारकों की संख्या	शेयरधारकों की कुल सं.का %	प्रत्येक रु.10 के अंकित मूल्य के शेयरों की कुल शेयरधारिता	शेयरों की रकम (अंकित मूल्य)	कुल का %
198498	87.63	Upto 5000	341018650	4.28
19561	8.64	5001 – 10000	163859380	2.06
5565	2.46	10001 – 20000	79114800	0.99
1068	0.47	20001 – 30000	26574270	0.33
508	0.22	30001 – 40000	18067010	0.23
287	0.13	40001 – 50000	13511230	0.17
453	0.20	50001 – 100000	32878480	0.41
580	0.25	100001 and above	7294958160	91.53
226520	**100.00**	**योग**	**7969981980**	**100.00**

ड . 31.03.2012 तक विदेशी शेयरधारिता

क्रम सं.	संवर्ग	31 03 2011 तक		31 03 2012 तक	
		शेयरों की सं	कुल पूँजी में %	शेयरों की स	कुल पूँजी में %
01	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आइ आइ)	38759872	6.26	29774484	3.73
02	ओ सी बी	48000	0.01	48000	0.01
03	एन आर आइ	3547792	0.57	3633001	0.46
	कुल	42355664	6.84	33455484	4.20

उक्त सारणी मे वर्णितानुसार 31.03.2012 तक कुल विदेशी शेयरधारण (एन आर आइ, ओ सी बी, विदेशी संस्थागत निवेशक) 4.2% था जोकि बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है।

ढ. 31 03 2012 तक बैंक के पाँच सर्वोच्च शेयरधारक

क्रम सं	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की सं	कुल धारण का %
1	भारत के राष्ट्रपति - भारत सरकार	554860731	69.62
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	72903264	9.15
3	एल आइ सी ऑफ इण्डिया - मार्केट प्लस ग्रोथ फंड	9385910	1.18
4	एच डी एफ सी स्टैण्डर्ड एल जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड	8308806	1.04
5	एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - एच डी एफ सी प्रूडेन्स फंड	5410000	**0.68**

k. Distribution of shareholding as on 31.03.2012:

Sl.No	Category	No. of Shares	% of share holding
	PROMOTERS HOLDING		
1	Government of India	554860731	69.62
	Sub-Total	**554860731**	**69.62**
	NON-PROMOTERS HOLDING		
2	**Institutional Investors**		
	A Mutual funds and UTI	9163768	1.15
	B Banks, Financial Institutions	105179489	13.20
	C Insurance Companies	4425712	0.55
	D Foreign Institutional Investors	29774484	3.73
	Sub-Total	**148543453**	**18.63**
3	**OTHERS**		
	A Private Corporate Bodies	14400315	1.81
	B Individuals	75040168	9.42
	C Others	4153531	0.52
	Sub-total	**93594014**	**11.75**
	GRAND TOTAL	**796998198**	**100.00**

l. Distribution schedule as on 31.03.2012

No. of share holders	% to total no. of shareholders	Shareholding in terms of nominal value of Rs.10/-	Share Amount (Rs.) (Face Value)	% to total
198498	87.63	Upto 5000	341018650	4.28
19561	8.64	5001 – 10000	163859380	2.06
5565	2.46	10001 – 20000	79114800	0.99
1068	0.47	20001 – 30000	26574270	0.33
508	0.22	30001 – 40000	18067010	0.23
287	0.13	40001 – 50000	13511230	0.17
453	0.20	50001 – 100000	32878480	0.41
580	0.25	100001 and above	7294958160	91.53
226520	**100.00**	**TOTAL**	**7969981980**	**100.00**

m. Foreign Shareholding as on 31.03.2012

Sl. No.	Category	**As on 31.03.2011**		**As on 31.03.2012**	
		No. of shares	% To total capital	No. of shares	% To total capital
1	Foreign Institutional Investors (FIIs)	38759872	6.26	29774484	3.73
2	OCBs	48000	0.01	48000	0.01
3	NRIs	3547792	0.57	3633001	0.46
	Total	**42355664**	**6.84**	**33455485**	**4.20**

As detailed in the above table, the total foreign shareholding (FIIs, OCBs, NRIs) as at 31.03.2012 was 4.20% which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

n. Top five shareholders of the bank as on 31.03.2012:

Sl No	Name of the Shareholders	No of shares held	% of total holding
1	The President of India - The Government of India	554860731	69.62
2	Life Insurance Corporation of India	72903264	9.15
3	LIC of India – Market Plus Growth Fund	9385910	1.18
4	HDFC Standard Life Insurance Company Ltd	8308806	1.04
5	HDFC Trustee Company Ltd – HDFC Prudence Fund	5410000	0.68

प. शेयरों का अमूर्तिकरण :

बैंक के शेयर अनिवार्य अमूर्तिकरण के अधीन हैं । बैंक शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में बैंक राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी. लि. (एन एस डी एल) और केन्द्रीय डिपॉजिटरी सेवाएँ (भारत) लि. (सी डी एस एल) में सदस्य के रूप में शामिल है। शेयर धारक एनएसडीएल या सीडीएसएल किसी के भी साथ अपने शेयरों का अमूर्तिकरण करा सकते है। डिपॉजिटरी सेवा ने बैंक को निम्नलिखित आइ एस आइ एन कोड आबंटित किया है-आइएनई 565ए 01014

31.03.2012 तक 79.70 करोड़ ईक्विटी शेयरों में से, 58.58 करोड़ शेयर या 73.50% शेयरधारकों के पास डीमेट रूप में है और 3.81 करोड़ शेयर या 7% भौतिक रूप में हैं (जिसमें से भारत सरकार 40.75 करोड़ शेयर डीमैट रूप में धारित करता है जोकि समग्रत: 65.87% है -भारत सरकार की शेयरधारिता मार्च 2008 और अप्रैल 2011 में अमूर्तिकृत गई।) हमने मार्च 2012 के दौरान 14,73,11,388 ईक्विटी शेयर भारत सरकार को जारी किए और 309,37,467 भारतीय जीवन बीमा निगम और इसकी विभिन्न योजनाओं को जारी किए और शेयरों को मई 2012 के दौरान अमूर्तिकृत किया जाएगा ।

सूची करार के उपबंध 5 ए के अनुसार बैंक ने सभी शेयरधारकों को तीन स्मारक पत्र दिनांकित 12.03.2011, 19.04.2011 व 22.04.2011 भेजे जिनके शेयर प्रमाणपत्र मिले बगैर लौट गए । तीन स्मारकों को भेजने के बाद बैंक ने 60400 शेयर अदावी सस्पेंस खाते में हस्तातंरित कर दिए जिनका ब्यौरा निम्नवत है :

ब्यौरा	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
शेयरधारकों की समग्र संख्या और प्रारंभ में अदावी संस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	228	60400
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने अदावी संस्पेंस खाते से वर्ष के दौरान शेयरों के स्थानांतरण के लिए संपर्क किया	शून्य	शून्य
ऐसे शेयरधारकों की संख्या जिन्हेंअदावी संस्पेंस खाते से शेयरों का स्थानांतरण किया गया ।	शून्य	शून्य
शेयरधारकों की समग्र संख्या और 31.03.2012 के अंत में अदावी संस्पेंस खाते में पड़े बकाया शेयर	228	60400

फ. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख व ईक्विटी पर इसका संभाव्य प्रभाव:

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की है।

ब बैंक ने समय समय पर वचन-पत्रों के रूप में अप्रत्यावर्तनीय बॉण्ड एकत्र किए गए है: 31-03-2012 तक बकाया बॉण्डों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम	आबंटन की तारीख	प्रमात्रा (रु.करोडों में)	अवधि (महीनों में)	कूपन (%)	मोचन की तारीख
टायर ।।					
v	01.03.2004	200.00	120	06.00	01 03.2014
vi	26.07.2004	200.00	120	06.40	26.07.2014
vii	08.01.2005	150.00	123	07.25	08.04.2015
viii	16.09.2005	200.00	123	07.40	16.12.2015
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
x	13.03.2006	300.00	120	08.00	13.03.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	09.10	26.07.2016
xii	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
xiii	24.08.2009	290.00	120	8.48	24.08.2019
Xiv	31.12.2010	1000.00	120	8.95	31.12.2020
उच्च टायर II					**माँग विकल्प तारीख**
i	05.09.2006	500.00	@180	9.24	@05.09.2016
ii	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018
iii	01.09.2009	510.00	@180	8.80	@01.09.2019
iv	10.01.2011	967.00	@180	9.00	@10.01.2026
टायर 1 (बेमियादी)					**माँग विकल्प तारीख**
i	31.03.2006	200.00	@Perpetual	09.30	@31.03.2016
ii	18.05.2006	200.00	@Perpetual	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@Perpetual	09.20	@30.09.2016
iv	29.09.2009	300.00	@Perpetual	09.30	@29.09.2019
	कुल	**6802.30**			

@ 10 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)। यदि माँग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो कूपन दर को 50 बीपीएस तक बढ़या जाएगा ।

o. Dematerialization of shares:

The shares of the Bank are under compulsory demat trading. The Bank has joined as a member of the depository services with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an issuer company for dematerialization of the Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The depository services have allotted the following ISIN code to the Bank: INE565A01014.

As on 31.3.2012, out of 79.70 crore equity shares, 58.58 crore shares or 73.50% are held by the shareholders in Demat form (of which Government of India holds 40.75 crore shares in Demat form, aggregating to 65.87% - GOI's shareholding was dematerialized in March 2008 and April 2011). We have issued 14,73,11,388 equity shares to GoI and 309,37,467 to LIC of India and its various schemes during March 2012 and the shares will be dematerialized during May 2012.

In terms of **Clause 5A of the listing Agreement** , the bank had sent three reminder letters on 12.03.2011,19.04.2011 and 22.08.2011 to all the shareholders, whose share certificates have returned undelivered. The bank after having sent three reminders transferred 60400 shares to unclaimed suspense account. The details are mentioned below:

Details	No of Shareholders	No of Shares
Aggregate number of shareholders and outstanding shares lying in unclaimed suspense account at the beginning	228	60400
Number of Shareholders who approached for Transfer of shares from unclaimed suspense account during the year	NIL	NIL
Number of Shareholders to whom shares wereTransferred from the unclaimed suspense account	NIL	NIL
Aggregate Number of Shareholders and the outstanding shares lying in the Unclaimed suspense account at the end of 31.03.2012	228	60400

p. Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

The bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

q. The bank has raised non-convertible bonds in the nature of promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2012 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (Rs in crores)	Tenor (In Months)	Coupon (%)	Redemption Date
Tier II					
v	01.03.2004	200.00	120	06.00	01 03.2014
vi	26.07.2004	200.00	120	06.40	26.07.2014
vii	08.01.2005	150.00	123	07.25	08.04.2015
viii	16.09.2005	200.00	123	07.40	16.12.2015
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
x	13.03.2006	300.00	120	08.00	13.03.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	09.10	26.07.2016
xii	22.08.2008	300.00	120	10.85	22.08.2018
xiii	24.08.2009	290.00	120	8.48	24.08.2019
Xiv	31.12.2010	1000.00	120	8.95	31.12.2020
Upper Tier II					**Call Option date**
i	05.09.2006	500.00	@180	9.24	@05.09.2016
ii	17.09.2008	655.30	@180	11.05	@17.09.2018
iii	01.09.2009	510.00	@180	8.80	@01.09.2019
iv	10.01.2011	967.00	@180	9.00	@10.01.2026
Tier I (Perpetual)					**Call Option date**
i	31.03.2006	200.00	@Perpetual	09.30	@31.03.2016
ii	18.05.2006	200.00	@Perpetual	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@Perpetual	09.20	@30.09.2016
iv	29.09.2009	300.00	@Perpetual	09.30	@29.09.2019
	TOTAL	**6802.30**			

@Call option available at the end of 10 years (with the prior approval of RBI). If the call option is not exercised, the coupon rate will be stepped up by 50 bps.

त. पत्राचार करने का पता:

शेयरों के अन्तरण, लाभांश भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी क्रियाकलाप रजिस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेन्ट मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सेवाएं लि. के कार्यालय में किए जाते हैं । शेयरधारक अपने अन्तरण विलेख और अन्य कोई भी दस्तावेज, शिकायतें निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं ।

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि.

(यूनिट - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, I मंज़िल

न.1, क्लब हाउस रोड़ चेन्नैइ 600 002

टेलिफोन - 28460395, 28460084, फैक्स- 28460129

ई.मेल : : cameo@cameoindia.com

बैंक के निम्नलिखित पते पर शेयरधारकों की शिकायतों के निपटान के लिए और उनकी सेवा के लिए बैंक में निवेशक संबंध कक्ष है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

निवेशक संपर्क कक्ष

केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालइ, चेन्नै 600 002

टेलिफोन : 28519491, 28415702

ई.मेल : investor@iobnet.co.in/investorcomp@iobnet.co.in

बी. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ

गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ	**बैंक द्वारा अपनाई गई**
बोर्ड कंपनी के खर्चे पर गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा एक कार्यालय का रखरखाव	चूँकि हमारे बैंक के अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक हमारे बैंक के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं, अत: यह खण्ड हमारे लिए लागू नहीं होगा ।
पारिश्रमिक समिति	पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक का निर्णय केंद्र सरकार लेता है और बैंक गैर-निदेशकों को सिटिंग फीस के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं देता है। बोर्ड की दिनांक 22-03-2007 को संपन्न हुई बैठक में यहां दिए गए विवरणों के अनुसार (पैरा 3.8 देखें) निदेशक मंडल की एक उप समिति "पारिश्रमिक समिति" गठित की गई है।
शेयरधारकों के अधिकार	सभी शेयरधारकों को छमाही परिणामों और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना उपलब्ध कराई जाती है ।
ऑडिट अर्हता	अप्रतिबंधित वित्तीय विवरणों की प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।
बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण	निदेशकों को प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित किया जाता है । प्रत्येक निदेशक को उनके / उनकी भूमिका तथा जिम्मेदारियाँ और महत्वपूर्ण मामलों पर संपूर्ण विवरण देते हुए संदर्भ मैनुअल दिया गया है ।
गैर-कार्यपालक बोर्ड के सदस्यों के मूल्यांकन की कार्यविधि	हमारे बैंक में गैर-कार्यपालक बोर्ड के सदस्यों के मूल्यांकन की कोई कार्यविधि उपलब्ध नहीं है चूँकि यह अब हम पर लागू नहीं है।
विसिल ब्लोअर पॉलिसी (चेतावनी नीति)	वर्तमान में बैंक के पास चेतावनी नीति (विसिल ब्लोअर पॉलिसी) है।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

चेन्नै

05 मई 2012

एम. नरेन्द्र

अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक

r. Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of M/s. Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer agents. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints at their address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.

(Unit-IOB) Subramanian Building, I Floor

No.1 Club House Road, Chennai-600 002

Tel: 044-28460395; 28460084 Fax: 28460129

email:cameo@cameoindia.com

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office, to deal with the services and complaints of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank

Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department,

Central Office, 763, Anna Salai

Chennai-600 002

Tel: 044-28519791, 28415702, 28889392 Fax : 044-28585675

email: investor@iobnet.co.in / investorcomp@iobnet.co.in

B. NON MANDATORY REQUIREMENTS:

Non Mandatory Requirements	Our Adoption
The Board – Maintenance of an office by a non executive Chairman at the company's expense	Since the Chairman and Managing Director in our Bank is an Executive Chairman, this clause is not applicable to us
Remuneration Committee	Remuneration payable to the whole time directors is decided by the Central Government and the Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per guidelines of Central Govt.The Board in its meeting held on 22.03.2007, has set up a "Remuneration Committee" as per details furnished hereinbefore (refer para 3.9).
Shareholders Rights	All the shareholders are provided with the Half Yearly results and Annual Report.
Audit Qualification	Constant efforts are being made to move towards a regime of unqualified financial statements.
Training of Board Members	The Board members are imparted training by nominating them for training programmes at reputed training institutes. Each director is provided with a reference manual detailing his or her roles and responsibilities and matters of importance.
Mechanism for evaluating non executive Board Members	The Bank does not have such mechanism, as presently it is not applicable to us.
Whistle Blower Policy	Presently the Bank has a Whistle Blower policy.

For and on behalf of the Board of Directors

(M Narendra)

Chairman and Managing Director

Chennai

05th May 2012

वर्ष 2011-2012 के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट के लिए अनुबंध
निदेशकों का जीवन परिचय

01	**नाम**	**श्री एम.नरेंद्र अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	58 वर्ष - 12 07 1954
	योग्यता	बी.काम, बी.एल, सीएआइआइबी
	नियुक्ति की तारीख	**01.11.2010**
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	**31.07.2014**
	अनुभव	➢ 36 वर्षों का बैंकिंग अनुभव रखनेवाले श्री एम.नरेंद्र ने 1975 में अधिकारी प्रशिक्षार्थी के रूप में कार्पोरेशन बैंक जाइन किया था । उन्होंने 06 नवंबर 2008 को बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार संभाला और वे इस पद पर इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में अपने वर्तमान कार्यभार के ग्रहण करने तक रहे। ➢ श्री नरेंद्र कार्पोरेशन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में अपने कार्यकाल के दौरान संगठनात्मक बदलाव परियोजनाओं के कार्यान्वियन से संबद्ध टीम के प्रमुख सदस्य रहे। श्री नरेंद्र ने देश और विदेश का व्यापक दौरा किया है । उन्होंने बीटीसी, आइआइएम-अहमदाबाद और बैंगलूर, एनआइबीएम और आस्ट्रेलियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग ऐंड फिनान्स में कार्यशालाओं / संगोष्ठियों सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण पाया है। ➢ श्री नरेंद्र ने 1984-85 से 1990-91 तक लगातार आठ वर्षों के लिए कार्पोरेशन बैंक द्वारा शुरू किये गये विभिन्न कार्पोरेट पुरस्कार जैसे चेयरमेन्स क्लब मेंबरशिप रेसिपियंट पुरस्कार और सोजियन पुरस्कार और क्षेत्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किये। ➢ बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में वे जांबिया के लुसाखा स्थित इंडो जांबिया बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल में नामिती निदेशक रहे । यह बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के 3 भारतीय बैंकों और जाँबिया सरकार के संयुक्त उद्यमवाला एक वाणिज्यिक बैंक है। ➢ श्री नरेंद्र भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित विदेशी विनिमय एवं सरकारी प्रतिभूति मार्केट तथा रुपया विषयक तकनीकी सलाहकारी समिति के सदस्य हैं। इसके अलावा वे भारतीय बैंक संघ द्वारा गठित बेसल ।। कार्यान्वयन समिति तथा जोखिम प्रबंधन विषयक स्थायी समिति के सदस्य भी रहे।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड में नामिती निदेशक
2	**नाम**	**श्री ए.के.बंसल कार्यपालक निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	**59 वर्ष 22.05.1953**
	योग्यता	**कृषि में पोस्ट ग्रेजुएट, सीएआइआइबी-।**
	नियुक्ति की तारीख	**01.09.2010**
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	**31.05.2013**
	अनुभव	➢ बैंकिंग क्षेत्र में 35 वर्षों का अनुभव है। ➢ श्री ए.के.बंसल ने नैनिताल , पंतनगर के प्रसिद्ध जी.बी.पंत अग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी से अग्रिकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उन्होंने आइसीएआर जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 1976 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कृषिक्षेत्र अधिकारी के रूप में 23 वर्ष की आयु में जाइन किया । अहमदाबाद में स्थित बैंक की सर्वप्रथम विशिष्ट एसएसआइ शाखा में उनकी उत्कृष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए बैंक ने उनको सूपर अचीवर और स्टार परफार्मर दर्जा ग्रहण किया । ➢ श्री बंसल को योजना के कार्यान्वयन की दिशा में पहले वर्ष में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा चैरमेन क्लब मेंबरशिप प्रदान किया गया। ➢ श्री बंसल आइआइटी-कानपुर के सिडबी इन्नोवेशन ऐण्ड इनकुबेशन सेंटर (एसआइआइसी) की शिखर सलाहकार समिति के सदस्य हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य

ANNEXURE TO REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2011-12

DIRECTORS PROFILE

1	**Name**	**Shri. M.Narendra - Chairman and Managing Director**
	Age and Date of Birth	58 years – 12.07.1954
	Qualification	B.Com., B.L , CAIIB
	Date of Appointment	01.11.2010
	Date of expiry of the Current term	31.07.2014
	Experience	➢ Having 36 years of banking experience. Shri M Narendra joined Corporation Bank as an officer trainee in 1975. He took over as Executive Director, Bank of India, on 6th November 2008 and held this position, till his present assignment at Indian Overseas Bank. ➢ Shri Narendra has been one of the key members of the Teams to implement Organizational transformation Projects in both Corporation Bank and Bank of India. ➢ Shri Narendra has traveled widely both within the country and outside. He has undergone various training programmes including workshops/seminars at BTC, IIM-Ahmedabad and Bangalore, NIBM and Australian Institute of Banking & Finance. ➢ Shri Narendra secured various Corporate Awards instituted by Corporation Bank such as Chairman's Club Membership recipient for 8 consecutive years from 1984-85 to 1990-91, 'SoGian' Award and Regional Leadership Award. ➢ In his capacity as Executive Director of Bank of India, he was the nominee director on the Board of Indo Zambia Bank Limited, Lusaka, Zambia, a joint venture, Commercial Bank between 3 Indian Public Sector Banks and Government of Zambia. ➢ He is a member of Technical Advisory Committee on Money, Foreign Exchange & Government Securities Market constituted by Reserve Bank of India. He was a member of Standing Committee on Risk Management & Basel II Implementation constituted by the Indian Banks Association.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nominee Director of IOB in Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.
2	**Name**	**Shri A.K. Bansal - Executive Director**
	Age and Date of Birth	59 Years - 22.05.1953
	Qualification	Post Graduate in Agriculture, CAIIB – Part –I
	Date of Appointment	01.09.2010
	Date of expiry of the Current term	31.05.2013
	Experience	➢ Having 35 years of experience in banking field. ➢ Shri A. K. Bansal is a Post Graduate in Agriculture from the renowned G B Pant Agriculture University, Pant Nagar, Nainital and recipient of ICAR Junior Research Scholarship. He joined Union Bank of India as Agricultural Field Officer at the age of 23 years in the year 1976. He was awarded Super Achiever and Star Performer status by the Bank in the year 1994 for his outstanding performance at the first Specialized SSI Branch of the bank at Ahmedabad. ➢ Shri Bansal was also conferred with the Chairman Club Membership by the Chairman & Managing Director of the Bank as recognition of his outstanding performance in the very first year of implementation of the scheme. ➢ Shri Bansal is a Committee Member in the Apex Advisory Committee of SIDBI Innovation and Incubation Centre (SIIC) in IIT Kanpur.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil

3	**नाम**	**श्री ए.डी एम चावली कार्यपालक निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	**57 वर्ष 09.10.1954**
	योग्यता	**एम एस सी ।**
	नियुक्ति की तारीख	**28.12.2011**
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	**31.10.2014**
	अनुभव	➢ आप शुद्ध गणित में स्नातकोत्तर हैं । उन्होने अपना कैरियर चेन्नै में 1977 में बैंक ऑफ बड़ौदा में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में प्रारंभ किया । उसके बाद उन्होंने चेन्नै, मुंबई , कोलकाता , आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों और औद्योगिकी फाइनेन्स सहित शाखाओं पर विभिन्न पदों पर सेवा की । वे फिक्स्ड इनकम , ईक्विटी और गैर एस एल आर प्रतिभूतियों में मुख्य डीलर रहे , वे फ्रन्ट ऑफिस , ट्रेजरी उन्होंने बी ओ बी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक भी रहे । वे मुंबई व अहमदाबाद में कार्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज शाखाओ के प्रमुख भी रहे । ➢ इण्डियन ओवरसीज बैंक में पद ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रेजरी व संसाधन प्रबंधन के महा प्रबंधक रहे । वे कोलकाता मेट्रो क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख भी रहे । ➢ उन्होंने इण्डिया आइडियाज डॉट कॉम , सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सी एस डी एल), क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सी सी आइ एल) व सेन्ट्रल इंश्योरेंश रिपॉजिटरी लिमिटेड (सी आइ आर एल) के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में सेवा की और वे बड़ौदा पॉयनियर एसेट प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के ट्रस्टी निदेशक रहे । ➢ वे आर बी आइ की निगोशियेटेड डीलिंग सिस्टम और एफ आइ एम एम डी ए वैल्यूएशन समिति के सदस्य रहे । साथ ही वे क्रेडिट व परिचालन रिस्क डाटा विनिमय (सी ओ आर डी ई एक्स) समिति के सदस्य भी रहे जिसका गठन आइ बी ए ने किया है । ➢ कार्पोरेट फाइनेंस बैंकिंग में उनका तीन वर्षो का अनुभव है विशेष रूप से ट्रेजरी परिचालन , जोखिम प्रबंधन , आस्ति प्रबंधन , निवेश व औद्योगिक फाइनेंस आदि में ।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
4	**नाम**	**डॉ. आलोक पाण्डे भारत सरकार की नामिती**
	आयु और जन्म-तिथि	40 वर्ष - 22.10.1971
	योग्यता	बी ई (मैकेनिकल) , एन आइ टी इलाहाबाद , पीएच.डी (फाइनेंस) आइ आइ एम बैंगलोर,
	नियुक्ति की तारीख	22.07.2011
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	सरकार से आगे आदेश मिलने तक
	अनुभव	➢ डॉ. आलोक पाण्डे वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं । वर्तमान में आप मंत्रालय में ऋण नीति , माइक्रो फाइनेंस व एग्रीकल्चर ऋण जैसे मामले देखते हैं । डॉ. पाण्डे को भारत सरकार में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त जहाँ उन्होंने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की हैं । उनकी रुचि का विषय तथा उनकी विशेषज्ञता वित्तीय समावेशन में हैं । उन्होंने सन. 1992 में इलाहाबाद स्थित नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की । डॉ . पाण्डे ने 1994 में सिविल सेवा में कार्य भार ग्रहण किया । आप ने 2009 में आइ आइ एम बैंगलोर से शोध उपाधि कार्पोरेट फाइनेंस के क्षेत्र में पूर्ण किया । डॉ. पाण्डे ने अनेक प्रकाशन भी किए हैं ।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
5	**नाम**	**श्री एस.वी.राघवन भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती**
	आयु और जन्म-तिथि	58 वर्ष - 19.11.1953
	योग्यता	बी.एस.सी., एम.बी.एम., सीएआइआइबी, एम.ए
	नियुक्ति की तारीख	30.07.2010
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	सरकार से आगे आदेश मिलने तक
	अनुभव	➢ आप वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर के केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस) में मुख्य महा प्रबंधक हैं।

3	**Name**	**Shri A.D.M.Chavali - Executive Director**
	Age and Date of Birth	57 years - 09.10.1954
	Qualification	M.Sc.
	Date of Appointment	28.12.2011
	Date of expiry of the Current term	31.10.2014
	Experience	➢ He is a post graduate in pure Mathematics. He started his career with Bank of Baroda in Chennai as a Direct Recruit Officer in the year 1977. From then on he has served the Bank in various capacities at branches including Industrial Finance Branch and Regional Offices, located across Chennai, Mumbai, Kolkata, Andhra Pradesh and Gujarat. He was also the Chief Dealer in Fixed Income, Equity and Non-SLR Securities and has headed the Front Office, Treasury. He has also served as Managing Director of BOB Asset Management Co. He has headed the Corporate Financial Services branches at Ahmadabad and Mumbai. ➢ Prior to joining Indian Overseas Bank, he as General Manager had headed the Treasury & Resource Management of Bank of Baroda. He has also served as Regional Head of Kolkata Metro Region. ➢ He has served as Director on Boards of India Ideas.com.Ltd, Central Depository Services Limited (CDSL), Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL) and Central Insurance Repository Ltd. (CIRL) and as a Trustee Director of Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd. ➢ He was a member in RBI Committee for implementing Negotiated Dealings System and FIMMDA Valuation Committee. Also, he was a member of the Committee on Credit and Operational Risks Data Exchange (CORDEX) set up by IBA. ➢ He has a rich experience in Corporate Finance Banking for over three decades particularly in the areas of Treasury operations, Risk Management, Asset Management, Investments and Industrial Finance.
	Shareholding in IOB	NIL
	Other Directorships	NIL
4	Name	**Dr. Alok Pande, GoI Nominee**
	Age and Date of Birth	40 years - 22.10.1971
	Qualification	BE(Mech),NIT Allahabad, Ph. D(Finance). IIM Bangalore
	Date of Appointment	22.07.2011
	Date of expiry of the Current term	Until further orders from Govt. of India
	Experience	➢ Dr. Alok Pande is working as a Director in the Department of Financial Services, Ministry of Finance. Presently he deals with the subjects of Credit Policy, Microfinance and Agricultural Credit in the Ministry. Dr. Pande has more than 16 years of experience in the Government of India where he has worked in different capacities. His area of interest as well as experience has been that of ensuring Financial Inclusion. He did his graduation in Mechanical Engineering from National Institute of Technology, Allahabad in 1992. Dr.Pande joined the Civil Services in 1994. He completed his Doctorate from IIM Bangalore in the area of Corporate Finance in the year 2009. Dr. Pande has several publications to his credit.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
5	**Name**	**Shri. S.V.Raghavan - RBI Nominee**
	Age and Date of Birth	58 years - 19.11.1953
	Qualification	B.Sc., M.B.M., CAIIB, M.A
	Date of Appointment	30.07.2010
	Date of expiry of the Current term	Until further orders from Govt. of India
	Experience	➢ He is currently Chief General Manager, Central Accounts Section (CAS) at Reserve Bank of India, Nagpur.

		➢ श्री एस.वी.राघवन वर्ष 1982 में आरबीआइ में जाइन किया और भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंकिंग पर्यवेक्षी विभाग, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, बैंकिंग विभाग और इश्यू विभाग और भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के मुद्रा प्रबंधन और बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में काम किया है। वे इस पद पर इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में अपने वर्तमान कार्यभार के ग्रहण करने तक भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई के केंद्रीय कार्यालय के सरकारी और बैंक लेखा विभाग प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक रहे।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
6	**नाम**	**श्री श्रीधर लाल लखोटिया कर्मकारी कर्मचारी निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	58 वर्ष - 11.10.1953
	योग्यता	बी.काम.,
	नियुक्ति की तारीख	09.08.2010
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	08.08.2013 तक या आइ.ओ.बी के कर्मकारी कर्मचारी के रूप में उनके कार्यकाल की समाप्ति तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो
	अनुभव	➢ 22.07.1975 में भर्ती हुए हैं और आइओबी में 37 वर्षों से अधिक अनुभव है। आप आइओबी की कोलकाता - चौरंगी शाखा में फिलहाल विशेष सहायक प्रवर्ग में हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	400 शेयर
	अन्य निदेशकता	शून्य
7	**नाम**	**श्री के.आनंद कुमार अधिकारी कर्मचारी निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	56 वर्ष - 30.08.1955
	योग्यता	बी.कॉम, ए.सी.ए., सीएआइआइबी
	नियुक्ति की तारीख	26.03.2010
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	25.03.2013 तक या आइ.ओ.बी के अधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल की समाप्ति तक या अगले आदेश तक
	अनुभव	➢ बैंक में 14.12.1981 को भर्ती हुए। आइ.ओ.बी में 30 वर्षों का अनुभव है। आप आइ.ओ.बी में वर्तमान में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर हैं ।
	आइओबी में शेयरधारिता	2400 शेयर
	अन्य निदेशकता	शून्य
8	**नाम**	**श्री निरंजन कुमार अग्रवाल**
	आयु और जन्म-तिथि	53 वर्ष -22.10.1958
	योग्यता	एफ सी ए
	नियुक्ति की तारीख	01.10.2011
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	31.10.2014
	अनुभव	➢ श्री निरंजन कुमार अग्रवाल , एफ सी ए एक 1983 से अभ्यासरत सनदी लेखाकार हैं । इनका अनुभव 28 वर्षों से अधिक है । वे मेसर्स निरंजन कुमार अग्रवाल एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार , कोलकाता के स्वामी है । उन्हें वृहद , कंपनी कानून मामले और आयकर मामलों का अनुभव है । वे कंपनी कानून मामलों , वित्तीय पुनर्संरचना , संसाधन उद्भवन , कार्पोरेट गवर्नेंस आदि मामलों में सलाहकार हैं ।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
9	**नाम**	**श्री सूरज खत्री अंशकालिक गैर सरकारी**
	आयु और जन्म-तिथि	56 वर्ष - 06.08.1955
	योग्यता	बीएससी, एलएलबी, श्रम विधि में डिप्लोमा
	नियुक्ति की तारीख	26.10.2009

		➢ Shri. S.V.Raghavan joined RBI in 1982 and has worked in the Department of Banking Supervision, Department of Non-Banking Supervision, Banking Department and Issue Department at various Regional Offices of RBI and in the Department of Currency Management and Department of Banking Supervision at RBI's Central Office in Mumbai. Immediately prior to his present assignment, he was Chief General Manager in-Charge of Department of Government and Bank Accounts at RBI's Central Office in Mumbai.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
6	**Name**	**Shri. Sridhar Lal Lakhotia - Workmen Employee Director**
	Age and Date of Birth	58 years - 11.10.1953
	Qualification	B Com.,
	Date of Appointment	09.08.2010
	Date of expiry of the Current term	08.08.2013 or until he ceases to be a workmen employee of IOB or until further orders, whichever is the earliest.
	Experience	➢ He joined the Bank on 22.07.1975 and is having about 37 years of banking experience in IOB. He is presently a Special Cadre Assistant attached to Kolkata-Chowringhee branch.
	Shareholding in IOB	400 shares
	Other Directorships	Nil
7	**Name**	**Shri K. Ananda Kumar - Officer Employee Director**
	Age and Date of Birth	56 years - 30.08.1955
	Qualification	B Com., A.C.A., CAIIB
	Date of Appointment	26.03. 2010
	Date of expiry of the Current term	25.03.2013 or until he ceases to be an Officer of IOB or until further orders, whichever is the earliest.
	Experience	➢ Joined the Bank on 14.12.1981. Possesses 30 years of experience. At present a Senior Manager in IOB, Chennai.
	Shareholding in IOB	2400 shares
	Other Directorships	Nil
8	**Name**	**Shri Niranjan Kumar Agarwal**
	Age and Date of Birth	53 Years **-** 22.10.1958
	Qualification	F.C. A.
	Date of Appointment	01.11.2011
	Date of expiry of the Current term	31.10.2014
	Experience	➢ Shri.Niranjan Kumar Agarwal, FCA is a Practicing Chartered Accountant since 1983 having experience of more than 28 years. He is a Proprietor of M/s. Niranjan Kumar & Co., Chartered Accountants, Kolkata. He has experience in handling Audits of Large Corporates, Company Law Matters and Income Tax. ➢ He is acting as Advisor to many Corporates on company law matters, financial restructuring, resource raising, corporate governance etc.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
9	**Name**	**Shri Sooraj Khatri - Part Time Non Official**
	Age and Date of Birth	56 years – 06.08.1955
	Qualification	B.Sc., L.L.B., Dip. In Labour Law
	Date of Appointment	26.10.2009
	Date of expiry of the Current term	25.10.2012

	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	25.10.2012
	अनुभव	राजस्थान उच्च न्यायालय में विधि से संबंधित एडवोकेट हैं। आप एक पत्रकार, संपादक और प्रकाशक भी हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	शून्य
	अन्य निदेशकता	शून्य
10	**नाम**	**श्री अजित वसंत सरदेसाई - शेयरधारक निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	66 वर्ष - 04.09.1945
	योग्यता	एम एस सी (भौतिकी) डिप्लोमा , आइ आइ टी दिल्ली
	नियुक्ति की तारीख	08.12.2011
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	07.12.2014
	अनुभव	➢ श्री अजित वसंत सरदेसाई ने भारतीय रिजर्व बैंक में तीन दशकों तक सेवा की । वे मुख्य महा प्रबंधक रहे और तदनंतर कार्यपालक निदेशक प्रभारी ग्रामीण उधार और प्रायोजना विभाग , भारतीय रिजर्व बैंक रहे । वे वृहद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मंडल में नामित निदेशक भी रहे । ➢ वे एन आइ बी एम , आइ बी पी एस , इंस्टीच्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी व बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज व कॉलेज ऑफ एग्री कल्चरल , भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिष्ठित कॉलजे में गवर्निंग काउंसिल में रहे । ➢ वे सितंबर 2005 में भारतीय रिज़र्व बैंक से सेवानिवृत्त हुए । सेवानिवृत्ति के पश्चात भी वे वैद्यनाथन समिति से जुड़े हुए हैं और वे भारत सरकार / सी वी सी द्वारा गठित बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में फ्रॉड पर परामर्शी समिति के सदस्य रहे ।
	आइओबी में शेयरधारिता	100 शेयर
	अन्य निदेशकता	शून्य
11	**नाम**	**प्रोफेसर एस. सडगोपन शेयरधारक निदेशक**
	आयु और जन्म-तिथि	61 वर्ष - 02.04.1951
	योग्यता	**बी ई (मैकेनिकल) , पी एच डी , सूचना प्रौद्योगिकी , परड्यू यूनिवर्सिटी से ।**
	नियुक्ति की तारीख	08.12.2011
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	07.12.2014
	अनुभव	➢ प्रो. एस सडगोपन ने परड्यू यूनिवर्सिटी से सूचना प्रौद्योगिकी में पी एच डी की उपाधि प्राप्त की । उन्होने 20 वर्षों से अधिक समय तक आइ आइ टी कानपुर व आइ आइ एम बैंगलोर में अध्यापन किया ।उन्होंने आइआइटी, बेंगलोर में संस्थापक निदेशक के रूप में जून 1999 तक काम किया। आइआइटी बंगलोर पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनर शिप संस्था है जिसे डीम्ड विश्वद्यिालय का दर्जा मिला था। यह देश में बेहतरीन शैक्षणिक परिसरों में से एक है और इसे व्यक्तिगत रूप से प्रो एस सडगोपन द्वारा अवधारणात्मक स्वरूप प्रदान किया गया था। ➢ प्रो सडगोपन ने देश में प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में महत्व पूर्ण भूमिका निभाई जिसके अंतर्गत ओएनजीसी , आइओसी , एनटीपीसी और भेल में सैप को लागू करना शामिल है साथी ही वे सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक और इंडस इंड बैंक में सूचना प्रौद्योगिक सलाहकार रहे हैं। अनेक निजी क्षेत्र के निगमों के अलावा उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया कोर बैंकिंग सोल्यूशन की स्थापना की । -
	आइओबी में शेयरधारिता	100 शेयर
	अन्य निदेशकता	- भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड - नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया क्योनिक्स - पदेन निदेशक आइ आइ टी - बैंगलोर

	Experience	➢ Practicing legal profession as an Advocate in Rajasthan High Court. He is also a Journalist, Editor and Publisher.
	Shareholding in IOB	Nil
	Other Directorships	Nil
10	**Name**	**Shri.Ajit Vasant Sardesai - Shareholder Director**
	Age and Date of Birth	66 Years - 04.09.1945
	Qualification	**M.Sc (Physics) Dip in IIT New Delhi**
	Date of Appointment	08.12.2011
	Date of expiry of the Current term	07.12.2014
	Experience	➢ Shri Ajit Vasant Sardesai has worked in the Reserve Bank of India for over 3 decades. He was the Chief General Manager and later Executive Director in charge of Rural Credit and Planning Department, RBI. He has also served as RBI Nominee Director on the Boards of large Public Sector Banks. ➢ He was also on the Governing Council of NIBM, Institute of Banking Personnel Selection, Institute for Development Research in Banking Technology and Bankers Training College and College of Agricultural Banking, a premier training college of RBI. ➢ He retired from RBI in September 2005. After retirement, he continued to be associated with the Vaidyanathan Committee and was a member of the Advisory Committee on Frauds in Banks and Financial Sector constituted by the GOI/CVC.
	Shareholding in IOB	100 Shares
	Other Directorships	NIL
11	**Name**	**Prof.S.Sadagopan - Shareholder Director**
	Age and Date of Birth	61 years - 02.04.1951
	Qualification	**B.E (Mechanical), Ph.D in IT from Purdue University**
	Date of Appointment	08.12.2011
	Date of expiry of Current term	07.12.2014
	Experience	➢ Professor. S Sadagopan obtained his Ph.D in IT from Purdue University. He taught for more than 20 years at IIT Kanpur and IIM Bangalore. He is working as Founder Director since June 1999 in IIT, Bangalore. Within five years, IIT Bangalore was the first public-private partnership institute to get the Deemed University status. It is one of the best academic campus in the county and was personally conceptualized by Prof.S.Sadagopan. ➢ Professor Sadagopan has played a leading role in major IT deployment in the country and this includes SAP implementation at ONGC, IOC, NTPC and BHEL, IT advisor to Syndicate Bank, Canara Bank and Indus Ind Bank. In addition to several private sector corporations, he was very much involved with the Core Banking Solution that was rolled out in Bank of India.
	Shareholding in IOB	100 Shares
	Other Directorships	Bharat Earth Movers Ltd. National Payment Corporation of India. 'Keonics' – Ex officio Director IIT-B.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
Indian Overseas Bank

केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002
Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

घोषणा

इस बात की पुष्टि की जाती है कि बैंक ने मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन (यानी महा प्रबंधकों) के लिए आचार संहिता निर्धारित की है और इसे बैंक के वेबसाइट पर डाल दिया गया है । मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है ।

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

चेन्नै
05.05.2012

(एम. नरेंद्र)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

DECLARATION

This is to confirm that the Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management (i.e. General Managers) of the Bank and the said code is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct.

For Indian Overseas Bank

Chennai
05.05.2012

[M.NARENDRA]
Chairman & Managing Director

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै-600 002

Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

सेवा में
निदेशक मंडल
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

05 मई 2012

31.03.2012 को समाप्त 12 महीनों के लिए बैंक के वित्तीय विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों सीईओ / सीएफओ के प्रमाणीकरण के साथ सूचीबद्ध करार का खण्ड 49-V

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि:

- क. हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने उक्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है :
  1. इन विवरणों में कोई भी विवरण विषय की दृष्टि से गलत नहीं है या इनमें कोई भी तथ्य छोड़ा नहीं गया है या भ्रम पैदा करनेवाले ब्योरे शामिल नहीं हैं ;
  2. ये सभी विवरण बैंक के क्रियाकलापों पर सत्य और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखाकरण मानकों, प्रभावी कानूनों और विनियमों के अनुसार हैं ।
- ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो धोखापूर्ण, गैरकानूनी हों या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों ।
- ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और इन आंतरिक नियंत्रणों की रचना या परिचालन में यदि कोई कमियां हों, जिसकी जानकारी हमें है और उन्हें सुधारने के संबंध में हमारे द्वारा किए गए उपायों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को दी है ।
- घ .हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित जानकारी दी है :
  1. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाना,
  2. वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और उन्हें वित्तीय विवरण के नोट्स में प्रकट किया गया और
  3. महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों की ऐसी घटनाएं जिनकी हमें जानकारी है और जिनमें प्रबंधन या कर्मचारी यदि कोई शामिल है जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(बी.एस.केशवमूर्ति)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(एम. नरेंद्र)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

To
THE BOARD OF DIRECTORS
INDIAN OVERSEAS BANK

May 05, 2012

Financial statements of the bank for the 12 months ended 31.03.2012 Clause 49-V of the listing Agreement with the Stock Exchanges CEO/CFO Certification

In terms of clause 49 of the Listing Agreement, We certify that:

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statements for the year and that to the best of our knowledge and belief:
   1. These statements do not *contain* any material untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading.
   2. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year, which are fraudulent, illegal or violative of the bank's code of Conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee the deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have, to the best of our knowledge and belief, indicated to the auditors and the audit committee:
   1. Significant changes in the internal control over financial reporting during the year;
   2. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and
   3. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the bank's internal control system over financial reporting.

(B.S. Keshava Murthy)
General Manager & CFO

(M. Narendra)
Chairman & Managing Director (CEO)

कार्पोरेट गवर्नेन्स पर
लेखापरीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सेवा में,

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक चेन्नै के शेयरधारकों को

हमने 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नै द्वारा कार्पोरेट गावर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज / एक्सचेंजों के साथ इण्डियन आवेरसीज़ बैंक के सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 में निर्धारित किया गया है।

कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कार्पोरेट प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही यह इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करता है।

बैंक द्वारा रखें गए रिकार्डों और दस्तावेजों एवं हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक द्वारा उक्त सूचीबद्ध करार में निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेन्स संबंधी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

हम सूचित करते हैं कि रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेन्टों द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की कोई भी शिकायत एक महीने से ज्यादा अवधि के लिए लंबित नहीं है।

आगे हम सूचित करना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है न ही प्रबंधन की दक्षता या प्रभावात्मकता का, जिससे कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यकलाप संपन्न किए हैं।

कृते एम भास्कर राव ऐण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 000459एस

(के.आर.रत्नम)
साझेदार
स.सं.002316

कृते मित्तल गुप्ता ऐण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 001874सी

(अक्षय के गुप्ता)
साझेदार
स.सं.070744

कृते एस आर मोहन ऐण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 002111एस

(बी.हरि बाबु)
साझेदार
स.सं.022206

कृते बदरी, मधुसूधन ऐण्ड श्रीनिवासन
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 005389एस

(एन.श्रीनिवासन)
साझेदार
स.सं.027887

कृते बी.त्यागराजन ऐण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 004371एस

(बी.त्यागराजन)
साझेदार
स.सं.018270

कृते शंकर ऐण्ड मूर्ति
सनदी लेखाकारगण
एफआरएन 003575एस

(एस.सुरेश)
साझेदार
स.सं.203716

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 05.05.2012

AUDITORS' CERTIFICATE

ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Shareholders of

Indian Overseas Bank

Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank, Chennai for the year ended 31.03.2012, as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement of Indian Overseas Bank with stock exchange(s).

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Indian Overseas Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Indian Overseas Bank.

On the basis of records and documents maintained by the bank, the information provided to us and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Registrar and Share Transfer Agent.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with the management has conducted the affairs of the Bank.

For **M. Bhaskara Rao & Co**
Chartered Accountants
FRN 000459S

(K.R.RATNAM)
Partner
M.No.002316

For **Mittal Gupta & Co**
Chartered Accountants
FRN 001874C

(AKSHAY K GUPTA)
Partner
M.No.070744

For **S. R. Mohan & Co**
Chartered Accountants
FRN 002111S

(B. HARI BABU)
Partner
M.No.022206

For **Badari, Madhusudhan & Srinivasan**
Chartered Accountants
FRN 005389S

(N.SRINIVASAN)
Partner
M. No.027887

For **B. Thiagarajan & Co.**
Chartered Accountants
FRN 004371S

(B.THIAGARAJAN)
Partner
M.No. 018270

For **Sankar & Moorthy**
Chartered Accountants
FRN 003575S

(S.SURESH)
Partner
M.No. 203716

Place : Chennai
Date : 05.05.2012

31.3.2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(रु.'000 में)

	अनुसूचियाँ	31.03.2012 तक	31.03.2011 तक
पूँजी व देयताएँ			
पूँजी	01	796 99 82	618 74 93
आरक्षितियाँ और अधिशेष	02	11130 65 40	8706 18 07
जमा राशियाँ	03	178434 17 64	145228 75 11
उधार	04	23613 84 71	19355 40 46
अन्य देयताएँ व प्रावधान	05	5672 49 95	4875 19 28
योग		**219648 17 52**	**178784 27 85**
आस्तियाँ			
भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और अतिशेष	06	10198 91 24	10010 89 43
बैंकों में अतिशेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	07	6062 18 62	2007 76 14
निवेश	08	55565 88 11	48610 45 40
अग्रिम	09	140724 44 43	111832 97 75
स्थिर आस्तियाँ	10	1744 04 79	1681 10 68
अन्य आस्तियाँ	11	5352 70 33	4641 08 45
योग		**219648 17 52**	**178784 27 85**
आकस्मिक देयताएँ	12	59192 53 67	45075 88 43
संग्रहण के लिए बिल		8336 51 87	4253 20 07
मूल लेखाकरण नीतियाँ	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ	18		

अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का एक अभिन्न अंग हैं ।

एम.नरेंद्र
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
ए.के.बंसल
कार्यपालक निदेशक
ए.डी.एम.चावली
कार्यपालक निदेशक

निदेशकगण

एस.वी.राघवन
श्रीधर एल. लखोटिया
के. आनंद कुमार
निरंजन कुमार अग्रवाल
सूरज प्रकाश खत्री
एस.सडगोपन

चेन्नै
05.05.2012

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के ज़रिए

एम भास्कर राव ऐण्ड कं.
एफआरएन 000459एस

के.आर.रत्नम
साझेदार
स.सं.002316

बदरी, मधुसूधन ऐण्ड श्रीनिवासन
एफआरएन 005389एस

एन.श्रीनिवासन
साझेदार
स.सं.027887

मित्तल गुप्ता ऐण्ड कं.
एफआरएन 001874सी

अक्षय के गुप्ता
साझेदार
स.सं.070744

बी.त्यागराजन ऐण्ड कं.
एफआरएन 004371एस

बी.त्यागराजन
साझेदार
स.सं.018270

एस आर मोहन ऐण्ड कं.
एफआरएन 002111एस

बी.हरि बाबु
साझेदार
स.सं.022206

शंकर ऐण्ड मूर्ति
एफआरएन 003575एस

एस.सुरेश
साझेदार
स.सं.203716

सनदी लेखाकारगण

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2012

(₹. in 000's)

	SCHEDULES	AS AT 31.03.2012	AS AT 31.03.2011
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	01	796 99 82	618 74 93
Reserves and Surplus	02	11130 65 40	8706 18 07
Deposits	03	178434 17 64	145228 75 11
Borrowings	04	23613 84 71	19355 40 46
Other Liabilities & Provisions	05	5672 49 95	4875 19 28
TOTAL		**219648 17 52**	**178784 27 85**
ASSETS			
Cash & Balances with Reserve Bank of India	06	10198 91 24	10010 89 43
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	6062 18 62	2007 76 14
Investments	08	55565 88 11	48610 45 40
Advances	09	140724 44 43	111832 97 75
Fixed Assets	10	1744 04 79	1681 10 68
Other Assets	11	5352 70 33	4641 08 45
TOTAL		**219648 17 52**	**178784 27 85**
Contingent Liabilities	12	59192 53 67	45075 88 43
Bills for Collection		8336 51 87	4253 20 07
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

Schedules Form Part of the Balance Sheet

M.NARENDRA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

A.K. BANSAL
EXECUTIVE DIRECTOR

A.D.M. CHAVALI
EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS

S.V. Raghavan
Sridhar L. Lakhotia
K. Ananda Kumar
Niranjan Kumar Agarwal
Sooraj Prakash Khatri
S. Sadagopan

CHENNAI
05.05.2012

VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

M.BHASKARA RAO & CO
FRN 000459S

K.R.RATNAM
Partner
M.No.002316

MITTAL GUPTA & CO
FRN 001874C

AKSHAY K.GUPTA
Partner
M.No.070744

S.R.MOHAN & CO,
FRN 002111S

B.HARI BABU
Partner
M.No.022206

BADARI, MADHUSUDHAN & SRINIVASAN
FRN 005389S

N.SRINIVASAN
Partner
M.No.027887

B. THIAGARAJAN & CO
FRN 004371S

B.THIAGARAJAN
Partner
M.No.018270

SANKAR & MOORTHY
FRN 003575S

S.SURESH
Partner
M.No.203716

CHARTERED ACCOUNTANTS

31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता

(रु.'000 में)

	अनुसूचियाँ	को समाप्त वर्ष 31.03.2012	को समाप्त वर्ष 31.03.2011
आय			
अर्जित ब्याज	13	17897 08 41	12101 46 50
अन्य आय	14	1681 04 30	1225 10 25
योग		**19578 12 71**	**13326 56 75**
व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	12880 91 21	7893 43 95
परिचालनागत व्यय	16	3163 06 95	2572 49 49
प्रावधान और आकस्मिक व्यय (निवल)		2484 01 93	1788 09 04
योग		**18528 00 09**	**12254 02 48**
लाभ /हानि			
वर्ष के लिए निवल लाभ		1050 12 62	1072 54 27
अग्रणीत लाभ / हानि		0	0
योग		**1050 12 62**	**1072 54 27**
विनियोजन			
सांविधिक आरक्षिति में अंतरण		316 00 00	321 76 30
राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण		47 29 38	387 99 89
पूँजी आरक्षिति को अंतरण		10 00 14	3 21 78
विशेष आरक्षिति को अंतरण		260 00 00	0
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)		416 83 10	359 56 30
तुलन-पत्र में अग्रेषित शेष राशि		0	0
योग		**1050 12 62**	**1072 54 27**
मूल एवं तनूकृत प्रति शेयर अर्जन (रु.)		16.93	19.63
प्रति ईक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य		10.00	10.00

अनुसूचियाँ लाभ व हानि खाता का अभिन्न अंग हैं ।

एम.नरेंद्र
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
ए.के.बंसल
कार्यपालक निदेशक
ए.डी.एम.चावली
कार्यपालक निदेशक

निदेशकगण

एस.वी.राघवन
श्रीधर एल. लखोटिया
के. आनंद कुमार
निरंजन कुमार अग्रवाल
सूरज प्रकाश खत्री
एस.सडगोपन

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के ज़रिए

एम भास्कर राव ऐण्ड कं.
एफआरएन 00459एस

मित्तल गुप्ता ऐण्ड कं.
एफआरएन 001874सी

एस आर मोहन ऐण्ड कं.
एफआरएन 002111एस

के.आर.रत्नम
साझेदार
स.सं.002316

अक्षय के गुप्ता
साझेदार
स.सं.070744

बी.हरि बाबु
साझेदार
स.सं.022206

बदरी, मधुसूधन ऐण्ड श्रीनिवासन
एफआरएन 005389एस

बी.त्यागराजन ऐण्ड कं.
एफआरएन 004371एस

शंकर ऐण्ड मूर्ति
एफआरएन 003575एस

एन.श्रीनिवासन
साझेदार
स.सं.027887

बी.त्यागराजन
साझेदार
स.सं.018270

एस.सुरेश
साझेदार
स.सं.203716

सनदी लेखाकारगण

चेन्नै
05.05.2012

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2012

(₹. in 000's)

	SCHEDULES	YEAR ENDED 31.03.2012	YEAR ENDED 31.03.2011
INCOME			
Interest earned	13	17897 08 41	12101 46 50
Other income	14	1681 04 30	1225 10 25
TOTAL		**19578 12 71**	**13326 56 75**
EXPENDITURE			
Interest expended	15	12880 91 21	7893 43 95
Operating expenses	16	3163 06 95	2572 49 49
Provisions & Contingencies (Net)		2484 01 93	1788 09 04
TOTAL		**18528 00 09**	**12254 02 48**
PROFIT / LOSS			
Net Profit for the year		1050 12 62	1072 54 27
Profit /Loss brought forward		0	0
TOTAL		**1050 12 62**	**1072 54 27**
APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		316 00 00	321 76 30
Transfer to Revenue and Other Reserves		47 29 38	387 99 89
Transfer to Capital Reserve		10 00 14	3 21 78
Transfer to Special Reserve		260 00 00	0
Proposed Final Dividend (including Dividend Tax)		416 83 10	359 56 30
Balance carried over to Balance Sheet		0	0
TOTAL		**1050 12 62**	**1072 54 27**
Basic & Diluted Earnings per share (₹.)		16.93	19.63
Nominal Value per Equity Share (₹.)		10.00	10.00

Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

M.NARENDRA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

A.K. BANSAL
EXECUTIVE DIRECTOR

A.D.M. CHAVALI
EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTORS

S.V. Raghavan
Sridhar L. Lakhotia
K. Ananda Kumar
Niranjan Kumar Agarwal
Sooraj Prakash Khatri
S. Sadagopan

CHENNAI
05.05.2012

VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

M.BHASKARA RAO & CO
FRN 000459S

K.R.RATNAM
Partner
M.No.002316

MITTAL GUPTA & CO
FRN 001874C

AKSHAY K.GUPTA
Partner
M.No.070744

S.R.MOHAN & CO,
FRN 002111S

B.HARI BABU
Partner
M.No.022206

BADARI, MADHUSUDHAN & SRINIVASAN
FRN 005389S

N.SRINIVASAN
Partner
M.No.027887

B. THIAGARAJAN & CO
FRN 004371S

B.THIAGARAJAN
Partner
M.No.018270

SANKAR & MOORTHY
FRN 003575S

S.SURESH
Partner
M.No.203716

CHARTERED ACCOUNTANTS

अनुसूची

(रु. '000 में)

अनुसूची - 1 पूँजी	31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
प्राधिकृत पूँजी प्रत्येक रु.10/- के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष में प्रत्येक रु.10/-के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर)	**3000 00 00**	**3000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूँजी प्रत्येक रु.10/- के 79,69,98,198 ईक्विटी शेयर (इसमें भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10/- के 55,48,60,731 शेयर शामिल हैं) पिछले वर्ष प्रत्येक रु.10/- के 61,87,49,343 ईक्विटी शेयर (इसमें भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10/- के 40,75,49,343 शेयर शामिल हैं)	**796 99 82**	**618 74 93**

अनुसूची - 2 आरक्षितियाँ व अधिशेष		31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
I. **शेयर प्रीमियम**			
अथ शेष		1120 05 06	140 00 00
जोडें : परिवर्धन		1565 38 14	980 05 06
	योग - I	**2685 43 20**	**1120 05 06**
II. **सांविधिक आरक्षितियाँ**			
अथ शेष		2453 71 87	2131 95 57
जोडें : परिवर्धन		316 00 00	321 76 30
	योग - II	**2769 71 87**	**2543 71 87**
III. **पूँजी आरक्षितियाँ**			
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ			
अथ शेष		1159 99 45	1175 60 40
जोडें : परिवर्धन		1 57 42	68 76
घटाएँ: कटौतियाँ / मूल्य-ह्रास*		20 31 05	16 29 71
	योग-अ	**1141 25 82**	**1159 99 45**
आ. निवेशों की बिक्री पर			
अथ शेष		847 99 57	845 28 44
जोड़ें : परिवर्धन		9 60 41	2 71 13
	योग-आ	**857 59 98**	**847 99 57**
इ. अन्य			
अथ शेष		149 03 71	148 53 06
जोड़ें : परिवर्धन*		1 18 36	50 65
	योग - इ	**150 22 07**	**149 03 71**
	योग -III (अ + आ + इ)	**2149 07 87**	**2157 02 73**
IV. **राजस्व व अन्य आरक्षितियाँ**			
(i) अन्य राजस्व आरक्षितियाँ			
अथ शेष		2616 14 52	2322 99 62
जोड़ें : परिवर्धन		101 99 56	388 73 54
घटाएँ: कटौतियाँ		2 38 16	95 58 64
	योग -(i)	**2715 75 92**	**2616 14 52**
(ii) विशेष आरक्षिति			
अथ शेष		126 60 00	126 60 00
जोड़ें : परिवर्धन		260 00 00	0
	योग -(ii)	**386 60 00**	**126 60 00**
(iii) निवेश आरक्षिति खाता			
अथ शेष		95 58 58	0
जोड़ें : परिवर्धन		2 37 00	95 58 58
घटाएँ: कटौतियाँ		0	0
	योग -(iii)	**97 95 58**	**95 58 58**

SCHEDULES

(₹. in 000's)

SCHEDULE - 1 CAPITAL	AS AT 31.03.2012	AS AT 31.03.2011
AUTHORISED CAPITAL		
300,00,00,000 Equity Shares of ₹.10/- each (Previous Year 300,00,00,000 Equity Shares of ₹.10/- each)	**3000 00 00**	**3000 00 00**
ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL		
79,69,98,198 Equity Shares of ₹.10/- each		
(Includes 55,48,60,731 Shares of ₹.10/- each held by Government of India)		
Previous year 61,87,49,343 Equity Shares of ₹.10/- each		
(Includes 40,75,49,343 shares of ₹.10/- each held by Government of India)	**796 99 82**	**618 74 93**

SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS		AS AT 31.03.2012	AS AT 31.03.2011
I. SHARE PREMIUM			
Opening balance		1120 05 06	140 00 00
Add : Additions		1565 38 14	980 05 06
	TOTAL -I	**2685 43 20**	**1120 05 06**
II. STATUTORY RESERVE			
Opening balance		2453 71 87	2131 95 57
Add : Additions		316 00 00	321 76 30
	TOTAL -II	**2769 71 87**	**2453 71 87**
III. CAPITAL RESERVE			
A. Revaluation Reserve			
Opening Balance		1159 99 45	1175 60 40
Add: Additions		1 57 42	68 76
Less: Deductions / Depreciation *		20 31 05	16 29 71
	TOTAL - A	**1141 25 82**	**1159 99 45**
B. On sale of Investments			
Opening Balance		847 99 57	845 28 44
Add : Additions		9 60 41	2 71 13
	TOTAL - B	**857 59 98**	**847 99 57**
C. Others			
Opening Balance		149 03 71	148 53 06
Add : Additions *		1 18 36	50 65
	TOTAL - C	**150 22 07**	**149 03 71**
	TOTAL - III (A,B,C)	**2149 07 87**	**2157 02 73**
IV. REVENUE & OTHER RESERVES			
(i) Other Revenue Reserves			
Opening Balance		2616 14 52	2322 99 62
Add : Additions		101 99 56	388 73 54
Less : Deduction		2 38 16	95 58 64
	TOTAL - (i)	**2715 75 92**	**2616 14 52**
(ii) Special Reserve			
Opening balance		126 60 00	126 60 00
Add : Additions		260 00 00	0
	TOTAL - (ii)	**386 60 00**	**126 60 00**
(iii) Investment Reserve Account			
Opening Balance		95 58 58	0
Add : Additions		2 37 00	95 58 58
Less : Deductions		0	0
	TOTAL - (iii)	**97 95 58**	**95 58 58**

अनुसूचियाँ (जारी)

(रु. '000 में)

अनुसूची - 2 आरक्षितियों व अधिशेष	31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
(iv) विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षिती		
अथशेष	137 05 31	88 81 22
जोड़ें : परिवर्धन	189 05 65	48 24 09
घटाएँ: कटौतियाँ	0	0
योग -**(iv)**	**326 10 96**	**137 05 31**
योग iv-**(i,ii,iii,iv)**	**3526 42 46**	**2975 38 41**
v. लाभ व हानि खाता	**0**	**0**
योग (I,II,III,IV &V)	**11130 65 40**	**8706 18 07**

* विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकडों में 31.01.2012 को विद्यमान मुद्रा- विनिमय दर से किए गए परिवर्तनों के कारण हुआ समायोजन शामिल है ।

अनुसूची - 3 जमाएं	31.03.2012	31.3.2011
अ. I. माँग जमाएं	तक	तक
i) बैंकों से	40 62 95	36 78 60
ii) अन्यों से	12246 67 06	11768 83 86
योग -I	**12287 30 01**	**11805 62 46**
II. बचत बैंक जमाएं	**34861 98 82**	**32055 59 36**
III. मियादी जमाएं		
i) बैंकों से	814 40 94	602 24 47
ii) अन्यों से	130470 47 87	100765 28 82
योग - III	**131284 88 81**	**101367 53 29**
जोड़ - अ (I,II & III)	**178434 17 64**	**145228 75 11**
आ. I) भारत की शाखाओं में जमाएं	172219 00 30	140381 47 25
II) भारत से बाहर की शाखाओं में जमाएं	6215 17 34	4847 27 86
योग - आ	**178434 17 64**	**145228 75 11**

अनुसूची - 4 लिये गये उधार	31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
I. भारत में लिए गए उधार		
भारतीय रिज़र्व बैंक	6500 00 00	3750 00 00
अन्य बैंक	0	6
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	1285 43 90	2154 74 18
इन्नोवेटिव परपेट्युअल डेट इंस्ट्रुमेंट्स (आइपीडीआइ)	780 00 00	780 00 00
बाँड्स के रूप में जारी किये गये हाइब्रीड डेट कैपिटल इंस्ट्रुमेंट्स	2632 30 00	2632 30 00
अधीनस्थ ऋण	3390 00 00	3426 00 00
योग (I)	**14587 73 90**	**12743 04 24**
II. भारत से बाहर लिए गए उधार	9026 10 81	6612 36 22
योग (I व II)	**23613 84 71**	**19355 40 46**
III. ऊपर I व II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	**7785 43 90**	**5904 74 18**

अनुसूची - 5 अन्य देयतायें व प्रावधान	31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
I. देय बिल	705 34 77	669 82 48
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
III. उपचित ब्याज	459 04 66	324 66 49
IV. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	4508 10 52	3880 70 31
योग	**5672 49 95**	**4875 19 28**

SCHEDULES (Contd.)

(₹. in 000's)

SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS	AS AT 31.03.2012	AS AT 31.03.2011
(iv) Foreign Currency Translation Reserve		
Opening balance	137 05 31	88 81 22
Add : Additions	189 05 65	48 24 09
Less : Deduction	0	0
TOTAL - (iv)	**326 10 96**	**137 05 31**
TOTAL - IV (i,ii,iii,iv)	**3526 42 46**	**2975 38 41**
V. PROFIT AND LOSS ACCOUNT	**0**	**0**
TOTAL (I, II , III, IV & V)	**11130 65 40**	**8706 18 07**

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.03.2012

SCHEDULE - 3 DEPOSITS	AS AT 31.03.2012	AS AT 31.03.2011
A. I. DEMAND DEPOSITS		
i) From Banks	40 62 95	36 78 60
ii) From Others	12246 67 06	11768 83 86
TOTAL - I	**12287 30 01**	**11805 62 46**
II. SAVINGS BANK DEPOSITS	**34861 98 82**	**32055 59 36**
III. TERM DEPOSITS		
i) From Banks	814 40 94	602 24 47
ii) From Others	130470 47 87	100765 28 82
TOTAL - III	**131284 88 81**	**101367 53 29**
TOTAL - A (I,II & III)	**178434 17 64**	**145228 75 11**
B. I) Deposits of branches in India	172219 00 30	140381 47 25
II) Deposits of branches outside India	6215 17 34	4847 27 86
TOTAL - B	**178434 17 64**	**145228 75 11**

SCHEDULE - 4 BORROWINGS	AS AT 31.03.2012	AS AT 31.03.2011
I. BORROWINGS IN INDIA		
Reserve Bank of India	6500 00 00	3750 00 00
Other Banks	0	6
Other Institutions & Agencies	1285 43 90	2154 74 18
Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	780 00 00	780 00 00
Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds	2632 30 00	2632 30 00
Subordinated Debt	3390 00 00	3426 00 00
TOTAL (I)	**14587 73 90**	**12743 04 24**
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	9026 10 81	6612 36 22
TOTAL (I & II)	**23613 84 71**	**19355 40 46**
III. Secured borrowings included in I & II above	**7785 43 90**	**5904 74 18**

SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	AS AT 31.03.2012	AS AT 31.03.2011
I. Bills Payable	705 34 77	669 82 48
II. Inter Office Adjustments (Net)	0	0
III. Interest Accrued	459 04 66	324 66 49
IV. Others (including provisions)	4508 10 52	3880 70 31
TOTAL	**5672 49 95**	**4875 19 28**

अनुसूचियाँ (जारी)

(रु. '000 में)

अनुसूची - 6 **भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और शेष**	31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट और एटीएम नकद सम्मिलित)	1188 11 65	979 56 78
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष		
i) चालू खाते में शेष	9010 79 59	9031 32 65
ii) अन्य खातों में शेष	0	0
योग	**10198 91 24**	**10010 89 43**

अनुसूची - 7 **बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन**	31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
I. भारत में		
i) बैंकों में शेष		
क. चालू खातों में	260 91 61	261 05 74
ख. अन्य जमा खातों में	1145 14 70	653 32 67
ii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
क. बैंकों के साथ	3235 00 00	0
ख. अन्य संस्थाओं के साथ	0	0
योग - I	**4641 06 31**	**914 38 41**
II. भारत से बाहर		
क . चालू खातों में	756 51 99	309 94 24
ख. अन्य जमा खातों में	400 15 62	636 18 49
ग. माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	264 44 70	147 25 00
योग - II	**1421 12 31**	**1093 37 73**
योग (I व II)	**6062 18 62**	**2007 76 14**

अनुसूची - 8 **निवेश**	31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	49962 22 68	38076 76 60
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	65 67 69	81 63 60
iii) शेयर	789 89 17	605 11 09
iv) डिबेंचर और बंध-पत्र	2253 84 43	1960 49 21
v) अन्य	0	0
म्यूचुअल फंड में निवेश, जमाओं पूँजी निधियाँ, जमाओं का प्रमाण पत्र और नाबार्ड के साथ आरआइडीएफ	1301 71 71	6796 39 78
योग - I	**54373 35 68**	**47520 40 28**
II. भारत से बाहर निवेश*		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलत हैं)	1057 34 39	909 00 88
ii) अनुषंगी और / या विदेश में संयुक्त जमाएं	12 96 38	21 20
ii) अन्य		
क) शेयर	2 86 14	5 73 98
ख) डिबेंचर और बंध-पत्र	68 62 84	130 65 97
ग) अन्य	50 72 68	44 43 09
योग - II	**1192 52 43**	**1090 05 12**
योग (I व II)	**55565 88 11**	**48610 45 40**

SCHEDULES (Contd.)

(₹. in 000's)

SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	AS AT 31.03.2012	AS AT 31.03.2011
I. Cash on hand (including Foreign currency notes & ATM cash)	1188 11 65	979 56 78
II. Balances with Reserve Bank of India		
i) in Current Account	9010 79 59	9031 32 65
ii) in Other Accounts	0	0
TOTAL	**10198 91 24**	**10010 89 43**

SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	AS AT 31.03.2012	AS AT 31.03.2011
I. In India		
i) Balances with banks		
a) In Current Accounts	260 91 61	261 05 74
b) In Other Deposit Accounts	1145 14 70	653 32 67
ii) Money at Call and Short Notice		
a) With banks	3235 00 00	0
b) With other institutions	0	0
TOTAL - I	**4641 06 31**	**914 38 41**
II. Outside India		
a) In Current Accounts	756 51 99	309 94 24
b) In Other Deposit Accounts	400 15 62	636 18 49
c) Money at Call and Short Notice	264 44 70	147 25 00
TOTAL - II	**1421 12 31**	**1093 37 73**
TOTAL (I & II)	**6062 18 62**	**2007 76 14**

SCHEDULE - 8 INVESTMENTS	AS AT 31.03.2012	AS AT 31.03.2011
I. INVESTMENTS IN INDIA		
i) Government Securities	49962 22 68	38076 76 60
ii) Other Approved Securities	65 67 69	81 63 60
iii) Shares	789 89 17	605 11 09
iv) Debentures and Bonds	2253 84 43	1960 49 21
v) Others	0	0
Investments in Mutual Funds, Venture Capital Funds Certificate of Deposits and RIDF with NABARD	1301 71 71	6796 39 78
TOTAL - I	**54373 35 68**	**47520 40 28**
II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA*		
i) Government Securities (including Local Authorities)	1057 34 39	909 00 88
ii) Subsidiaries and / or joint ventures abroad	12 96 38	21 20
ii) Others		
a. Shares	2 86 14	5 73 98
b. Debentures & Bonds	68 62 84	130 65 97
c. Others	50 72 68	44 43 09
TOTAL - II	**1192 52 43**	**1090 05 12**
TOTAL (I & II)	**55565 88 11**	**48610 45 40**

अनुसूचियाँ (जारी)

(रु. '000 में)

अनुसूची - 8 निवेश	31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
भारत में सकल निवेश	54736 13 43	47720 53 93
घटाएँ : मूल्यह्रास	362 77 75	200 13 65
निवल निवेश	54373 35 68	47520 40 28
भारत से बाहर सकल निवेश *	1193 70 12	1115 06 27
घटाएँ : मूल्यह्रास	1 17 69	25 01 15
निवल निवेश	1192 52 43	1090 05 12
कुल निवल निवेश	**55565 88 11**	**48610 45 40**

* 31.3.2012 तक विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकड़ों में तत्कालीन मुद्रा- विनिमय दर से किए गए परिवर्तनों के कारण समायोजन शामिल है ।

अनुसूची - 9 अग्रिम	31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
अ. i) क्रय किए गए व मितीकाटे पर भुगतान किए गए बिल	5251 40 24	6682 52 20
ii) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिदेय	62522 05 63	49033 53 18
iii) सावधि उधार	72950 98 56	56116 92 37
योग	**140724 44 43**	**111832 97 75**
आ. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित)	116201 22 61	84344 79 95
ii) बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	4550 01 11	4966 12 25
iii) अप्रतिभूत	19973 20 71	22522 05 55
योग	**140724 44 43**	**111832 97 75**
इ. I. भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	42265 30 52	32648 15 00
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	19086 51 49	12894 52 40
iii) बैंक	936 12 86	772 61 93
iv) अन्य	62776 31 80	54954 65 27
योग	**125064 26 67**	**101269 94 60**
II. भारत के बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से शोध्य	311 45 08	343 92 32
ii) अन्यों से शोध्य		
क) क्रय किए गए व मितीकाटे पर भुगतान किए गए बिल	3528 74 33	4428 73 10
ख) संघबद्ध उधार	5367 20 37	2373 23 09
ग) अन्य	6452 77 98	3417 14 64
योग	**15660 17 76**	**10563 03 15**
कुल योग (ग I व ग II)	**140724 44 43**	**111832 97 75**

अनुसूची - 10 स्थिर आस्तियाँ	31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
I. परिसर		
पिछले वर्ष के 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार लागत पर /	1656 04 78	1638 38 49
पुन : मूल्यांकित रकम *	45 59 88	20 82 44
वर्ष के दौरान परिवर्धन*	1701 64 66	1659 20 93
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	17 49 44	3 16 15
अद्यतन मूल्यह्रास	1684 15 22	1656 04 78
	213 46 59	183 44 86
योग -I	**1470 68 63**	**1472 59 92**

SCHEDULES (Contd.)

(₹. in 000's)

SCHEDULE - 8 INVESTMENTS	AS AT 31.03.2012	AS AT 31.03.2011
Gross Investments in India	54736 13 43	47720 53 93
Less : Depreciation	362 77 75	200 13 65
Net Investments	54373 35 68	47520 40 28
Gross Investments Outside India*	1193 70 12	1115 06 27
Less : Depreciation	1 17 69	25 01 15
Net Investments	1192 52 43	1090 05 12
Total Net Investments	**55565 88 11**	**48610 45 40**

* includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.03.2012

SCHEDULE - 9 ADVANCES		AS AT 31.03.2012	AS AT 31.03.2011
A. i)	Bills Purchased & Discounted	5251 40 24	6682 52 20
ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	62522 05 63	49033 53 18
iii)	Term Loans	72950 98 56	56116 92 37
	TOTAL	**140724 44 43**	**111832 97 75**
B. i)	Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	116201 22 61	84344 79 95
ii)	Covered by Bank/Government Guarantees	4550 01 11	4966 12 25
iii)	Unsecured	19973 20 71	22522 05 55
	TOTAL	**140724 44 43**	**111832 97 75**
C. I)	Advances in India		
	i) Priority Sector	42265 30 52	32648 15 00
	ii) Public Sector	19086 51 49	12894 52 40
	iii) Banks	936 12 86	772 61 93
	iv) Others	62776 31 80	54954 65 27
	TOTAL	**125064 26 67**	**101269 94 60**
II)	Advances Outside India		
	i) Due from Banks	311 45 08	343 92 32
	ii) Due from Others		
	a) Bills Purchased & Discounted	3528 74 33	4428 73 10
	b) Syndicated Loans	5367 20 37	2373 23 09
	c) Others	6452 77 98	3417 14 64
	TOTAL	**15660 17 76**	**10563 03 15**
	TOTAL (C-I & C-II)	**140724 44 43**	**111832 97 75**

SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS	AS AT 31.03.2012	AS AT 31.03.2011
I. Premises		
At cost / revalued amount as on 31st March of Previous Year	1656 04 78	1638 38 49
Additions during the year *	45 59 88	20 82 44
	1701 64 66	1659 20 93
Deductions during the year*	17 49 44	3 16 15
	1684 15 22	1656 04 78
Depreciation to date	213 46 59	183 44 86
TOTAL -I	**1470 68 63**	**1472 59 92**

अनुसूचियाँ (जारी)

(रु. '000 में)

अनुसूची - 10 स्थिर आस्तियाँ	31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
II. चालू पूँजीगत कार्य	14 94 51	4 89 61
योग - II	**14 94 51**	**4 89 61**
III. अन्य स्थिर आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं) पिछले वर्ष 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार लागत पर वर्ष के दौरान परिवर्धन *	879 52 54	822 14 09
	163 38 09	93 49 39
	1042 90 63	915 63 48
वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	27 29 84	36 10 94
	1015 60 79	879 52 54
अद्यतन मूल्यह्रास	757 19 14	675 91 39
योग- III	**258 41 65**	**203 61 15**
योग (I, II & III)	**1744 04 79**	**1681 10 68**

* 31.3.2012 तक विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकड़ों में तत्कालीन मुद्रा-विनिमय दर से किए गए परिवर्तनों के कारण समायोजन शामिल है ।

अनुसूची - 11 अन्य आस्तियाँ	31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	126 57 98	259 38 23
ii) संचित ब्याज	1994 46 64	1490 73 57
iii) अग्रिम रूप से प्रदत्त / स्त्रोत पर काटा गया कर	1771 03 01	1055 25 75
iv) लेखन - सामग्री और स्टैम्प	8 20 53	7 48 31
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ	211 55 39	1 54 52
vi) अन्य	1240 86 78	1826 68 07
योग	**5352 70 33**	**4641 08 45**

अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं	31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
i) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	43 09 52	39 67 20
ii) अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	11 60	11 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	21116 74 48	15865 91 98
iv) संघटकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ		
क. भारत में	14048 11 59	10210 37 89
ख. भारत के बाहर	746 42 92	216 99 91
v) सकार, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	16590 60 00	11585 25 34
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से दायी है	6647 43 56	7157 54 51
योग	**59192 53 67**	**45075 88 43**

अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज	31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
i अग्रिमों / बिलों पर प्राप्त ब्याज / बट्टा	13589 85 92	8848 56 64
ii) निवेशों पर आय	3941 36 43	2965 46 52
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	322 54 01	261 99 52
iv) अन्य	43 32 05	25 43 82
योग	**17897 08 41**	**12101 46 50**

SCHEDULES (Contd.)

(₹. in 000's)

SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS	AS AT 31.03.2012	AS AT 31.03.2011
II. Capital work in progress	14 94 51	4 89 61
TOTAL - II	**14 94 51**	**4 89 61**
III. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
At cost as on 31st March of Previous Year	879 52 54	822 14 09
Additions during the year*	163 38 09	93 49 39
	1042 90 63	915 63 48
Deductions during the year*	27 29 84	36 10 94
	1015 60 79	879 52 54
Depreciation to date	757 19 14	675 91 39
TOTAL - III	**258 41 65**	**203 61 15**
Total (I, II & III)	**1744 04 79**	**1681 10 68**

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.03.2012

SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS	AS AT 31.03.2012	AS AT 31.03.2011
i) Inter Office Adjustments (Net)	126 57 98	259 38 23
ii) Interest Accrued	1994 46 64	1490 73 57
iii) Tax paid in advance / Tax deducted at source	1771 03 01	1055 25 75
iv) Stationery & Stamps	8 20 53	7 48 31
v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	211 55 39	1 54 52
vi) Others	1240 86 78	1826 68 07
TOTAL	**5352 70 33**	**4641 08 45**

SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES	AS AT 31.03.2012	AS AT 31.03.2011
i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	43 09 52	39 67 20
ii) Liability for partly paid investments	11 60	11 60
iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	21116 74 48	15865 91 98
iv) Guarantees given on behalf of constituents		
a) In India	14048 11 59	10210 37 89
b) Outside India	746 42 92	216 99 91
v) Acceptances, Endorsements & Other obligations	16590 60 00	11585 25 34
vi) Other items for which the bank is contingently liable	6647 43 56	7157 54 51
	59192 53 67	**45075 88 43**

SCHEDULE - 13 INTEREST EARNED	YEAR ENDED 31.03.2012	YEAR ENDED 31.03.2011
i) Interest / discount on advances / bills	13589 85 92	8848 56 64
ii) Income on investments	3941 36 43	2965 46 52
iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	322 54 01	261 99 52
iv) Others	43 32 05	25 43 82
TOTAL	**17897 08 41**	**12101 46 50**

अनुसूचियाँ (जारी)

(रु. '000 में)

अनुसूची - 14 अन्य आय		31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
i) कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज		899 88 39	689 16 56
ii) निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)		171 37 98	108 57 45
iii) विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल)		-34 98 08	-52 92 13
iv) भूमि, भवनों के विक्रय पर लाभ (निवल)		2 50 29	1 02 25
v) विनिमय लेनदेनों पर लाभ (निवल)		224 58 63	156 96 00
vi) विविध आय		417 67 09	322 30 12
	योग	**1681 04 30**	**1225 10 25**

अनुसूची - 15 खर्च किया गया ब्याज		31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
i) जमाओं पर ब्याज		11234 33 69	6753 30 41
ii) भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर- बैंक उधारों पर ब्याज		1646 47 38	1140 03 29
iii) अन्य		10 14	10 25
	योग	**12880 91 21**	**7893 43 95**

अनुसूची - 16 परिचालन व्यय		31.03.2012 तक	31.3.2011 तक
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान		2082 98 05	1741 13 68
ii) किराया, कर और रोशनी		301 04 70	238 76 23
iii) मुद्रण और लेखन-सामग्री		19 44 95	16 94 36
iv) विज्ञापन और प्रचार		38 87 12	23 16 52
v) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन आरक्षितियों से अंतरित अवक्षयण की निवल राशि)		111 05 51	105 00 10
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च		1 40 29	1 03 65
vii) लेखा-परीक्षकों को प्रदत्त शुल्क तथा व्यय(शाखा लेखा - परीक्षकों को प्रदत्त शुल्क तथा व्यय सहित)		24 97 01	22 63 40
viii) विधि प्रभार		3 54 97	9 13 84
ix) डाक महसूल, तार, टेलीफ़ोन आदि		37 81 90	20 19 15
x) मरम्मत और अनुरक्षा		10 41 27	9 14 10
xi) बीमा		163 32 12	119 92 33
xii) अन्य व्यय		368 19 06	265 42 13
	योग	**3163 06 95**	**2572 49 49**

अनुसूची -17

प्रमुख लेखांकन नीतियाँ

1. तैयारी का आधार

1.1 यह वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं यदि अन्यथा उल्लेख न हुआ तो वे भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) की पुष्टि में हैं, जिसमें सांविधिक उपबंध, नियंत्रक /भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश, लेखांकन मानक /भारतीय लेखा सनदी संस्थान द्वारा जारी मार्गनिर्देश नोट (आइसीएआइ) और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित पद्धतियाँ समाविष्ट की हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, उन सांविधिक उपबंधों प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाएगा जो संबंधित विदेशी राष्ट्रों में विद्यमान हैं।

आकलन का प्रयोग

1.2 वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को चाहिए कि वे ऐसे आकलन करें व अनुमान लगाएँ जिनको कि वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (प्रासंगिक देयताएँ सहित) की प्रतिवेदित रकम तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय व खर्च की प्रतिवेदित रकम में विचारार्थ शामिल किया जा सके। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त ये आकलन विवेक सम्मत व तर्कसंगत है। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व मान्यता और लोखांकन खर्च

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के मुताबिक अर्जक आस्तियों पर उपचित आधार पर और अनर्जक आस्तियों के मामले में उगाही के आधार पर आय का अभिज्ञान किया जाता है । अनर्जक आस्तियों में वसूली का समंजन, वाद दायर खातों एवं एक बारगी निपटान खातों को छोड़कर बाकी मामलों में पहले ब्याज के लिए और शेष अगर हो, तो मूल रक़म के लिए किया जाता है ।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन (साख पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार को छोडकर), विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उनकी उगाही के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

SCHEDULES (Contd.)

(₹. in 000's)

SCHEDULE - 14 OTHER INCOME	YEAR ENDED 31.03.2012	YEAR ENDED 31.03.2011
i) Commission, Exchange and Brokerage	899 88 39	689 16 56
ii) Profit on Sale of Investments (Net)	171 37 98	108 57 45
iii) Profit on Revaluation of Investments (Net)	- 34 98 08	- 52 92 13
iv) Profit on sale of land,buildings	2 50 29	1 02 25
v) Profit on exchange transactions (Net)	224 58 63	156 96 00
vi) Miscellaneous Income	417 67 09	322 30 12
TOTAL	**1681 04 30**	**1225 10 25**

SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED	YEAR ENDED 31.03.2012	YEAR ENDED 31.03.2011
i) Interest on Deposits	11234 33 69	6753 30 41
ii) Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank Borrowings	1646 47 38	1140 03 29
iii) Others	10 14	10 25
TOTAL	**12880 91 21**	**7893 43 95**

SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES	YEAR ENDED 31.03.2012	YEAR ENDED 31.03.2011
i) Payments to and provisions for employees	2082 98 05	1741 13 68
ii) Rent, Taxes and Lighting	301 04 70	238 76 23
iii) Printing and Stationery	19 44 95	16 94 36
iv) Advertisement and Publicity	38 87 12	23 16 52
v) Depreciation on Bank's property (Net of depreciation transferred from Revaluation Reserve)	111 05 51	105 00 10
vi) Directors' fees, allowances and expenses	1 40 29	1 03 65
vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditors' fees and expenses)	24 97 01	22 63 40
viii) Law charges	3 54 97	9 13 84
ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	37 81 90	20 19 15
x) Repairs and Maintenance	10 41 27	9 14 10
xi) Insurance	163 32 12	119 92 33
xii) Other Expenditure	368 19 06	265 42 13
TOTAL	**3163 06 95**	**2572 49 49**

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation

1.1 The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

Use of Estimates

1.2 The preparation of financial statements requires the Management to make estimates and assumptions which are considered in the reported amounts of assets and liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and reported income and expense for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates.

2. Revenue Recognition and Expense Accounting

2.1 Income is recognized on accrual basis on performing assets and on realization basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in non performing assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and accounts under One Time Settlement, where it would be appropriated towards principal.

2.2 Interest on Bills purchased/Mortgage Backed Securities, Commission (except on Letter of Credit / Letter of Guarantee/Government Business), Exchange, Locker

2.3 बहुमूल्य धातुओं की परेषण बिक्री से हुई आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है ।

2.4 खर्चों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय तब जब उसे अन्यथा उल्लिखित किया गया हो ।

2.5 परिपक्व सावधि जमाओं के मामले में, जमाओं का नवीकरण करते समय ब्याज का परिकलन किया जाता है। निष्क्रिय बचत बैंक खाते, अदावी बचत बैंक खाते एवं अदावी मीयादी जमाओं के मामलों में ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर उपचित किया जाता है।

2.6 वाद दायर खातों में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में लिखा जाता है । ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर उसे आय में लिया जाता है ।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान/ हिसाब संबंधित देशों में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है ।

3. विदेशी मुद्रा लेनदेन

3.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव" विषयक लेखांकन मानक (एएस) 11 के अनुसार विदेशी विनिमय युक्त लेन-देनों का लेखांकन किया जाता है।

3.2 ट्रेज़री के संबंध में लेन-देन (विदेशी)

क) विदेशी मुद्रा जमाओं और ऋणों को छोडकर विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन के दिन रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच की विनिमय दर विदेशी मुद्रा रक़म पर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता को रिकार्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा जमाएँ और ऋणों का आरंभिक लेखांकन तत्कालीन लागू फेडाइ की साप्ताहिक औसत दर के अनुसार किया जाता है।

ख) नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों में समापन दरों पर दिखाया जाता है। सभी विदेशी मुद्रा जमाओं एवं आकस्मिक देयताओं सहित उधारों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू फेडाई की सप्ताहिक औसत दर के अनुसार दिखाया जाता है। अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेनदेन की तारीख की दरों पर दिखाया जाता है।

ग) फ़ेडाई द्वारा सूचित वर्षांत विनिमय दरों पर आकस्मिक देयताओं सहित बकाया वायदा विनिमय संविदाओं व सभी आस्तियों, देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के कारण परिणत लाभ व हानि को "अन्य देयताएँ व प्रावधान "/"अन्य आस्ति खाता " में तत्संबंधी निवल समायोजनों सहित राजस्व में ले लिया जाता है, केवल नॉस्ट्रो व एसीयू डॉलर खातों को छोड़कर जहाँ खातों का समायोजन समापन दरों पर किया जाता है।

घ) आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा-बहियों में उनके लेन देन की निर्दिष्ट तारीख पर लागू विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है।

3.3 विदेशी शाखाओं के संबंध में परिवर्तन

क) लेखांकन मानक 11, में निर्धारितानुसार सभी विदेशी शाखाओं को गैर अभिनन प्रचालन माना जाता है।

ख) आस्तियाँ और देयताओं (प्रासंगिक देयताओं सहित) को हर तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित समान स्पॉट दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

ग) आय और व्यय को हर तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा सूचित त्रैमासिक औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

घ) परिणत के विनिमय के अंतर को आय या व्यय के रूप में नहीं लिया जाता है लेकिन निवल निवेश के निपटान तक "विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिज़र्व" नामक अलग खाते में जमा किया जाता है।

4. निवेश

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में किये गए निवेश को 'व्यापार के लिए धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'परिपक्वता तक धारित' प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है । इन निवेशों के प्रकटीकरण को निम्न लिखित 6 वर्गों में दिखाया गया है :

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) स्थानीय निकायों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों सहित अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर

घ) बॉण्ड्स एवं डिबेंचर

ड.) सहायक/संयुक्त उपक्रम

च) म्यूचुअल फंड यूनिट व अन्य

4.2. म्यूचुअल फण्ड के यूनिटों से आय और जहाँ ब्याज/मूलधन 90 दिनों से भी अधिक से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार वसूली आधार पर की जाती है ।

4.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है:

4.3.1 'व्यापार के लिए धारित' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' प्रवर्गों के तहत व्यक्तिगत शेयरों को तिमाही अंतराल पर विपणन को मार्क किया गया। केन्द्रीय सरकार के प्रतिभूतियों का मूल्यन एफ आइ एम एम डी ए द्वारा घोषित बाजार दरों पर किया जाता है। राज्य सरकार के प्रतिभूतियों , अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ और बाण्ड एवं डिबेंचर का मूल्यन एफआइएमएमडीए द्वारा सुझाई गई अन्य पद्धितियों ओर रेटिंग / उधार स्प्रेड लब्धि कर्व के अनुसार किया जाता है । सूचित ईक्विटी शेयरों ओर बाजार दरों पर है अ-सूचित ईक्विटी शेयरों ओर जोखिम पूंजी निधियों की यूनिट और बही मूल्य उपलब्ध तुलन पत्र से प्राप्त एनएवी के आधार पर किया जाता है अन्यथा इसका मूल्य रु.1/-के प्रति कंपनी / निधि किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और वाणिज्यिक पत्र और जमाओं के प्रमाण पत्र को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्युचुवल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को उपलब्ध बाज़ार मूल्य या रिपर्चेज़ मूल्य या नेट एसेट वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है।

पीडीएआइ / एफआइएमएमडीए द्वारा केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम दर के ऊपर उपयुक्त मूल्य वृद्धि के साथ अधिमानी शेयरों का मूल्यांकन वाइटीएम के आधार पर आवधिक रूप से किया जाता है।

Rent and Dividend are accounted for on realization basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

2.5 In case of matured overdue Term Deposits, interest is accounted for as and when deposits are renewed. In respect of Inoperative Savings Bank Accounts, unclaimed Savings Bank accounts and unclaimed Term Deposits, interest is accrued as per RBI guidelines.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts are charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income and Expenditure are recognized / accounted for as per local laws of the respective countries.

3. Foreign Currency Transactions

3.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with Accounting Standard (AS) 11, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

3.2 Transaction in respect of Treasury (Foreign):

a) Foreign Currency transactions except foreign currency deposits and lending are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction. Foreign Currency deposits and lendings are initially accounted at the then prevailing FEDAI weekly average rate.

b) Closing Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. All foreign currency deposits and lendings including contingent liabilities are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of each quarter. Other assets, liabilities and outstanding forward contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

c) The resultant profit or loss on revaluation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts including contingent liabilities at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments to "Other Liabilities and Provisions"/"Other Asset Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

d) Income and expenditure items are translated at the exchange rates ruling on the date of incorporating the transaction in the books of accounts.

3.3 Translation in respect of overseas branches:

a) As stipulated in Accounting Standard 11, all overseas branches are treated as Non Integral Operations.

b) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c) Income and Expenses are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

d) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

4. Investments

4.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity" categories in line with the guidelines from Reserve Bank of India. Disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government Securities

b) Other Approved securities including those issued by local bodies,

c) Shares,

d) Bonds & Debentures,

e) Subsidiaries /Joint Ventures,

f) Units of Mutual Funds and Others.

4.2 Interest on Investments, where interest/principal is in arrears for more than 90 days and income from Units of Mutual Funds, is recognized on realisation basis as per prudential norms.

4.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India as under:

4.3.1. Individual securities under "Held for Trading" and " Available for Sale" categories are marked to market at quarterly intervals. Central Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. Securities of State Government, other Approved Securities and Bonds & Debentures are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA. Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and units of Venture Capital Funds are valued at book value / NAV ascertained from the latest available balance sheets, otherwise the same are valued at Re.1/- per company / Fund.

Treasury Bills, Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on availability.

Valuation of Preference shares is made on YTM basis with appropriate markup over the YTM rates for Central Government Securities put out by the PDAI / FIMMDA periodically.

वर्गीकरण के प्रत्येक के तहत उपर्युक्त मूल्यांकनों के आधार पर निवल मूल्य ह्रास, यदि कोई है, तो प्रावधान किया जाता है और निवल वृद्धि यदि कोई है, को नजरंदाज किया जाता है। हालांकि यदि व्यक्तिगत प्रतिभूतिों के बही मूल्य में मूल्यांकन के कारण से कोई परिवर्तन नहीं है, तुलन पत्र में निवेशों को मूल्य ह्रास के निवल के रूप में दर्शाया जाता है।

4.3.2 "परिपक्वता के लिए धारित" :-ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत / परिशोधन लागत पर लिया जाता है । प्रत्येक प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर अधिग्रहण लागत में यदि अधिकता हो, उसे परिपक्वता के शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं और जोखिम पूँजी निधि के यूनिटों में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है ।

4.4 एन.पी.ए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय के उचित प्रावधान / आय की अनभिज्ञान के अधीन है । अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों / बॉण्डों पर सामान्य विवेकपूर्ण मानदण्ड को प्रायोज्य होते हैं जहाँ कहीं लागू हो तदनुसार प्रावधान किया जाता है ।

4.5 किसी भी वर्ग में निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ / हानि खाते में लिखा जाता है। ''परिपक्वता के लिए धारित'' वर्ग में निवेशों के विक्रय की आय के मामले में, एक समान राशि ''पूँजी आरक्षित खाते'' में विनियोजित की जाती है।

4.6 प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से प्राप्त खंडित अवधि की ब्याज, प्रोत्साहन / फ्रण्ट-एण्ड-फीस आदि को लाभ-हानि खाते में लिखा जाता है।

4.7 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रेपो / आरक्षित रेपो लेनदेनों का हिसाब-किसाब किया गया है।

4.8 विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन संबंधित विदेशी विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

5. अग्रिम

5.1 अग्रिमों को 'मानक', 'अव-मानक', 'संदेहास्पद' और 'हानि-जनक आस्तियाँ' और ऐसे अग्रिमों पर हानि के लिए प्रावधान में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार ऐसे अग्रिमों पर हानियों के लिए प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों के आधार पर वर्गीकरण और प्रावधान बनाया जाता है या फिर भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड पर, जो भी उच्चतर हो।

5.2 मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों को छोड़कर अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है।

6. डेरिवेटिव्स

6.1. ब्याज सहित आस्तियों / देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार उद्देश्य के लिए बैंक ने डेरिवेटिव अनुबंध किया है।

6.2. प्रतिरक्षा उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा के संबंध में प्राप्तियों / देय निवल रकम की पहचान उपचित आधार पर की गई है। ऐसी संविदा के समापन पर हुए लाभ अथवा हानि को आस्थगित की गई है और संविदा की शेष पर अथवा आस्ति /देयता जो भी पहले हो, पर इसकी पहचान की गई है। ऐसी व्युत्पन्न संविदा को बाजार को मार्क किया गया है और परिणामी लाभ या हानि की पहचान नहीं की गइै है सिवाय तब जब कि व्युत्पन्न संविदा को आस्ति / देयता के साथ पद नामित किया जाता है जिसे भी बाजार को मार्क किया जाता है और जिस मामले में परिणामी लाभ या हानि पडी हुए आस्ति / देयता के बाज़ार मूल्य समायोजन के रूप में दर्ज किया जाता है।

6.3. उद्योग में प्रचलित मंजूर सामान्य पद्धति के अनुसार कारोबार के उद्देश्य से किये गये व्युत्पन्न संविदा और बाजार मूल्य में हुए परिवर्तनों को लाभ -हानि खाते में पहचाना / मान्य किया गया । इन संविदाओं से संबंधित आय व व्यय को समझौते / निपटान की तारीख को पहचाने जाते हैं। कारोबार व्युत्पन्न संविदा के समापन पर लाभ या हानि को आय लाभ - हानि को आय या व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

7. अचल आस्तियाँ

7.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर स्थाई आस्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया है ।

7.2 प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गई दरों पर सीधी रेखा पद्धिति पर मूल्य ह्रास प्रदान किया जाता है।

परिसर	2.50%
फर्नीचर	10%
इलेक्ट्रिकल उपकरण, वाहन व कार्यालयीन साज-सामान	20%
कम्प्यूटर	33 1/3%
अग्निशामक यंत्र	100%

स्थाई आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि खाते से निकालकर लाभ-हानि खाते में जमा कर दिया जाता है।

7.3 अधिग्रहण / पुनर्मूल्यांकन की तारीख का लिहाज़ किए बिना मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया जाता है ।

7.4 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है ।

7.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

7.6 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए संबंधित देश में लागू कानून के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

8. स्टाफ़-सुविधाएँ

8.1 भविष्य निधि के अंशदान लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

8.2. उपदान व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और उसे अनुमोदित उपदान एवं पेंशन निधि में अंशदानित किया जाता है। सेवा निवृत्त व्यवस्था मामलों में संचित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान वर्षांत पर बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। तथापि पेंशन विकल्प के आ जाने से और पदान सीमा में वृद्धि के मद्देनजर वर्ष के दौरान उपचित अतिरिक्त देयता का परिशोधन किया जा रहा है।

Based on the above valuations under each of the six classifications, net depreciation, if any, is provided for and net appreciation, if any, is ignored. Though the book value of individual securities would not undergo any change due to valuation, in the books of account, the investments are stated net of depreciation in the balance sheet.

4.3.2. "Held to Maturity": Such investments are carried at acquisition cost/amortised cost. The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortised on an effective interest rate method, over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries, associates and sponsored institutions and units of Venture capital funds are valued at carrying cost.

4.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de -recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India for NPA classification. Bonds and Debentures in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provisions are made, wherever applicable.

4.5 Profit/Loss on sale of Investments in any category is taken to Profit and Loss account. In case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, profit net of taxes is appropriated to "Capital Reserve Account".

4.6 Broken period interest, Incentive / Front-end fees, brokerage, commission etc. received on acquisition of securities are taken to Profit and Loss account.

4.7 Repo / Reverse Repo transactions are accounted as per RBI guidelines.

4.8 Investments held by overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective overseas Regulatory Authorities.

5. Advances

5.1 Advances in India have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In case of overseas branches, the classification and provision is made based on the respective country's regulations or as per norms of Reserve Bank of India whichever is higher.

5.2 Advances are stated net of provisions except general provisions for standard advances.

6. Derivatives

6.1 The Bank enters into Derivative Contracts in order to hedge interest bearing assets/ liabilities, and for trading purposes.

6.2 In respect of derivative contracts which are entered for hedging purposes, the net amount receivable / payable is recognized on accrual basis. Gains or losses on termination on such contracts are deferred and recognized over the remaining contractual life of the derivatives or the remaining life of the assets / liabilities, whichever is earlier. Such derivative contracts are marked to market and the resultant gain or loss is not recognized, except where the derivative contract is designated with an asset/ liability which is also marked to market, in which case, the resulting gain or loss is recorded as an adjustment to the market value of the underlying asset/ liability.

6.3 Derivative contracts entered for trading purposes are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry and the changes in the market value are recognized in the profit and loss account. Income and expenses relating to these contracts are recognized on the settlement date. Gain or losses on termination of the trading derivative contracts are recorded as income or expenses.

7. Fixed Assets

7.1 Fixed Assets except revalued premises are stated at historical cost.

7.2 Depreciation is provided on straight-line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Premises	2.50%
Furniture	10%
Electrical Installations, Vehicles & Office Equipments	20%
Computers	33 1/3 %
Fire Extinguishers	100%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account.

7.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition / revaluation.

7.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

7.5 In respect of leasehold properties, premium is amortised over the period of lease.

7.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws/practices of the respective countries.

8. Staff Benefits

8.1 Contribution to Provident Fund is charged to Profit and Loss Account.

8.2 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement or otherwise is based on actuarial valuation at the year-end. However, additional liability accrued during the year on account of Re-opening of pension option and enhancement of Gratuity limit is being amortised over a period of five years.

8.3. विदेशी शाखाओं के मामले में उपदान का हिसाब संबंधित देश में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

9. आय पर कर :

आय पर करों के लेखांकन, आइसीएआइ के लेखांकन मानक 22 के तहत निर्धारित अनुसार चालू कर और आस्थगित कर प्रभार या जमा के लिए प्रावधान (संबंधित अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय बद्ध विभेदों के कर प्रभावों को परिलक्षित करने वाला) इसमें समाहित है। आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है परंतु इस शर्त पर कि आय की मदों के संबंध में विवेकपूर्ण विचार हो सके और एक समय में उत्पन्न होने वाले ऐसे खर्चों जिन्हें बाद की एक या अवधियों में उलट दिये जाने की संभावना पर भी विचार हो सके । आस्थगित कर से जुडी आस्तियों और देयताओं की गणना लागू कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है और ये दरें उस वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर प्रयोज्य की जानेवाली आय कर दरों के आधार पर नियत की जाती है जहाँ समयबद्ध विभेदों को उलटे जाने की संभावना होती है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को आय के उस विवरण में मान्यता दी जाती है जो परिवर्तन को लागू करने की अवधि से संबंधित है।

10. प्रति शेयर के अर्जन

बैंक भारतीय सनदी लेखाकरण संस्थान द्वारा .जारी लेखाकंन मानक - 20 प्रति शेयर अर्जन के अनुसार मूल व तनुकृत अर्जन प्रति ईक्विटी शेयर को रिपोर्ट करता है मूल प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन का परिकलन वर्ष के लिए निवल लाभ को कुछ अवधि के दौरान बकाया शेयरों की धारित औसत से संभाजित करके किया गया है। तनुकृत अर्जन प्रति शेयर अर्जन संभाव्य घटाव दर्शाता है जो वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर ज़ारी करने के लिए प्रतिभूतियों या अन्य संविदाओं के उपयोग या परिवर्तन के कारण से हो सकता है। प्रति ईक्विटी शेयर तनुता का परिकलन भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या और अवधि के दौरान बकाया ईविविटी शेयरों के घटाव के आधार पर किया गया है सिवाय उसके जहाँ परिणाम घटाव विरोधी रहते है।

11. आस्तियों का अर्जन

बैंक प्रत्येक तुलन पत्र दिनांक को निर्धारित करता है क्या किसी आस्ति में घटाव होने का संकेत है। घाटा यदि कोई हो तो इसे लाभ एवं हानि खाता में अनुमानित वसूली योग्य रक़म से अधिक आस्ति रक़म तक दर्शाया गया है।

12. प्रावधानों, प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिए लेखाकरण

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा ज़ारी लेखा मानक 29 के अनुसार जारी प्रावधानों, प्रासंगि क देयताओं और प्रासंगिक आस्तियों के लिए बैंक प्रावधानों को मान्यता देता है जब अतीत की घटनाओं के कारण बैंक की वर्तमान बाध्यता हो, संभव है कि ऐस हो संसाधनों का वहिप्रवाह और उससे आर्थिक लाभ की आवश्यकता से बाध्यताओं को निपटाने के लिए और जब बाध्यता की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

प्रावधानों का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा किया गया है और निपटान के लिए प्रबंधन के अनुमान और उसी प्रकार के लेनदेनों द्वारा अनुपूरक के आधार पर निर्णय किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को जाती है और और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित की जाती है। ऐसे मामलों में जहाँ उपलब्ध जानकारी यह संकेत देती है कि प्रासंगिकता का नुकसान संभव है लेकिन नुकसान की रक़म का अनुमान लगाना संभव नहीं है इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है।

वित्तीय विवरण में प्रासंगिक आस्ति यदि कोई हो को मान्यता या प्रकट नहीं किया जाता है ।

अनुसूची 18
लेखों पर टिप्पणियाँ

1. समायोजन

अंतर-बैंक और अंतर-शाखा लेनदेनों का समायोजन 31 मार्च, 2012 तक पूरा कर लिया गया है और बकाया प्रविष्टियों के विलोपन का कार्य जारी है । चूंकि विलोपित की जाने वाली बकाया प्रविष्टियाँ उतनी महत्वपूर्ण नहीं होतीं, प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार के प्रतिगामी प्रभाव की अपेक्षा नहीं की जाती।

2. निवेश

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश पोर्टफोलियो (देशी)को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है :

प्रवर्ग	सकल बही मूल्य (रु. करोड़ों में)		कुल निवेशों का प्रतिशत	
	31.3.2012	31.3.2011	31.3.2012	31.3.2011
परिपक्वता के लिए धारित	38912.48	30543.78	71.09	64.00
बिक्री के लिए उपलब्ध	15817.70	17168.12	28.90	35.98
ट्रेडिंग के लिए धारित	5.95	8.64	0.01	0.02

2.2 " परिपक्वता के लिए धारित" के तहत एसएलआर प्रतिभूतियाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 25 % की सीमा के अंदर हैं जो मार्च 2012 की समाप्ति तक बैंक की मांग व सावधि देयताओं का 22.54% (पिछले वर्ष रु.20.95% करोड़)रहीं ।

2.3 'परिपक्वता के लिए धारित' प्रवर्ग के निवेशों के संबंध में रु.52.53 करोड़ के प्रीमियम (पिछले वर्ष रु.53.00 करोड़) का इस वर्ष के दौरान परिशोधन कर दिया गया है !

2.4 समझौता गारंटी निधि के प्रति रु.300 करोड़ (पिछले वर्ष रु.200 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों और संपार्श्विकीकृत उधार और ऋण बाध्यताओं के तहत उधार के लिए संपार्श्विक के प्रति रु.8455 करोड़ (पिछले वर्ष रु.5855 करोड़) की प्रतिभूतियों क्लियरिंग कर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के यहाँ रखी गयी है। रु.3150 करोड की अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को इनट्राडे उधार हेतु आरबीआई के पास रखा गया है । इसके अलावा मुद्रा डेरिवेटिस प्रवर्ग के प्रति रु. 15.00 करोड़ (पिछले वर्ष 1.80 करोड.) एन एस सी सी एल के यहाँ रखा गया है

8.3 In respect of overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

9. Tax on Income

This comprises provision for current tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income & taxable income for the period) as determined in accordance with Accounting Standard 22 of ICAI, Accounting for taxes on income. Deferred tax is recognized subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognized in the income statement in the period of enactment of the change.

10. Earning per Share

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard - 20, Earnings Per Share, issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net profit for the year by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period except where the results are anti-dilutive.

11. Impairment of Assets

The bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Profit and Loss Account to the extent the carrying amount of assets exceed their estimated recoverable amount.

12. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In accordance with Accounting Standard 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Provisions ore determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. In cases where the available information indicates that the loss on the contingency is reasonably possible but the amount of loss cannot be reasonably estimated, a disclosure is made in the financial statements.

Contingent Assets, if any, are not recognized or disclosed in the financial statements.

Schedule 18

NOTES ON ACCOUNTS

1. Reconciliation

Reconciliation of Inter Bank and Inter Branch transactions has been completed up to 31.3.2012 and steps for elimination of outstanding entries are in progress. Since the outstanding entries are insignificant, the management does not anticipate any material consequential effect.

2. Investments

2.1 In accordance with the Reserve Bank of India (RBI) guidelines, the Investments Portfolio of the Bank (domestic) has been classified into three categories, as given below: -

Category	Gross Book Value (Rs. In Crore)		Percentage to Total Investments	
	31.3.2012	31.3.2011	31.3.2012	31.3.2011
Held to Maturity	38912.48	30543.78	71.09	64.00
Available for Sale	15817.70	17168.12	28.90	35.98
Held for Trading	5.95	8.64	0.01	0.02

2.2 SLR Securities under “Held to Maturity” accounted for 22.54% (previous year 20.95%) of Bank’s Demand and Time liabilities as at the end of March 2012, as against the ceiling of 25% stipulated by RBI.

2.3 In respect of Held to Maturity category of Investments, premium of Rs.52.53 crore was amortised during the year (Previous year Rs.53.00 crore).

2.4 Securities of face value for Rs.300 crore (previous year Rs.200 crore) towards Settlement Guarantee Fund and securities of face value for Rs.8455 crore (previous year Rs.5855 crore) towards collateral for borrowing under Collateralised Borrowing and Lending Obligations have been kept with Clearing Corporation of India Limited. Securities of face value Rs.3150 crore were placed with RBI for intraday borrowing. Besides, a sum of

रु.10.00 (पिछले वर्ष रु.5.00) की राशि को सी सी आई एल के यहाँ, फारेक्स परिचालनों के लिए डिफॉल्ट निधि के प्रति और रु.1.17 करोड (पिछले वर्ष रु.1.17 करोड़) की राशि को इण्डियन क्लियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के यहाँ मुद्रा डेरिवेटिव्स प्रवर्ग के प्रति इण्डियन किल्यरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के यहाँ रखा गया है।

2.5 अनुसूची 8 में निवेशों के तहत शेयरों में रु. 36,24,07,080/- (पिछले वर्ष रु 21,89,07,080/-) के शेयर शामिल हैं, जो आबंटन के लंबित रहते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शेयर पूँजी के प्रति अग्रिम रूप में हैं।

2.6 भारतीय रिजर्व बैंक ने खुले बाजार परिचालन योजना के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों को बाइ बैक की घोषणा की । बैंक ने एचटीएम श्रेणी के अतर्गत रु.1763.48 करोड बही मूल्य के निवेश की बिक्री की और रु.18.45 करोड का लाभ प्राप्त किया ।

3. अग्रिम

3.1 अग्रिमों का वर्गीकरण एवं संभावित हानि के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रावधानीकरण संबंधी मानदंडों के अनुसार किया गया ।

3.2 गारंटी संस्थाओं के यहाँ निपटारे के लिए लंबित व दायर किए जाने वाले ऐसे दावों, जिनकी शाखाओं ने पहचान की है, पर प्रावधानिक अपेक्षाओं के लिए इस आधार पर विचार किया गया है कि ऐसे दावे वैध व वसूली योग्य हैं।

3.3 आस्ति वर्गीकरण और आय की पहचान के उद्देश्य से कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य, केंद्र सरकार की गारंटियों और बाद के आचरण / वसूलियों को ध्यान में रखा गया है ।

3.4 अलेखा-परीक्षित शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबंधकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार किया गया है ।

3.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में रु.811.06 करोड़ के वांछित प्रावधानिक बफर के प्रति बैंक ने दिनांक 31.03.2012 तक रु.614.06 करोड़ का प्रति चक्रीय प्रावधानिक बफर बनाये रखा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने रु.197 करोड़ की शेष बफर अपेक्षा को 31.03.2013 तक पूरा कर लेने के लिए बैंक को अनुमति प्रदान की।

4 अचल आस्तियाँ

4.1 वर्ष 2008-09 के दौरान भारत में कुछ भूमि और भवन का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया गया है और इसे पुनर्मूल्यांकन के कारण अस्तियों के रखाव मूल्य में रु.1123.55 करोड़ जोड़ दिया है।

4.2 वर्ष के दौरान आस्तियों की बिक्री पर लाभ के रु.1.18 करोड़ रहा (पिछले वर्ष 0.51करोड) जिसे पूंजी आरक्षिती में विनियोजित किया गया है।

5. रुपया ब्याज दर स्वैप

प्रतिरक्षा हेतु लिए गए रुपया ब्याज स्वैप के निरसन पर रु.5.92 करोड़ (पिछले वर्ष 2.33 करोड़) की रकम को लाभों के कारण अस्थगित आय में रखा गया है और इसे स्वैप की संविदागत शेष अवधि या आस्तियों / देयताओं की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए मान्यता दी जाएगी।

6. पूंजी एवं आरक्षितियाँ

6.1 वित्तीय वर्ष के दौरान , मार्च 2012 में बैंक ने एल आइ सी ऑफ इण्डिया व उसकी विभिन्न योजनाओं को 3,09,37,467 ईक्विटी शेयरों (पिछले वर्ष शून्य) तथा 14,73,11,388 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 7,39,49,343 ईक्विटी शेयर) भारत सरकार को समग्रत: रु. 87.82 प्रति ईक्विटी शेयर के प्रीमियम पर 17,82,48,855 ईक्विटी शेयर के अधिमानी आधार पर आबंटन के द्वारा रु. 1743.63 करोड़ (गत वर्ष रु. 1054 करोड़) का ईक्विटी शेयर पूँजी सृजित किया जिसमें रु. 1565.38 करोड़ (गत वर्ष रु.980.05 करोड़) शामिल है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप भारत सरकार की शेयरधारिता 65.87% से बढ़कर 69.62 % हो गयी ।

6.2 बैंक ने वर्ष के दौरान टीयर-II केपिटल उत्पन्न नही की (पिछले वर्ष - रु.1967 करोड)।

7. कर

7.1 अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों, न्यायिक संघोषणाओं और कर-विशेषज्ञों की राय पर काफी विचार करने के बाद, आय कर से संबंधित रु.592.32 करोड़ (पिछले वर्ष रु.566.68 करोड़) की विवादित रकम और अन्य माँगों के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधानीकरण करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

7.2 पिछले वर्षों से संबंधित रु.234.12 करोड तक के अतिरिक्त प्रावधान को उलट देने के बाद वर्ष के लिए कर संबंधित व्यय रु.247.58 करोड रहा।

8. श्री सुवर्ण सहकारी बैंक लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2009-10 में श्री सुवर्णसहाकारी बैंक लिमिटेड, पुणे की विशिष्ट आस्तियों पर अतिरिक्त देयताओं के प्रति निधि रु.246.52 करोंड की कुल कमी में से शेष रु.82.18 करोड (पिछले वर्ष रु.82.17 करोड) का अधिग्रहण कर लिया गया है जिसे वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति के अनुसार लाभ व हानि के खाते में प्रभारित किया गया है।

9. पेंशन व ग्रैच्युटी देयता

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी के लिए पेंशन के शुरू होने पर ओर ग्रैच्युटी सीमा की वृद्धि के परिणामस्वरूप बैंक ने वर्ष ने 2010-11 में रु.1005.21 करोड की देयता प्रदान की। लेखांकन मानक (एएस-15) कर्मचारी लाभ की अपेक्षाओं के तहत रु.1005.21 करोड की संपूर्ण राशि लाभ व हानि खाते में प्रभारित की जानी है)।

ग्रैच्युटी सीमाओं में वृद्धि व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी के लिए पेंशन के शुरू होने तक विवेकपूर्ण विनियामक निदान विषयक भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018 / 2010-11 दिनांकित 9.2.2011 के अनुसार बैंक रु.1005.21 करोड की रकम का परिशोधन दिनांक 31.03.2011 से शुरु करके पाँच वर्ष की अवधि में करेगा। तदनुसार वर्ष 2011-12 के लिए रु.201.04 (पिछले वर्ष रु.201.04 करोड)को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया और रु.603.13 करोड की शेष रकम को आगे ले जाया गया । यदि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस तरह का परिपत्र न जारी किया होता तो बैंक का एएस -15 की अपेक्षाओं के लागू करने के फलस्वरूप बैंक का लाभ 603.13 करोड से घट जाता।

10. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकृत वेंडरों के संबंध में जानकारी और जिनसे बैंक माल व सेवाएँ खरीद रहा है।

अतिरिक्त प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र दिनांक 01.07.2011 में दिए दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण किए जाते हैं

Rs.15.00 crore (previous year Rs.1.80 crore) have been lodged with NSCCL towards Currency Derivatives Segment and Rs.10.00 crore (previous year Rs.5.00 crore) with CCIL towards Default Fund for forex operations and Rs.1.17 crore (previous year Rs.1.17 crore) with Indian Clearing Corporation Limited towards Currency Derivatives Segment.

2.5 Shares under Investments in India in Schedule 8 includes Rs.36,24,07,080/- (Previous year Rs.21,89,07,080/-) being advance towards share capital in Regional Rural Banks pending allotment of shares.

2.6 Under the Open Market Operations(OMO) scheme of buy back of Government Securities announced by the RBI, Bank sold investments of book value of Rs 1763.48 crore under HTM category and earned a profit of Rs 18.45 crore.

3. Advances

3.1 The Classification for advances and provisions for possible loss has been made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India.

3.2 Claims pending settlement and claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered for provisioning requirements on the basis that such claims are valid and recoverable.

3.3 In assessing the realisability of certain advances, the estimated value of security, Central Government guarantees etc. have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.

3.4 The classification of advances, as certified by the Branch Managers have been incorporated, in respect of unaudited branches.

3.5 In compliance with RBI guidelines, Bank maintained a Counter Cyclical Provisioning Buffer of Rs.614.06 crore as at 31.3.2012, against required provisioning buffer of Rs.811.06 crore. RBI has permitted the Bank to build-up the balance buffer requirement of Rs.197 crore by 31.03.2013.

4. Fixed Assets

4.1 During the year 2008-09, certain land and buildings in India, were revalued through approved valuers and Rs.1123.55 crore added to the carrying value of assets on account of such revaluation.

4.2 Rs.1.18 crore (previous year Rs.0.51 crore), being profit on sale of assets is appropriated to Capital Reserve.

5. Rupee Interest Rate Swap

An amount of Rs.5.92 crore (previous year Rs.2.33 crore) is held in deferred income on account of gains on termination of Rupee Interest Rate Swaps taken for hedging and would be recognized over the remaining contractual life of swap or life of the assets/liabilities, whichever is earlier.

6. Capital and Reserves:

6.1 During the financial year, in March 2012, Bank raised equity share capital of Rs.1743.63 crore (previous year Rs.1054 crore) including share premium of Rs.1565.38 crore (previous year Rs.980.05 crore) by way of preferential allotment of 3,09,37,467 equity shares (previous year Nil) to LIC of India and its various schemes and 14,73,11,388 equity shares (previous year 7,39,49,343 equity shares) to Government of India, aggregating to 17,82,48,855 equity shares at a premium of Rs.87.82 per equity share. Pursuant to the above the shareholding of the Government of India has increased from 65.87 % to 69.62%.

6.2 The Bank has not raised Tier II capital during the year (previous year Rs.1967 crore).

7. Taxes

7.1 Taking into consideration the decisions of Appellate Authorities, judicial pronouncements and the opinion of tax experts, no provision is considered necessary in respect of disputed and other demands of income tax aggregating Rs.592.32 crore (previous year Rs.566.68 crore).

7.2 Tax expense for the year is Rs.247.58 crore after reversal of excess provision to the extent of Rs.234.12 crore pertaining to earlier years.

8. Shree Suvarna Sahakari Bank Ltd

The balance of Rs.82.18 crore (previous year Rs.82.17 crore) out of aggregate deficit of Rs.246.52 crore representing excess of liabilities over the specific assets of Shree Suvarna Sahakari Bank Ltd., Pune taken over in 2009-10, is charged to Profit and Loss Account for the year, as permitted by the RBI.

9. Pension and Gratuity Liability

On the reopening of pension to employees of Public Sector Banks and enhancement of Gratuity limits, the Bank incurred a liability of Rs.1005.21 crore in 2010-11. In terms of requirement of Accounting Standard (AS 15) Employee Benefits, the entire amount of Rs.1005.21 crore is required to be charged to Profit and Loss Account.

In terms of Reserve Bank of India circular No.DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11, on Reopening of Pension Option to employees of Public Sector Banks and enhancement in Gratuity limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 09.02.2011, Bank would amortise the amount of Rs.1005.21 crore over a period of 5 years from 31.3.2011. Accordingly, Rs.201.04 crore (previous year Rs.201.04 crore) has been charged to Profit and Loss Account for the year 2011-12 and the balance amount of Rs.603.13 crore has been carried over. Had the RBI not issued such a circular, the Revenue Reserves of the Bank would have been lower by Rs.603.13 crore pursuant to application of the requirements of AS-15.

10. Information relating to vendors registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and from whom goods and services have been procured by the Bank, is being ascertained.

ADDITIONAL DISCLOSURES

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India vide Master Circular dated 1.7.2011, the following additional disclosures are made:-

11. पूंजी

(रु.करोड में)

क्र सं	विवरण	2011-12		2010-11	
		बेसल I	बेसल II	बेसल I	बेसल II
i	सीआरएआर (%)	11.95%	13.32%	13.28%	14.55%
ii	सीआरएआर टायर I पूंजी (%)	7.49%	8.35%	7.45%	8.16%
iii	सीआरएआर टायर II पूंजी (%)	4.46%	4.97%	5.83%	6.39%
iv	भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता		69.62%*		65.87%
v	टायर -II पूँजी के रूप में उत्पन्न अधीनस्थ उधार की रकम		शून्य		1967.00
vi	आइपीडीआई जारी कर एकत्रित की गई रकम		शून्य		शून्य
vii	प्रवर टायर II लिखतों के निर्गमन से एकत्रित रकम		शून्य		1967.00

* मार्च 2012 के दौरान (पिछले वर्ष मार्च 2011 के दौरान) अधिमानीय आबंटन के आधार पर भारत सरकार को जारी किये गये 14,73,11,388 ईक्विटी शेयरों के कारण (पिछले वर्ष 7,39,49,343 ईक्विटी शेयर)

12 . निवेश

12.1 निवेशों का मूल्य

(रु. करोड़ में)

	विवरण	31.3.2012	31.3.2011
i)	निवेशों का सकल मूल्य		
	[क] भारत में	54736.13	47720.54
	[ख] भारत के बाहर	1193.70	1115.06
ii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान		
	[क] भारत में	362.78	200.14
	[ख] भारत के बाहर	1.18	25.01
iii)	निवेशों का निवल मूल्य		
	[क] भारत में	54373.35	47520.40
	[ख] भारत के बाहर	1192.52	1090.05

12.2 निवेशों पर मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों का प्रचलन

(रु. करोड़ में)

		2011-12	2010-11
(i)	आरंभिक शेष	225.15	230.69
(ii)	जोडें :वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	189.84	59.34
(iii)	घटाएँ :वर्ष के दौरान किए गए अधिक प्रावधानों को बट्टे खाते डालना / पुनरांकन करना	51.03	64.88
(iv)	समापन शेष	363.96	225.15

12.3 रिपो लेनदेन (अंकित मूल्य में)

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		मार्च 31को बकाया	
	11-12	10-11	11-12	10-11	11-12	10-11	2012	2011
रिपो के तहत बेची गयी प्रतिभूतियाँ								
1.सरकारी प्रतिभूतियाँ	19.86	शून्य	773.89	1490.68	8.36	60.83	शून्य	शून्य
2.कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रिपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
(i)सरकारी प्रतिभूतियाँ	4.93	शून्य	537.16	441.84	15.60	17.08	शून्य	शून्य
(ii) कार्पोरेट प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11. Capital: (Rs. In Crore)

S.No.	Particulars	2011-12		2010-11	
		Basel I	Basel II	Basel I	Basel II
i)	CRAR (%)	11.95%	13.32%	13.28%	14.55%
ii)	CRAR - Tier I Capital (%)	7.49%	8.35%	7.45%	8.16%
iii)	CRAR - Tier II Capital (%)	4.46%	4.97%	5.83%	6.39%
iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India		69.62%*		65.87%
v)	Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital		Nil		1967.00
vi)	Amount raised by issue of IPDI		Nil		Nil
vii)	Amount raised by issue of Upper Tier II instruments		Nil		1967.00

* Due to issuance of 14,73,11,388 equity shares (previous year 7,39,49,343 equity shares) during March 2012 (previous year during March 2011) to Government of India on preferential allotment.

12. Investments

12.1 Value of Investments (Rs. In Crore)

Particulars		31.3.2012	31.3.2011
(i)	Gross Value of Investments		
	(a) In India	54736.13	47720.54
	(b) Outside India	1193.70	1115.06
(ii)	Provisions for Depreciation		
	(a) In India	362.78	200.14
	(b) Outside India	1.18	25.01
(iii)	Net value of Investments		
	(a) In India	54373.35	47520.40
	(b) Outside India	1192.52	1090.05

12.2 Movement of Provisions held towards depreciation on Investments (Rs. In Crore)

		2011-12	2010-11
(i)	Opening Balance	225.15	230.69
(ii)	Add: Provisions made during the year	189.84	59.34
(iii)	Less: Write-off/Write-back of excess provisions during the year	51.03	64.88
(iv)	Closing Balance	363.96	225.15

12.3 Repo transactions (in face value terms) (Rs in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily average outstanding during the year		Outstanding as on March 31	
	11-12	10-11	11-12	10-11	11-12	10-11	2012	2011
Securities sold under Repo								
i. Government securities	19.86	Nil	773.89	1490.68	8.36	60.83	Nil	Nil
ii. Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities Purchased under reverse Repo								
i. Government securities	4.93	Nil	537.16	441.84	15.60	17.08	Nil	Nil
ii. Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

12.4 गैर - एसएलआर निवेश पोर्टफ़ोलियो

गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता-वार संरचना (रु. करोड़ में)

सं .	जारीकर्ता	रकम	निजी प्लेसमेंट का विस्तार	निवेश से कम श्रेणी की प्रतिभूतियाँ	गैर निर्धारित प्रतिभूतियों का विस्तार	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	1537.87	1411.81	0.00	2.00	3.00
2	वित्तीय संस्थाएँ	541.35	514.41	0.00	0.00	13.79
3	बैंक	224.37	212.57	0.00	0.00	0.00
4	निजी कार्पोरेट	1329.17	1329.17	0.00	517.14	214.20
5	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	अन्य	712.68	485.98	0.00	0.00	0.00
7	मूल्यह्रासहेतु धारित प्रावधान	219.43	XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल	**4564.87**	**3953.94**	**0.00**	**519.14**	**230.99**

12.5 अनर्जक गैर एसएलआर निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	रकम
1 अप्रैल 2011 तक अथ शेष	14.02
1 अप्रैल 2011 वर्ष के दौरान जोड	96.42
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौतियाँ	1.41
31 03 2012 तक इति शेष	109.03
कुल धारित प्रावधान	19.61

12.6 एचटीएम श्रेणी से अंतरण/को बिक्री

(रु. करोड़ में)

विवरण	रकम
एच टी एम श्रेणी में धारित विपणन मूल्य निवेश	शून्य
विपणन मूल्य से अधिक बही मूल्य के अतिरेक के लिए जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया	लागू नहीं

13. डेरिवेटिव्स

13.1 वायदा दर करार / ब्याज दर अदला-बदली

(रु. करोड़ में)

	विवरण	2011-12 रुपया जोखिम	2011-12 एफएक्स ऋण	2011-12 कुल	2010-11 रुपया जोखिम	2010-11 एफएक्स	2010-11 कुल
i)	अदला-बदली करारों का काल्पनिक मूल	1073.00	2902.44	3975.44	1748.00	1821.42	3569.42
ii)	करारों के तहत यदि काउंटर पार्टी अपनी बाध्यता को पूरा करने में असफल होती है तो उससे होने वाली हानि	2.31	160.64	162.95	2.66	12.34	15.00
iii)	अदला-बदली करने के बाद बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv)	अदला-बदली से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम पर केंद्रीकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	-16.62	-160.01	-176.63	-30.07	-4.83	-34.90

13.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(रु. करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	रकम
i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	शून्य
ii)	31 मार्च 2012 तक विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम	शून्य
iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम और जो "ज्यादा प्रभावी" नहीं	शून्य
iv)	प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य प्रभार के विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम जो "ज्यादा प्रभावी" नहीं	शून्य

12.4 Non-SLR Investment Portfolio

Issuer Composition of Non-SLR Investments (Rs. In Crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of below investment grade securities	Extent of 'Unrated' securities	Extent of 'Unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	1537.87	1411.81	0.00	2.00	3.00
(ii)	FIs	541.35	514.41	0.00	0.00	13.79
(iii)	Banks	224.37	212.57	0.00	0.00	0.00
(iv)	Private Corporates	1329.17	1329.17	0.00	517.14	214.20
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	Others	712.68	485.98	0.00	0.00	0.00
(vii)	Provision held towards depreciation	219.43	XXX	XXX	XXX	XXX
	Total	**4564.87**	**3953.94**	**0.00**	**519.14**	**230.99**

12.5 Non Performing Non SLR Investments

(Rs. In Crore)

Particulars	Amount
Opening Balance as on 1st April 2011	14.02
Additions during the year since 1st April	96.42
Reductions during the above period	1.41
Closing Balance as on 31st March 2012	109.03
Total Provisions held	19.61

12.6 Sale and Transfers to/from HTM Category

(Rs. In Crore)

Particulars	Amount
Market Value of the investments held in the HTM Category	NIL
Excess of book value over market value for which provision is not made.	Not Applicable

13. DERIVATIVES

13.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Rs. In Crore)

PARTICULARS	2011-12			2010-11		
	Rupee Exposure	FX Exposure	Total	Rupee Exposure	FX Exposure	Total
i) The notional principal of swap agreements	1073.00	2902.44	3975.44	1748.00	1821.42	3569.42
ii) Losses which would be incurred if counter-parties failed to fulfil their obligations under the agreements	2.31	160.64	162.95	2.66	12.34	15.00
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
v) The fair value of the swap book	-16.62	-160.01	-176.63	-30.07	-4.83	-34.90

13.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Rs. In Crore)

S. No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	Nil
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2012	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil

13.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम ऋण पर प्रकटीकरण

13.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

ट्रेज़री - (विदेशी)

बैंक, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा के लिए ब्याज दर स्वैप (आइ आर एस) मुद्रा स्वैप व सुरक्षा उद्देश्य से उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करता है। बैंक कार्पोरेट ग्राहकों को ये उत्पाद भी उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी ही मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन कर सके । इस तरह के लेनदेन ग्राहकों व बैंक के साथ ही किए जाते हैं जिनके करार विद्यमान है।

अ) विदेशी उधार / एफ़ सी एन आर [बी] पोर्टफ़ोलियो / आस्ति देयता के असंतुलन के कारण ब्याज/विनिमय दरों में उत्पन्न होने वाली जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने के लिए विदेशी खातों आदि के निधियन हेतु बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियाँ अनुमति देती हैं और साथ ही ये उत्पाद बैक टु बैक आधार पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने की अनुमति देती है ।

आ) डेरिवेटिव्स एक्सपोज़र का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के पास एक अलग प्रणाली है और व्यक्तिगत ग्राहकों की निवल साख एवं प्रतिभूति समर्थन को पूर्ण रूप से गणना में लेते हुए डेरिवेटिव लेनदेनों के निष्पादन के लिए समुचित उधार श्रेणियाँ प्रस्तुत करने की भी प्रणाली है ।

इ) बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुडे जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है डेरिवेटिव लनेदेन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध हैं । प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए उपयुक्त उधार मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित ऋण सीमा के अंदर डेरिवेटिव्स लेन-देन ही सिर्फ प्रतिपक्षी पार्टी के साथ किए गए ।

ई) बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ गठित की हैं और इसकी स्थिति व प्रभावकारिता का निरंतर प्रबोधन किया जाता है ।

उ] बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम के परिणामी एक्सपोज़र के मूल्यांकन व निरंतर प्रबोधन करने की अलग प्रणाली है ।

ऊ] बैंक द्वारा तुलन पत्र की प्रतिरक्षा और कार्पोरेट ग्राहकों का बैक टु बैक आधार पर चयन करने के लिए बैंक द्वारा व्युत्पन्न का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरक्षा लेनदेनों के संबंध में प्रतिरक्षा के मूल्य व परिपाक ने मूलाधार को पार नहीं किया है । बैक टु बैक लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों के साथ के लेनदेन, बैंक के काउंटर पार्टी लेनदेनों से पूर्णत: मेल किए गए हैं और अरक्षित ऋण नहीं हैं ।

ऋ] इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और संविदा की आयु के लिए उपचयन के आधार पर लाभ व हानि लेखे में लिया गया है । तुलन पत्र हेतु किए गए अदला-बदली के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभों से प्राप्त आय, अदला-बदली की शेष सांविदात्मक अवधि आयु या आस्तियों / देयताओं की अवधि , जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी । ग्राहको के लिए बैक टु बैक आधार पर लिए गए डेरिवेटिव्स के शीघ्र समापन के संबंध में प्राप्त होने वाली आय की पहचान समापन के आधार पर की जाएगी।

ए] सभी प्रतिरक्षा लेनदेन उपचयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं । बकाए संविदाओं का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया गया । बैंक के पास डेरिवेटिव्स में लेनदेन के लिए विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नीति उपलब्ध है ।

ऐ) डेरिवेटिव्स लेनदेन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

ट्रेज़री -(देशी)

बैंक, सरकारी प्रतिभूतियों में ब्याज दर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से प्रतिरक्षा हेतु और अधीनस्थ ऋणों व सावधि जमाओं की लागत कम करने के लिए रूपया ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ट्रेडिंग के लिए बैंक रुपया ब्याजदर स्वैप को अपनाता है। स्वैप लेन-देन केवल उन्हीं बैंकों के साथ किए जाते हैं जिनके पास आइएसडीए करार विद्यमान है।

क. बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त स्वरूप और संगठन उपलब्ध है जिसमें ट्रेज़री विभाग, बोर्ड की आस्ति देयता प्रबंधन समिति और जोखिम प्रबंधन समिति शामिल है।

ख. व्युत्पन्न लेनदेन में बाजार जोखिम (ब्याज दरों में प्रतिकूल संचलन के कारण उत्पन्न), उधार जोखिम (संभावित काउंटर पार्टी चूकने से उत्पन्न) तरलता जोखिम (सामान्य मूल्य पर लेनदेन निष्पादित करने हेतु या निधियन की जरूरतों की पूर्ति करने से चूकने पर उत्पन्न) परिचालनगत जोखिम, विनियात्मक जोखिम और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल रहता है। बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने में निहित जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रणालियाँ स्थापित कर रखी है और व्युत्पन्न लेनेदेनों से संबंधित सभी पक्षों का प्रबोधन करने हेतु उचित जोखिम सूचना प्रणाली और उसे कम करने की प्रणाली उपलब्ध करवाई है। आइआरएस लेनेदेन केवल बैंकों के साथ प्रतिपार्टी के रूप में किए जाते हैं और हर प्रति पार्टी के लिए बैंक के बार्ड द्वारा अनुमादित उधार सीमा के अंदर होते हैं।

ग. बैंक व्युत्पन्न का प्रयोग प्रतिरक्षा एवं ट्रेडिंग के लिए करता है। बैंक में व्युत्पन्न के लिए अनुमोदित नीति उपलब्ध है और बैंक ने व्युत्पन्न का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सीमाएँ नियत की हैं और इसकी स्थिति का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता हैं । केवल बैक टु बैक आधार पर प्रयुक्त प्रतिरक्षाओं अथवा बैंक के तुलन पत्र की प्रतिरक्षा का मूल्य व परिपाक ने ऋण के मूलाधार का अधिगमन नही किया है।

घ. व्युत्पन्न के लिए लेखाकरण नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (नीति संख्या - 6) में प्रकट किए अनुसार की गई है।

13.3.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल रकम)		
	क] प्रतिरक्षा के लिए	1494.04	3441.75
	ख] व्यापार के लिए	228.59	522.22
(ii)	बाजार मूल्य को बही में अंकित करने की स्थिति		
	क] आस्तियाँ (+)	70.51	2.31
	ख] देयताएँ(-)	6.44	179.69

13.3 DISCLOSURES ON RISK EXPOSURE IN DERIVATIVES

13.3.1 Qualitative Disclosure

Treasury (Foreign)

The Bank uses Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps and Options for hedging purpose to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. The Bank also offers these products to corporate clients to enable them to manage their own currency and interest rate risk. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

a) The Risk Management Policy of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest/ Exchange rates that arise on account of overseas borrowing/ FCNR(B) portfolio/ the asset liability mis-match, for funding overseas branches etc., and also to offer derivative products on back- to- back basis to customers.

b) The Bank has a system of evaluating the derivatives exposures separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.

c) The Bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with banks and counterparties well within their respective exposure limit approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.

d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position is continuously monitored.

e) The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.

f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance sheet and offered to select corporate clients on back-to-back basis. In respect of hedge transactions the value and maturity of hedges has not exceeded that of the underlying exposure. In respect of back-to-back transactions the transactions with clients are fully matched with counter party Bank transactions and there is no uncovered exposure.

g) The income from such derivatives are amortized and taken to Profit and Loss Account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps undertaken for Balance Sheet management, income on account of such gains would be recognized over the remaining contractual life of the swap or life of the assets / liabilities whichever is lower. In case of early termination of derivatives undertaken for customers on a back- to-back basis, income on account of such things will be recognized on termination.

h) All the hedge transactions are accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.

i) The derivative transactions are conducted in accordance with the extant guidelines of Reserve Bank of India.

Treasury (Domestic)

The Bank uses Rupee Interest Rate Swaps (IRS) for hedging purpose to mitigate interest rate risk in Govt. Securities and to reduce the cost of Subordinated Debt and term deposits. In addition, the Bank also enters into rupee interest rate swaps for trading purposes as per the policy duly approved by the Board. Swap transactions are entered only with Banks having ISDA agreements in place.

a) The Bank has put in place an appropriate structure and organization for management of risk, which includes treasury department, Asset Liability Management Committee and Risk Management Committee of the Board.

b) Derivative transactions carry Market Risk (arising from adverse movement in interest rates), Credit risk (arising from probable counter party failure), Liquidity risk (arising from failure to meet funding requirements or execute the transaction at a reasonable price), Operational risk, Regulatory risk and Reputation risk. The Bank has laid down policies, set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives and proper risk reporting and mitigation systems are in place to monitor all risks relating to derivative transactions. The IRS transactions were undertaken with only Banks as counter party and well within the exposure limit approved by the Board of Bank for each counter party.

c) Derivatives are used by the Bank for trading and hedging. The Bank has an approved policy in force for derivatives and has set necessary limits for the use of derivatives and the position is continuously monitored. The value and maturity of the hedges which are used only as back to back or to hedge Bank's Balance Sheet has not exceeded that of the underlying exposure.

d) The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, as disclosed in Schedule 17 – Significant Accounting Policies (Policy, No.6)

13.3.2 Quantitative Disclosures

(Rs. in Crore)

S. No.	PARTICULARS	CURRENCY DERIVATIVES	INTEREST RATE DERIVATIVES
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For Hedging	1494.04	3441.75
	b) For Trading	228.59	522.22
(ii)	Marked to Market Positions		
	a) Asset (+)	70.51	2.31
	b) Liability (-)	6.44	179.69

(iii) ऋण जोखिम [2]	216.12	99.61
(iv) ब्याज दर में संभावित एक प्रतिशत के परिवर्तन का प्रभाव (100*पीवी01)		
क] प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर	39.41	52.48
ख] व्यापार डेरिवेटिव्स पर	5.00	3.32
(v) वर्ष के दौरान देखे गए 100*पीवी01 का न्यूनतम और अधिकतम		
क] प्रतिरक्षा पर	अधिकतम 51.63	अधिकतम 77.73
	न्यूनतम 38.90	न्यूनतम 33.93
ख] व्यापार पर	अधिकतम 6.81	अधिकतम 4.51
	न्यूनतम 5.00	न्यूनतम 0.25

14. आस्ति गुणवत्ता

14.1.1 अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) (रु. करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
i) सकल एनपीए से सकल अग्रिम (%)		
ii) एनपीए की गतिशीलता (सकल)	1.35	1.19
क) अथ शेष	3089.59	3611.08
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	3184.76	2169.26
ग) वर्ष के दोरान कटौतियाँ	2354.28	2690.75
घ) इति शेष	3920.07	3089.59
iii) निवल एनपीए की गतिशीलता		
क) अथ शेष	1328.42	1994.97
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1714.60	912.47
ग) वर्ष के दोरान कटौतियाँ	1135.58	1579.02
घ) इति शेष	1907.44	1328.42
iv) एनपीए की गतिशीलता के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)		
क) अथ शेष	1650.06	1363.79
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1470.16	1256.79
ग) बट्टे खाते में डाले गए / पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान	1196.82	970.52
घ) इति शेष	1923.40	1650.06

14.1.2 उपबंध कवरेज अनुपात

भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार उपबंध कवरेज अनुपात की गणना की गयी दिनांक 31.03.12 तक 67.68% है (दिनांक 31.03.2011 तक 70.45%)

14.2 पुनर्संरचित खातों के विवरण (रु. करोड़ में)

	विवरण		सीडीआर प्रणाली	एसएमइ ऋण पुनर्संरचना	अन्य
(i)	पुर्नसंरचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	29	606	3251
		बकाया रकम	2373.86	646.01	9229.34
		परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	220.96	4.44	139.04
(ii)	पुनर्संरचित पर्नसंरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	1	54	287
		बकाया रकम	26.15	50.23	158.63
		परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	2.96	0.92	0.43
(iii)	पुर्नसंरचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	2	6	77
		बकाया ऋण त्याग	91.80	9.72	55.22
		(उचित मूल्य में कमी)	9.42	Nil	3.81
(iv)	कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	32	666	3615
		बकाया रकम	2491.81	705.96	9443.19
		परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	233.34	5.36	143.28

14.3. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुनःसंरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण (रु. करोड़ में)

विवरण	2011-2012	2010-11
(i) खातों की संख्या	शून्य	37
(ii) एस सी / आर सी को विक्रय किए गए खातों का कुल मूल्य [प्रावधानों का निवल]	शून्य	213.52
(iii) कुल प्रतिफल	शून्य	265.02
(iv) गत वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v) निवल बही-मूल्य पर कुल लाभ / हानि	शून्य	51.50

(iii)	Credit Exposure	216.12	99.61
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a) on hedging derivatives	39.41	52.48
	b) on trading derivatives	5.00	3.32
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	a) on hedging	Maximum 51.63	Maximum 77.73
		Minimum 38.90	Minimum 33.93
	b) on trading	Maximum 6.81	Maximum 4.51
		Minimum 5.00	Minimum 0.25

14. ASSET QUALITY :

14.1.1 Non-Performing Assets (NPAs) (Rs. In Crore)

		2011-12	2010-11
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	1.35	1.19
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	a) Opening Balance	3089.59	3611.08
	b) Additions during the year	3184.76	2169.26
	c) Reductions during the year	2354.28	2690.75
	d) Closing Balance	3920.07	3089.59
iii)	Movement of Net NPAs		
	a) Opening Balance	1328.42	1994.97
	b) Additions during the year	1714.60	912.47
	c) Reductions during the year	1135.58	1579.02
	d) Closing Balance	1907.44	1328.42
iv)	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	a) Opening balance	1650.06	1363.79
	b) Provisions made during the year	1470.16	1256.79
	c) Write-off/Write-back of excess provisions	1196.82	970.52
	d) Closing balance	1923.40	1650.06

14.1.2 Provision Coverage Ratio

The Provision Coverage Ratio (PCR) computed as per the RBI guidelines stood at 67.68% as on 31.3.2012 (70.45% as on 31.3.2011).

14.2 Particulars of Accounts Restructured (Rs. In Crore)

		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard advances restructured	No. of Borrowers	29	606	3251
	Amount outstanding	2373.86	646.01	9229.34
	Sacrifice (diminution in the fair value)	220.96	4.44	139.04
Sub standard advances restructured	No. of Borrowers	1	54	287
	Amount outstanding	26.15	50.23	158.63
	Sacrifice (diminution in the fair value)	2.96	0.92	0.43
Doubtful advances restructured	No. of Borrowers	2	6	77
	Amount outstanding	91.80	9.72	55.22
	Sacrifice (diminution in the fair value)	9.42	Nil	3.81
TOTAL	No. of Borrowers	32	666	3615
	Amount outstanding	2491.81	705.96	9443.19
	Sacrifice (diminution in the fair value)	233.34	5.36	143.28

14.3 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset reconstruction (Rs.In Crore)

	Particulars	2011-12	2010-11
(i)	No. of accounts	Nil	37
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	213.52
(iii)	Aggregate consideration	Nil	265.02
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	-
(v)	Aggregate gain/loss over net book value	Nil	51.50

14.4 अन्य बैंकों से क्रय / विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

14.4.1 क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण (रु. करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
1. [क] वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
[ख] कुल बकाया	शून्य	शून्य
1. [क] वर्ष के दौरान इनमें से पुन:संरचित	शून्य	शून्य
[ख] कुल बकाया	शून्य	शून्य

14.4.2. विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण (रु. करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
1. विक्रय किए गए खाते	शून्य	शून्य
2. कुल बकाया	शून्य	शून्य
3. प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य

14.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान (रु. करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	675.89	430.29

15. कारोबार अनुपात

ब्योरे	2011-12	2010-11
(i) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजगत आय	9.82%	8.95%
(ii) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.92%	0.91%
(iii) औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ	1.94%	2.11%
(iv) औसत आस्तियों से लाभ	0.52%	0.71%
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाएँ व अग्रिम) (रु. करोडों में)	11.76	10.05
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोडों में)	0.0384	0.0416

16) आस्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च 2012 तक आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान (रु. करोड़ में)

	जमाएँ	अग्रिम(सकल)	निवेश (सकल)	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	विदेशी मुद्रा देयताएँ
1दिन	2091.98	3226.34	328.72	178.69	2208.05	1706.11
2 से 7 दिन	4256.63	2220.24	7935.94	7002.24	1654.85	2100.02
8 से 14 दिन	5916.01	3080.64	1048.11	536.03	606.90	776.82
15 से 28 दिन	3014.52	2523.62	830.05	255.04	1976.23	725.65
29 से 3 महीनें	22385.69	13543.31	4372.27	1961.11	8230.38	7684.74
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	30932.68	10574.23	6570.41	1488.40	6317.77	5238.62
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	41459.15	16654.95	11163.67	1308.09	2464.52	3078.22
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	18971.76	51400.01	6231.21	1928.19	2790.95	4146.17
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5555.18	18976.59	2525.27	4933.76	2788.26	3308.46
5 वर्ष से अधिक	43850.58	21072.71	14924.18	4022.30	1752.23	6.05
कुल	**178434.18**	**143272.64**	**55929.83**	**23613.85**	**30790.14**	**28770.86**

17 संवेदनशील क्षेत्रों को उधार

17.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण (रु. करोड़ में)

प्रवर्ग	31.03.2012	31.03.2011
अ) प्रत्यक्ष ऋण		
i) रिहाइशी बंधक-उधारकर्ता की रिहाइशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णत: प्रतिभूति उधार जिसमें उधारकर्ता खुद रहता है या रहने वाला है या जिसे किराए पर दिया जाएगा ;	4868.63	3740.78
जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र वैयक्तिक आवास ऋण लागू है	3720.49	2815.24

14.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold from other banks

14.4.1 Details of non-performing financial assets purchased: (Rs. In Crore)

	Particulars	2011-12	2010-11
1	(a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

14.4.2 Details of non-performing financial assets sold: (Rs. In Crore)

	Particulars	2011-12	2010-11
1.	No. of accounts sold	Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3.	Aggregate consideration received	Nil	Nil

14.5 Provisions on Standard Assets (Rs. In Crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Provisions towards Standard Assets	675.89	430.29

15 BUSINESS RATIOS

	Particulars	2011-12	2010-11
(i)	Interest Income as a percentage to Average Working Funds	9.82%	8.95%
(ii)	Non Interest Income as a percentage to Working Funds	0.92%	0.91%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.94%	2.11%
(iv)	Return on Average Assets	0.52%	0.71%
(v)	Business (Deposits plus Advances) per Employee (Rs. In crore)	11.76	10.05
(vi)	Profit per employee (Rs. In crore)	0.0384	0.0416

16 ASSET LIABILITY MANAGEMENT :

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on March 31, 2012 (Rs. In Crore)

	Deposits	Advances (Gross)	Investments (Gross)	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Day 1	2091.98	3226.34	328.72	178.69	2208.05	1706.11
2 to 7 days	4256.63	2220.24	7935.94	7002.24	1654.85	2100.02
8 to 14 days	5916.01	3080.64	1048.11	536.03	606.90	776.82
15 to 28 days	3014.52	2523.62	830.05	255.04	1976.23	725.65
29 days to 3 Month	22385.69	13543.31	4372.27	1961.11	8230.38	7684.74
Over 3 Month & up to 6 Month	30932.68	10574.23	6570.41	1488.40	6317.77	5238.62
Over 6 Month & up to 1 year	41459.15	16654.95	11163.67	1308.09	2464.52	3078.22
Over 1 year & up to 3 years	18971.76	51400.01	6231.21	1928.19	2790.95	4146.17
Over 3 years & up to 5 years	5555.18	18976.59	2525.27	4933.76	2788.26	3308.46
Over 5 years	43850.58	21072.71	14924.18	4022.30	1752.23	6.05
Total	**178434.18**	**143272.64**	**55929.83**	**23613.85**	**30790.14**	**28770.86**

17 LENDING TO SENSITIVE SECTOR

17.1 Exposure to Real Estate Sector (Rs. In Crore)

	Category	31.3.2012	31.3.2011
(a)	**Direct Exposure**		
	i) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	4868.63	3740.78
	Out of which, Individual housing loans eligible to be classified under Priority Sector	3720.49	2815.24

ii)	वाणिज्यिक स्थावर-संपदा वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार [कार्यालय भवन, छोटी-मोटी ज़मीन, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार निवासीय भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस ज़मीन, होटल, भूमि अधिग्रहण, विस्तारण व निर्माण आदि] उधार में गैर-निधि आधारित (एन एफ बी) सीमाएँ सम्मिलित हैं ।	8176.43	6330.86
iii)	स्थावर संपदा अन्य		
	- लिक्विरेंट ऋण जो सीआरई कि तहत नहीं है	725.21	501.75
	- होटल और अस्पताल	2419.81	1679.06
iv)	बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य प्रत्याभूत उधार		
	- रिहाइशी	शून्य	0.09
	- वाणिज्यिक स्थावर संपदा	शून्य	शून्य
	- अन्य	15.00	158.38
आ)	**अप्रत्यक्ष ऋण :**		
	एनएचबी आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार जोखिम	1280.15	2630.41
	कुल संपदा प्रवर्ग को कुल ऋण (अ+आ)	**17485.23**	**15041.33**

17.2 पूँजी बाज़ार को ऋण **(रु. करोड में)**

	विवरण	**31.3.2012**	**31.3.2011**
i)	उन ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में किया गया प्रत्यक्ष निवेश , जिनकी निधि का निवेश विशिष्टत: कार्पोरेट ऋणों में नही किया गया है।	705.47	490.07
ii)	शेयरों (आइपीओ/ ईएसओपी सहित), परिवर्तनशील बाँडों और परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की युनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों य निर्बंध आधार पर अग्रिम	0.61	0.71
iii)	किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए वे अग्रिम , जहाँ शेयरों, या परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के युनिटों को मूल प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है।	461.21	711.96
iv)	जहाँ शेयरों/ परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के युनिटों से इतर प्रधान प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करती, वहाँ शेयरों या परिवर्तनशील बाँड, परिवर्तनशील डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के युनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रत्याभूत कर किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए प्रदत्त अग्रिम।	561.32	167.95
v)	स्टॉक ब्रोकर को दिए गए सुरक्षित व असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ	175.91	146.77
vi)	संसाधन जुटाने की अपेक्षा से नई कंपनियों की ईक्विटी के प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति करने हेतु शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या निबंर्ध आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण	32.56	शून्य
vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण ।	शून्य	शून्य
viii)	शेयरों या परिवर्ततनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबंचरों या ईक्विटी म्युच्युअल फंड के युनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएँ ।	शून्य	शून्य
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉकब्रोकरों को वित्त प्रदान करना ।	शून्य	शून्य
x)	उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों ही)के प्रति सभी ऋण सभी ऋण जोखिम	229.25*	207.08
	पूंजी बाजार को कुल उधार	**2166.33**	**1724.54**

*** रु.82.50 करोड की प्रतिबद्धता सहित**

17.3 जोखिम वर्ग वार देश ऋण **(रु. करोड़ों में)**

जोखिम वर्ग	31.3.2012 तक कुल अग्रिम	31.3.2012 तक धारित प्रावधान	31.3.2011 तक कुल अग्रिम	31.3.2011 तक धारित प्रावधान
अमहत्वपूर्ण	10725.41	6.55	8389.87	4.38
कम	5615.89	2.69	4193.84	2.17
सामान्य	1387.10	शून्य	1133.91	शून्य
उच्च	35.46	शून्य	24.22	शून्य
उच्चतर	110.65	शून्य	4.22	शून्य
प्रतिबंधित	शून्य	शून्य	0.00	शून्य
उधार-इतर	शून्य	शून्य	0.00	शून्य
कुल	**17874.51**	**9.24**	**13746.06**	**6.55**

ii)	Commercial Real Estate -Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits;	8176.43	6330.86
iii)	Real estate others:		
	- Liquirent Loans not under CRE	725.21	501.75
	- Hotels and Hospitals	2419.81	1679.06
iv)	Investments in Mortgage Backed Securities and other securitised exposures		
	- Residential	Nil	0.09
	- Commercial Real estate	Nil	Nil
	- Others	15.00	158.38
(b)	**Indirect Exposure**:		
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	1280.15	2630.41
	Total Exposure to Real Estate Sector (a+b)	**17485.23**	**15041.33**

17.2 Exposure to Capital Market: (Rs. In Crore)

Particulars	**31.3.2012**	**31.3.2011**
(i) direct investment made in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	705.47	490.07
(ii) advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	0.61	0.71
(iii) advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	461.21	711.96
(iv) advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	561.32	167.95
(v) secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	175.91	146.77
(vi) loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	32.56	Nil
(vii) bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	Nil	Nil
(viii) underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
(ix) financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
(x) all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	229.25*	207.08
Total Exposure to Capital market	**2166.33**	**1724.54**

* Including commitments of Rs.82.50 Crore

17.3 Risk Category-wise Country Exposure: (Rs. In Crore)

Risk Category	**Exposure (net) as at 31.3.2012**	**Provision held as at 31.3.2012**	**Exposure (net) as at 31.3.2011**	**Provision held as at 31.3.2011**
Insignificant	10725.41	6.55	8389.87	4.38
Low	5615.89	2.69	4193.84	2.17
Moderate	1387.10	Nil	1133.91	Nil
High	35.46	Nil	24.22	Nil
Very High	110.65	Nil	4.22	Nil
Restricted	Nil	Nil	0.00	Nil
Off-credit	Nil	Nil	0.00	Nil
Total	**17874.51**	**9.24**	**13746.06**	**6.55**

17.4 एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण जहाँ बैंक ने अतिक्रमण किया है :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और वर्ष 2011-12 के लिए हमारे बैंक की ऋण नीति दस्तावेज के शर्तों के अनुसार एकल उधारकर्ता उधार सीमा का अनुमेय स्तर रु.2288.38 करोड(पूँजी निधि का 15%) के अनुसार एकल उधारकर्ता उधार सीमा का अनुमेय स्तर रु 6102.35 करोड (पूंजी निधि का 40 %) है । विदेशी शाखाओं के संबंध में एसबीएल और जीबीएल में क्रमश: यूएसडी 40 मियो और यूएसडी 60 मियो है । **(रु. करोड़ में)**

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम सीमा	मंजूरी की गई सीमा	वह अवधि जिस दौरान सीमा का अधिगमन	बोर्ड की मंजूरी के विवरण	31.03.2012तक के लिए बकाय की स्थिति
1	एचडीएफ लिमिटेड	2288.38 बोर्ड के अनुमोदन से रु.3051.17	3000.00	2011-12	4.10.2011	जमा शेष 999.05
2	एमवीपी अंतर्राष्ट्रीय आइएनसी गुप, हांगकांग	203.50 (यूएसडी 40.00 मियो)	228.94 (यूएसडी 45.00 मियो)	13.8.2011से 20.1.2012	1.10.2011	203.50 (यूएसडी 40.00 मियो)
3.	मरीना बे सैण्ड, सिं सिंगापुर	203.50 (यूएसडी 40.00 मियो)	263.10(एसजीडी 65.00 मियो) यूएसडी 51.71 मियो)	21.12.2011 से 31.3.2012	7.03.2012	210.88 (एसजीडी 52.10 मियो यूएसडी 41.45 मियो)

17.5 अप्रतिभूत अग्रिम

(रु. करोड़ में)

	2011-12	2010-11
राइट्स , लाइसेन्स प्राधिकार पर प्रभार आदि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों के लिए कुल रकम ली गई है	1401.50	1092.69
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य	1627.72	3418.68

18. विविध

18.1 वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधानों की रकम

(रु. करोड़ में)

	2011-12	2010-11
आय कर के लिए प्रावधान (निवल)	(83.08)	418.22
न्यूनतम वैकल्पिक लाभ कर के लिए प्रावधान (एम ए टी)	शून्य	472.03
एमएटी उधार पात्रता	शून्य	(94.03)

18.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण : शून्य

18.3 प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ - ब्रेक अप

(रु. करोड़ में)

लाभ व हानि खाता में व्यय शीर्ष के तहत ",आकस्मिताओं व प्रावधान " का ब्रेकअप	2011-12	2010-11
निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	171.62	1.23
एनपीए के प्रति प्रावधान	1470.16	1033.62
मानक आस्ति के प्रति प्रावधान	237.09	65.97
आयकर (आस्थगित कर व संपत्ति कर सहित) के प्रति किए गए प्रावधान	247.58	519.68
अन्य आकस्किताएँ व प्रावधान	357.57	167.59
कुल	**2484.02**	**1788.09**

18.4 अस्थायी प्रावधान

(रु. करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
क) अस्थायी प्रावधान खाते में आरंभिक शेष	171.36	171.36
ख) लेखाकरण वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	शून्य	शून्य
ग) लेखांकन वर्ष के दौरान ड्रा डाउन रकम	शून्य	शून्य
घ) अस्थायी प्रावधान खाते में समापन शेष	171.36	171.36

18.5. शिकायतों का प्रकटीकरण

18.5.1 ग्राहकों की शिकायतें	
(क) वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	156
(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2588
(ग) वर्ष के दौरान जिन शिकायतों का निवारण किया गया उनकी संख्या	2594
(घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	150
18.5.2 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय	
(क) वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	1
(ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	शून्य
(ग) वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	1
(घ) वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	शून्य

17.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

As per RBI guidelines and terms of Loan Policy Document of our Bank for 2011-12, the permissible level of Single Borrower exposure limit is Rs.2288.38 crore (15% of Capital funds) and Rs.6102.35 crore for Group Borrower limit (40% of Capital funds). SBL and GBL in case of overseas branches is USD 40 Mio and USD 60 Mio respectively. (Rs. In Crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure limit	Limit Sanctioned	Period during which limit exceeded	Board sanction details	Position as on 31.3.2012 Outstanding
1	HDFC Ltd	2288.38 With the approval of Board Rs.3051.17	3000.00	2011-12	4.10.2011	Cr. 999.05
2	MVP Group International Inc. Hong Kong	203.50 (USD 40.00 Mio)	228.94 (USD 45.00 Mio)	13.8.2011 to 20.1.2012	1.10.2011	203.50 (USD40.00 Mio)
3	Marina Bay Sands, Singapore	203.50 (USD 40.00 Mio)	263.10 (SGD 65.00 Mio) (USD 51.71 Mio)	21.12.2011 to 31.3.2012	7.03.2012	210.88 (SGD 52.10 Mio) (USD 41.45 Mio)

17.5 Unsecured Advances (Rs. In Crore)

	2011-12	2010-11
Total amount for which intangible securities such as charge over the rights, licences authority, etc., has been taken	1401.50	1092.69
Estimated value of such intangible collateral	1627.72	3418.68

18. MISCELLANEOUS

18.1 Amount of provisions made for Income Tax during the year: (Rs. In Crore)

	2011-12	2010-11
Provision for Income Tax (net)	(83.08)	418.22
Provision for Minimum Alternate Tax (MAT)	Nil	472.03
MAT Credit Entitlement	Nil	(94.03)

18.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI : NIL

18.3 Provisions and Contingencies – Break-up (Rs. In Crore)

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2011-12	2010-11
Provisions for depreciation on Investment	171.62	1.23
Provision towards NPA	1470.16	1033.62
Provision towards Standard Assets	237.09	65.97
Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax & Wealth Tax)	247.58	519.68
Other Provision and Contingencies	357.57	167.59
Total	**2484.02**	**1788.09**

18.4 Floating Provisions (Rs. In Crore)

Particulars	2011-12	2010-11
(a) Opening balance in the floating provisions account	171.36	171.36
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	Nil	Nil
(c) Amount of draw down made during the accounting year	Nil	Nil
(d) Closing balance in the floating provisions account	171.36	171.36

18.5 Disclosure of complaints

18.5.1 Customer Complaints

(a) No. of complaints pending at the beginning of the year	156
(b) No. of complaints received during the year	2588
(c) No. of complaints redressed during the year	2594
(d) No. of complaints pending at the end of the year	150

18.5.2 Awards passed by the Banking Ombudsman

(a) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1
(b) No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	Nil
(c) No. of Awards implemented during the year	1
(d) No. of unimplemented Awards at the end of the year	Nil

18.6 चुकौती आश्वासन -पत्र (एलओसी)

वर्ष के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन -पत्र	शून्य
31.3.2012 तक बकाया आश्वासन पत्र	दो
मूल्यंकित वित्तीय प्रभाव	शून्य
संचयी मूल्यांकित वित्तीय बाध्यताएँ	शून्य

वर्ष 2009-10, के दौरान बैंक ने एक चुकौती आश्वासन पत्र इस वचन के साथ जारी किया है कि वह अपनी बैंकांक शाखा के सबंध मे 12% के न्यूनतम सीआरएआर को बनाए रखेगा।

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक नेगारा मलेशिया के पक्ष में बैंक ने चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है। बैंक अन्य जेवी पार्टनर्स के साथ इण्डिया इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बीएचडी को निधि प्रदान, कारोबार और अन्य विषयों में जब कभी जरूरत पडती है तो समर्थन देगा और अपने कारोबार के परिचालनों और प्रबंधन को चलाने में (मलेशियन) कानून, विनिमयों और नीतियों की अपेक्षाओं के अनुसार अनुपालन करने को सुनिश्चत करेगा।

18.7 बैंक एश्यूरेन्स कारोबार **(रु. करोड़ में)**

क्रम स	आय का स्वरूप*	2011-12	2010-11
1	जीवन बीमा पालसियों को बेचने के लिए	12.55	12.49
2	गैर जीवन बीमा पालसियों को बेचने के लिए	7.87	6.13
3	म्यूचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए	0.29	0.36
4	अन्य (स्पष्ट करें)	—	—
	कुल	20.71	18.98

* बैंक द्वारा लिए गए बैंकएश्यूरेन्स कारोबार द्वारा प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक

लेखांकन मानकों के निबंधनों के अनुसार प्रकटीकरण

19.1 लेखांकन नीतियाँ मानक 9 - राजस्व मान्यता

महत्वपूर्ण लेखांकन अनुसूची - 17 में मद सं.2 में वर्णितानुसार राजस्व के मान्यता दी गई है

19.2 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

19.2.1

i) बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "कर्मचारियों के लाभ" संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है ।

ii) इस वर्ष के शुरूआत में कर्मचारी पेंशन के लिए अनभिज्ञ संक्रमण कालीन देयता को शेष रु.89 करोड है। दिनांक 31.3.2012 को समाप्त चालू वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते को प्रभारित की गई है।

iii) लेखांकन -मानक -15 परिशोधित के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाते खोते और तुलन पत्र में पहचाने गए नियोजन -उत्तर लाभों व दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की सारांशगत स्थिति निम्नवत है:

क) पारिभाषित लाभ योजनाएँ

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन **(रु. करोड में)**

विवरण	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	3863.32	2049.47	869.45	523.28	285.40	264.35
ब्याज लागत	318.71	155.08	69.26	36.40	21.25	20.00
वर्तमान सेवा लागत	33.79	68.62	26.27	44.71	5.62	16.43
प्रदत्त लाभ	(227.47)	(222.01)	(109.26)	(136.66)	(39.31)	(28.79)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	400.97	26.56	85.28	155.42	16.05	13.41
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	4389.33	3863.32	941.01	869.45	289.02	285.40

योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन **(रु. करोड में)**

विवरण	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	3256.40	1816.97	672.20	676.06	0.00	0.00
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	14.67	195.38	59.27	62.18	0.00	0.00
नियोक्ता का अंशदान	632.25	1472.47	156.00	84.00	39.31	28.79
प्रदत्त लाभ	(227.47)	(222.01)	(109.25)	(136.66)	(39.31)	(28.79)
बाध्यताओं पर वास्तविक नुकसान / (लाभ)	258.28	(6.41)	14.85	(13.38)	0.00	0.00
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	3934.13	3256.40	793.07	672.20	0.00	0.00
गैर निधीय संक्रमणकालीन देयता	—	—	—	—	—	—

18.6 Letters of Comfort (LoC)

Letters of Comfort issued during the year	Nil
Letters of Comfort outstanding as on 31.3.2012	Two
Assessed financial impact	Nil
Cumulative Assessed Financial Obligation	Nil

During the year 2009-10, the Bank has issued a Letter of Comfort (LOC) undertaking to maintain a minimum CRAR of 12% in respect of Bangkok branch.

During the year 2010-11, the Bank has issued a letter of comfort favoring Bank Negara Malaysia. The Bank in association with other JV partners will provide support to India International Bank (Malaysia) Bhd in funding business and other matters as and when required and ensure that it complies with the requirements of the Malaysian Laws, Regulations and Policies in the conduct of its business operations and management.

18.7 Bancassurance Business (Rs. In Crore)

S No	Nature of income*	2011-12	2010-11
1	For selling Life Insurance Policies	12.55	12.49
2	For selling Non Life Insurance Policies	7.87	6.13
3	For Selling Mutual Fund products	0.29	0.36
4	Others (specify)	—	—
	Total	20.71	18.98

*Fees/Remuneration received in respect of the Bancassurance Business undertaken by the Bank.

DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS

19.1 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition

Revenue has been recognized as described in Item No. 2 of Significant Accounting Policies – Schedule 17.

19.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

19.2.1

i) The Bank has adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April 2007.

ii) The balance of unrecognised Transitional Liability on account of Employee Pension amounted to Rs.89 Crore has been charged to Profit & Loss Account of the current year ended 31.3.2012.

iii) The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard–15 (Revised) are as under:

(a) Defined Benefit Schemes:

Changes in the present value of the obligations (Rs. In Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Present Value of obligation as at the beginning of the year	3863.32	2049.47	869.45	523.28	285.40	264.35
Interest Cost	318.71	155.08	69.26	36.40	21.25	20.00
Current Service Cost	33.79	68.62	26.27	44.71	5.62	16.43
Benefits Paid	(227.47)	(222.01)	(109.26)	(136.66)	(39.31)	(28.79)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	400.97	26.56	85.28	155.42	16.05	13.41
Present Value of Obligation at year end	4389.33	3863.32	941.01	869.45	289.02	285.40

Change in Fair Value of Plan Asset (Rs. In Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	3256.40	1816.97	672.20	676.06	0.00	0.00
Expected return on Plan Assets	14.67	195.38	59.27	62.18	0.00	0.00
Employer's contribution	632.25	1472.47	156.00	84.00	39.31	28.79
Benefit Paid	(227.47)	(222.01)	(109.25)	(136.66)	(39.31)	(28.79)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	258.28	(6.41)	14.85	(13.38)	0.00	0.00
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	3934.13	3256.40	793.07	672.20	0.00	0.00
Unfunded Transitional Liability	—	—	—	—	—	—

तुलन पत्र में पहचानी गयी रकम **(रु. करोड में)**

विवरण	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2012	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**
वर्ष के अंत में तक बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	4389.32	3863.32	941.01	869.45	289.02	285.40
वर्ष के अंत में तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	3934.13	3256.40	793.07	672.20	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी अनिधिक निवल देयता	455.19*	606.92	147.94*	197.25	289.02	285.40

(रु. करोड में)

* पेंशन और ग्रेच्युटी निधियों में निहित अ-निधीगत निवल देयता को अगले 3 वर्षों की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाएगा।

लाभ व हानि में पहचाने गए व्यय

	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2012	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**
वर्तमान सेवा लागत	33.79	68.62	26.27	44.71	5.62	16.43
ब्याज लागत	318.71	155.08	69.25	36.40	21.25	20.00
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	14.66	(195.38)	(59.27)	(62.18)	0.00	0.00
वर्ष में पहचाना गया निवल वास्तविक (लाभ) / हानि	141.74	32.97	40.23	168.80	16.05	13.41
लाभ व हानि खाते में कुल व्यय प्रभार	479.58	391.00	76.50	169.00	42.92	49.84
पेंशन विकल्प II / पीएफ के योगदान कर्मचारी से प्राप्त रकम	—	840.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता

	पेंशन न्यास (%)		ग्रैच्युटी न्यास(%)	
	2012	2011	2012	2011
क) उधार लिखत केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	8.00	9.39	8.65	8.80
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	21.25	27.61	43.63	42.33
पीएसयू / पीएफआइ कार्पोरेट बांडस में निवेश	39.37	41.49	40.07	42.70
अन्य निवेश	31.38	21.51	7.65	6.17
ख) ईक्विटी लिखत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

तुलन पत्र तारीख पर मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

विवरण	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2012	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**
बट्टा दर	8.50%	8.50%	8.50%	8.29%	8.50%	8.29%
योजना आस्ति पर के अपेक्षित लाभ दर	8.50%	9.10%	8.50%	9.57%	0%	0%
वेतन वृद्धि की अनुमानित दर	3%	3%	4%	3%	4%	3%
अपनायी गयी प्रक्रिया	अनुमानित युनिट क्रेडिट		अनुमानित युनिट क्रेडिट		अनुमानित युनिट क्रेडिट	

अनुभवगत समायोजन

विवरण	पेंशन (निधिक)		गैच्युटी (निधिक)		अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)	
	2012	**2011**	**2012**	**2011**	**2012**	**2011**
योजना आस्तियों पर अनुभवगत समायोजन (हानि)लाभ	258.28	(6.41)	14.85	(13.38)	शून्य	शून्य
योजना देयताओं पर अनुभवगत समायोजन (हानि) लाभ	400.96	(219.39)	85.27	(207.58)	16.05	(30.54)

वास्तविक मूल्यांकन के विचारण में भविष्य में वेतन में वृद्धि का अनुमान, योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ , मुद्रास्फीति, वरीयता, पदोन्नति और कर्मचारी बाजार में आपूर्ति व माँग जैसे अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखा गया है ।

विदेशी शाखाओं के संबंध में कर्मचारी लाभ योजना के लिए यदि कोई प्रकटीकरण अपेक्षित है तो सूचना के आभाव में यह नही है।

Amount recognized in Balance Sheet (Rs. In Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Estimated Present value of obligations as at the end of the year	4389.32	3863.32	941.01	869.45	289.02	285.40
Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	3934.13	3256.40	793.07	672.20	0.00	0.00
Un-funded Net Liability recognized in Balance sheet	455.19*	606.92	147.94*	197.25	289.02	285.40

* The un-funded net liability in Pension and Gratuity Funds, are to be amortised over a period of next 3 years.

Expenses Recognized in Profit & Loss (Rs. In Crore)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Current Service Cost	33.79	68.62	26.27	44.71	5.62	16.43
Interest Cost	318.71	155.08	69.25	36.40	21.25	20.00
Expected return on Plan Asset	14.66	(195.38)	(59.27)	(62.18)	0.00	0.00
Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the year	141.74	32.97	40.23	168.80	16.05	13.41
Total expenses chargeable in Profit & Loss Account	479.58	391.00	76.50	169.00	42.92	49.84
Amount received from II Pension Optees / Employer's Contribution of PF	—	840.00	-NA-	-NA-	-NA-	-NA-

Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust:

	Pension Trust (%)		Gratuity Trust (%)	
	2012	2011	2012	2011
a) Debt Instruments				
Central Government Securities	8.00	9.39	8.65	8.80
State Government Securities	21.25	27.61	43.63	42.33
Investment in PSU/PFI/ Corporate Bonds	39.37	41.49	40.07	42.70
Other Investments	31.38	21.51	7.65	6.17
b) Equity Instruments	Nil	Nil	Nil	Nil

Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)

	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Discount Rate	8.50%	8.50%	8.50%	8.29%	8.50%	8.29%
Expected rate of return on Plan Assets	8.50%	9.10%	8.50%	9.57%	0%	0%
Expected Rate of Salary increase	3%	3%	4%	3%	4%	3%
Method used	Projected unit credit		Projected unit credit		Projected unit credit	

Experience Adjustments

Particulars	PENSION (Funded)		GRATUITY (Funded)		LEAVE ENCASHMENT (Unfunded)	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011
Experience adjustment on Plan assets (Loss)/Gain	258.28	(6.41)	14.85	(13.38)	Nil	Nil
Experience adjustment on Plan Liabilities (Loss)/Gain	400.96	(219.39)	85.27	(207.58)	16.05	(30.54)

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account actual return on plan assets, inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

In respect of overseas branches, disclosures if any, required for Employee Benefit Schemes are not made in the absence of information.

(ख) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत है

बट्टा दर - बट्टा दर को मूल्यांकन की तारीख (तुलन पत्र दिनांकित 31 03 2012)सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ में तय किया गया है ।

अनुमानित लाभ दर- पेंशन के संबंध में अनुमानित लाभ दर को सरकारी बाँड पर लाभ के आधार पर तय किया गया है । ग्रैच्युटी के संबंध में वास्तविक लाभ को लिया गया है ।

वेतन वृद्धि : गत डाटा के आधार पर।

ग) अगले वित्तीय वर्ष में अपेक्षित अदायगी वाले ग्रेच्युटी के लिए बैंक का सर्वोत्तम आकलन रु.120/- करोड है ।

19.2.2 बीमारी छुट्टी

पहले के वर्ष में बीमारी छुट्टी के लिए रु.119 करोड के प्रावधान को एस-15 कर्मचारी प्रति लाभ के तहत रखना जरूरी नहीं समझा गया। क्यों कि कोई नकदीकरण शामिल नहीं है इसलिए रु.38 करोड़ के इस प्रकार के प्रावधान को लाभ व हानि खाते में वापस ला लिया गया। साथ ही रु.53.43 करोड की जमा की राजस्व आरक्षितियों और रु.27.53 करोड को अस्थगित कर देता खाते में लाया गया।

19.3 लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्टिंग

खण्ड रिपोर्टिंग के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्रैल 2007 में जारी संशोधन दिशानिर्देशों को अपनाया है, जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जाने वाले खण्डों को ट्रेज़री, कार्पोरेट /थोक बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग व अन्य बैंकिंग परिचालनों में वर्गीकृत किया है।

भाग ए : कारोबार खण्ड **(रु. करोड़ में)**

कारोबार खण्ड	राजकोष		कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
राजस्व	(197.68)	71.84	2221.83	1113.03	1276.78	1516.36	187.95	133.13	3488.88	2834.36
परिणाम								-	45.82	26.46
अनाबंटित आय									0.55	0.19
अनाबंटित व्यय									3534.15	2860.63
परिचालनगत लाभ/हानि									247.58	519.68
आय कर		-	-	-			-	-	-82.18	-82.17
प्रावधान व आकस्मिकताएँ										
असाधारण लाभ / हानि										
निवल लाभ										
अन्य सूचना										
खण्डवार आस्तियाँ	62326.15	53667.30	101528.80	80580.09	53890.80	41024.36	127.86	2026.62	217873.61	177298.37
अनाबंटित आस्तियाँ									1774.56	1485.91
कुल आस्तियाँ									219648.17	178784.28
खण्डवार देयताएँ	58324.52	50622.34	96123.20	76573.40	52136.78	40771.36	68.81	844.47	206653.31	168811.57
अनाबंटित देयताएं									1067.21	647.77
कुल देयताएं									207720.52	169459.34

भाग ख - भौगोलिक खण्ड

	देशी		विदेशी		कुल	
	2011-12	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**
राजस्व	18801.39	12825.36	776.73	501.21	**19578.12**	**13326.57**
आस्तियाँ	201648.37	166353.49	17999.80	12430.79	**219648.17**	**178784.28**

19.4. लेखांकन मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

संबंधित पार्टियों के नाम व बैंक के साथ उनके संबंध

1	मूल संस्था	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
2	सहयोगी संस्थाएँ	पाण्डियन ग्राम्य बैंक, नीलाचल ग्राम्य बैंक
3	अनुषंगियाँ	कोई नहीं
4	संयुक्तत: नियंत्रित इकाई	इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.ईक्विटी शेयर में निवेश रु.12.76 करोड (अधिकतम निवेश रु.12.96 करोड)

5 प्रमुख प्रबन्धन पदाधिकारी

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पारिश्रमिक*रकम (रु.) (2011-12)
1	श्री एम.नरेन्द्र	अ.व प्र.नि.	20,27,181
2	श्री ए.के.बंसल	कार्यपालक निदेशक	18,19,600
3.	श्री ए.डी.एम .चावली	कार्यपालक निदेशक	3,85,298
4	श्री ए.ए.भट्ट	भूतपूर्व अ.व.प्र.नि	4,08,333
5	श्रीमती नूपुर मित्रा	भूतपूर्व का.नि	14,39,141
6	श्री वाई.एल.मदान	भूतपूर्व का.नि	2,29,167

* पारिश्रमिक के तहत वेतन व भत्ते , वेतन बकाया , निष्पादन लागत प्रोत्साहन राशि , छुट्टी नकदीकरण बकाया और ग्रेच्युटी शामिल हैं।

(b) The financial assumptions considered for the calculations are as under:-

Discount Rate: - The discount rate has been chosen by reference to market yield on Government bonds as on the date of valuation. (Balance sheet date 31.3.2012)

Expected Rate of Return: In case of Pension the expected rate of return is taken on the basis of yield on Government bonds. In case of gratuity, the actual return has been taken.

Salary Increase: On the basis of past data.

(c) Bank's best estimate of gratuity expected to be paid in the next Financial Year is Rs.120 crore.

19.2.2 Sick Leave

Provision of Rs.119 crore made for Sick Leave in earlier years is not considered necessary under AS 15 – Employee Benefits, since no encashment is involved. Hence, such provision for Rs.38 crore has been written back to Profit and Loss Account, besides credit of Rs.53.47 crore to other Revenue Reserves and Rs.27.53 crore to Deferred Tax Liability Account

19.3 Accounting Standard 17 – Segment Reporting

The Bank has adopted Reserve Bank of India's revised guidelines issued in April 2007 on Segment Reporting in terms of which the reportable segments have been divided into Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations.

(Rs. In Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
Particulars	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
Revenue	4520.06	3336.13	9565.12	5472.83	4824.00	3992.78	623.12	498.37	19532.30	13300.11
Result	(197.68)	71.84	2221.83	1113.03	1276.78	1516.36	187.95	133.13	3488.88	2834.36
UnallocatedIncome								-	45.82	26.46
Unallocated Expenses									0.55	0.19
Operating Profit/Loss									3534.15	2860.63
Income Taxes									247.58	519.68
Provisions & Contingencies									2154.26	1186.24
Extraordinary profit / loss		-	-	-			-	-	-82.18	-82.17
Net Profit									1050.13	1072.54
OTHER INFORMATION										
Segment Assets	62326.15	53667.30	101528.80	80580.09	53890.80	41024.36	127.86	2026.62	217873.61	177298.37
Unallocated Assets									1774.56	1485.91
Total assets									219648.17	178784.28
Segment Liabilities	58324.52	50622.34	96123.20	76573.40	52136.78	40771.36	68.81	844.47	206653.31	168811.57
Unallocated Liabilities									1067.21	647.77
Total Liabilities									207720.52	169459.34

Part B - Geographic segments

(Rs. In Crore)

	Domestic		International		Total	
	2011-12	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**	**2011-12**	**2010-11**
Revenue	18801.39	12825.36	776.73	501.21	**19578.12**	**13326.57**
Assets	201648.37	166353.49	17999.80	12430.79	**219648.17**	**178784.28**

19.4 Accounting Standard 18- Related Party Disclosures

Names of the related parties and their relationship with the Bank

1	Parent	Indian Overseas Bank
2	Associates	Pandyan Grama Bank, Neelachal Gramya Bank
3.	Subsidiaries	None
4.	Jointly controlled entity	India International Bank (Malaysia) Bhd.Investment in equity shares Rs.12.76 crore (maximum investment Rs.12.96 crore)

5. Key Management Personnel

Sl. No.	Name	Designation	Remuneration* Amount (Rs.) (2011-12)
1.	Shri M. Narendra	Chairman & Managing Director	20,27,181
2.	Shri A.K. Bansal	Executive Director	18,19,600
3.	Shri A.D.M. Chavali	Executive Director	3,85,298
4.	Shri S.A. Bhat	Ex-Chairman & Managing Director	4,08,333
5.	Smt. Nupur Mitra	Ex-Executive Director	14,39,141
6.	Shri Y.L. Madan	Ex-Executive Director	2,29,167

* Remuneration Includes salary & allowances, salary arrears, performance incentives, leave encashment arrears and gratuity arrears.

19.5लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय **(रु. करोड में)**

विवरण	2011-12	2010-11
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ (रु.करोड में)	1050.13	1072.54
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	62,02,30,552	54,64,20,808
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	Rs.16.93	Rs.19.63
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	Rs.10.00	Rs.10.00

19.6 लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

चूँकि कोई अनुषंगी संस्था नहीं है, किसी समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति आवश्यक नहीं समझी गई है ।

19.7 लेखांकन मानक 22 : आय पर करों के लिए लेखाकरण

वर्ष के दौरान, बैंक ने रु.330.16 करोड की आस्थगित कर देयता (पिछले वर्ष रु.101.09 करोड़)को हिसाब में लिया है । बैंक के पास रु.628.96 करोड की बकाया निवल आस्थगित कर देयता है (पिछले वर्ष रु.270.61 करोड़ रही)। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का प्रमुख मदों में ब्रेकअप निम्नवत दिया गया है:

विवरण	31-03-2012		31.03.2011	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
निवेशों पर मूल्यह्रास		762.78		496.92
स्थाई आस्तियों पर मूल्यहास	14.97		6.21	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	106.41		148.95	
धोखाधडियों के लिए प्रावधान	9.84		9.89	
अन्य	2.60		61.26	
कुल	**133.82**	**762.78**	**226.31**	**496.92**
निवल डीटीएल		**628.96**		**270.61**

19.8 लेखांकन मानक 26 - अमूर्त आस्तियाँ

बैंक में प्रयुक्त अनुप्रयोग सॉफटवेयर को स्वयं ही तैयार किया गया है और यह एक सुदीर्घ अवधि में विकसित हुआ है। अत: सॉफटवेयर की लागत बैंक के परिचालनात्मक व्यय जैसे वेतन आदि का अनिवार्य अंश है और इसे लाभ-हानि खाते के संबंधित व्यय शीर्षों में प्रभारित किया गया है।

19.9 लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

मलेशिया में बैंक खोलने के वास्ते बैंक ऑफ बडौदा और आंध्र बैंक के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षरित किए हैं। बैंक निगारा, मलेशिया के केन्द्रीय बैंक ने 16.4.2010 को संयुक्त उद्यम के लिए लाइसेंस जारी किया। इस संयुक्त उद्यम को 13.08.2010 के दिन इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहद नाम से मलेशिया में स्थापित किया गया 31.03.2012 को जिसकी प्राधिकृत पूँजी है एमवाइआर 500मियो। असाइन्ड पूँजी एम वाइ आर 310 मियो प्रदत्त पूँजी में हमारे बैंक का हिस्सा 35% यानि एमवाइआर 108.50 मियो। दिनांक 31.3.2012 तक हमारे बैंक ने एमवाइआर 10 प्रति शेयर के हिसाब से 819035 शेयरों के प्रति रु.12.96 करोड अदा किया है जिसकी समेकित राशि है एमवाइआर 81903501 है। संयुक्त उद्यम का परिचालन अति शीघ्र शुरू हो जाएगा।

19.10.लेखांकन मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को "कार्पोरेट आस्ति" माना गया है और ये आइसीएआइ द्वारा जारी एएस 28 के जरिए पारिभाषित अनुसार "नकद सृजन इकाइयाँ " नहीं हैं। प्रबंधन के मतानुसार बैंक की किसी भी अचल आस्ति का कोई हानिकरण नहीं है।

19.11 लेखांकन मानक 29 - आकस्मिक देयताओं और आस्तियों के लिए प्रावधान

इस संबंध में भारतीय सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी दिशानिर्देशों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है।

20 जमाओं, अग्रिमों, ऋण जोखिमों व अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण

20.1 जमाओं का केन्द्रीकरण **(रु. करोड में)**

	2011-12	2010-11
बीस बडे जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	14628	16740
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बडे जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	8.20	11.53

20.2 अग्रिमों का संकेन्द्रीकरण केन्द्रीकरण (व्युत्पन्नों सहित उधार जोखिम) **(रु. करोड में)**

	2011-12	2010-11
बीस बडे जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ	28396	23359
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस बडे जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	15.55%	20.53%

19.5 Accounting Standard 20 – Earning Per Share (Rs. In Crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Net Profit after Tax available for Equity Shareholders	1050.13	1072.54
Weighted Average Number of Equity Shares	62,02,30,552	54,64,20,808
Basic & Diluted Earnings Per Share	Rs.16.93	Rs.19.63
Nominal value per Equity Share	Rs.10.00	Rs.10.00

19.6 Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements (CFS)

As there is no subsidiary, no consolidated financial statement is considered necessary.

19.7 Accounting Standard 22: Accounting for Taxes on Income

The Bank has accounted for Deferred Tax Liability of Rs.330.16 crore during the year (Previous year Rs.101.09 crore). The Bank has outstanding net Deferred Tax Liability of Rs.628.96 crore (Previous year Rs.270.61 crore). The breakup of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

Rs. In Crore

Particulars	31.3.2012		31.3.2011	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Depreciation on Investments		762.78		496.92
Depreciation on Fixed Assets	14.97		6.21	
Provision for Employee Benefits	106.41		148.95	
Provision for Frauds	9.84		9.89	
Others	2.60		61.26	
Total	**133.82**	**762.78**	**226.31**	**496.92**
Net DTL		**628.96**		**270.61**

19.8 Accounting Standard 26 – Intangible Assets

The application software in use in the Bank has been developed in-house and has evolved over a period of time. Hence, the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

19.9 Accounting Standard 27 – Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Bank has signed a Joint Venture with Bank of Baroda and Andhra Bank to open a Bank in Malaysia. Bank Negara, the Central Bank of Malaysia, has issued the license to the Joint Venture on 16.04.2010. The Joint Venture has been incorporated at Malaysia on 13.08.2010 in the name of INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BHD, with an Authorised Capital of MYR500 Mio and Assigned Capital as on 31.3.2012 is MYR310 Mio. Our Bank's share in Paid-up Capital is 35% - MYR108.50 Mio. As on 31.3.2012, Bank has paid Rs.12.96 crore towards 819035 shares of MYR10 each aggregating to MYR8190350. The Joint Venture is expected to commence operations shortly.

19.10 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Fixed Assets owned by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

19.11 Accounting Standard 29 - Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The guidelines issued by the Institute of Chartered Accountant of India in this respect have been incorporated at the appropriate places.

20 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

20.1 Concentration of Deposits (Rs. In Crore)

	2011-12	2010-11
Total Deposits of twenty largest depositors	14628	16740
Percentage of Deposits of twenty largest deposits to Total Deposits of the Bank	8.20	11.53

20.2 Concentration of Advances (Credit Exposure including derivatives) (Rs. In Crore)

	2011-12	2010-11
Total Advances to twenty largest borrowers	28396	23359
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	15.55%	20.53%

20.3 ऋण जोखिम का केन्द्रीकरण उधार निवेश जोखिम **(रु. करोड में)**

	2011-12	2010-11
बीस बडे उधारकर्ताओं / ग्राहकों को की कुल जमाएँ	28401	23889
बैंक द्वारा उधारकर्ताओं /ग्राहाकों को प्रदत्त ऋणों के कुल जोखिमों की तुलना में बीस बडे उधारकर्ताओं / ग्राहकों को प्रदत्त ऋण संबंधी जोखमों का प्रतिशत	14.99%	14.34%

20.4 अनर्जक आस्तियों का केन्द्रीकरण **(रु. करोड में)**

	2011-12	2010-11
उच्च चार अनर्जक खातों से संबंधित कुल ऋण जोखिम	476.50	307.41

20.5 प्रवर्ग वार अनर्जक आस्तियाँ **(रु. करोड में)**

क्रम सं. में	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की में तुलना अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	
		2011-12	2010-11
1.	कृषि व संबंधित गतिविधियाँ	2.94	2.78
2..	उद्योग (सूक्षम, लघु, मध्यम व बड)	3.23	3.45
3	सेवाएँ	2.40	1.94
4	वैयक्तिक ऋण	1.38	2.01

20.6 अनर्जक आस्तियों का संचालन **(रु. करोड में)**

	विवरण	2011-12	2010-11
01 अप्रैल 2011 तक सकल अनर्जक आस्तियाँ (प्रारंभिक शेष)		3089.59	3611.08
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)		3184.76	2169.26
उप -योग (अ)		6274.35	5780.34
घटाएँ:			
(i)	उन्नयन	451.64	688.33
(ii)	वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों में से की गई वसूलियों को छोडकर)	736.25	1031.90
(iii)	बट्टे खाते में डाली गई रकम	1166.39	970.52
उप-योग (आ)		2354.28	2690.75
31.03.2012 के लिए सकल अनर्जक आस्तियाँ (समापन शेष) (अ-आ)		3920.07	3089.59

20.7 विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व **(रु. करोड में)**

विवरण	2011-12	2010-11
कुल आस्तियाँ	17999.80	12430.79
कुल अनर्जक आस्तियाँ	366.41	296.16
कुल राजस्व	776.74	501.21

20.8 तुलन पत्र इतर प्रायोजित एसपीवी (जिनका लेखांकन मानदण्डों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)

प्रोयाजित एसपीवी का नाम

देशीय	विदेशी
शून्य	शून्य

21. तुलनात्मक आंकडे

पिछले वर्ष के आंकडों को, जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुन: समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया।

20.3 Concentration of Exposures (Credit and Investment exposure) (Rs. In Crore)

	2011-12	2010-11
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	28401	23889
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	14.99%	14.34%

20.4 Concentration of NPAs (Rs. In Crore)

	2011-12	2010-11
Total Exposure to top four NPA accounts	476.50	307.41

20.5 Sector wise NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that Sector	
		2011-12	2010-11
1	Agriculture & allied activities	2.94	2.78
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	3.23	3.45
3	Services	2.40	1.94
4	Personal Loans	1.38	2.01

20.6 Movement of NPAs (Rs. In Crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Gross NPAs as on 1st April 2011 (Opening Balance)	3089.59	3611.08
Additions (Fresh NPAs) during the year	3184.76	2169.26
Sub-total (A)	6274.35	5780.34
Less:-		
(i) Upgradations	451.64	688.33
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	736.25	1031.90
(iii) Write-offs	1166.39	970.52
Sub-total (B)	2354.28	2690.75
Gross NPAs as on 31.3.2012 (closing balance) (A-B)	3920.07	3089.59

20.7 Overseas Assets, NPAs and Revenue (Rs. In Crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Total Assets	17999.80	12430.79
Total NPAs	366.41	296.16
Total Revenue	776.74	501.21

20.8 Off Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per Accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
NIL	NIL

21 Comparative Figures

Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
नकद प्रवाह विवरण
31-03-2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रु. '000 में)

	31.3.2012 को समाप्त वर्ष		31.3.2011 को समाप्त वर्ष	
परिचालनगत गतिविधियों से नकद प्रवाह				
निवल लाभ		**10 50 12 63**		**10 72 54 27**
निम्नवत के लिए समायोजन				
एचटीएम निवेशों के लिए ऋण परिशोधन	52 53 13		52 99 61	
निवेशों के पूनर्मूल्यांकन से हुई हानि	34 98 08		52 92 13	
नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास	1 11 05 51		1 05 00 10	
आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि	- 2 50 29		- 1 02 25	
आरक्षितियों से अंतरण	- 1 16			
करों के लिए प्रावधान	2 47 58 17		5 19 68 49	
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	14 70 15 60		10 33 61 76	
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2 37 08 72		65 97 03	
निवेशों पर मूल्य ह्रास	1 71 61 58		4 12 18	
अन्य मदों के लिए प्रावधान	3 57 57 86		1 64 69 58	
टायर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	6 10 33 16		4 78 45 49	
जमाओं में वृद्धि / (ह्रास)	332 05 42 53		344 34 04 01	
उधारों में वृद्धि / (ह्रास)	42 58 44 25		84 06 20 27	
अन्य देयताओं व प्रावधानों में वृद्धि / (ह्रास)	5 65 28 66		-8 41 53 40	
निवेशों में ह्रास / (वृद्धि)	-71 87 45 32		-110 65 80 87	
अग्रिमों में ह्रास / (वृद्धि)	-307 19 20 14		-328 33 81 82	
अन्य आस्तियों में ह्रास / (वृद्धि)	-6 11 13 38		-11 40 87 24	
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	-1 59 01 02		-5 34 27 00	
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (ए)		**36 92 88 57**		**- 27 07 66**
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह				
नियत आस्तियों की बिक्री / निपटारा	20 86 50		11 75 02	
नियत आस्तियों की खरीद	-2 19 02 89		-1 10 85 40	
अनुषंगियों में निवेश	- 27 10 18			
निवेश संबंधी गतिविधियों से निवल नकद (बी)		**-2 25 26 57**		**- 99 10 38**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह				
ईक्विटी शेयर निर्गम से धनागम	17 43 63 03		10 53 99 99	
टायर I व टायर II बाँडों से धनागम			19 67 00 00	
टायर II पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	-6 09 24 45		-4 78 45 49	
प्रदत्त लाभांश	-3 59 56 30		-2 22 34 96	
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकद (सी)		**7 74 82 28**		**23 20 19 54**
नकद व नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि (ए+बी +सी)		**42 42 44 29**		**21 94 01 50**
वर्ष के प्रारंभ में नकद व नकद समतुल्य				
भा.रि.बैं के यहाँ नकद व शेष		100 10 89 43		76 66 44 72
बैंकों के यहाँ शेष और माँग-द्रव्य		20 07 76 14		21 58 19 35
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य				
भा.रि.बैं के यहाँ नकद व शेष	101 98 91 24		100 10 89 43	
बैंकों के यहाँ शेष और माँग-द्रव्य	60 62 18 62		20 07 76 14	
नकद व नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि		**42 42 44 29**		**21 94 01 50**

यह विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

बी.एस.केशवमूर्ति
महा प्रबंधक

एम नरेंद्र
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

लेखा-परीक्षकों का प्रमाण पत्र

हम, अधोहस्तारकर्ता-गण ने, इण्डियन ओवरसीज बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों ने 31/03/2012 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उक्त नकदी-प्रवाह विवरण की जाँच की है । यह विवरण स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध करार के खण्ड 32 की अपेक्षाओं के अनुरूप व बैंक के संबंधित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते जो कि भारत के राष्ट्रपति को उसी तिथि पर दी गयी हमारी रिपोर्ट द्वारा आवरित है, के अनुसार व उस पर आधारित है ।

एम.भास्कर राव ऐण्ड कंपनी	**मित्तल गुप्ता ऐण्ड कंपनी**	**एस आर मोहन ऐण्ड कंपनी**
बदरी, मधुसूधन व श्रीनिवासन	**बी.त्यागराजन ऐण्ड कंपनी**	**शंकर व मूर्ति**

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 05- 05. 2012

INDIAN OVERSEAS BANK
Cash Flow Statement
Statement of Cash Flow for the year ended 31.03.2012

Rs in '000s

	Year ended 31.03.2012		Year ended 31.03.2011	
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES				
Net Profit		**10 50 12 63**		**10 72 54 27**
Adjustments for :				
Amortisation of HTM Investments	52 53 13		52 99 61	
Loss on Revaluation of Investments	34 98 08		52 92 13	
Depreciation on Fixed Assets	1 11 05 51		1 05 00 10	
Profit / Loss on Sale of Assets	- 2 50 29		- 1 02 25	
Transfer from Reserves	- 1 16			
Provision for taxes	2 47 58 17		5 19 68 49	
Provision for NPAs	14 70 15 60		10 33 61 76	
Provision for Standard Assets	2 37 08 72		65 97 03	
Depreciation on Investments	1 71 61 58		4 12 18	
Provision for Other Items	3 57 57 86		1 64 69 58	
Interest Paid on Tier II Interest	6 10 33 16		4 78 45 49	
Increase / (Decrease) in Deposits	332 05 42 53		344 34 04 01	
Increase / (Decrease) in Borrowings	42 58 44 25		84 06 20 27	
Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions	5 65 28 66		-8 41 53 40	
(Increase) / Decrease in Investments	-71 87 45 32		-110 65 80 87	
(Increase) / Decrease in Advances	-307 19 20 14		-328 33 81 82	
(Increase) / Decrease in Other Assets	-6 11 13 38		-11 40 87 24	
Direct Taxes Paid	-1 59 01 02		-5 34 27 00	
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)		**36 92 88 57**		**- 27 07 66**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
Sale / disposal of Fixed Assets	20 86 50		11 75 02	
Purchase of Fixed Assets	-2 19 02 89		-1 10 85 40	
Investment in Associates	- 27 10 18			
NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES (B)		**-2 25 26 57**		**- 99 10 38**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES				
Proceeds of Equity Share Issue	17 43 63 03		10 53 99 99	
Proceeds of Tier I & Tier II Bonds			19 67 00 00	
Interest Paid on Tier II Capital	-6 09 24 45		-4 78 45 49	
Dividend Paid	-3 59 56 30		-2 22 34 96	
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES (C)		**7 74 82 28**		**23 20 19 54**
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A) +(B) + (C)		**42 42 44 29**		**21 94 01 50**
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR				
Cash & Balances with RBI		100 10 89 43		76 66 44 72
Balances with Banks & Money at Call		20 07 76 14		21 58 19 35
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR				
Cash & Balances with RBI	101 98 91 24		100 10 89 43	
Balances with Banks & Money at Call	60 62 18 62		20 07 76 14	
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		**42 42 44 29**		**21 94 01 50**

This Statement has been made prepared in accordance with Indirect Method.

B S Keshavamurthy
General Manager

M Narendra
Chairman & Managing Director

AUDITORS' CERTIFICATE

We , the undersigned Statutory Central Auditors of Indian Overseas Bank have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2012 . The Statement has been prepared in accordance with the requirement of Clause 32 , of the Listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and the Balance Sheet of the Bank, covered by our report of even date to The President of India .

M Bhaskara Rao & Co
Badari, Madhusudhan & Srinivasan

Mittal Gupta & Co
B Thiagarajan & Co

S R Mohan & Co
Sankar & Moorthy

Place : Chennai
Date : 05.05.2012

अतिरिक्त प्रकटीकरण:

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार स्तम्भ III की अपेक्षाओं के तहत 27.04.2007 को नई पूँजी पर्याप्ततता फ्रेमवर्क (बेसल II) के तहत नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाते हैं।

जोखिम प्रबंधन

विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते समय अपनी गतिविधियों में बैंक कई प्रकार के जोखिम लेते हैं। जोखिम लेना बैंकिंग कारोबार का अभिन्न अंग है। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम। ऐसी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए और अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत के लिए बैंक ने कई जोखिम प्रबन्धन उपाय और पद्धतियाँ तैयार की हैं जिनमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रक्रिया और प्रबन्धन सूचना प्रणालियाँ (एमआइएस) शामिल हैं।

बैंक निरंतर आधार पर जोखिम और प्रतिलाभ के बीच उपयुक्त ट्रेड ऑफ प्राप्त करने के जरिए शेयरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और वृद्धि का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों में जोखिम की उचित पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम की स्पष्ट समझ और जोखिम की मांग के स्तर पर आधारित है जो सामान्य व्यापार में जोखिम लेने की बैंक की इच्छा पर निर्भर है। बैंक की जोखिम एपिटाइट जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों में जोखिम सीमाओं के उपायों के जरिए प्रदर्शित होते हैं।

बैंक ने उपयुक्त जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा बैंक में स्थापित कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति गठित (आर एम सी बी) की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम, व्यापार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने उधार जोखिम प्रबन्धन के लिए ऋण नीति समिति (सीपीसी), बाजार जोखिम प्रबन्धन के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और परिचालन जोखिम प्रबन्धन के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) नाम से जोखिम प्रबंधन समितिया भी ं गठित की हैं।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक पूर्णरूपेण जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। बैंक के महा प्रबंधक की श्रेणी में एक मुख्य जोखिम अधिकारी इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। उधार समर्थन सेवा विभाग और जोखिम प्रबंधन विभाग में मिड ऑफीस भी जोखिम प्रबंधन करते हैं और नीतियों के पालन / अनुपालन, जोखिम सीमा रूपरेखा और आन्तरिक अनुमोदनों के प्रबोधन के लिए जिम्मेदार हैं।

बैंक ने 31.03.2008 से नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) को कार्यान्वित किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुक्रम में तैयार रूपरेखा के अनुसार इसका अनुपालन किया गया है। बेसल II रूपरेखा तीन परस्पर पुनर्बलित स्तम्भों पर आधारित है। परिशोधित रूपरेखा का पहला स्तम्भ उधार, बाज़ार और परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का समाधान करता है तो पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया का दूसरा स्तम्भ सुनिश्चित करता है कि अपने जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण परिवेश के अनुरूप अपने कारोबार से जुडे सभी प्रकार के जोखिमों को संभालने के लिए बैंक के पास यथेष्ट पूंजी है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षा अनुसार बैंक ने आंतरिक पूँजी पर्याप्तता ऑकलन पक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को तैयार किया है ताकि दूसरे स्तंभ की जरूरतों को पूरा किया जा सकें। इस नीति का उद्देश्य प्रथम स्तंभ के जोखिमों तहत विनियामक निर्धारणों से अधिक व ऊपर के उन सभी भौतिक जोखिमों का मूल्यांकन करना है जो बैंक को उठाने पड़ सकते हैं और सतत आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथेष्ट पूंजी संरचना सुनिश्चित करना है। नीति संरचना का हर वर्ष पुनरीक्षण किया जाता है।

बैंक ने तनाव जांच संबंधी रूपरेखा तैयार की है जिससे अपवादस्वरूप किन्तु संभाव्य घटनाओं के प्रति संगठन की संभाव्य संवेदनशील स्थिति का पता लगाया जा सके। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण, विशेषत: बैंक के भौतिक जोखिम एक्सपोजर के संबंध में, आर्थिक मंदी के समय में किसी पोर्टफोलियो में निहित संभावित जोखिम की पहचान करने और तदनुसार इसका सामना करने के लिए उचित उपाय करने में सहायक होता है। नीतिगत उपायों के अनुसार बैंक आवधिक रूप से बैंक के तुलन-पत्र पर विभिन्न तनाव परीक्षण करता है और आल्को / आरएमसीबी / बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता योजना एवं विनाश से उबरने की योजना बनी है । जीरो डाटा लॉस के लिए 3 वे डी आर , सभी 3 डाटा केन्द्रों पर और केन्द्रीय कार्यालय पर , मल्टीपल एम पी एल एस - वी पी एन हाइ बैण्डविथ कनेक्शन , वैकल्पिक सेवा प्रदाता से डुएल कनेक्टीविटी और शाखाओं के लिए वैकल्पिक मीडिया की स्थापना की गयी है । फायरवेल और इन्ट्रूशन डिटेक्शन प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है । सूचना सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए आइ एस सेक्यूरिटी और आइ एस ऑडिट विभाग की स्थापना की गयी है ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सके । भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने सूचना सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़बनाया है । प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से डी आर ड्रिल आयोजित किया जाता है । नेटवर्क सेक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा खतरा विश्लेषण और पेनेट्रेशन टेस्टिंग आयोजित किया जाता है ।

बेसल II रूपरेखा का तीसरा स्तम्भ बाजार पर नियंत्रण से संबंधित है। बाजार पर नियंत्रण का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूंजी आवश्यकता और स्तम्भ II के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ1 से 10 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाजार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूंजी जोखिम एक्सपोजर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जोखिम प्रोफाइल और पूंजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें; (1)अनुप्रयोग की गुंजाइश डीएफ-1, (2) पूंजी संरचना (डीएफ-2), (3) पूंजी पर्याप्तता (डीएफ-3), (4) उधार जोखिम सामान्य प्रकटीकरण (डीएफ-4), (5) उधार जोखिम पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण बशर्ते कि मानकीकृत दृष्टिकोण (डीएफ-5) (6) उधार जोखिम कम करना मानकीकृत दृष्टिकोण के प्रकटीकरण (डीएफ-6) (7) प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण (डीएफ-7), (8) ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम (डीएफ-8) (9) परिचालन जोखिम (डीएफ-9) (10) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आइ आर आर बी बी) (डीएफ-10) आदि। यह बाजार के सहभागियों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा।

ADDITIONAL DISCLOSURES

Reserve Bank of India, Mumbai has issued guidelines under New Capital Adequacy Framework (Basel II) dated 27.04.2007. As per the guidelines, the following disclosures are made as per the specified Formats under Pillar III requirement:

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. With a view to managing such risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which includes policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate trade off between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly covers proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Policy Committee (CPC) for the managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) for managing market risk and Operational Risk Management Committee for managing operational risk.

A full fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept. also carry out the risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies, risk limit framework and internal approvals.

The bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.3.2008 and is in compliance with the framework, in line with the guidelines issued by the RBI from time to time. The Basel-II Framework is based on three mutually reinforcing pillars. While the first pillar of the revised framework addresses the minimum capital requirement for credit, market and operational risks, the second pillar of supervisory review process ensures that the bank has adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As per RBI's requirement, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. This policy aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at times of economic recession and accordingly take suitable steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and specific portfolios and place the reports to ALCO / RMCB / Board.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan is in place. The 3 way DR for Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections at all 3 data Centres and Central, Dual connectivity from alternate service providers and alternate media for branches have been established. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. IS Security and IS audit departments have been established to monitor and analyse the information security incidents so as to take correctives steps. The bank has fine tuned the information security systems in accordance with RBI guidelines. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, Vulnerability Analysis and Penetration testing has been conducted by external experts.

The third pillar of Basel-II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 10 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (1) scope of application (DF-1), (2) Capital Structure (DF-2), (3) Capital Adequacy (DF-3), (4) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-4), (5) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach (DF-5), (6) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-6), (7) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-7), (8) Market Risk in Trading Book (DF-8), (9) Operational Risk (DF-9), and (10) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-10). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.

The RBI has issued guidelines under Basel III framework for Capital Regulations in India and Liquidity Risk Management and Discussion Paper on Dynamic Provisioning. The bank is taking suitable steps and upgrading the processes for implementation of the same as per the timelines fixed by RBI.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेसल III के तहत भारत में पूँजीगत विनियमन और लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन और गत्यात्मक प्रावधानीकरण पर चर्चा पेपर दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार इसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपाय कर रहा है और प्रक्रिया को अद्यतन कर रहा है ।

तालिका डीएफ-1

लागू करने की गुंजाइश

गुणात्मक प्रकटीकरण	**हमारे बैंक पर प्रयोज्यता**
क. जिस समूह पर रूपरेखा लागू होती है उस वर्ग के सर्वोच्च बैंक का नाम	बैंक किसी भी वर्ग का सदस्य नहीं है।
ख. समूह के अन्दर इकाइयों के संक्षिप्त विवरण सहित,लेखाकरण और विनियामक उद्देश्यों के लिए समेकन के आधार में अन्तर की रूपरेखा (i) जो पूरी तरह समेकित हैं (ii) जो समानुपातिक रूप से समेकित हैं (iii) जिनमें कटौती की गई है (iv) जिन्हें न समेकित किया गया है न ही कटौती की गई है (उदा. जहाँ निवेश जोखिम भारित है)	लागू नहीं।
मात्रात्मक प्रकटीकरण	
ग. सभी अनुषंगी इकाइयों में पूंजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी जिनकी कटौती की गई है और ऐसी अनुषंगी इकाइयों के नाम	
घ. बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित हैं और उनके नाम, उनके शामिल किए जाने का देश या निवास, स्वामित्व इन्टरेस्ट का अंश और यदि कोई भिन्न है तो इन इकाइयों में वोटिंग पॉवर का हिस्सा। इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रिया के प्रयोग बनाम कटौती का प्रयोग करने का विनियामक	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कं. **लि. जैसे** बीमा जेवी में ईक्विटी अभिदान के ज़रिए रु.66.50 करोड़, जो अपनी कुल जारी की गई पूंजी का 19% दर्शाता है।

तालिका डीएफ-2

पूंजी संरचना

	गुणात्मक प्रकटीकरण	**हमारे बैंक पर प्रयोज्यता**
क.	सभी पूंजी लिखतों की विशेषताओं की शर्तों और निबंधनों पर सार सूचना, विशेषत: टायर 1 या उच्चतर टायर 2 में समावेशन के लिए पात्र पूंजी लिखतों के मामले में	बैंक पर लागू है चूंकि हमने समय-समय पर पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाज़ार से टायर 1 और टायर 2 पूंजी उठाई है।
मात्रात्मक प्रकटीकरण		
ख.	निम्नलिखित के अलग से प्रकटीकरण सहित टायर 1 पूंजी की रकम:	रु.11042.20 करोड़
•	प्रदत्त शेयर पूंजी	रु. 797.00 करोड़
•	आरक्षितियां	रु. 9565.33 करोड़
•	नवोन्मेषी लिखत (टायर 1 पूंजी बेमियादी ऋण के रूप में)	रु. 780.00 करोड़ (वर्ष के दौरान लिए गए - शून्य)
•	अन्य पूंजी लिखतें	शून्य
•	टायर 1 पूंजी से काटी गई रकम, साख और निवेश को मिला कर	रु. 100.13 करोड़
ग.	टायर 2 पूंजी की कुल रकम (टायर 2 पूंजी से कटौतियों का निवल)	रु. 6561.37 करोड़
घ.	उच्चतर टायर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें	
ड.	कुल बकाया रकम	रु. 2632.30 करोड़
•	जिसमें से चालू वर्ष के दौरान उठाई गई रकम	शून्य
•	पूंजी निधियों के रूप में माने जाने के लिए पात्र रकम	रु. 2632.30 करोड़
च.	निम्नतर टायर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र गौण ऋण	
•	कुल बकाया रकम	रु. 3426.00 करोड़
•	इसमें से चालू वर्ष के दौरान उठाई गई रकम	शून्य
•	पूंजी निधियों के रूप में ली जाने वाली पात्र रकम	रु. 2700.00 करोड़
छ.	पूंजी में से अन्य कटौतियाँ, यदि हो	रु. 55.00 करोड़
ज.	कुल पात्र पूंजी	रु. 17603.57 करोड़

तालिका डीएफ-3

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी किए गए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल I) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अप्रैल 1992 में भारत के बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता उपाय कार्यान्वित किए। ये उपाय बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करने और साथ ही पूंजी पर्याप्तता

TABLE DF-1

SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures	**Applicability to our Bank**
a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies	The Bank does not belong to any group.
b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated (ii) that are pro-rata consolidated (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk – weighted).	Not Applicable
Quantitative Disclosures	
c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Rs.66.50 crores by way of equity subscription in an insurance JV ie. Universal Sompo General Insurance Co. Ltd., representing 19% of its total issued capital.

Table DF – 2
CAPITAL STRUCTURE

Qualitative Disclosures	**Applicability to our Bank**
a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2	Applicable to the Bank as we raise both Tier I and Tier II capital from the market to meet increase in capital requirements from time to time
Quantitative Disclosures	
b) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of:	Rs. 11042.20 crore
◆ paid up share capital·	Rs. 797.00 crore
◆ reserves	Rs. 9565.33 crore
◆ innovative instruments (Perpetual Debt Instrument as Tier 1 capital)	Rs. 780.00 crore (raised during the year – Nil)
◆ other capital instruments	Nil
◆ amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill and investments	Rs. 100.13 crore
c) The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	Rs. 6561.37 crore
d) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital	
◆ Total amount outstanding	Rs. 2632.30 crore
◆ Of which amount raised during the current year	Nil
◆ Amount eligible to be reckoned as capital funds	Rs. 2632.30 crore
e) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
◆ Total amount outstanding	Rs. 3426.00 crore
◆ Of which amount raised during the current year	Nil
◆ Amount eligible to be reckoned as capital funds	Rs. 2700.00 crore
f) Other deductions from capital, if any	Rs. 55.00 crore
g) Total eligible capital	Rs. 17603.57 crore

Table DF – 3

CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures

Banks in India implemented capital adequacy measures in April 1992 based on the capital adequacy framework (Basel-I) issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI)

बनाए रखने के मामले में अन्तरराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यवहारों का अनुपालन करने के लिए किए गए हैं। आरंभ में यह फ्रेमवर्क उधार जोखिम के लिए पूंजी की समस्या दूर करने के लिए थी जिसमें बाद में बाजार जोखिम के लिए पूंजी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

बाद में बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को पूंजी मानकों और पूंजी मापन के अन्तरराष्ट्रीय सम्परिवर्तन, एक परिशोधित फ्रेमवर्क (बेसल II दस्तावेज के रूप में जाना जाता है) जारी किया। ब्यापारिक गतिविधियों और दुगुने चूक प्रभावों के उपचार को शामिल करने के लिए नवंबर 2005 में संशोधित फ्रेमवर्क को अद्यतन किया है और इस फ्रेमवर्क के व्यापक रूपांतर को जून 2006 में जारी किया गया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के साथ निरन्तरता तथा सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2007 को दिशानिर्देशों जारी किए और बाद में नई पूंजी पर्याप्तता (बेसल II) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक 31-03-2008 से परिशोधित (बेसल II) फ्रेमवर्क में आ चुका है और बेसल II फ्रेमवर्क की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग फार्मेट के जरिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बेसल I फ्रेमवर्क के समानांतर चालन जारी रखा है ।

बेसल II फ्रेमवर्क उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए कई विकल्प प्रदान करती है। इस फ्रेमवर्क में बैंकों और पर्यवेक्षकों को अपने परिचालनों और वित्तीय बाजार के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण चुनने की अनुमति है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक ने पूंजी का परिकलन करने के लिए उधार जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) और परिचालन जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) अपनाया है। बैंक ने बाजार जोखिम के लिए पूँजी का परिकलन करने के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एस एस एम) अत: इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने 31-03-2012 तक के लिए उधार, बाज़ार और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी बनाए रखी है।

बैंक ने संबंधित डाटा के आधार पर केन्द्रीय कार्यालय में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी का हिसाब किया गया है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करने के लिए बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय में धारित पोर्टफोलियो के अलावा हर शाखा से लिए गए उधारकर्तावार डाटा को लिया है। कृषि ऋण, आभूषण ऋण, लघु ऋण, मियादि जमाओं के प्रति ऋण, स्टाफ ऋण आदि जैसे कुछ ऋणों के संबंध में,जहां सभी खातों की प्रकृति एस-सी होती है (या तो एक ही तरह से प्रतिभूत या एक ही अप्रतिभूत) वहां एक समेकित पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसके ज़रिए उधार जोखिम के लिए पूंजी की गणना हेतु प्रत्येक ऋण की समेकित स्थिति को आकलन में लिया जाता है और यह पूंजी के आकलन की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना किया जाता है । अन्य सभी ऋणों के लिए उधार जोखिम पूंजी संगणन को या तो उधारकर्ता आधार पर या सुविधा के प्रकार के आधार पर पूरा किया जाता है जैसा कि आर बी आइ दिशानिर्देशों में वर्गीकरण सूचित किया गया है ।

इसके लिए बैंक ने स्वनिर्मित सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो शाखाओं के अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करता है और शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट का सृजन करता है। सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए पूंजी परिकलन के विभिन्न पक्षों के संबंध में स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है।

सामान्यत: बैंक उधार जोखिमों जहाँ बैंक ने को कम करने के लिए कइ तरह के उपाय करते हैं। बैंक ने पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन में उधार जोखिम कमी का प्रयोग किया है। उधार जोखिम कमी, जोखिम भारित आस्तियों, पात्र पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात के प्रति पूंजी (सीआरएआर) का हिसाब लगाने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देश का अनुसरण किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, बेसल दस्तावेजों में निर्धारित 8% की तुलना में निरन्तर रूप से 9% के जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सी आर ए आर) के प्रति न्यूनतम पूंजी अनुपात रखने के लिए नियत करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक यह भी निर्धारित करता है कि गणना की तारीख तक उधार और बाज़ार जोखिमों के लिए बेसल I फ्रेमवर्क के मुताबिक परिकलित न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओं का 80% पर विवेक फ्लोर हो। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया फ्रेमवर्क अतिरिक्त रूप से 31 मार्च 2010 तक या इसके पहले 6% का न्यूनतम टायर-I सीआरएआर बनाए रखने के लिए निर्धारण करता है। इन निर्धारणों के प्रति बैंक का कुल सीआरएआर और टायर-I सीआरएआर क्रमश: 13.32% और 8.35% पर है जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तर से काफी ऊपर है। बैंक ने पूँजीगत आवश्यकताओ का परिकलन करते समय नेट सी ओ शेष के लिए जीरो रिस्क वेट निर्धारित किया है क्योंकि राशि अपनी शाखाओ / अन्य कार्यालयो से प्राप्य है ।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फेमवर्क के स्तम्भ 2 आवश्यकताओं के उपाय के रूप में बैंक के संबंधित जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीति और फ्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है। नीति-पुनरीक्षण के अधीन है।

जहाँ तक भविष्यगत गतिविधियों को अनजाम देने के लिए पूँजी की पर्याप्तता की बात है, वहाँ बैंक कारोबार की भविष्यगत वृद्धि को ध्यान में लेते हुए पूँजीगत अपेक्षाओं का आवधिक मूल्यांकन करता है। बैंक द्वारा अनुरक्षित अतिरिक्त सीआरएआर भविष्यगत गतिविधियों को पूरा करने के लिए बफर का काम करता है। साथ ही टायर I और टायर II पूंजी संघटकों में बैंक के पास उपलब्ध हेडरूम भविष्यगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूँजी समर्थन प्रदान करता इस प्रकार बैंक के पूंजी जोखिम का यथेष्ट ध्यान रखा जाता है।

टेबल डी एफ - 3

मात्रात्मक प्रकटीकरण	(रु.करोड़ में)
ख. उधार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता:	
मानकीकृत दृष्टिकोण	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो	10588.56
प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	0.00
कुल	**10588.56**
ग.बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता:	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
ब्याज दर जोखिम	356.29
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण मिलाकर)	4.77
ईक्विटी जोखिम	276.28
कुल	**637.34**

from time to time. Such a measure was taken in order to strengthen the capital base of banks and at the same time to make it compliant with the international best practices in the matter of maintaining capital adequacy. Initially the Basel framework addressed the capital for credit risk, which was subsequently amended to include capital for market risk. In line with the guidelines issued by the RBI the bank was compliant with the relevant guidelines.

Subsequently the BCBS released the "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework" on June 26, 2004. The Revised Framework was updated in November 2005 to include trading activities and the treatment of double default effects and a comprehensive version of the framework was issued in June 2006. Based on these guidelines and to have consistency and to be in harmony with international standards, the RBI has issued guidelines on 27th April 2007 and subsequent amendments on implementation of the New Capital Adequacy (Basel-II) Framework from time to time.

In line with the RBI guidelines, the Bank had migrated to the revised (Basel-II) framework from 31.3.2008 and continues to be compliant with the requirements of Basel-II framework. In addition to this, the bank continues the parallel run of Basel I framework in terms of the guidelines issued by the RBI through prescribed reporting formats.

Basel-II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for credit risk, market risk and operational risk. The Framework allows banks and supervisors to select approaches that are most appropriate for their operations and financial markets. In accordance with the RBI's requirements, the Bank has adopted Standardised Approach (SA) for credit risk, Standardised Measurement Method (SMM) for market risks and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk to compute capital. As such, the Bank is maintaining capital for Credit, Market and Operational Risk as on 31.3.2012, in line with the RBI guidelines in this regard.

The Bank has computed capital for market risk and operational risk as per the prescribed guidelines at the bank's Central Office, based on the relevant data. In computation of capital for Credit risk under Standardised Approach, the bank has relied upon the borrower-wise data captured from each individual branch besides portfolios held at Regional Office and Central Office of the bank. For some of the loan types such as Agriculture Loans, Jewel Loans, Small loans, Loans against Term deposits, staff loans etc where all the accounts are of similar nature (either similarly secured or similarly unsecured) a consolidated approach is used whereby the aggregated position for each type of loan is taken for computation of capital for credit risk, without affecting the quality of the capital assessment. In all other loan types, the credit risk capital computation is done on borrower basis or facility type basis as per the segmentation advised in the RBI guidelines. For this purpose, the Bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio of the branches and generation of the requisite reports at the branches, Regional Offices and Central Office level. Necessary training has been imparted to the field staff periodically on various aspects of capital computation and close interactions held with the coordinators at Regional Offices, to ensure accuracy and adequacy of data in capital computation.

Banks generally use a number of techniques to mitigate the credit risk to which they are exposed. The Bank has also used the Credit Risk Mitigation in computation of capital for credit risk in order to get capital relief. A well articulated policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation duly approved by the bank's Board is put in place. The Bank has followed the RBI guidelines in force to arrive at the credit risk mitigation, risk weighted assets, eligible capital and capital to risk weighted assets ratio (CRAR).

Reserve Bank of India has prescribed that Banks are required to maintain a minimum capital to risk weighted assets ratio (CRAR) of 9% on an ongoing basis, as against 8% prescribed in the Basel document. RBI has also prescribed Prudential Floor at 80% of minimum capital requirements computed as per Basel-I Framework for Credit and Market risks as on date of computation. The framework issued by RBI additionally prescribes maintenance of a minimum Tier-1 CRAR of 6% on or before March 31, 2010. Against this, the Bank's total CRAR and Tier-1 CRAR stand at 13.32% and 8.35% respectively, which are well above the minimum level prescribed by RBI. While working out the capital requirements, the bank has assigned Zero risk weight for net C.O.Balances as the amounts are only receivables from its own branches/ other offices.

The Bank has put in place the policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards Pillar 2 requirements of the revised framework commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy the bank has taken into consideration the requirements prescribed by the RBI in their guidelines.

As regards the adequacy of capital to support the future activities, the bank draws assessment of capital requirements periodically taking into account future growth of business. The surplus CRAR maintained by the bank acts as a buffer to support the future activities. Moreover, the headroom available to the bank in the Tier-1 and Tier-2 capital components provides additional capital support to meet the future needs. Thereby, the capital risk of the bank is adequately addressed.

Table DF – 3

Quantitative Disclosures (Rs. In Crore)

b)	**Capital requirements for credit risk:**	
	Standardised Approach	
	Portfolios subject to standardised approach	**10588.56**
	Securitisation exposures	**0.00**
	Total	**10588.56**
c)	**Capital requirements for market risk:**	
	Standardised Duration Approach	
	Interest rate risk	**356.29**
	Foreign Exchange risk (including gold)	**4.77**
	Equity risk	**276.28**
	Total	**637.34**

घ. परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता:

मूल संकेतक दृष्टिकोण

परिचालनगत जोखिम	670.67

ड.. बैंक के लिए कुल पूंजी अनुपात

कुल सीआरएआर	13.32%
कुल सीआरएआर (विवेकपूर्ण फ्लोर के अनुप्रयोग के अनुसार)	13.32%
टायर 1 सीआरएआर	8.35%

तालिका डीएफ-4

उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में ह्रास सहित शामिल हानियों की संभावना उधार जोखिम है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशत: बैंक के उधार क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है, क्योंकि उधारकर्ता ऋणदाता के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। उधार जोखिम में काऊंटर पार्टी जोखिम और देश जोखिम शामिल हैं।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक प्रत्येक (उधारकर्ता) और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर प्रबोधन और उसके मापन से अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक को प्रस्ताव में निहित गुणों और अवगुणों का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है। इस प्रक्रिया को और भी अधिक कवरेज देने और व्यापक बनाने के उद्देश्य से बैंक ने अतिरिक्त रेटिंग प्रतिमानों का उपयोग शुरू कर दिया है।

रेटिंग मॉडल फैक्टर गुणात्मक और मात्रात्मक, प्रबंधन जोखिम, व्यापार जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहाँ कहीं लागू हो) और सुविधा जोखिम आदि से संबंधित आंतरिक रेटिंग कारक हैं। उद्योग जोखिम विषयक यह आँकडें बाजार की परिस्थितियों के आधार पर नियमति रूप से अद्यतन किये जाते हैं।

एक धारणा के रूप में उधार रेटिंग बैंक के अन्दर अच्छी तरह अन्तर्निहित हो गया है। मजबूत उधार जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के उपाय के रूप में बैंक ने ऋण रेटिंग प्रक्रिया की टायर प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें निर्धारित स्तरों पर उधार रेटिंग के वैधीकरण के लिए जो उच्चतर दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए आवश्यक उधारकर्ताओं के लिए बिना किसी पक्षपात के रेटिंग करने की दृष्टि से उधार विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। बैंक के प्रधान कार्यालय के अधिकार के अन्दर आनेवाले प्रस्तावों के लिए रेटिंग का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। बैंक उधार खातों पर ब्याज दरों का निर्णय करने के लिए उधार रेटिंग का प्रयोग करते हैं। उधार रेटिंग का लाभ यह है कि इससे जोखिम के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों का प्रवर्गीकरण किया जाता है और अर्थपूर्ण तुलना की जा सकती है।

बैंक ऋणों और अग्रिमों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषित बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। समुचित मंजूरीकर्ता प्राधिकारियों को नए प्रस्ताव / वृद्धि के लिए संस्तुति करने के लिए अपवाद स्वरूप बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रीय कार्यालय में सभी स्तरों पर अनुमोदन ग्रिड गठित किया गया है। शाखा प्रबंधकों, क्षेत्रीय प्रबंधकों और अन्य प्रधान कार्यालयों के अधिकारियों को विशिष्ट मंजूरी अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं । बैंक ने व्यक्तिगत कंपनी के लिए समूह के लिए रु. 250 करोड़ तथा रु. 500 करोड़. क्रमश: की उधार सुविधा की मंजूरी के लिए ऋण अनुमोदन समिति (सी ए सी) का गठन किया है । यह बोर्ड की उप समिति है जो बोर्ड के अनुमोदन से प्रबंधन समिति के अतिरिक्त है ।

बैंक द्वारा शुरू किए गए नए उत्पादों का परीक्षण आंतरिक परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओ आर एम सी) / ऋण नीति समिति (सी पी सी) / आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) द्वारा नए उत्पाद / प्रक्रिया में शामिल जोखिम प्रकार के आधार पर आर एम सी बी / बोर्ड को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व किया जाता है ।ऐसे नए उत्पादों के लिए पालन किए जाने वाले प्रणाली व प्रक्रिया को प्रणाली व प्रक्रिया समिति (सैपको) द्वारा बनाये जाते हैं ।

उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और फ्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंक वाइड आधार पर किया जाता है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। सीपीसी बैंक की जोखिम वहन क्षमता को हिसाब में लेता है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोज़र सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालता है।

बैंक में उत्कृष्ट उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार स्थापित करने के लिए उपाय किए हैं। उधार जोखिम प्रबंधन नीति ऋण के अतिरिक्त निवेश नीति, प्रतिपक्षी जोखिम प्रबंधन नीति और देशीय जोखिम प्रबंधन नीति आदि तैयार की है जो बैंक में उधार जोखिम के प्रबोधन का आंतरिक भाग है। इसके अतिरिक्त बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम कम करने की नीति भी कार्यान्वित की गई है जो बैंक द्वारा सामान्यत: स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक) के विवरण और बैंक के हित की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित करती है। ये प्रतिभूतियां उन उधार जोखिमों को कम करती हैं जो बैंक को वहन करना पड़ सकता है।

उधार निगरानी / ऋण पुनरीक्षण / ऋण लेखा परीक्षा

उधार प्रबोधन विभाग ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की निगरानी करता है, समस्याओं की पहचान करता है और कमियों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाता है।विभाग का उद्देश्य है अर्जक खातों को एन पी ए में स्लिप होने को न्यूनतम करना और साथ ही उपलब्ध मानदण्डों व दिशानिर्देशों का अनुपालन करना । विभाग खातों का दैनिक आधार पर वर्गीकरण व अनुवर्तन करके फिसलन को न्यूनतम करने के लिए सूक्ष्म निगरानी भी करता है । इसके साथ ही खातों की निगरानी उनके ऋण के आकार के आधार पर विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों द्वारा की जाती है ।

रु. 1करोड़ और ऊपर के ऋण वाले सभी मानक उधार खातों की निगरानी ऋण पुनरीक्षा प्रणाली के तहत की जाती है जो अनिवार्यत: एक ऑफ साइट ऑडिट प्रणाली है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ऋण जोखिम पर निर्देश नोट और बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार ऋण लेखा परीक्षा की जाती है ।

d)	**Capital requirements for operational risk**	
	Basic Indicator Approach	
	Operational Risk	**670.67**
e)	**Total Capital Ratio for the Bank**	
	Total CRAR	13.32%
	Total CRAR (subject to application of Prudential Floor)	13.32%
	Tier 1 CRAR	8.35%

Table DF-4

CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative Disclosures

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending and investment activities of the Bank if a borrower / counterparty is unable to meet its financial obligations to the lender/investor. It emanates from changes in the credit quality/worthiness of the borrowers or counter parties. Credit risk also include counterparty risk and country risk.

Credit rating and Appraisal Process

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

In order to widen the scope and coverage further, the bank is presently in the process of upgrading the rating software used by the bank, which would facilitate the bank to migrate towards advanced approaches of the Basel II framework in future. The product has since been procured and is under testing and the same will be implemented shortly.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project Risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated based on market conditions.

Credit rating as a concept has been well internalized within the bank. As a measure of robust credit risk management process, the bank has implemented a tiered system for validation of credit ratings at specified levels which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers necessary for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under powers of Bank's Central Office, the validations of ratings are done at Risk Management Dept. The Bank uses credit rating for deciding interest rates on borrowal accounts. The advantage of credit rating is that it enables to rank different proposals based on risk and do meaningful comparisons.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Approval Grid has been constituted at all levels covering Exceptionally Large branch / RO / CO for recommending fresh/ enhancement proposal to appropriate sanctioning authorities. Specific Sanctioning Powers have been delegated to Branch Managers, Regional Managers and other Head Office functionaries. The bank has constituted Credit Approval Committee(CAC) for sanction of Credit facilities upto Rs.250 Cr for the Individual company and Rs.500 Cr for the group. This is a sub committee of the Board which is in addition to Management Committee of Board with the approval of the Board.

The new products introduced by bank are examined by the internal Operational Risk Management Committee (ORMC)/ Credit Policy Committee(CPC)/ Asset Liability Management Committee(ALCO) depending upon the type of risks involved in the new product / process before being placed to RMCB/ Board for approval. The system and procedure committee (SAPCO) lays down the system and procedure to be followed for such new products.

Credit Risk Management Policies

The bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organization structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured. The CPC takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure limits.

The bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Funds and Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. Presently, selected securities act as mitigation against credit risk (in capital computation), to which the bank is exposed.

Credit Monitoring / Loan Review / Credit Audit

The Credit Monitoring Department monitors the quality of Credit portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. The objective of the department is to minimize slippage of performing accounts to NPA category and also to comply with the laid down norms and guidelines. The department is also micro monitoring the accounts by segmentation and follow up the accounts on a daily basis to minimize slippages. Furthermore, the accounts are also monitored at different levels of authority depending upon the size of the exposure.

All standard borrowal accounts with credit exposure of Rs.1 crore and above are reviewed under Loan Review Mechanism, which is essentially an off-site audit mechanism. The credit audit is carried out in terms of Guidance Note on Credit Risk issued by Reserve Bank of India and the Credit Risk Management Policy of the Bank.

ऋण ऑडिट के तहत किसी भी स्तर के प्राधिकृत द्वारा मंजूर रु. 5 करोड़ और ऊपर के उधार खाते आते हैं । यह लगातार चलने वाला कार्य है जिससे बैंक को कमियों की पहचान करने में मदद मिलती है साथ ही उधार खाते की रुग्णता / कमजोरी के प्रारंभिक संकेत भी प्राप्त होते हैं । यह अनिवार्यत: एक ऑफ साइट प्रणाली है जिससे अग्रिमों की गुणवत्ता में क्षरण को रोका जा सकता है और इस प्रकार बैंक के हित की रक्षा हो सकती है ।

पुनर्संरचित खाते का वर्गीकरण

बैंक निम्नानुसार पुनर्संरचित खाते के वर्गीकरण व प्रावधानीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों समय समय पर पालन करता है :

अनर्जक आस्तियों का वर्गीकरण :

लेखाकरण उद्देश्यों के लिए इंपेयरमेंट व पास्ट ड्यू अवधारणा के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकसम्मत दिशानिर्देशों का बैंक पालन करता है ।

	मात्रात्मक प्रकटीकरण	हमारे बैंक पर प्रयोज्यता	
क.	कुल सकल उधार जोखिम एक्सपोज़र, निधि आधारित	निधि	143272.64
	और गैर निधि आधारित पृथक -पृथक	गैर निधि	31385.15
ख.	प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण, निधि आधारित और		
	गैर निधि आधारित पृथक-पृथक	निधि	गैर निधि
	• विदेशी	127418.85	28141.63
	• देशीय	15853.79	3243.52
ग.	प्रकटीकरण के औद्योगिक प्रकार का वितरण, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित अलग-अलग	अनुबंधित	
घ.	आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन	अनुबंधित	
ङ.	एनपीए (सकल) की राशि		
	• अवमानक	1809.20	
	• संदिग्ध (डी1,डी2,डी3)	2051.89	
	• हानि	58.98	
च.	निवल एनपीए	1907.44	
छ.	एनपीए अनुपात		
	• सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	2.74%	
	• निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	1.35%	
ज.	एनपीए का प्रचलन (सकल)		
	• प्रारंभिक शेष	3089.59	
	• जोड़	3184.76	
	• घटाव	2354.28	
	• अन्तिम शेष	3920.07	
झ.	एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचलन		
	• प्रारंभिक शेष	1650.06	
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	1470.16	
	• बट्टे खाते में डाला गया	1196.82	
	• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	–	
	• अन्तिम शेष	1923.40	
ञ.	अनर्जक निवेशों की राशि	109.15	
त.	अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	19.61	
थ.	निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार-चढ़व		
	• प्रारंभिक शेष	225.15	
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	189.84	
	• बट्टे खाते में डाला गया	0	
	• आंतरिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	51.03	
	• अन्तिम शेष	363.96	

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन (रु. करोड़ में)

दिन 1	2-7 दि	8-14 दि	15-28 दि	29 दि - 3 म	3-6 म	6 म - 1 वर्ष	>1 से 3 वर्षों	> 3 से 5 वर्षों	> 5 वर्षों
4884.56	12265.49	3896.39	2573.68	14541.23	15850.31	29006.75	56415.22	19685.12	116841.87

देशी परिचालनों के लिए सकल आस्तियाँ कवर करता है ।

The credit audit covers all borrowal accounts with total exposure of Rs. 5 crore and above sanctioned by any authority. This is an ongoing exercise which helps the bank to identify deficiencies and early warning signals of sickness/weakness in borrowal accounts. Essentially this is an onsite audit mechanism to prevent deterioration in the quality of advances thereby protecting the interest of the bank.

Classification of restructured accounts

The bank has followed the prudential guidelines issued by the RBI in respect of classification and provisioning for restructured accounts from time to time.

Classification of Non Performing Accounts

The bank follows the prudential guidelines of RBI taking into account the impairment and past due concepts for accounting purpose.

(Rs. In Crore)

Quantitative Disclosures		**Applicability to our Bank**	
a)	Total gross credit risk exposures, Fund based and Non fund based separately	FB NFB	143272.64 31385.15
b)	Geographic distribution of exposures, Fund based and Non fund based separately	FB	NFB
	◆ Domestic	127418.85	28141.63
	◆ Overseas	15853.79	3243.52
c)	Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately.	Annexed	
d)	Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed	
e)	Amount of NPAs (Gross)		
	◆ Substandard	1809.20	
	◆ Doubtful (D1, D2, D3)	2051.89	
	◆ Loss	58.98	
f)	Net NPAs	1907.44	
g)	NPA Ratios·		
	◆ Gross NPAs to gross advances	2.74%	
	◆ Net NPAs to net advances	1.35%	
h)	Movement of NPAs (Gross)		
	◆ Opening balance	3089.59	
	◆ Additions	3184.76	
	◆ Reductions	2354.28	
	◆ Closing balance	3920.07	
j)	Movement of provisions for NPAs		
	◆ Opening balance	1650.06	
	◆ Provisions made during the period	1470.16	
	◆ Write off	1196.82	
	◆ Write back of excess provisions	-	
	◆ Closing balance	1923.40	
k)	Amount of Non-Performing Investments	109.15	
l)	Amount of provisions held for non-performing investments	19.61	
m)	Movement of provisions for depreciation on investments		
	◆ Opening Balance	225.15	
	◆ Provisions made during the period	189.84	
	◆ Write-off	0	
	◆ Write-back of excess provisions	51.03	
	◆ Closing Balance	363.96	

Residual contractual Maturity break down of Assets (Rs. In Crore)

Day 1	2-7 D	8-14D	15-28D	29D-3M	3-6M	6M-1Year	>1 to 3years	>3 to 5years	>5 years
4884.56	12265.49	3896.39	2573.68	14541.23	15850.31	29006.75	56415.22	19685.12	116841.87

Covers Gross Assets for domestic operations

उद्योगवार ऋण प्रकटीकरण	(रु.करोड़ों में)
उद्योग का नाम	**बकाया**
खान व क्वेरियिंग	3082.92
लौह और इस्पात	9080.26
अन्य धातु व धातु उत्पाद	1926.01
सभी इन्जीनियरिंग	4315.60
उसमें से इलेक्ट्रानिक्स	365.43
सूती वस्त्र उद्योग	3253.53
जूट वस्त्र उद्योग	20.02
अन्य वस्त्र उद्योग	2562.03
चीनी	884.09
चाय	38.85
खाद्य प्रसंस्करण	1288.36
वनस्पति तेल और वनस्पति	370.51
तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	215.28
कागज और कागज उत्पाद	1494.40
रबर और रबर उत्पाद	780.02
रसायन, डाइ, पेन्टस आदि	2255.18
उनमें से उर्वरक	480.23
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	706.33
सीमेंट व सिमेंट उत्पाद	1365.43
चमड़ा और चमड़ा उद्योग	259.96
लकड़ी व लकड़ी उत्पाद	413.81
काँच व काँच का सामान	127.53
बहुमूल्य रत्न व आभूषण	687.70
निर्माण	1675.25
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद व न्यूक्लियर ईंधन	1372.69
वाहन , वाहन के पुर्जे व यातायात उपकरण	2436.04
कम्प्यूटर सॉफ़्टवेयर	561.44
इन्फ्रास्ट्रक्चर	17303.65
उनमें से शक्ति	11053.84
उनमें से तार संचार	1325.12
उनमें से रोड और पोत	3590.58
अन्य उद्योग	370.61
एनबीएफसी	6670.13
व्यापार	7973.72
शेष सकल अग्रिमों के प्रति अवशिष्ट अग्रिमों	70487.62
कुल	143272.64

तालिका डी एफ-5

उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने से उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन के लिए नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (एन सी ए एफ) के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया है। पूँजी के परिकलन में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम के लिए पूँजी का परिकलन करने में बड़ी संख्या में छोटे मूल्य क ऋणों को समेकित आधार पर कब्जा कर लिया जाता है । जहाँ ऋण पूर्णत: प्रतिभूत होते हैं जैसे आभूषण ऋण, मियादी जमा/ अनुमोदित बीमा पॉलिसी आदि के प्रति ऋण । ये ऋण उपलब्ध उधार जोखिम शमन उपायों (सी आर एम) के प्रति पूर्णत: नेटेड हैं क्योंकि उच्च मार्जिन प्रावधान के कारण लागू हेयर कट प्रयोग करने के पश्चात ऋण से अधिक शमन है । इसी प्रकार पूर्णत: अप्रतिभूत ऋणों के मामले में जैसे कृषि ऋण , लघु ऋण , उपभोक्ता ऋण , स्टॉफ ऋण आदि पूँजी की गणना पूरे ऋण पर की जाती है जैसा कि संबंधित वर्ग / वर्गीकरण में लागू है । इन ऋणों का पूरा ब्यौरा जहाँ समेकन दृष्टिकोण अपनाया जाता है ,प्रत्येक खाते के लिए सी बी एस प्रणाली में उपलब्ध है और सिर्फ पूँजी की गणना के लिए ही समेकन दृष्टिकोण अपनाया जाता है क्योकिं इन खातो को व्यक्तिगता या साथ साथ लेने पर प्रभाव समान ही रहता है ।

बाहरी उधार रेटिंग

नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है । बाहरी रेटिंग के आधार पर कार्पोरेट / पीसीई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोज़र को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को चार देशीय ईसीआरए जैसे क. उधार विश्लेषण और शोध लि. (सीएआरई) ख. क्रिसिल लि. ग. आइसीआरए लि., की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है।

उपरोक्त के मद्देनजर बैंक ने पूँजी राहत के उद्देश्य से इन सभी ईसी आर ए द्वारा प्रदत्त रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग बही में तुलनात्मक आस्ति पर पब्लिक ईश्यू की मैपिंग के लिए प्रावधान किया है । तथापि यह विशेष प्रावधान उधार जोखिम पूँजी की गणना में नहीं लिया जाता है ।

बाहरी रेटिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने और ग्राहकों को अपने एक्सपोज़र के लिए सरलता से बाहरी रेटिंग प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से बैंक ने इन चारों उधार रेटिंग एजेन्सियों के साथ अलग समझौता ज्ञापन करने के लिए कार्रवाई की है। इस करार से बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों द्वारा बैंक के ग्राहकों की रेटिंग के लिए रियायती शुल्क प्रदान किया जाता है। उधारकर्ता अपने विचार से इन चारों एजेन्सियों में से किसी एक या अधिक से अपने एक्सपोज़र की रेटिंग के लिए कह सकते हैं। बैंक किसी भी बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी द्वारा आबंटित को स्वीकार करेगा और इसका प्रयोग करेगा। पिछले 15 महीनों के दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है। जहां कहीं किसी उधारकर्ता को बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी से एक या अधिक रेटिंग मिली है, वहां पूंजी के अभिकलन के लिए जोखिम भार के आबंटन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना है।किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है ।

आंतरिक क्रेडिट रेटिंग :

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है और तदनुसार प्रस्तावों की स्वीकार्यता और एक्सपोज़र का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लेने के लिए भी प्रणाली है। बहरहाल, पूंजी परिकलन के मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम भार के अनुप्रयोग के लिए ऐसी रेटिंग को काम में नहीं लाया जा सकता। तदनुसार बैंक ने, 31-03-2012 तक उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करते समय, बैंक की अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों द्वारा आबंटित उधारकर्ता की ऋण एक्सपोज़र रेटिंग को कार्पोरेट और पीएसई के तहत लिया है।

कार्पोरेट / पीएसई के विशेष निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी की किसी निर्गम विशेष के लिए रेटिंग को हिसाब में लिया जाता है और तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई रेटिंग स्केल की समवर्ती वित्तीय स्थिति के बाद जोखिम भार का अनुप्रयोग किया जाता है।

INDUSTRY WISE EXPOSURES (Rs. In Crore)

Industry Name	Outstanding
Mining and Quarrying	3082.92
Iron and Steel	9080.26
Other Metal and Metal Products	1926.01
All Engineering	4315.60
Of which Electronics	365.43
Cotton Textiles	3253.53
Jute Textiles	20.02
Other Textiles	2562.03
Sugar	884.09
Tea	38.85
Food Processing	1288.36
Edible Oils and Vanaspati	370.51
Tobacco and Tobacco Products	215.28
Paper and Paper Products	1494.40
Rubber, Plastic and their Products	780.02
Chemicals, Dyes, Paints, etc.	2255.18
Of which Fertilisers	480.23
Of which Drugs and Pharmaceuticals	706.33
Cement and Cement Products	1365.43
Leather and Leather Products	259.96
Wood and Wood products	413.81
Glass and Glassware	127.53
Gems and Jewellery	687.70
Construction	1675.25
Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	1372.69
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipment	2436.04
Computer Software	561.44
Infrastructure	17303.65
Of which Power	11053.84
Of which Telecommunications	1325.12
Of which Roads & Ports	3590.58
Other Industries	370.61
NBFCs	6670.13
Trade	7973.72
Residual Advances to Balance Gross Advances	70487.62
TOTAL	**143272.64**

Table DF-5

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

Credit Risk: Disclosures for portfolios subject to Standardised Approach:

General Principle

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Standardised Approach of the New Capital Adequacy Framework (NCAF) for computation of capital for credit risk. In computation of capital, the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by the RBI from time to time.

In computation of capital for Credit risk under Standardised Approach, a large number of small value exposures are captured on a consolidated basis. Where the exposures are fully secured such as Jewel Loans, Loans against Term deposits/approved insurance policies etc. These loans are fully netted against available credit risk mitigants (CRM), as the mitigation higher than the exposure after applying the applicable hair cut due to higher margin prescription. Similarly, in case of fully unsecured loans such as Agriculture Loans, Small loans, consumer loans, staff loans etc the capital computation is done on the entire exposure as applicable to relevant segment / classification. Full details of these loans where consolidated approach is adopted are available in the CBS system for each account and only for capital computation the consolidated approach is adopted as the effect is same when these accounts are taken individually or together.

External Credit Ratings

Ratings of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRA) assumes importance in the light of Guidelines for implementation of the New Capital Adequacy Framework (Basel-II). Exposures on Corporates / PSEs/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of the four domestic ECRAs viz. Credit Analysis and Research Ltd (CARE), CRISIL Ltd, FITCH India and ICRA Ltd .

In consideration of the above, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs for capital relief purpose. The RBI has provided for mapping public issue ratings on to comparable assets into banking book. However, this particular provision has not been taken into account in Credit Risk Capital Computation.

In order to facilitate the process of external rating and enabling the customers to solicit external ratings for their exposure smoothly, the bank has taken the initiative by entering into separate MOU with all these four credit rating agencies. The agreement provides for extending concessional fees by the ECRAs for rating bank's customers. The MOUs do not have any exclusivity clause to deal with. Borrowers at their option can approach any one or more of the above ECRAs for their rating. The Bank has only used the solicited ratings assigned by any of the ECRAs. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank. Wherever a borrower possesses more than one rating from ECRAs the guidelines prescribed by the RBI are followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital. The bank has put in place pricing of loan / facilities linked to external rating.

Internal Credit Rating

The bank has a well structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower and accordingly the systems are in place for taking credit decision as regards the acceptability of proposals and level of exposures and pricing. However, such rating cannot be used for application of risk weight under Standardised Approach of capital computation. Accordingly the bank has taken into consideration the borrower's loan exposure credit ratings assigned by the approved ECRAs while computing the capital for credit risk as on 31.03.2012 under corporate and PSE segments

In case of bank's investment in particular issues of Corporates / PSEs, the issue specific rating of the approved ECRAs are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश में दिए गए उधारों के पूंजी परिकलन के उद्देश्य से फिच, मूडीस और एस&पी अन्तरराष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों, जो भी उपलब्ध हो, द्वारा आबंटित रेटिंग का प्रयोग किया गया है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी के परिकलन के अनुरूप बाहरी रेटिंग द्वारा भारत में एक्सपोज़र के कवरेज के संबंध में प्रक्रिया को उधारकर्ताओं के बीच प्रचलित किया जाना है ताकि अपने ग्राहकों की बेहतर रेटिंग के लिए उपलब्ध पूंजी राहत लाभ उठाया जा सके। इसमें कुछ समय लग सकता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

रु. करोड में

वर्गीकरण	कम करने के पश्चात एक्सपोजर (इएएम)	बाहरी रेटिंग के अधीन आवरित इएएम	रेटिंग नहीं की गई
अग्रिम / निवेश			
100% जोखिम भार से कम	89098.72	21054.91	68043.81
100% जोखिम भार	74338.55	12659.98	61678.57
100% जोखिम भार से अधिक	13684.90	3209.17	10475.73
घटाएँ	0	0	0
कुल	**177122.17**	**36924.06**	**140198.11**
अन्य आस्तियाँ			
100% जोखिम भार से कम	20687.90	220.98	20466.92
100% जोखिम भार	4163.47	210.00	3953.47
100% जोखिम भार से अधिक	0	0	0
घटाएँ	0	0	0
कुल	**24851.37**	**430.98**	**24420.39**

तालिका डीएफ - 6

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए दृष्टिकोण गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम को कम करना : मानकीकृत पद्धतियों के लिए प्रकटीकरण

क) उधार जोखिम को कम करने पर नीति

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। नीति में बैंक द्वारा ऋण देते समय सामान्यत: स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है

ताकि बैंक के हित की सुरक्षा / रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन / प्रबोधन भी हो । बैंक द्वारा स्वीकार की गई प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक दोनों) के प्रमुख प्रकार में स्वर्ण / आभूषण, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-प्रत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र, शेयर व डिबेंचर, केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, म्यूच्युअल फंड यूनिटें, अचल संपत्तियाँ, संयंत्र व मशीनरी, माल तथा वाणिज्य वस्तुएँ, माल के हक-विलेख, बहीगत ऋण, वाहन तथा अन्य चल संपत्तियाँ शामिल हैं जिसमें बैंक की अपनी जमाएँ भी हैं । बैंक ने अचल संपत्तियों और संयंत्र तथा मशीनरियों के मूल्यांकन पर सुस्पष्ट नीति बनाई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है ।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

क) पात्र वित्तीय संपार्श्विक :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उधार जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी तरीके से घटाया जा सकता है। अत: पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में उधार जाखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करते समय बैंक ने विशिष्ट प्रतिभूतियों को मान्यता दी है जैसे क) बैंक जमाएँ ख) स्वर्ण / आभूषण ग) जीवन बीमा पॉलिसी घ) किसान विकास पत्र (2 1/2 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद) ङ) सरकारी प्रतिभूतियाँ च) म्यूच्यूअल फंड की यूनिटें जो भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं ।

ख) ऑन बैलेंस शीट नेटिंग :

उधार जोखिम को कम करने संबंधी तकनीकों और संपार्श्विक प्रबंधन के उपयोग पर बैंक की नीति के अनुसार उधारकर्ता के ऋणों / अग्रिमों के प्रति उपलब्ध जमाओ की हद तक (जोखिम की हद तक अधिकतम) ऑन बैलन्स शीट नेटि्टंग को गणना में लिया गया, जहां बैक के पास विधिक रूप से अपनी नीतियों को लागू करने के लिए नेटि्टंग व्यवस्थाएं मौजूद हैं जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दस्तावेजीकरण के प्रमाण सहित विनिर्दिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल है । ऐसे मामले में पूंजी का संगणन निवल उधार जोखिम के आधार पर किया जाता है ।

ग) पात्र गारंटियां

आगे उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार इस प्रकार हैं इ क) केंद्र सरकार की गारंटी (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएसआइ (0%) घ) इसीजीसी (20%) ङ) साख-पत्र के अधीन खरीदे / बट्टे खाते में डाले गए बिलों के रूप में बैंक गारंटी (20% या विदेशी बैंकों की रेटिंग के मुताबिक) च) कारपोरेट गारंटी (एए - या उससे बेहत्तर) (बाहरी रेटिंग के अनुसार) । बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में संकेंद्रीकरण जोखिम

बैंक द्वारा मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी की गणना के लिए कई प्रकार के शामक उपाय वाली नीतियां व प्रक्रिया उपलब्ध हैं । उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ (वित्तीय संपार्श्विक) आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं । वर्तमान में बैंक प्रयुक्त क्रेडिट जोखिम शमन में कोई संकेन्द्रण जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम कम करने के माध्यमों में प्रत्येक प्रकार के संपर्श्विक की कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं किया गया है ।

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and Standard & Poor's is used, whichever is available, as per RBI guidelines.

As regards the coverage of exposures in India by external ratings as relevant for capital computation under Standardised Approach, the process needs to be popularized among the borrowers so as to take the benefit of capital relief available for better-rated customers. The borrowers need to consider the external rating as an opportunity for their business development, which would take some time.

Quantitative Disclosures (Rs. In Crore)

Classification	Exposure after Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES / INVESTMENT			
Below 100% risk weight	89098.72	21054.91	68043.81
100% risk weight	74338.55	12659.98	61678.57
More than 100% risk weight	13684.90	3209.17	10475.73
Deducted	0	0	0
TOTAL	**177122.17**	**36924.06**	**140198.11**
OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	20687.90	220.98	20466.92
100% risk weight	4163.47	210.00	3953.47
More than 100% risk weight	0	0	0
Deducted	0	0	0
TOTAL	**24851.37**	**430.98**	**24420.39**

Table DF – 6

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures

Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches:

Policy on Credit Risk Mitigation

In line with the regulatory requirements, the bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the bank's Board. The Policy lays down the type of securities normally accepted by the bank for lending and administration/ monitoring of such securities in order to safeguard /protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

The main types of securities (both prime and collateral) accepted by the Bank includes Bank's own deposits, Gold/ Ornaments, Kisan Vikas Patras, 10 year Social Security Certificates, Shares and debentures, Central and State Govt. securities, Life Insurance Policies, Mutual Fund units, Immovable Properties, Plant and Machinery, Goods and Merchandise, Documents of Title to Goods, Book debts, Vehicles and other moveable assets etc. The bank has also framed a well-defined policy on valuation of immovable properties and Plant and Machineries duly approved by Board.

Credit Risk Mitigation under Standardised Approach

(a) Eligible Financial Collaterals

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, in line with RBI guidelines, the bank has recognized specific securities viz (a) cash/bank deposits (b) gold/ ornaments (c) life insurance policies (d) kisan vikas patras (after a lock in period of 2 ½ years).

(b) On Balance Sheet Nettings

As per Bank's policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on–balance sheet netting has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (maximum to the extent of exposure), where bank has legally enforceable netting arrangements involving specific lien with proof of documentation as prescribed by RBI. In such cases, the capital computation is done on the basis of net credit exposure.

(c) Eligible Guarantees

Other approved form of credit risk mitigation is availability of "Eligible Guarantees". In computation of credit risk capital, types of guarantees recognized as mitigation, in line with RBI guidelines are (a) Central Government (0%) (b) State Government (20%), (c) CGTSI (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills Purchased/discounted under Letters of Credit (both domestic and foreign banks as per guidelines).

The bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration risk in credit risk mitigation

Policies and processes are in place indicating the type of mitigants the bank uses for capital computation under the Standardised approach. All types of securities (financial collaterals) eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, the bank does not envisage any concentration risk in credit risk mitigation used and presently no limit/ceiling has been prescribed for the quantum of each type of collateral under credit risk mitigation.

गुणात्मक प्रकटीकरण	(रु. करोड़में)
प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात कवर किया गया है ।	23397.59
देशी संप्रभुता	448.83
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	108.30
कार्पोरेट	5771.88
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	11103.06
आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावे	14.17
वाणिज्यिक भू संपदा द्वारा प्रतिभूत दावे	92.08
उपभोक्ता ऋण	5533.60
पूँजी बाजार ऋण	52.34
एन बी एफ सी	102.77
अनर्जक आस्तियाँ - अ) आवास ऋण	0.12
अनर्जक आस्तियाँ - ब) अन्य	45.78
अन्य आस्तियाँ - स्टॉफ ऋण	45.76
अन्य आस्तियाँ	42.64
पुनर्संरचित खाते	36.26
प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण	(रु. करोड़ में)
प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोज़र (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात कवर किया गया है ।	11200.23
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	3129.56
कार्पोरेट	5056.08
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	1644.98
पुनर्संरचित	1362.48
पूँजी बाजार ऋण	7.13

तालिका डीएफ 7

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) निम्नलिखित चर्चा को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा

31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए कोइ प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया है।

- प्रतिभूतिकरण कार्य के संबंध में बैंक का उद्देश्य, इन कार्यों से पूर्वताप्राप्त प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के उधार जोखिमों को बैंक से अन्य इकाइयों को अंतरित कर देता है।
- प्रतिभूत आस्ति में निहित अन्य जोखिमों की प्रकृति (उदाहरणार्थ लिक्विडिटी जोखिम)
- अपने प्रतिभूतिकरण के कार्य के लिए बैंक द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिका (उदाहरणार्थ ओरिजिनेटर, निवेशक, सेवा प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, लिक्विडिटी प्रदाता , स्वैप प्रदाता @ प्रतिरक्षा प्रदाता #) और इनमें से प्रत्येक में बैंक की सहभागिता की सीमा का सूचक
- प्रतिभूतिकरण ऋण की ऋण और बाजार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन (उदाहरणाार्थ किस प्रकार अन्डरलाइंग आस्ति प्रतिभूतिकरण ऋण को प्रभावित करता है जैसा कि एन सी ए एफ के मास्टर परिपत्र दिनांकित 1 जुलाई 2009 के पैरा 5.16.1 में परिभाषित किया गया है ।)
- प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के माध्यम से बनाए रखे गए जोखिम के शमन करने के लिए ऋण जोखिम शमन के प्रयोग को शासित करने वाली बैंक की नीति का वर्णन ।

ख) निम्नलिखित को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण कार्यों के लिए बैंक द्वारा अपनायी गई लेखांकन नीतियों का सार :

- क्या लेन देन को बिक्री या वित्तपोषण के तौर पर माना जाता है ।
- प्रविधि और मुख्य परिकल्पनाएं (इनपुट सहित); रखे गए या खरीदी गई स्थिति का मूल्यांकन
- पिछली अवधि से प्रविधि और मुख्य परिकल्पनाओं में परिवर्तन और परिवर्तन का प्रभाव
- बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए अपेक्षित व्यवस्था के लिए तुलन पत्र पर देयताओं की पहचान करने के लिए नीतियां

ग) प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त ई सी ए आइ के नाम , बैंकिंग बही में और प्रतिभूतिकरण ऋण के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी प्रयुक्त हुई हो ।

बैंकिंग बही में प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण — लागू नहीं

घ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत कुल ऋण

ङ) चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा पहचानी गई हानि जिसे एक्सपोजर के प्रकार (अंडरलाइंग प्रतिभूति द्वारा वर्णित उदाहरणार्थ क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग ऋण, ऑटो ऋण, आदि

च) एक वर्ष के अंदर प्रतिभूतिकरण हेतु आस्ति की रकम

छ) च) प्रतिभूतिकरण से पूर्व एक वर्ष के अंदर उत्पन्न आस्ति की रकम

ज) प्रतिभूति एक्सपोज़र (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)की कुली मात्रा और एक्सपोजर प्रकार की बिक्री पर अचिह्नित लाभ या हानि

झ) प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की समग्र मात्रा जिसे बनाए रखा गया या खरीदा गया जिसे एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटा गया तथा ऑफ बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जिसे एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटा गया ।

Quantitative Disclosures	(Rs. In Crore)
For each separately disclosed credit risk portfolio, the exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Eligible Financial Collateral after application of haircuts	23397.59
Domestic Sovereign	448.83
Public Sector Entities	108.30
Corporates	5771.88
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	11103.06
Claims secured by Residential Property	14.17
Claims secured by Commercial Real Estate	92.08
Consumer Credit	5533.60
Capital Market Exposure	52.34
NBFC	102.77
Non Performing Assets – a) Housing Loan	0.12
Non Performing Assets – b) Others	45.78
Other Assets – Staff Loans	45.76
Other Assets	42.64
Restructured Accounts	36.26

Quantitative Disclosures	(Rs. In Crore)
For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / Credit Derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	11200.23
Public Sector Entities	3129.56
Corporates	5056.08
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	1644.98
Restructured	1362.48
Capital Market Exposure	7.13

Table DF 7

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of:

- The bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities.
- The nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitized assets
- The various roles played by the bank in securitisation process (for example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider, protection provider) and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;
- A description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitization exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular of NCAF dated July 1, 2009);
- A description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposure;

No securitisation for the year ended 31.03.2012

b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including :

- Whether the transactions are treated as sales or financings;
- Methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased.
- Change in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;
- Policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets;

c) In the banking book, the names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.

Quantitative Disclosures in Banking Book

d) Total amount of exposures securitised by the bank. — Not applicable

e) For exposures securitised losses recognized by the Bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, Housing loans, auto loans, etc. detailed by underlying security)

f) Amount of assets intended to be securitized within a year.

g) Of (f), amount of assets originated within a year before securitization.

h) The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type.

i) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type.

प्रमात्रात्मक प्रकटन : ट्रेडिंग बही

ट) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की समग्र मात्रा जिसके लिए बैंक ने एक्सपोजर रखा था और जो एक्सपोजर प्रकार द्वारा मार्केट रिस्क एप्रोच के अधीन है ।

ठ) निम्नलिखित की समग्र मात्रा :

- रखा गया या खरीदा गया ऑन बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण जिसे एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटा गया हो और
- ऑफ बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण जिसे एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटा गया हो ।

ड) निम्नलिखित के लिए अलग से खरीदे गए या रखे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की समग्र मात्रा :

- रखा गया या खरीदा गया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जो विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम माप के अधीन हो और
- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जो विभिन्न रिस्क वेट बैण्ड में काटे गए विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हो ।

ध) निम्नलिखित की समग्र मात्रा :

- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए पूँजी अपेक्षा , जो विभिन्न रिस्क वेट बैण्ड में काटे गए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हो ।
- टियर I पूँजी से पूरी तरह से काटे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर , कुल पूँजी से काटे गए आइ / ओ उधार बढ़ोत्तरी और अन्य कुल पूँजी (एक्सपोजर प्रकार द्वारा) से काटे गए अन्य एक्सपोजर

तालिका डीएफ - 8

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, ईक्विटी कीमतें तथा पण्य कीमतें जैसे बाजार वेरियबिल्स द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित डिरेवेटिव्स से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और ईक्विटी पूँजी से उत्पन्न बाजार जोखिम को कम करना है ।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। बाजार जोखिम प्रबंधन को संभालने की अन्य नीतियाँ निवेश नीति, फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति और डिरैवेटिव नीति हैं । बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा उठाए गए बाजार जोखिम एएलएम फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप पहचाने, मापे, प्रबोधित किए तथा नियंत्रित किए जाते हैं। इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं जिससे बाजार जोखिम का प्रभवी प्रबंधन होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम से प्राप्य लाभ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबोधन के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवक्र का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार डॉटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक रूप से आस्ति और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता / प्रवृत्तिजन्य पद्धति को आधार बनाकर जीएपी विशलेषण के जरिए किया जाता है । बैंक ने अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना के उपाय बनाये हैं। प्रभावकारी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता को संभालने के लिए विवेकपूर्ण (छूट) सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए मूल्यांकित किए जाते हैं। बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों को गठित किया है ताकि तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभाला जा सके। बैंक देशी ट्रेशरी द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जरिए रियल टाइम आधार पर पर्याप्त तरलता का प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विशलेषण के प्रयोग से प्रबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए प्रबोधित किया जाता है। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक ने ड्यूरेशन गैप एनालिसेस फ्रेमवर्क भी बनाया है। शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन (एनआइआइ) और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवई) पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए ब्याज दर में प्रतिकूल गति (नीति में निर्धारितानुसार) के प्रति बैंक जोखिम पर अर्जन (ईएआर) तथा ड्यूरेशन गैप (डीजीएपी) आशोधन को निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑलको) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाजार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। ट्रेज़री विभाग में कार्यरत मध्य कार्यालय समूह भी विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल ।। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकलित की है । 31.03.2012 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं :

(रु.करोड़ में)

बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	3958.82	356.29
ईक्विटी स्थिति जोखिम	3069.78	276.28
विदेशी विनिमय जोखिम	52.98	4.77
कुल	**7081.58**	**637.34**

j) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.

* Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital (by exposure type).

Quantitative Disclosure: Trading Book

k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank had retained some exposures and which is subject to market risk approach, by exposure type.

l) Aggregate amount of:

- On-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and
- Off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type.

m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for:

- Securitisation exposures retained or purchased subject to comprehensive Risk Measure for specific risk; and
- Securitisation exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands.

n) Aggregate amount of:

- the capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands.
- Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital and other exposures deducted from total capital (by exposure type).

Table DF – 8

Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosure

Market Risk

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in balance sheet position caused by changes/movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the bank. Other policies which also deal with market risk management are Funds Management and Investment Policy, Derivative Policy, Risk Management Policy for forex operations and Stress Testing Policy. The market risk management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The bank estimates earnings at risk and modified duration gap periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis.

Quantitative Disclosures

(b) In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.3.2012 in trading book of the bank is as under:

(Rs. In Crore)

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital Requirement
Interest rate risk	3958.82	356.29
Equity position risk	3069.78	276.28
Foreign exchange risk	52.98	4.77
TOTAL	**7081.58**	**637.34**

तालिका डीएफ - 9

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) परिचालनात्मक जोखिम :

परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रकियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल हैं मगर रणनीति या प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम शामिल नहीं है।

परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन पर नीतियाँ

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (ग) अपने ग्राहक को जानें पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (घ) अविराम आइटी कारोबार तथा विपदा पुन:प्राप्ति योजना (आइटी बीसी-डीआरपी) ङ) अनुपालन नीति और च) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्त्रोत पर नीति।

बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना तथा विस्तृत प्रकियाओं की रूपरेखा बताता है। नीति का मूल उद्देश्य बैंक के दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में भूमिकाओं के स्पष्ट नियतन के जरिए परिचालनात्मक जोखिम को प्रभावी ढंग से पहचानने, निर्धारित करने, प्रबोधित करने तथा नियंत्रित/कम करने और भौतिक परिचालनात्मक हानियों सहित परिचालनात्मक ऋण जोखिमों की समय पर रिपोर्टिंग के द्वारा परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिमों को व्यापक तथा मजबूती व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के द्वारा संभाला जाता है।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियां व प्रक्रियाएं बना रखी हैं। बैंक ने कम्प्यूटरीकृत परिचालनों को संभालने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं और निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए ईडीपी लेखा परीक्षा स्थापित है। उचित दस्तावेजों के निष्पादन के लिए दस्तावेजीकरण मैनुयल हैं। कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों की भूमिका के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश हैं। आवधिक कार्यावर्तन के लिए स्पष्ट प्रणाली है। उधार, फारेक्स और अन्य कार्यक्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रभावी प्रशिक्षण प्रणाली है। सभी कर्मचारियों के लिए आचार नियम व सेवा विनियम हैं।

निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति रखी है। बैंकों में अनुपालन कार्यों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय में कारोबार समूह से अलग "अनुपालन विभाग" स्थापित किया है। हर शाखा / विभाग / कार्यालय में अनुपालन के स्तर की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी पदनामित किए गए हैं। अनुपालन स्तर के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया व प्रणालियां तैयार की गई हैं। अनुपालन कार्यों के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली भी तैयार की गई है। बैंक में अनुपालन कार्य और अनुपालन संस्कृति मजबूत हुई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारा बैंक आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसके अनुसार बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूंजी धारित करता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, परिचालन जोखिम के लिए पूंजी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

मानदण्ड	पूँजी रकम	आनुमानिक जोखिम वेटेड आस्ति
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार पिछले 3 वर्ष के दौरान सकारात्मक औसत वार्षिक सकल आय का 15%	670.67	7451.91

तालिका डीएफ - 10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहाँ बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है। परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है। इसी प्रकार परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है।

बैंकिंग बुक में अल्पावधि (आर्थिक परिप्रेक्ष्य) तथा दीर्घावधि (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) परिप्रेक्ष्य से ऑन बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट जोखिमों पर परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ जुड़े जोखिमों को बैंक पहचानता है। आय पर प्रभाव को बैंक की एएलएम नीति में निर्धारितानुसार 100 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात (शॉक) को लागू करके जीएपी विशलेषण के प्रयोग से मापा जाता है। ऐसे प्रभावों के लिए बैंक के एनआइआइ के प्रतिशत के अनुसार विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उसका प्रबोधन पाक्षिक आधार पर आवधिक रूप में किया जाता है। अर्जन पर प्रभाव के परिकलन के लिए, दर संवेदनशील विवरण से पारंपरिक जीएपी को लिया जाता है और विशेष समयावधि के बीच के पाइंट से बची हुई अवधि के आधार पर 100 बीपीएस तक ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित किया जाता है। इसी को ऑलको तथा बोर्ड को आवधिक तौर पर दर संवेदनशील विवरण सहित यानी प्रत्येक रिर्पोटिंग शुक्रवार को रिपोर्ट किया जाता है। सीमाएँ पिछले वर्ष के एनआइआइ के आधार पर नियत किया जाता है।

बैंक ने ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (प्रतिशतता के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विशलेषण को अंतराल जीएपी विशलेषण के साथ मिलाकर अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक की एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.50% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को मासिक आधार पर आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है। बैंक पाक्षिक आधार पर ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव और अवधि अन्तराल की गणना बैंक करता है । दर संवेदनशीलता विवरण और बकेटवार संशोधित अवधि के अनुसार आस्ति व देयता को समूहबद्ध किया जाता है और इन समूह आस्ति व देयता के लिए कॉमन मैच्यूरिटी , कूपन व यील्ड मानदण्ड का प्रयोग करके गणना की जाती है । जहाँ भी संभव होता है संशोधित अवधि की गणना इन आस्तियों के लिए जैसे निवेश और देयता जैसे सी ओ डी टियर I व टियर II बॉण्ड , नाबार्ड / सिडबी पुनर्वित्त आदि जहाँ ग्रेन्यूलर विवरण इन मदों के लिए उपलब्ध हैं ।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑलको) / बोर्ड बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन को प्रबोधित करता है और बाजार स्थिति (चालू तथा प्रत्याशित) की दृष्टि में रणनीति निर्धारित करता है।

Table DF – 9

Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

Policies on Management of Operational risk

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) forex risk management policy (c) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (d) IT Business continuity and disaster recovery plan (IT_BC-DRP) (e) compliance policy and (f) policy on outsourcing of Financial Services.

The operational risk management policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risk in the bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations. The bank has issued detailed guidelines for handling computerized operations and a system of EDP audit is in place to ensure adherence to the laid down systems and procedures. The Bank has clear guidelines as to the role functions of various levels of employees. A training system with provision for giving specialized training in credit /forex and other functional areas is in place. Conduct rules and service regulations for all the employees are also in place.

Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

The Bank has put in place Compliance Policy duly approved by Board. In terms of the RBI guidelines on compliance functions in banks, the bank has established separate "Compliance Department" in C.O. independent of business group. Compliance officers are designated in each branch / department/office to monitor the level of compliance. The methodologies and system have been devised and put in place for assessment of level of compliance. Reporting systems on compliance function have been devised and put in place.

In line with the final guidelines issued by RBI, our bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the banks must hold capital for operational risk equal to 15% of positive average annual gross income over the previous three years as defined by RBI.

Quantitative Disclosures

Parameter	Capital amount	Notional Risk Weighted Assets
15% of positive average annual gross income over the previous 3 years as defined by RBI	670.67	7451.91

Table DF –10

Interest rate risk on the Banking Book

Qualitative Disclosures

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

The bank identifies the risks associated with the changing interest rates on its on-balance sheet and off-balance sheet exposures in the banking book from a short term (Earnings perspective) and long term Economic Value Perspective. The impact on income (Earnings Perspective) is measured through use of GAP analysis by applying notional rate shock upto 100bps as prescribed in the bank's ALM Policy over one year horizon. Prudential limits have been prescribed for such impacts as a percentage of Net Interest Income of the bank and the same is monitored periodically. For the calculation of impacts on earnings, the Traditional Gap Analysis is taken from the Rate Sensitivity Statement and based on the remaining period from the mid point of a particular bucket the impact for change in interest rate upto 100 bps is arrived at. The same is reported to Board and ALCO periodically along with the Rate Sensitivity Statement. The limits are fixed on the basis of previous year's Net Interest Income(NII).

The bank has adopted traditional gap analysis combined with duration gap analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) by applying a notional interest rate shock of 200 bps over a time horizon of one year. For the purpose a limit of (+/-) 1.50% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically. The bank calculates Duration Gap and the impact on Economic Value of Equity on a fortnightly basis. Assets and liabilities are grouped as per rate sensitivity statement and bucket-wise modified duration is computed for these groups of Assets and Liabilities using common maturity, coupon and yield parameters. Wherever possible, the Modified Duraton is calculated on individual item wise for such of those assets like investments and liabilities like CODs, Tier I and Tier II bonds, NABARD/SIDBI refinances etc where granular details are available for each of these items.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to the prudential limits fixed by the bank and determines the strategy in the light of market conditions (current and expected).

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार दर संवेदनशीलता विश्लेषण वैश्विक स्थिति पर किया जाता है, इसके पहले परिकलन देशी तुलन पत्र पर किया जाता था ।

बैंक प्रत्येक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम स्थिति की गणना अवधि अन्तराल विश्लेषण (डी जी ए) और पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टी जी ए) उस मुद्रा में दर संवेदनशील आस्ति (आर एस ए)/ दर संवेदनशील देयता (आर एल एल)पर करता है जहाँ या तो आस्ति या देयता बैंक की कुल वैश्विक आस्ति या वैश्विक देयता का 5 प्रतिशत आस्ति या वैश्विक देयता का 5 प्रतिशत या अधिक हो । सभी अन्य अवशेष मुद्रा में ब्याज जोखिम स्थिति की गणना अलग से समग्र आधार पर की गणना की जाती है ।

आगे , आर एस ए व आर एस एल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए अतिरिक्त समय बकेट यथा " 5 वर्ष से अधिक व 7 वर्ष तक " , " 7 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक "," 10 वर्ष से अधिक व 15 वर्ष तक ' और 15 वर्ष से अधिक

गैर परिपक्वता जमाओ के मामले मे बैंक ने तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यवहारात्मक अध्ययन किया है जैसा कि भारतीय रिजवै बैंक द्वारा ब्याज दर संवेदनशीलता की व्यवहारिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया गया है ।

बैंक में लगातार ऐसे व्यवहारात्मक अध्ययन करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया है और इन अध्ययनों व उनके वार्षिक आउटपुट की समीक्षा के लिए विस्तृत धंचा भी है । आस्ति व देयता व ऑफ बैलेंस शीट मदों की बाजार वैरियबल्स के संबंध में की भविष्यगत व्यवहार का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है ।

विदेशी मुद्रा लेन देन को परिवर्तन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुझाई गयी प्रविधि का बैंक पालन कर रहा है ।

जून 30 ,2011 से मार्च 31, 2012 तक तिमाही आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूपों मे डी जी ए दृष्टिकोण के अनुसार ब्याज दर संवेदनशीलता की रिपोर्ट की जा रही है । दिशानिर्देशों के अनुसार 30 अप्रैल 2012 से बैंक इसे मासिक आधार पर भेजेगा । तिमाही विवरणियां तिमाही की समाप्ति से 21 दिनों के अंदर और मासिक विवरणियां माह के अंत से 15 दिनों कें अंदर प्रस्तुत की जाती है । टी जी ए विवरणी के संबंध में जुलाई 2011 से मासिक आधार पर संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है ।

गुणात्मक प्रकटीकरण

ख) निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (इ वी ई) पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2011 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है :

(रु.करोड़ में)

ब्याज दर में परिवर्तन	**इएआर के लिए एएलएम नीति सीमा**	**जोखिम पर अर्जन (इएआर) 31/03/2012**	
		1 वर्ष तक	**5 वर्ष तक**
0.25% परिवर्तन	198.85 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 5%)	87.93	81.63
0.50% परिवर्तन	397.70 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 10%)	175.87	163.27
0.75% परिवर्तन	596.55 पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 15%)	263.80	244.90
1.00% परिवर्तन	596.55 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 15%)	351.74	326.54

इक्विटी का आर्थिक मूल्य	**31.03.2012**
आशोधित अवधि जीएपी (डीजीएपी)	0.05%
एएलएम नीति के अनुसार सीमा	(+/-) 1.50%
इक्विटी का बाजार मूल्य (एम वी ई)	0.96%
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए ईक्तिवटी में घटाव	1.92%

As per revised guidelines issued by RBI, the Rate Sensitive Analysis is done on Global position from hitherto computation on Domestic Balance Sheet.

Bank is computing the interest rate risk position in each currency applying the Duration Gap Analysis (DGA) and Traditional Gap Analysis (TGA) to the Rate Sensitive Assets (RSA)/ Rate Sensitive Liabilities (RSL) items in that currency, where either the assets or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the bank's global assets or global liabilities. The interest rate risk position in all other residual currencies are computed separately on an aggregate basis.

Further, RSA and RSL are being bucketed in the additional time buckets introduced by RBI viz; 'over 5 years and up to 7 years', 'above 7 years and up to 10 years' and 'over 10 years and up to 15 years' and 'over 15 years'.

In case of Non Maturity deposits, the bank has conducted behavioural studies for a period of three years as prescribed by RBI to have a realistic assessment of the interest rate sensitivity.

Bank is having an appropriate process to conduct such behavioural studies in a consistent manner and also has a detailed framework to review these studies and their output annually. Suitable mechanism is in place to estimate the future behaviour of assets and liabilities and off-balance sheet items with respect to changes in market variables.

The bank is also following the methodology suggested by RBI for conversion of Foreign Currency transactions.

Interest rate sensitivity as per DGA approach is being reported in the formats prescribed by RBI on a quarterly basis with effect from June 30, 2011 till March 31, 2012. The bank shall submit the same on a monthly basis with effect from April 30, 2012 as per the guidelines. The quarterly returns are being submitted within 21 days from the end of the quarter and monthly returns within 15 days from the end of the month. As regards the TGA statement, the same is being submitted on monthly basis from the month of July, 2011 as per revised guidelines.

Quantitative Disclosures

(b) The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2012 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under

(Rs. In Crore)

Change in Interest Rate	ALM PolicyLimit for EaR	Earnings at Risk (EaR) 31.03.2012	
		Up to 1 year	Up to5 years
0.25% change	198.85(5% of NII of previous year)	87.93	81.63
0.50% change	397.70(10% of NII of previous year)	175.87	163.27
0.75% change	596.55(15% of NII of previous year)	263.80	244.90
1.00% change	596.55(15% of NII of previous year)	351.74	326.54

ECONOMIC VALUE OF EQUITY		**31.03.2012**
Modified Duration Gap (DGAP)		0.05%
Limit as per ALM Policy		(+/-)1.50%
Market value of Equity (MVE)	0.96%	
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value		1.92%

सेवा में
भारत के राष्ट्रपति

1. हम ने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के 31 मार्च 2012 तक के संलग्न तुलन-पत्र, उसके अनुबंध में दी गयी उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि खाते और नक़दी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाओं और 45 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियाँ और अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 6 विदेशी शाखाओं सहित 1764 शाखाओं की विवरणियाँ शामिल हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया है। तुलन-पत्र और लाभ व हानि खातों में अ-लेखा परीक्षित 878 शाखाओं से प्राप्त विवरण सम्मिलित हैं । इन अ-लेखा परीक्षित शाखाओं द्वारा अग्रिम के 2.05%, जमाओं के 7.20%, ब्याज आय के 3.07%और ब्याज व्यय के 3.05% का अंशदान है । इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन पर है। अपने लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय देना ही हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने अपना लेखा परीक्षा कार्य भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार बनायें और निष्पादित करें कि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जायें कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई गई राशियों और प्रकट की गई बातों के समर्थन में दिये गये साक्ष्य की परीक्षण के तौर पर जांच की जाती है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा प्रस्तुत किये गये समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी किया जाता है । हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए उचित आधार है।
3. तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची के फार्म "ए" और फार्म "बी" में तैयार किए गए हैं।
4. पुन: संरचित खातों, कारोबार अनुपात, आस्तियों व देयताओं के परिपक्वता पैटर्न , संवेदनशील प्रवर्गों को ऋण जोखिम के संबन्ध में सूचना के सिलसिले में लेखों पर नोट्स (अनुसूची 18) के नोट सं- 14.2, 15, 16 ,और 17 में दिए गए अतिरिक्त प्रकटन, बैंक द्वारा प्रमाणित सूचना / रिकॉर्ड पर आधारित हैं और उन पर हम ने विश्वास किया है।
5. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार और बशर्ते कि उक्त परिच्छेद 1 में दर्शाये गये लेखापरीक्षा की परिसीमा, और इसमें आवश्यक प्रकटन की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हम निम्नवतानुसार रिपोर्ट करते हैं :
   क) हमने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा हेतु सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं और उन्हें संतोषजनक पाया है ।
   ख) बैंक के जो लेनदेन हमारी जानकारी में आये हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं।
   ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पायी गयी हैं।
   घ) हमारी राय और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप अनुरक्षित बैंक की लेखा बहियों में दर्शाये गये अनुसार :

i) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं टिप्पणियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण एवं समुचित तुलन पत्र है जिसमें 31 मार्च 2012 तक बैंक के कार्यकलापों का सही व उचित दर्शन कराने की दृष्टि से सभी विवरणों को उपयुक्त रूप से रेखांकित किया गया है।

ii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं टिप्पणियों के साथ पठित यह लाभ व हानि खाता पूर्ण एवं समुचित है और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है और

iii) महत्वपूर्ण लेखांकरन नीतियों एवं टिप्पणियों के साथ पठित यह नकदी प्रवाह विवरणी पूर्ण एवं समुचित है और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही एवं उचित चित्र दर्शाता है।

6. हमारी राय को पात्रता नहीं देते हुए, हम निम्नलिखित की आरे ध्यान देते हैं :
   अ. टिप्पणी सं.7.2 विगत वर्षों में किये गये रु.234.12 करोड के अतिरिक्त प्रावधान को उलट देने के बाद वर्ष के लिए कर संबंधी खर्चों के लिए ।
   आ. टिप्पणी सं.9 पेंशन व उपदान देयता के लेखाकरण व्यवहार संबंधी
   इ. टिप्पणी सं19.2.2 विगत वर्षों में किये गये रु.119.00 करोड की बीमारी छुट्टी के प्रावधानीकरण को उलट देने के संबंध में ।

एम भास्कर राव ऐण्ड कं. एफआरएन 000459एस	**मित्तल गुप्ता ऐण्ड कं.** एफआरएन 001874सी	**एस आर मोहन ऐण्ड कं.** एफआरएन 002111एस
के.आर.रत्नम साझेदार स.सं.002316	**अक्षय के गुप्ता** साझेदार स.सं.070744	**बी.हरि बाबु** साझेदार स.सं.022206
बदरी, मधुसूधन ऐण्ड श्रीनिवासन एफआरएन 005389एस	**बी.त्यागराजन ऐण्ड कं.** एफआरएन 004371एस	**शंकर ऐण्ड मूर्ति** एफआरएन 003575एस
एन.श्रीनिवासन साझेदार स.सं.027887	**बी.त्यागराजन** साझेदार स.सं.018270	**एस.सुरेश** साझेदार स.सं.203716

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 5.5.2012

AUDITORS' REPORT

To

The President of India

1. We have audited the attached Balance Sheet of Indian Overseas Bank as at 31st March 2012, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date, in which are incorporated the returns of 20 branches and 45 Regional Offices audited by us and 1764 branches including 6 Overseas Branches audited by other auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit & Loss Account are the returns of 878 branches which have not been subjected to audit. Such unaudited branches account for 2.05 % of advances, 7.20 % of deposits, 3.07 % of interest income and 3.05% of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statements. An audit includes examination on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
4. The additional disclosures made in Note No.14.2,15,16 and 17 to the Notes on Accounts (Schedule 18) with regard to information in respect of Restructured Accounts, Business Ratios, Maturity Pattern of Assets and Liabilities and Exposure to Sensitive Sectors, respectively are based on the records/information as certified by the Bank and relied upon by us.
5. As required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject to the limitation of the audit indicated in Paragraph 1 above and also to the limitation of disclosure required therein we report as under:
   a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found the same to be satisfactory;
   b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank;
   c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit;
   d) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank maintained in accordance with the generally accepted Accounting Principles in India:

i) The Balance Sheet read with Significant Accounting Policies and Notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March 2012;

ii) The Profit and Loss Account read with Significant Accounting Polices and Notes thereon shows a true balance of Profit for the year ended on that date; and

iii) The Cash Flow Statement read with Notes thereon shows a true and fair view of the cash flow for the year ended on that date.

6. Without qualifying our opinion, we draw attention to:
   a) Note No.7.2 regarding tax expenses for the year after reversal of excess provision of Rs.234.12 crore provided in the earlier years;
   b) Note No.9 regarding accounting treatment of pension and gratuity liability;
   c) Note No.19.2.2 regarding reversal of provision of sick leave of Rs.119.00 crore made in the earlier year.

M.BHASKARA RAO & CO
FRN 000459S

K.R.RATNAM
Partner
M.No.002316

BADARI, MADHUSUDHAN & SRINIVASAN
FRN 005389S

N.SRINIVASAN
Partner
M.No.027887

MITTAL GUPTA & CO
FRN 001874C

AKSHAY K. GUPTA
Partner
M.No.070744

B. THIAGARAJAN & CO
FRN 004371S

B.THIAGARAJAN
Partner
M.No.018270

S.R.MOHAN & CO,
FRN 002111S

B.HARI BABU
Partner
M.No.022206

SANKAR & MOORTHY
FRN 003575S

S.SURESH
Partner
M.No.203716

Place : Chennai
Date : 5.5.2012

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै-600 002

Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

Instructions to shareholders : Most Urgent and Immediate

1. The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on 16 10 2006 has inserted a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 which provides as under :
   - **Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed/ claimed the dividend, such amounts lying in the bank Dividend current account, shall be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend Account of IOB for the year _____"**
   - **Any money transferred to the Unpaid Dividend account which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)established under section 205(1)(C) of the Companies Act, 1956.**

   Hence the Shareholders who have not received/ encashed the dividend for financial years 2000-01, 2001-02, 2002-03 Interim/Final Dividend 2003-04, Interim Final Dividend 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 and for the year 2010-11 are requested to send their claim along with details of Folio No.(s) to Investor Relations Cell, Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002.
2. Shareholders are also requested to send their claims, if any, in case of non receipt of refund orders in respect of our Public Issue 2000 and Follow on Public Issue 2003 along with Application Number to Investor Relations Cell, Indian Overseas Bank, Central Office,763, Anna Salai, Chennai-600 002.
3. **The shareholders, who are holding shares in electronic form have to approach only the DP concerned and <u>not the Registrar for any change in the mandated particulars like change of address, Bank Account, etc..</u>** Please note that the Registrar would send the dividend warrant (or credit to the mandated account in the case of shareholders who have opted for ECS credit) based on the particulars furnished by DP to the Registrar as on 22.06.2012.
4. **Consolidation of Folios** : It has been found that many shareholders maintain more than one folio (i.e.) multiple folios. In order to provide efficient service to shareholders, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to our Registrar and Share Transfer Agent for necessary corrections in their records.

शेयरधारकों को अनुदेश : अति आवश्यक व तत्काल

1. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थाएँ विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 जो 16 10 2006 से प्रभावी है, ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 में निम्नलिखितानुसार एक नई धारा 10 (बी) जोड दी है :
   - **घोषणा की तारीख से 30 दिनों समाप्त होने की तारीख से 7 दिन के अंदर , यदि शेयरधारक लाभांश को भुनाई/दावे नहीं करे तो बैंक के लाभांश चालू खाता में मौजूद ऐसी राशियाँ अलग नाम से "वर्ष ———— के लिए आइओबी के अदत्त लाभांश खातों" में स्थानांतरित की जानी चाहिए।**
   - **अदत्त लाभांश खाते में स्थानांतरित कोई भी रकम जो स्थानांतरण की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के लिए अदत्त / अदावी रही है को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205(1) (सी) के तहत स्थापित निवेशक शैक्षणिक और संरक्षण निधि में (आइइपीएफ) स्थानांतरित किया जाना चाहिए ।**

   अत: वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 के लिए लाभांश, वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए अंतरिम/अंतिम लाभांश और वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 ,2008-09 और 2009-10 और 2010-11 के लिए अंतरिम अंतिम लाभांश नहीं मिला है / जिन्होंने लाभांश का नकदीकरण नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने दावे, फोलियों संख्या (ओं) जैसे ब्योरों सहित निवेशक संबंध कक्ष, इण्डियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय,अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 को भेज दें ।
2. पब्लिक इश्यू 2000 और अनुवर्ती एवं पब्लिक इश्यू 2003 के वापसी आदेश प्राप्त न होने संबंधी मामलों के बारे में भी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने दावे, यदि कोई हो, तो आवेदन संख्या सहित निवेशक संबंध कक्ष, इण्डियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय,अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 को भेज दें।
3. शेयरधारक जिनके शेयर इलेक्ट्रनिक रूप में धारित हैं को कोई अधिदेशित विवरण जैसे, पता परिवर्तन, बैंक खाता आदि के लिए मात्र डीपी से संपर्क करना चाहिए न कि रजिस्ट्रार से । कृपया नोट कर लें कि रजिस्ट्रार, डी पी द्वारा 22.06.2012 तक उन्हें दिए हुए विवरण के आधार पर लाभांश अधिपत्र (या यदि शेयरधारक ने ईसीएस जमा का विकल्प दिया हो तो उस अधिदेशित खाते में जमा करेगा) भेजेगा ।
4. फोलियो समेकन : यह पाया गया कि कई शेयरधारकों द्वारा एक से अधिक अर्थात बहुसंख्या में फोलियो रखे हैं । शेयरधारकों को उत्तम सेवा प्रदान करने हेतु हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे फोलियो के समेकन हेतु अपने शेयर प्रमाण-पत्रों को हमारे रजिस्ट्रार को एवं शेयर अंतरण एजेण्टस को उनके रिकार्ड में आवश्यक सुधार हेतु भेज दें ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय,763,अण्णा सालै,चेन्नै- 600 002

फार्म 'बी'

प्रॉक्सी फॉर्म

(विनियम 70 का उप-विनियमन (iii)) देखें)

(शेयरधारक द्वारा भरे व हस्ताक्षरित किए जाने के लिए)

पंजीकृत फोलियों सं- (यदि बेकागज़ीकृत न हो)
डीपी आइडी सं : ग्राहक आइडी सं :

मैं/हम, ...निवासी

.....जिला

.....राज्य .....इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारक होने के नाते

एतद्द्वारा श्री/श्रीमती .....निवासी ..... जिला

..... राज्य ..... को, शुक्रवार दिनांक 29 जून 2012 को नारद गान सभा, (सदगुरु ज्ञानानन्दा हाल) 314, टी टी के रोड, चेन्नै - 600 018 में होने वाली इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक और इससे संबंधित कोई अन्य स्थगन हो तो उसमें मुझे/हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं ।

वर्ष 2012 के ..... माह के ..... दिन हस्ताक्षरित

(प्रॉक्सी के हस्ताक्षर)

नाम .....

पता .....

.....

.....

रु.1/- का राजस्व टिकट चिपकाएँ

प्रथम नामित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास

(कृपया इस उपस्थिति पर्ची को भरकर बैठक के प्रवेश द्वार पर सौंप दें)

शेयरधारक का नाम व पता .....

.....

धारित शेयरों की संख्या : ..... पंजीकृत फोलियों सं .....
(यदि बेकागज़ीकृत न हो)

डीपी आइडी सं ..... ग्राहक आइडी सं :.....
(यदि बेकागज़ीकृत है तो)

मैं 29 जून 2012 को सुबह 10.00 बजे, नारद गान सभा, (सदगुरु ज्ञानानन्द हाल) 314, टीटीके रोड, चेन्नै - 600 018 में आयोजित बैंक की 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/ करती हूँ ।

.....
(शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

FORM 'B'

FORM OF PROXY

See Sub-Regulation (iii) of regulation 70)

(TO BE FILLED IN AND SIGNED BY THE SHAREHOLDER

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)
D P Id No. Cl. Id No.

I/ We,.....resident

of.....in the

District of…….....……..……in the State....., being a shareholder/shareholders of Indian Overseas Bank, hereby appoint Shri/Smt …….....…… resident of …….....……in the district of …….....……..in the state of …….....…….. as my / our proxy to vote for me/us and on my/ our behalf at the 12th Annual General Meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank to be held on Friday, 29th June 2012 at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnanananda Hall) 314 TTK Road, Chennai – 600 018 and at any adjournment thereof.

Signed this.....day of.....2012

.....

(Signature of the Proxy)

Name .....

Address .....

.....

.....

Please affix Rs. 1/- Revenue Stamp

Signature of the first named/sole holder

ATTENDANCE SLIP – CUM – ENTRY PASS

(Please fill this attendance slip and hand it over at the entrance of the meeting hall)

Name and address of the shareholder.....

.....

No of shares held: ..... Regd Folio No: .....

(If not dematerialised)

DP ID No: ..... Client ID No: …….....…….....

(If dematerialised)

I hereby record my presence at the 12th Annual General Meeting of the Bank held on 29th June 2012 at 10:00 AM at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnanananda Hall) 314, TTK Road, Chennai - 600 018

.....

(Signature of the shareholder / proxy holder / representative)

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

डिपॉज़िटरी सेवाएँ

कथिड्रल शाखा (तहखाना तल)

762, अण्णा सालै , चेन्नै 600002

फोन : 28513617/3618, फैक्स : 28513619 ईमेल - deposit@chemsco.iobnet.co.in

अपने शेयरों को अमूर्तीकृत रूप में (इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म) रखें

अपने शेयरों को डीमैट क्यों करें?

- चूँकि शेयर इलेक्ट्रनिक फॉर्म में हैं, अत: कोई हानि, चोरी या नुकसान नहीं
- किसी प्रकार की देरी एवं स्टाम्प शुल्क के बिना शेयरों का अंतरण
- लाभांश/ब्याज बैंक खाते में सीधे जमा किया जा सकेगा
- बोनस/राइट्स शेयर आपके डीमेट खाते में सीधे जमा हो जाएंगे
- यदि डीमेट खाते में परिवर्तन किया गया है तो सभी कंपनियों को पते एवं बैंक विवरण में हुए परिवर्तन की सूचना स्वत: मिल जाएगी
- खाता धारक की मृत्यु होने पर, यदि नामांकन का विकल्प लिया गया हो तो बिना किसी प्रकार की अड़चन के नामिती के डीमेट खाते में शेयरों के अंतरण
- अपने डिमैट खाते में एन एस डी एल से डेबिट ,क्रेडिट आदि के लिए एसएमएस अलर्ट प्राप्त करें
- आई ओ बी से पोर्टफोलियो के मूल्य में कोई अनुकूल परिवर्तन होने पर प्रतिदिन एस एम एस प्राप्त करें ।
- इन्टरनेट (आइडियाज़) के ज़रिए अपना खाता नि:शुल्क देख सकते हैं

विद्यमान अमूर्तिकृत खाताधारकों द्वारा नोट किए जाने वाले बिन्दु

- यदि खाते को अवरुद्ध/स्थगित किया गया है तो सभी खाता धारकों के पैन विवरण की प्रस्तुति को सुनिश्चित किया जाए। **अवरुद्ध किए गए ऐसे शेयरों को आयकर प्राधिकारियों द्वारा कुर्क किए जाने की संभावना है।**
- यदि पहले नामांकन के विकल्प का प्रयोग न किया गया हो, तो नामांकन का विकल्प प्रयोग कर लें।
- **अपने मासिक / त्रैमासिक विवरणों को ईमेल द्वारा प्राप्त करने के लिए अपनी मेल आइ डी उपलब्ध कराएँ।**
- प्रत्येक ग्राहक को लेनदेनों/धारिताओं का विवरण प्राप्त करने का अधिकार है:
  मासिक - यदि संबंधित महीने में कम-से-कम एक लेनदेन किया गया हो।
  तिमाही - यदि तिमाही के दौरान एक भी लेनदेन न किया गया हो।
- यदि लाभांश/ब्याज/वापसी आदेश ईसीएस के जरिए सीधे जमा न किया गया हो (जहाँ लागू हो) , तो कृपया यह सुनिश्चित करें कि डीमेट खाते में शाखा का सही एमआइसीआर कोड उपलब्ध है।
- अब सुपुर्दगी अनुदेश पर्ची किसी भी सेवा केन्द्र पर पेश की जा सकती है।

एएसबीए सुविधा की उपलब्धता

- हम ने अपने बैंक में **ब्लॉक रकम द्वारा समर्थित अप्लिकेशन (असबा)** की शुरूआत की है।
- असबा सुविधा प्रदाता कुल 421 शाखाओं के नाम के लिए कृपया हमारी वेबसाइट (www.iob.in) देखें
- आइपीओ / एफपीओ के लिए निर्बाध निवेश हेतु कृपया इस सुविधा का उपयोग करें और अपने बैंक खातों में जमाओं पर ब्याज अर्जित करते रहें।

INDIAN OVERSEAS BANK
DEPOSITORY SERVICES

Cathedral Branch (Mezzanine Floor)

762, Anna Salai, Chennai 600 002

Phone 28513617/3618 Fax – 28513619 email – deposit@chemsco.iobnet.co.in

KEEP YOUR SHARES IN DEMATERIALISED FORM (ELECTRONIC FORM)

WHY TO DEMAT YOUR SHARES

- No loss, theft or damage to the shares as they are in electronic form
- Transfer of Shares without any delay and stamp duty
- Dividend / Interest can be credited to the bank account directly
- Bonus / Rights shares get credited to your demat account directly
- Change of Address / Bank particulars are communicated to all companies automatically if the change is effected in the demat account
- Opting for Nomination ensures hassle-free transfer of shares to the demat account of Nominee in the event of death of account holder
- Receive SMS alert for debit, credit etc. in your demat account from NSDL
- Receive daily SMS alert on favourable change in the value of portfolio from IOB
- You can view your account through internet (IDeAS) free of charge

POINTS TO BE NOTED BY EXISTING DEMAT ACCOUNT HOLDERS

- Ensure to submit PAN particulars of all account holders if the status of account is blocked / suspended. **There is a possibility that the shares held in such blocked account are liable to be attached by Income-Tax Authorities**
- Opt for Nomination, if not already opted
- **Furnish your mail id to us to receive your monthly / quarterly statements by email**
- Each client is entitled to receive statement of transactions / holdings:
  Monthly – If there is atleast one transaction in the respective month
  Quarterly – If there is no transaction in a quarter
- If Dividends / Interests / Refund Orders are not credited directly through ECS (wherever applicable), please ensure that correct MICR code of the branch is available in the demat account
- Delivery Instruction Slips can now be tendered at any of the Service Centres

Availability of ASBA Facility

- We have introduced **Application Supported by Blocked Amount (ASBA)** in our Bank.
- Please visit our website (www.iob.in) for the names of 421 branches offering ASBA facility
- Please avail of this facility for hassle-free investing for IPO / FPO and continue to earn interest on your deposits in your Bank Accounts.

प्रेषक

दिनांक : .....

सेवा में

मेसर्स कैमियो कार्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड

यूनिट : इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

सुब्रह्मण्यिम बिल्डिंग

नं : 1 क्लब हाउस रोड

चेन्नै - 600002

प्रिय महोदय

संदर्भ : नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज (एन ई सी एस) के ज़रिए लाभांश का भुगतान

प्रथम धारक का नाम (बड़े अक्षरों में)						
फोलियो नं.						
शेयरों की संख्या						
बैंक खाते का प्रकार (कृपया टिक करें)	बचत खाता		चालू खाता		नकद उधार खाता	
बैंक खाता संख्या						
बैंक का नाम						
शाखा का नाम						
आइ एफ एस सी कोड *						
बैंक का पूरा पता						
9- बैंक द्वारा जारी एम आइ सी आर चेक पर दिखने वाली शाखा व बैंक का डिज़िट कोड नं (कृपया उपरोक्त खाते से संबंधित अपने बैंक द्वारा जारी चेक की फोटोकॉपी या कोरा निरस्त चेक संलग्न करें ताकि कोड की सत्यता का सत्यापन किया जा सके ।)						

मैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ जब भी **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** द्वारा इसे मुझे लाभांश के भुगतान हेतु कार्यान्वित किया जाय।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि दिए गए उपरोक्त ब्यौरे सही और पूर्ण हैं । यदि अपूर्ण या असत्य जानकारी के कारण लेन -देन विलंबित होता है या शुरू ही नहीं होता,मैं **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक / रजिस्ट्रार** को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराउंगा ।

मैं पुनश्च **रजिस्ट्रार / इण्डियन ओवरसीज़ बैंक** को अपने बैंक,शाखा और खाता संख्या में किसी भी परिवर्तन की सूचना देने का वचन देता हूँ ।

(प्रथम / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर)

From :

Date ._____

To:

M/s.Cameo Corporate Services Limited

Unit : INDIAN OVERSEAS BANK

'Subramanin Building '

No.1 Club House Road

Chennai – 600002

Dear Sir(s),

Ref: PAYMENT OF DIVIDEND THROUGH NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICES (NECS)

Name of First Holder (In Block Letter)						
Folio No.						
No of shares						
Bank A/c Type [Please tick (✓)]	Savings A/c		Current A/c		Cash Credit A/c	
Bank Account Number						
Name of the Bank						
Branch Name						
IFSC Code *						
Full Address of the Bank						
9– Digit Code number of the Bank & Branch appearing on the MICR cheque issued by the Bank (Please attach Photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code.						

I agree to avail of the Electronic Clearing Service, as and when implemented by **Indian Overseas Bank** for payment of dividend to me.

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete . If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold **Indian Overseas Bank** / **Registrar responsible .**

I further undertake to inform the **registrar** / **Indian Overseas bank** any change in my Bank , Branch and Account no.

(Signature of the First / Sole shareholder)

हमारे रिटेल उत्पादों की एक झलक

शुभगृह आवासीय ऋण योजना:

- रु.500 लाख तक निवासी व्यक्तियों के लिए आवासीय वित्तीय ऋण योजना
- मार्जिन -20%
- नए / पुराने मकान / फ्लैटों की खरीद / निर्माण के लिए 25 वर्षों में चुकतेये
- निर्माण के लिए 18 महीनों और खरीद के लिए 3 महीनों की अवकाश अवधि
- ऋण के आकार के आधार पर प्रति स्पर्धी ब्याज ऋण
- कोई पूर्व चुकतान प्रभार नहीं है

पुष्पक (वाहन ऋण) योजना:

- नए और पुराने वाहन कार और दुपहिया दोनों के लिए वाहन वित्तीय ऋण योजना
- नई कार के लिए लागत का 90% और पुरानी कार के लिए लागत का 75%
- दुपहिया वाहन के लिए लागत का 90%या मासिक वेतन का 10 गुना या रु.60,000 जो भी कम है
- चुकतान अवधि-नई कार के लिए 72 ईएमआइ और पुरानी कार के लिए 36 ईएमआइ
- प्रतिस्पर्धी ब्याज दर
- कोई पूर्व चुकतान प्रभार नहीं है

बेजमानती ऋण

- निजी और घरेलु खर्च के लिए वेतनभागी कर्मचारियों के लिए ऋण
- ऋण की प्रमाद्रा -मासिक वेतन का 10 गुना या रु.10 लाख जो कम हो कर्मचारी जिनका वेतन हमारे माध्यम से भुगतान किया जाता हो
- अन्य के लिए-मासिक वेतन का 5 गुना या रु.1लाख जो भी कम हो
- एलआइसी एजेंट के लिए-वर्ष में औसतन का मासिक कमीशन का 10 गुना के साथ अधिकतम 10 लाख
- चुकतान की अवधि-जहाँ ऋण राशि 10 मासिक के वेतन /कमीशन के आधार पर है 60 ईएम आइ और अन्य के लिए 36 ईएमआइ

आइओबी हेल्थ केयर प्लस:

- आइओबी हेल्थ केयर प्लस: कम प्रीमीयम में हमारे व्यक्तिगत खाताधारकों के अभिभावन सहित पूरे परिवार के लिए फ्लोटर बीमा कवर
- कोई चिकित्सा परीक्षा की जरुरत नहीं है
- यदि दुर्घटना , अचानक बीमारी, कोई बीमारी के संबंध में सर्जरी के मामले में अस्पताल की खर्चें कवर होता है।
- प्रवेश की उम्र की सीमा 3 महीने से 65 वर्ष तक, कवरेज की 80 वर्ष की आयु तक ही उपलब्ध है। आश्रित बच्चों के लिए आयु सीमा-पुरूषों के लिए 21 वर्ष तक, महिलाओं के लिए 25 वर्ष या उनके विवाह तक जो भी पहले हो
- अस्पतालीकरण से पहले (अस्पतालीकरण से पहले 30 दिन) और अस्पतालीकरण के बाद (अस्पतालीकरण के बाद 60 दिन) की खर्चों की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।
- तीन लगाातर वर्षों तक नि:शुल्क पॉलसी दावे के बाद पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर किया जा सकता।
- पॉलिसी के अन्य पक्ष प्रशासक के माध्यम से नकद रहित लेन -देन
- कवरेज : रु. 50000/- से रु. 5.0 लाख तक
- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर के लिए राइडर
- धारा 80 डी के तहत कर लाभ
- एनआरआइ जब भारत में होते हैं तब चिकित्सा के लिए कवर

एसबी स्टूडेंट

- 16 साल की आयु से छात्रों के लिए
- न्यूनतम शेष रु.500/-
- नि:शुल्क इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन
- मोबाइल बैंकिंग सुविधा
- खाते में सभी लेन-देन के लिए एसएमएस एलर्ट
- नि:शुल्क बहु उद्देशीय कार्ड (एटीएम, पीओएस, एवं ईसीओएम)
- नि:शुल्क स्थाई अनुदेश
- रु.1 लाख के लिए नि:शुल्क निजी दुर्घटना कवर
- नि:शुल्क चेक बुक (प्रति वर्ष 60 पन्ने)

एस बी प्लेटिनम

- न्यूनतम शेष रु.750/-
- नि:शुल्क चेक बुक (वर्ष 75 पन्ने)
- नि:शुल्क अंतराष्ट्रीय वीज़ा डेबिट कार्ड
- नि:शुल्क इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधा
- नि:शुल्क एसएमएस एलर्ट
- रु.75000/- के लिए नि:शुल्क निजी दुर्घटना बीमा
- आरटीजीएस / नेफ्ट के जरिए निधियों का अंतरण (प्रभारों पर 75% रियायत)
- सीबीएस शाखाओं में कहीं भी बैंकिंग सुविधा
- एएसबीए सुविधा उपलब्ध

एस बी कार्पोरेट वेतन खाता

- शून्य शेष खाता
- प्रति वर्ष नि:शुल्क 60 चेक पन्ने
- नि:शुल्क आइओबी अंतर राष्ट्रीय वीज़ा डेबिट कार्ड
- खाते में सभी लेन-देनों के लिए एसएमएस एलर्ट
- एटीएम से प्रतिदिन रु.50,000/- तक की निकासी सुविधा
- नि:शुल्क इंटरनेट बैंकिंग सुविधा
- नि:शुल्क मोबाइल बैंकिंग सुविधा
- नि:शुल्क आरटीजीएस/नेफ्ट सुविधाएँ
- रु.1 लाख के लिए नि:शुल्क निजी दुर्घटना कवर
- ओवर ड्राफट सुविधा * और कई अन्य सुविधाएँ

सीडी सुप्रीम :

- न्यूनतम शेष रु.7500/-
- नि:शुल्क डेबिट कार्ड
- नि:शुल्क चेक पन्ने
- नि:शुल्क इंटरनेट बैंकिंग
- आरटीजीएस /नेफ्ट पर 75%रियायत
- किसी भी शाखा से सीबीएस लेन-देनों के तहत रु.50,000/- तक नि:शुल्क नकद आहरण
- स्वर्ण सिक्कों की खरीद पर रियायत (एक दिन में 76ग्राम की न्यूनतम खरीदी पर प्रति ग्राम रु.7.50 की रियायत)
- एएसबीए सुविधा उपलब्ध

  * बैंक की संतुष्टि की शर्त पर

आइओबी गोल्ड सिक्के :

- 999.9 की शुद्धता
- 24 कैरट
- पीएएमपी प्रमाणित
- टैंपर प्रूफ
- स्विट्ज़रलैंड से आयातित
- प्रतिस्पर्धी मूल्य
- 2,4,8,10,20,50 व 100 ग्राम में उपलब्ध

OUR RETAIL PRODUCTS AT A GLANCE

Subha Gruha Housing Loan Scheme:

- Housing Finance scheme for resident individuals up to Rs.500 Lakhs
- Margin - 20%
- Repayable in 25 years for purchase / construction of new / old houses / flats
- Holiday period – up to 18 months for construction and 3 months for purchase
- Competitive Interest rate depending on the size of the loan
- No prepayment Charges

Pushpaka (Vehicle Loan) Scheme:

- Vehicle Finance scheme for purchase of new as well as used car and 2-wheeler
- New car 90% of cost, Old car 75% of cost
- Two wheelers 90% of cost or 10 times of Monthly Salary or Rs.60,000 whichever is lower
- Repayment - 72 EMI for new cars and 36 EMIs for used cars
- Competitive Interest rate
- No prepayment Charges

CLEAN LOAN

- Loan for salaried employees to meet personal and domestic expenses
- Quantum of loan-10 times the monthly salary or Rs.10 Lakhs whichever is lower for employees whose salary is routed through us
- For others - 5 times the monthly salary or Rs.1 Lac whichever is lower
- For LIC agents, 10 times of average monthly commission in a year with a maximum of Rs.5 Lacs
- Repayment-60 EMI where the loan amount is based on 10 months salary / commission and 36 EMI for others

IOB Health Care Plus:

- IOB Health Care Plus - a floater insurance cover for entire family including parents, of our individual account holders at avery low premium
- No medical examination required
- Covers hospitalization expenses in case of accidents, sudden illness, surgery, in respect of any disease
- Entry age limit is between 3 months and 65 years, coverage is available upto age of 80 years only. Age limit for dependent children- for male upto 21 years, for female upto 25 years or till their marriage whichever is earlier
- Pre hospitalization (Period upto 30 days prior to hospitalization) and Post Hospitalization (Period upto 60days after hospitalization) expenses can also be reimbursed
- Pre-existing diseases can also be covered after three consecutive claim free policy years
- Cashless transaction through Third Party Administrator of the policy
- Coverage: Rs.50,000 to Rs 5 lakhs
- Rider for Personal Accident Insurance Cover
- Tax benefit under section 80D
- Treatments for NRIs while in India are covered

SB STUDENT

- For the Students from 16 years of age
- Minimum Balance Rs.500/-
- Free Internet Banking Registration
- Mobile Banking Facility
- SMS Alerts for all transactions in the account
- Free Multipurpose Card (to operate in ATM, POS & ECOM)
- Free Standing Instructions
- Free Personal Accident Cover for Rs.1 Lac
- Free Cheque Book (60 leaves per annum)

SB PLATINUM

- Minimum Balance is Rs.750/-
- Free Cheque book (75 leaves)
- Free International VISA Debit Card
- Free Internet banking and mobile banking facility
- Free SMS Alerts
- Free Personal Accident Insurance cover of Rs.75000/-
- Transfer of funds through RTGS/NEFT (75% concession on charges)
- Anywhere banking in CBS branches
- ASBA facility available

SB CORPORATE SALARY ACCOUNT

- Zero Balance Account
- Free 60 Cheque Leaves per annum
- Free IOB International VISA Debit Card
- SMS Alerts for all transactions in the account
- Withdrawal up to Rs.50,000/- per day in ATMs
- Free Internet Banking Facility
- Free mobile Banking Facility
- Free RTGS/NEFT Facilities
- Free Persoanl Accident Cover for Rs.1 lac
- Over Draft Facility * & much more

CD SUPREME

- Minimum Balance Rs.7500/-
- Free Debit Card
- Free Cheques Leaves
- Free Internet Banking
- 75% concession on NEFT/RTGS
- Free Cash withdrawal up to Rs.50,000/-under CBS transactions from any Branch
- Concession on Gold Coin purchase (Rs.7.50 per Gram on minimum purchase of 76 gms in a day)
- ASBA facility available

  * Subject to Bank's satisfaction

IOB GOLD COINS

- 999.9 Purity
- 24 carat
- PAMP certified
- Tamper Proof
- Imported from Switzerland
- Competitive Pricing
- Available in 2,4,8,10,20, 50 & 100 Gms